अध्याय-7

अनुतोष के प्रकरण

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की उचित शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

एफ.3(564)लोआस/2014

श्री अंकित अग्रवाल निवासी ए-22, नर्सरी रेजीडेन्सी, आचार्य विनोबाभावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में मल्होत्रा आवासीय कॉलोनी में अवैध वाहनों की आवा-जाही को कॉलोनीवासियों द्वारा रूकवा दिये जाने पर थानाधिकारी श्री दीपक खण्डेलवाल पुलिस थाना, विश्वकर्मा द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली कर उक्त वाहनों की आवा-जाही पुनः शुरू करवा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस उपायुक्त, जयपुर और पुलिस उपायुक्त, यातायात, जयपुर, से पत्राचार करने पर पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोर्ट में विवादित क्षेत्र विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में होने पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित नहीं होने व उक्त वाहन मल्होत्रा नगर आवासीय कॉलोनी में प्रवेश नहीं करने एवं उनके कॉलोनी में प्रवेश को रोकने के लिये यातायात शाखा की विशेष चैकिंग व्यवस्था किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 04.07.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(101)लोआस/2015

श्री मुकेश कुमार निवासी दयेरी पुलिस थाना मनियां, जिला धौलपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी नाबालिग भान्जी सीमा का अपहरण कर सोनू वगैरह द्वारा बलात्कार किये जाने पर इस बारे में पुलिस थाना, मनियां पर एफ.आई.आर. संख्या 177/2015 दर्ज करवाने पर अनुसंधान अधिकारी श्री रतनसिंह द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में आरोपी सोनू उर्फ धारासिंह व छोटा उर्फ दिनेश एवं अपचारी बालक शंकर के विरूद्ध धारा 366 व 376 (आई)(एन) भा.द.सं. व धारा 5, 6, पोक्सो एक्ट के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर देना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(183)लोआस/2015

श्री मदनलाल मीणा निवासी ग्राम अलेई, तहसील राजगढ, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में उनके व उनके पुत्रों के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाने पर गाँव वालों द्वारा पंचायत कर उन्हें गाँव से बाहर

निकाल देने पर इस बारे में पुलिस अधीक्षक, अलवर को परिवाद पेश करने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाधिकारी, राजगढ को आदेश दिये जाने के बाद भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर व जिला कलक्टर, अलवर से पत्राचार करने पर परिवादी के परिवार की सुरक्षा हेतु आर. ए. सी. की व्यवस्था की गई। गाँव के 20 व्यक्तियों के विरूद्ध इस्तगासा पेश कर शांति बनाये रखने के लिये पाबन्द करवाया गया।

इसी दौरान परिवादी श्री मदनलाल मीणा की हत्या कर देने पर उसके पुत्र घनश्याम मीणा द्वारा एफ.आई. आर. संख्या 566/2015 पुलिस थाना, राजगढ पर दर्ज करवाने पर सचिवालय द्वारा इस बारे में पुलिस अधीक्षक, अलवर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अनुसंधान के बाद 20 मुलजिमों के विरूद्ध धारा 306 भा.द.सं. का अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी व उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र घनश्याम मीणा द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 28.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(555)लोआस/2015

श्री समर गुप्ता निवासी 1क, शिवाजी पार्क, अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी पत्नी श्रीमती प्रियंका गुप्ता द्वारा उस पर झूठे आरोप लगाते हुये पुलिस थाना, कोतवाली, अलवर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 117/2015 में थानाधिकारी श्री गिरधारीलाल व कानि0 रामजीत गुर्जर (नं0 985) स्पेशल पुलिस, अलवर द्वारा उस पर नाजायज दवाब डालकर पद के दुरूपयोग के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 117/2015 भा.द.सं.की धारा 420, 377, 385, 120बी, 154 व 506 एवं आई.टी.एक्ट की धारा 67 में अनुसंधान के बाद मामला झूठा पाये जाने पर एफ.आर. अदम वकूआ (झूठ) में कता कर दिनांक 12.5.2017 को न्यायालय में पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 2.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।

एफ.3(629)लोआस/2015

श्री सतीश शर्मा निवासी मकान नं0 31 सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, सोडाला पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 323/2015 में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष शर्मा, थानाधिकारी श्री संजय शर्मा व ए.सी.पी. श्री रविदत्त गौड़ के मुलजिमों के प्रभाव में आ जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में मुलजिम मनोज सिंह व मुकेश शर्मा के विरूद्ध धारा 420, 468, 471, 406 व 120बी भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर मुलजिम मनोज सिंह के विरूद्ध दिनांक 8.9.2016 को चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिये जाने व मुलजिम मुकेश शर्मा के गिरफ्तार नहीं होने पर उसके विरूद्ध अनुसंधान लम्बित होना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 5.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(777)लोआस/2015

श्री साहबराम गुसाई निवासी चक 4 बी.पी.एम. भोपालपुरा, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, लालगढ़ जाटान पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 210/2015 में थानाधिकारी व उसके रीडर द्वारा मुलजिमों से रूपये लेकर मुलजिमों के नाम निकाल देने व जुर्म कम कर देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम पृथ्वीराज, गोरादेवी, पप्पीदेवी, मोमनराम, मनीराम, बीमादेवी व शांति देवी के विरूद्ध धारा 420, 193 व 120बी भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने व मुलजिम मनीराम, शांति देवी व बीमादेवी की मृत्यु हो जाने पर शेष मुलजिमों के विरूद्ध दिनांक 5.2.2016 को चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया जाना एवं शेष मुलजिमों हरजिन्दर, रणजीत, सोहनलाल व हेमादेवी के विरूद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश करने की कार्यवाही किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 20.7.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(791)लोआस/2015

श्री प्यारेलाल रैगर निवासी मांडलगढ, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित परिवाद में रैगर समाज की पुश्तैनी आवासीय जमीन पर श्री लादूलाल वगैरह द्वारा पुलिस थाना काछोला के पुलिस कर्मियों की मदद से कब्जा कर लेने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से पत्राचार करने पर परिवादी के प्रकरण संख्या 8/2016 पुलिस थाना, काछोला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा द्वारा अनुसंधान करने पर मुलजिम लादुलाल गुर्जर, शैतान गुर्जर व गोपाल गुर्जर के विरूद्ध धारा 3 एस.सी./एस.टी एक्ट का अपराध बनना पाये जाने पर तीनों मुलजिमों के विरूद्ध दिनांक 5.12.2016 को चार्जशीट न्यायालय में पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(102)लोआस/2016

श्रीमती बोहती निवासी बासड़ा, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके पति के नाम सरकार से 5 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि आंविटत होने पर उसकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन उसके नाम हो जाने पर श्री हरिकिशन द्वारा फर्जी मुख्यतारनामा बनाकर जमीन को करोड़ों में विक्रय कर देने पर इस बारे में पुलिस थाना व उच्चाधिकारियों को परिवाद भिजवाने पर उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस थाना, टपूकड़ा पर एफ.आई.आर. संख्या 255/2013 दर्ज कर अनुसंधान करने के बाद मुलजिम हरिकिशन, उमराव, संतोष, शेरसिंह व आनन्द प्रकाश के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर मुलजिम हरिकिशन व श्रीमती संतोष को गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश कर दिया जाना व शेष तीनों मुलजिमों की मृत्यु हो जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(132)लोआस/2016

श्री हीरालाल शर्मा निवासी 7/319, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, विधायकपुरी पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 375/2014 में थानाधिकारी द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में आरोपी पवन शर्मा व श्रीमती पप्पी शर्मा के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भा.द.सं. के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 11.3.2017 को चार्जशीट कता किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के प्रकरण में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 30.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(144)लोआस/2016

श्री मुख्तार अहमद निवासी नगरफोर्ट, तहसील दूनी, जिला टोंक द्वारा प्रेषित परिवाद में असली सोना बतलाकर नकली सोना बेचकर 10 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने बाबत पुलिस थाना, नगरफोर्ट पर दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 26/2016 में थानाधिकारी द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, टोंक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर रिपोर्ट में आरोपी उजेर अहमद, जुनैद व दिलशाद के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420 व 120बी, भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट पेश कर देना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 08.01.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(233)लोआस/2016

श्रीमती चूकादेवी निवासी जूसरी, तहसील मकराना, जिला नागौर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके पति के साथ घनश्याम वगैरह द्वारा मारपीट करने पर पुलिस थाना, मकराना पर एफ.आई.आर. संख्या 355/2015 दर्ज करवाने के पश्चात् घनश्याम वगैरह द्वारा उसके पति की हत्या कर देने पर एफ. आई.आर. संख्या 173/2016 दर्ज करवाने पर अनुसन्धान अधिकारी श्री अमरजीतसिंह वेदी, उप पुलिस अधीक्षक वृत्त मकराना द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, नागौर से रिपोर्ट आहूत करने पर परिवादी के प्रकरण सँख्या 355/2015 पुलिस थाना, मकराना में अनुसन्धान के बाद मुलजिम घनश्याम, मनीष व धीरेन्द्र के विरूद्ध

भा.दं.सं. की धारा 341, 323 व 307/34 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट सँख्या 99 दिनांक 13.6.2017 कता कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

प्रकरण सँख्या 173/2016 पुलिस थाना, मकराना में अनुसन्धान के बाद मुलजिम घनश्याम, महिपाल सिंह, चन्दसिंह व चेतनसिंह के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 452, 365 व 302/120बी एवं एस. सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट सँख्या 125 दिनांक 11.9.2016 को कता कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना अवगत करवाया गया। शेष मुलजिम धीरेन्द्र सिंह के विरूद्ध भी चार्जशीट कता कर दिनांक 16.6.2017 को न्यायालय में पेश कर दिया जाना बतलाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 13.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(255)लोआस/2016

श्री कैलाशचन्द मीणा निवासी इकबालगंज, तहसील दूनी, जिला टोंक द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, बरोनी पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 209/2014 में पुलिस द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अजमेर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उक्त प्रकरण में मुलजिम रामकरण, बसीर अहमद, मोहम्मद आसिफ, हैदर खाँ व जगदीश बैरवा के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 482 व 120बी भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर मोहम्मद आसिफ के अलावा अन्य

मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाना व मुलजिम मोहम्मद आसिफ की तलाश जारी होना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(382)लोआस/2016

श्री ज्ञानचन्द मूथा निदेशक आर.के.इन्टरनेशनल फिनसेक लि0, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री दिनेश कुमार द्वारा उनकी कम्पनी के विरूद्ध पुलिस थाना, जवाहर नगर, जयपुर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 211/2016 में अनुसंधान अधिकारी श्री खगेन्द्र तिवाड़ी, उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिनेश कुमार से अनुचित लाभ प्राप्त कर उनकी कम्पनी को अनुचित हानि पहुँचाने के प्रयास करने पर जाँच सी.आई.डी. से करवाने की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पूर्व) से पत्राचार करने पर पुलिस उपायुक्त से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में एफ.आर. अदम वकूआ (झूठ) में दिनांक 27.11.16 को कता किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(401)लोआस/2016

श्री शिवराजसिंह निवासी चक 2 एस.एन.एम. ग्राम पंचायत श्रीनगर, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा प्रेषित परिवाद में दिनांक 30.6.2016 की रात्रि को

अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर में घुसकर गहने व नगदी लूटकर ले जाने व माँ की हत्या कर देने पर इस बारे में पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन पर एफ.आई.आर. संख्या 415/2016 दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम सलीम, जुबेर व साजिद के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 147, 148, 149, 302, 395, 396, 460, 324, 323 व 341 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई व शेष मुलजिमों की तलाश में अनुसंधान लम्बित है।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 13.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया ।

एफ.3(426)लोआस/2016

श्रीमती सुमा मीणा निवासी उडाबेला पुलिस थाना, धौलापानी, जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रेषित परिवाद में दिनांक 2.8.2016 की रात्रि को जयराज मीणा द्वारा उसके घर में प्रवेश कर छेड़छाड़ करने पर इस बारे में पुलिस थाना, धौलापानी पर रिपोर्ट पेश करने पर थानाधिकारी द्वारा मुलजिम पक्ष से रूपये लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने व राजीनामा के लिये दवाब डालने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस थाना पर एफ.आई.आर. संख्या 56/2016 धारा 452 व 354 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान के बाद मुलजिम जयराम के विरूद्ध दिनांक 26.10.2016 को चार्जशीट पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 05.04.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(464)लोआस/2016

श्री शहजाद शाह निवासी भेरडा रोड, चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके ट्रक के चोरी हो जाने पर मुलजिम मनोज यादव को पुलिस थाना, चन्देरिया पर ले जाकर एफ.आई.आर. संख्या 64/2016 दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा आरोपी को धारा 107, 151, द.प्र.सं., में गिरफ्तार दिखलाकर पाबन्द करवा दिये जाने व मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में मुलजिम मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 379, 411, 201 व 120बी भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर उसे दिनांक 27.5.2016 को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध दिनांक 27.6.2016 को न्यायालय में चार्जशीट पेश करना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के प्रकरण में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 19.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(473)लोआस/2016

श्री हरजीराम बैरवा निवासी सरसड़ी रामपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री राजूलाल वगैरह द्वारा उसके साथ मारपीट करने पर इस बारे में पुलिस थाना, निवाई पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या

319/2016 में अनुसंधान अधिकारी के मुलजिमों से मिले होने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, टोंक से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद 9 मुलजिमों के विरूद्ध धारा 143, 341, 325, 447 व 354ए भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 30.11.2016 को चार्जशीट कता किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 22.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(505)लोआस/2016

श्री रामचन्द्र निवासी खाटा, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में थानाधिकारी, श्री नारायण दान व उपनिरीक्षक, श्री विनोद स्वामी पुलिस थाना, रायसिंहनगर के विपक्षी पार्टी से मिले होने पर उसके द्वारा पुलिस थाने पर पेश किये गये परिवाद में कार्यवाही नहीं करने व उसे ही झूठे मुकदमें में फँसाये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी की ओर से पेश किये गये परिवाद पर एफ.आई.आर. संख्या 257/2015 दर्ज कर अनुसंधान के बाद तीन मुलजिमों के विरूद्ध चार्जशीट पेश किया जाना व परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 258/2015 में अनुसंधान के बाद एफ.आर. अदम वकूआ (झूठ) में पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 26.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(517)लोआस/2016

स्वामी शिव चैतन्य निवासी जलेरी घाट, नर्मदा तट जबलपुर (एम.पी.) द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, शेरगढ़ पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 121/2010 में पुलिस द्वारा लूट के सामान को बरामद नहीं कर केवल दो ही व्यक्तियों को मुलजिम बनाये जाने व उसके विरूद्ध प्रकरण संख्या 68/2011 दर्ज कर पुलिस अधीक्षक, जिला ग्रामीण, जोधपुर व थानाधिकारी द्वारा उसे परेशान करने के आरोप लगाये लगाये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक रेंज, जोधपुर से पत्राचार करने पर परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में मुलजिम सतीश व इन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 323, 341, 342, 365 व 394 भा.द.सं. के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट दिनांक 02.05.11 को न्यायालय में पेश किया जाना बताया गया। परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 68/2011 पुलिस थाना, शेरगढ़ में अनुसंधान के बाद एफ.आर. अदम वकूआ (झूठ) में दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 06.07.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(561)लोआस/2016

श्री रामवतार जाटव निवासी नगलादानी पुलिस थाना, सैपऊ, जिला धौलपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी नाबालिग पुत्री मनीषा के साथ सामूहिक

बलात्कार करने के बारे में पुलिस थाना, सैपऊ पर दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 185/2016 में अनुसन्धान अधिकारी द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसन्धान के बाद आरोपी कुमरसैन, अपचारी बालक राजकुमार व लवकुश के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 376डी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5जी व 6 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया जाना बतलाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 22.1.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(576)लोआस/2016

श्रीमती नेहा शर्मा निवासी आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित परिवाद में महिला पुलिस थाना, भीलवाड़ा पर दर्ज करवाये गये मुकदमा संख्या 139/2015 धारा 498ए व 406, भा.द.सं. में जाँच अधिकारी द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने पर किसी उच्च अधिकारी से तफ्तीश करवाने की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में आरोपी श्री रविन्द्रनाथ के विरूद्ध धारा 498ए व 406 भा.द.सं. और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 16.12.2016 को चार्जशीट पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 05.06.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(597)लोआस/2016

श्रीमती अंकिता देवी पुत्री श्रवणकुमार निवासी सांचौर हाल बालोतरा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, बालोतरा पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 366/2016 में पुलिस द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से पत्राचार करने पर परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद परिवादी के पति श्री मुकेश कुमार, ससुर जेठाराम के विरूद्ध धारा 498ए, 406 व 323 भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 19.6.2017 को चार्जशीट पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 8.9.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(609)लोआस/2016

श्री रतनलाल खटीक निवासी डेगाना, जिला नागौर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके साथ दिनांक 2.5.2016 को लक्ष्मणसिंह वगैरह द्वारा बाजार में मारपीट करने पर पुलिस थाना, डेगाना पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 73/2016 में मुलजिमों के सहकारिता मंत्री से सम्पर्क होने पर अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री नरेश चीता द्वारा मुलजिमों के नाम निकाल देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस महानिरीक्षक रेंज अजमेर व पुलिस अधीक्षक, नागौर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम लक्ष्मणसिंह, महेन्द्र, अमराराम, भोमाराम, रामेश्वर, मुनाराम, शंकरलाल, राधाकिशन, ओमप्रकाश, चेनाराम व हरिराम के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323 व 325 भा.द.सं. और धारा 3 एस.सी/एस.टी एक्ट के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट पेश कर दिया जाना व पीड़ित पक्ष को 75,000/- हजार रूपये की आर्थिक सहायता दिलवाया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 06.07.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(617)लोआस/2016

श्री बच्चूसिंह जाटव निवासी समराया, तहसील वैर, जिला भरतपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी नाबालिग व मूकबधिर लड़की रेखा के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने पर इस बारे में पुलिस थाना, वैर पर मुलजिमों के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 242/2016 में अनुसंधान अधिकारी वृत्ताधिकारी, भुसावर श्री वासुदेव द्वारा मुलजिमों से रिश्वत लेकर कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से पत्राचार करने पर परिवादी के आरोपों की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.डी.एफ., भरतपुर से करवाने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम कल्लू उर्फ सलमान खान के विरूद्ध धारा 323, 341, 324 व 354 (क) (ख) भा.द.सं. व पोक्सो एक्ट एवं एस.सी/एस.टी. एक्ट की धाराओं के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 28.11.2016 को न्यायालय में

चार्जशीट पेश कर दी गई। आरोपी पक्ष को शांति बनाये रखने के लिये धारा 107/ 116 द.प्र.सं. में पाबन्द करवा दिया जाना भी बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 26.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(624)लोआस/2016

श्री अचल सिंह राजपुरोहित निवासी 105, सी.एस. लेबर कॉलोनी, पाली द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, कोतवाली, पाली पर दर्ज मुकदमा संख्या 424/2015 में थानाधिकारी, श्री देरावर सिंह द्वारा खुलेआम जुबराज का पक्ष लेकर उसके प्लॉट पर कब्जा करवाने के प्रयासरत होने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, पाली से पत्राचार करने पर पुलिस थाना, कोतवाली, पाली पर दर्ज प्रकरण संख्या 424/2016 में अभियुक्तों के विरूद्ध चार्जशीट पेश कर दिया जाना व अप्रार्थीगण को धारा 107/151 द.प्र.सं. में गिरफ्तार कर पाबन्द करवा दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(640)लोआस/2016

श्री शिवचैतन्य स्वरूप निवासी काशी विश्वनाथ मन्दिर जिलहरी घाट, नर्बदा उत्तर तट, जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, शेरगढ पर श्री सतीश राजपुरोहित व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

सँख्या 121/2010 में थानाधिकारी श्री आनन्दसिंह राजपुरोहित द्वारा अपने रिश्तेदार आरोपी को बचाने के आशय से परिवादी के विरूद्ध ही अपने रिश्तेदार से मुकदमा सँख्या 68/2011 दर्ज करवा देने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में प्रकरण सँख्या 121/2010 पुलिस थाना, शेरगढ़ में अनुसन्धान के बाद आरोपी सतीश उर्फ सतपाल व इन्द्रसिंह के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 323, 341, 342, 365 व 394 के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 2.5.2011 को न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 68/2011 में अनुसन्धान के बाद उसके विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 153क व 295क के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गृह विभाग से दिनांक 6.2.2012 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाना बताया गया। परिवादी के प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक, रेंज जोधपुर के आदेश से श्री केवलराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं सतर्कता, जोधपुर द्वारा अनुसन्धान करने पर परिवादी के विरूद्ध अपराध साबित नहीं पाये जाने व मामला अदमवकुआ (झूठ) का होना पाये जाने पर अभियोजन स्वीकृति को निरस्त करने हेतु गृह विभाग को पत्र लिखा जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 08.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(641)लोआस/2016

श्री दानाखान निवासी दातारपुर पुलिस थाना, गोविन्दगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी दो पुत्रियों को उनके पति व उनके परिवार

जनों द्वारा दहेज के लिये परेशान करने पर इस बारे में पुलिस थाना, गोविन्दगढ़ पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 275/2016 में पुलिस द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने व स्त्रीधन की बरामदगी नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम मुबीन व रफीक के विरूद्ध धारा 498ए, 406 व 323 भा.द.सं. के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 15.12.2016 को चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 30.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(679)लोआस/2016

श्री वेदपाल जाट निवासी शाहपुरिया, तहसील व जिला सिरसा, हरियाणा द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी भतीजी नीलम की उसके ससुराल वालों द्वारा हत्या कर देने पर इस बारे में पुलिस थाना, भिरानी पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 262/2016 में जाँच अधिकारी श्री भूपेन्द्र जाखड़, उप पुलिस अधीक्षक, नोहर के मुलजिमों के प्रभाव में आ जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद हनुमान व रणधीर के विरूद्ध धारा 304 बी व 498ए, भा.द.सं., के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 03.04.2017 को न्यायालय में चार्जशीट पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 30.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(751)लोआस/2016

श्री सीताराम मीणा निवासी अणतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, गोविन्दगढ़ पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 287/2016 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात् मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्रावली पुलिस थाना, गोविन्दगढ पर भिजवाने पर थानाधिकारी द्वारा जानबूझकर मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में मुलजिम भगवान सहाय, हरिनारायण व महेश के विरूद्ध धारा 323, 341 व 504 भा.द.सं. एवं धारा 3 एस.सी/एस.टी. एक्ट के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 17.2.2017 को न्यायालय में चार्जशीट पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 23.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(767)लोआस/2016

श्री डूंगरराम निवासी लक्ष्मीनाथ जी की घाटी के नीचे, बीकानेर द्वारा प्रेषित परिवाद में लक्ष्मीनाथ जी की घाटी के नीचे उसकी पट्टे-शुदा भूमि

पर श्री रामूराम, ए.एस.आई. पुलिस थाना, कोतवाली, बीकानेर द्वारा भू-माफियाओं को सहयोग कर कब्जा करवा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी की भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में दर्ज प्रकरण सँख्या 99/2016 पुलिस थाना, कोतवाली, बीकानेर में अनुसन्धान के बाद आरोपी रमेश, असलम, इरफान उर्फ अकबर व इन्द्र तंवर के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 447 व 34 के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 16.12.2016 को चार्जशीट कता कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 13.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(781)लोआस/2016

श्री शिवलाल मीणा निवासी रोणिजाथान, तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में ग्राम पंचायत रोणिजाथान की आबादी भूमि पर थानाधिकारी पुलिस थाना, खेड़ली द्वारा धारा 145 द.प्र.सं. में कार्यवाही करने के बाद भी उस पर अतिक्रमण करवा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण के बारे में एफ.आई.आर. संख्या 205/2017 पुलिस थाना, खेड़ली पर दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम महेशमीणा के विरूद्ध धारा 447 भा.द.सं. में चार्जशीट पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 06.07.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(800)लोआस/2016

श्री प्रेमसिंह जाट निवासी गोबरा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी नाबालिग पुत्री प्रीति का सुग्रीव उर्फ सुखा द्वारा विनोद की मदद से अपहरण कर लिये जाने पर इस बारे में पुलिस थाना, नदबई पर दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 583/2016 में 4 माह निकल जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र, किशनवीर, रविन्द्र, जसराम व सुखवीर के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 363, 366क व 120बी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 17 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 13.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(839)लोआस/2016

श्रीमती चक्षुप्रभा मालव निवासी नसियां जी, जैन मन्दिर के पास, हनुमान नगर, कोटा द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी कृषि भूमि को श्री रमेश चन्द वगैरह द्वारा कूटरचित वसीयत बनाकर हथियाने के प्रयास करने पर इस

बारे में पुलिस थाना, नयापुरा कोटा पर दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 185/2016 में मुलजिमों के गिरफ्तार हो जाने के बाद भी थानाधिकारी, बूढादीत की मदद से आरोपियों द्वारा उसे कृषि भूमि से बेदखल करने के प्रयास करने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में विवादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में परिवादी श्रीमती चक्षुप्रभा द्वारा ए.सी.एम. न्यायालय, दीगोद से स्थगन आदेश लिये जाने व प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया। परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. में अनुसंधान के बाद मुलजिमों के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई है। मुलजिमों को शांति बनाये रखने के लिये भी पाबन्द करवाया हुआ है। विवादित जमीन के बारे में धारा 145 द.प्र.सं. में इस्तगासा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद में पेश किया हुआ है। परिवादी ने पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के बारे में आपत्तियाँ भी पेश नहीं की है।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 26.9.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(847)लोआस/2016

एफ.3(850)लोआस/2016

श्रीमती अरूणा देवी निवासी रोडवाल पुलिस थाना, नीमराना, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री हरीसिंह अहीर के विरूद्ध पुलिस थाना, नीमराना पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 408/2016 में पुलिस द्वारा अभी तक मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने व पुलिस थाना,

पर इस बारे में जानकारी चाहने पर उन्हें धमकाकर भगा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अलवर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम सत्यवीर के विरूद्ध धारा 323 व 341 भा.द.सं. एवं धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 23.3.2017 को न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 08.05.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(857)लोआस/2016

श्रीमती ममता सुथार निवासी वार्ड नं0 1, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, सादुलशहर पर अपहरण व बलात्कार करने के सम्बन्ध में आरोपी नेतराम के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 141/2015 में पुलिस द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर परिवादी के प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम नेतराम के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (द) व 344 भा.द.सं. के अपराध साबित पाये जाने पर दिनांक 07.07.2017 को चार्जशीट न्यायालय में पेश किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 12.9.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(894)लोआस/2016

श्री राजकरण निवासी रामपुर, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी खातेदारी की जमीन के सम्बन्ध में रेवेन्यू न्यायालय में वाद लम्बित होने के बाद भी श्री अजीतसिंह वगैरह द्वारा थानाधिकारी, कोटकासिम से मिलकर उन्हें दं.प्र.सं. की धारा 151 में गिरफ्तार करवा देने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, अलवर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी व गैरसायल के मध्य जमीन को लेकर राजस्व मण्डल, अजमेर में विवाद लम्बित होने पर निषेधाज्ञा जारी होने व दं.प्र.सं. की धारा 145 का प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन होने पर दोनों पक्षों द्वारा विवाद करने पर दं.प्र.सं. की धारा 151 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर देना बताया गया। परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट सँख्या 198/2017 में गैरसायल पक्ष के विरूद्ध दं.प्र.सं. की धारा 447 का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश करना भी अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(84)लोआस/2017

श्री मोहनलाल जोगी (सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, बी.एस.एफ.) निवासी मीरण, जिला सीकर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सहायक अभियन्ता कार्यालय नेछवा में 8 माह पूर्व डिमाण्ड नोटिस राशि 202625/- रूपये जमा करवा दिये जाने पर पड़ौसी रतनाराम वगैरह द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं होने देने व सहायक अभियन्ता द्वारा पुलिस इमदाद के लिये पुलिस अधीक्षक, सीकर को कई बार पत्र लिखे जाने के बाद भी राजनैतिक दवाबवश पुलिस थाना, नेछवा को पुलिस इमदाद देने के आदेश नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक रेंज, जयपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के आवास पर विद्युत कनेक्शन करवाने के लिये सहायक अभियन्ता, नेछवा को पुलिस इमदाद दिलवाकर दिनांक 04.06.2017 को विद्युत कनेक्शन करवा दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.9.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(95)लोआस/2017

श्री गोपीराम गुर्जर निवासी रिणगी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, सांभरलेक पर दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 181/2016 में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत न्यायालय से खारिज हो जाने के बाद भी अनुसन्धान अधिकारी द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में अनुसन्धान के बाद कुल 10 मुलजिमों के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 147, 149, 323, 342, 348, 365, 355 व 330 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश कर देना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 06.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(184)लोआस/2017

श्री रामकिशन शर्मा निवासी कोटखावदा, तहसील व जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके पुत्र श्याम व पौत्र अनिल द्वारा उसके साथ मारपीट करने पर पुलिस थाना, कोटखावदा पर रिपोर्ट पेश करने पर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) से रिपोर्ट प्राप्त करने पर परिवादी के परिवाद पर दर्ज प्रकरण सँख्या 120/2017 में अनुसन्धान के बाद थानाधिकारी, कोटखावदा द्वारा आरोपी श्यामलाल के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 323, 341 व 504 में चार्जशीट पेश कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 16.1.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(200)लोआस/2017

श्रीमती परमेश्वरी मेघवाल निवासी कलिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री ओमप्रकाश ग्रोवर द्वारा पुलिस थाना, सदर, श्रीगंगानगर पर उसके व उसके पति के विरूद्ध झूठी एफ.आई.आर. संख्या 197/2017 दर्ज करवा देने पर पुलिस थाने के पुलिसकर्मी श्री हेतराम छीपा व रामकिशन द्वारा उन्हें परेशान करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर रिपोर्ट में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अनुसंधान के बाद दोनों पक्षों में रूपयों के लेन-देन का विवाद होना पाये जाने पर एफ.आर. (सिविल नेचर) में दिनांक 30.9.2017 को कता किया जाना व आरोपी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध की गई जाँच में उन्हें दोषी नहीं पाया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली को दिनांक 28.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(207)लोआस/2017

श्री मेघाराम जाट निवासी बाडेला, तहसील श्रीडूँगरगढ़, जिला बीकानेर द्वारा प्रेषित परिवाद में रिसीवरशुदा भूखण्ड पर श्री विष्णु दत्त, थानाधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ द्वारा विपक्षी पार्टी से मिलकर उनको नाजायज कब्जा करवा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में श्री रूदाराम मेघवाल द्वारा रिसीवरशुदा भूखण्ड पर झोंपड़ी बनाकर रहने पर उसे हटाने

के प्रयास करने के बाद भी उसके द्वारा भूखण्ड खाली नहीं करने पर इस बारे में पुलिस थाना पर एफ.आई.आर. संख्या 135/2017 धारा 447 व 448 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान के बाद रूदाराम के विरूद्ध दिनांक 29.6.2017 को चार्जशीट पेश कर दिया जाना व थानाधिकारी द्वारा रूदाराम को बेदखल करने के लिये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष परिवाद पेश कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 14.11.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(263)लोआस/2017

श्री रामसिंह राजावत निवासी अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके चाचा उदयसिंह व बजरंग सिंह द्वारा उसकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने के आशय से उसके साथ आये दिन मारपीट करने पर इस बारे में पुलिस थाना, चन्दवाजी पर परिवाद पेश करने पर थानाधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर (ग्रामीण) से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी के परिवाद पर एफ. आई. आर. संख्या 265/2016 भा.द.सं. की धारा 323, 341 व 451 के अपराधों में पुलिस थाना, चन्दवाजी पर दर्ज कर अनुसंधान के बाद उदयसिंह वगैरह के विरूद्ध चार्जशीट पेश कर दी गई। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा दिनांक 11.5.2017 को पेश किये गये परिवाद पर जाँच के उपरान्त उदयसिंह वगैरह के विरूद्ध धारा 107/116 द.प्र.सं. का इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(317)लोआस/2017

श्रीमती बेला कुमारी निवासी बकानी, जिला झालावाड़ द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके पति की मृत्यु के बाद उसके ससुर श्री मोहनलाल चौरसिया, सहायक कर्मचारी द्वारा उसे परेशान कर अपने पिता के घर भिजवा देने तथा उसकी विधवा पेंशन के कागजात नहीं लौटाये जाने के आरोप लगाये गये। परिवादी ने उसके भाईयों के विरूद्ध भी ससुर श्री मोहनलाल द्वारा पुलिस थाना, झालरापाटन में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा देने पर उसकी निष्पक्ष जाँच करवाने की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में इस बारे में पुलिस उप अधीक्षक, झालावाड़ से जाँच करवाने पर दोनों पक्षों का राजीनामा हो जाने व दहेज का सामान एवं अन्य कागजात परिवादी को सुपुर्द कर देने पर परिवादी का कोई सामान शेष नहीं होना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 07.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(367)लोआस/2017

श्रीमती हंजा देवी निवासी मण्डावर पुलिस थाना, देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा प्रेषित परिवाद में दिनांक 19.07.2017 की रात्रि के 8 बजे श्री माँगूसिंह वगैरह द्वारा उनके साथ मारपीट करने पर इस बारे में पुलिस

थाना, देवगढ़ पर रिपोर्ट पेश करने पर थानाधिकारी के आरोपियों से मिले हुए होने पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने एवं उनकी चोटों का मेडिकल नहीं करवाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 28.11.17 में बताया गया कि परिवादी के प्रकरण सँख्या 285/17 पुलिस थाना, देवगढ़ में अनुसन्धान के बाद आरोपी माँगूसिंह, श्रीमती कमला, श्रीमती मूली, अपचारी बालक श्री मिट्ठू सिंह के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 143 व 323 सपठित 34 के अपराध बनना पाये जाने पर दिनांक 23.10.17 को चार्जशीट कता की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद दिनांक 24.01.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(404)लोआस/2017

श्री प्रेमचन्द महावर निवासी कोलीपाड़ा, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसकी पुत्री कृष्णाकुमारी के साथ बलात्कार करने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना, गंगापुरसिटी पर दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. संख्या 236/2015 में पुलिस द्वारा मुलजिम के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट तलब करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में आरोपी मनोजकुमार के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 376 का अपराध साबित पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध चार्जशीट पेश करना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(415)लोआस/2017

श्री महेन्द्र सिंह निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित परिवाद में घटना के तीन दिन बाद श्री लखबिन्दर सिंह द्वारा डॉक्टर से मिलीभगत कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना, टिब्बी पर एफआईआर सँख्या 222/17 दर्ज करवाने पर इस बारे में निष्पक्ष जाँच करवाकर उसे न्याय दिलवाये जाने की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा दिनांक 07.12.17 को प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी श्री महेन्द्र सिंह व अन्य के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सँख्या 222/17 पुलिस थाना, टिब्बी में अनुसन्धान के बाद आरोपी अमित उर्फ बिट्टू व बलवेन्दर सिंह के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 341, 323, 326 व 427/34 के अपराध बनना पाये जाने पर चार्जशीट कता की गई। अनुसन्धान से परिवादी श्री महेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध साबित होना नहीं पाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद दिनांक 12.02.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.5(81)लोआस/2013

परिवादी श्रीमती प्रेमलता सूद, सेवानिवृत्त अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नांदड़ा कोलायत, जिला बीकानेर, हाल निवासी 6,

एकता नगर, हिसार, हरियाणा द्वारा मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के 16 माह बाद भी पेंशन एवं अन्य देय परिलाभ स्वीकृत नहीं किए जाने के विषय को लेकर शिक्षा विभाग के विरूद्ध दिनांक 18.10.2013 को शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय स्तर पर लम्बी अवधि तक विभाग से पत्राचार किया गया। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 5.6.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर पेंशन विभाग ने दिनांक 28.5.2015 को पी.पी.ओ. नम्बर 0151-1003144 एवं जी.पी.ओ. नम्बर 0151-3006089 जारी कर दिए गए हैं।

तत्पश्चात् सम्बन्धित वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोलायत ने दिनांक पत्र 11.5.2017 से अवगत करवाया कि राज्य बीमा की कुल 63,650/- रूपए की राशि दिनांक 12.5.2017 तथा जी.पी.एफ. खाता की कुल 1,51,442/- रूपए की राशि दिनांक 11.5.2017 को परिवादी श्रीमती प्रेमलता सूद, सेवानिवृत्त अध्यापिका के खाते में जमा कराई जा चुकी है।

परिवादी द्वारा भी इस कार्यवाही के लिए इस सचिवालय का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र दिनांक 4.7.2017 प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 10.7.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(64)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व. वेस्ता मीणा, ग्राम अरनिया, पोस्ट घलकिया, जिला बाँसवाड़ा का कथन है कि उसके पति श्री वेस्ता मीणा

का दिनांक 23.12.2006 को राजकीय सेवा में रहते हुए निधन हो गया था। उसके उपरान्त भी शिक्षा विभाग द्वारा पेंशन एवं मृतक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 7.7.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी के पति स्व. श्री वेस्ता मीणा के पेंशन प्रकरण का निस्तारण कर जीपीओ एवं पीपीओ जारी हो चुके हैं तथा अनुकम्पा नियुक्ति के सन्दर्भ में समय सीमा में शिथिलन हेतु राज्य सरकार को लिखा गया है। तत्पश्चात् इस अनुक्रम में विभाग ने पत्र दिनांक 08.02.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी के पुत्र श्री राकेश मीणा को मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 09.12.2017 के तहत दी जा चुकी है।

परिवादी श्रीमती मीरादेवी द्वारा इस कार्यवाही के लिए इस सचिवालय को धन्यवाद पत्र दिनांक 18.4.2017 प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 28.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(73)लोआस/2014

परिवादी श्री शहजाद अली कादरी, शिक्षा सहयोगी, मदरसा नौ गजा पीर दरहाग, बीकानेर द्वारा मुख्य रूप से वर्ष 2008 से मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने के विषय को लेकर राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.3.2015 से अवगत

करवाया कि परिवादी को जुलाई, 2008 से अक्टूबर, 2014 तक के मानदेय की कुल राशि 3,89,739/- रूपए का भुगतान किया कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 05.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(15)लोआस/2015

परिवादी श्री भोमसिंह महलावत, सेवानिवृत्त व्याख्याता, जाट बहरोड़, जिला अलवर द्वारा दस वर्षीय सेवा पर देय परिलाभ दिनांक 31.3.99 के स्थान पर दिनांक 01.07.1998 से एवं चयनित वेतनमान दिलवाए जाने की विषयवस्तु को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने पत्र दिनांक 12.04.2017 के साथ आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए अवगत करवाया कि परिवादी को दस वर्षीय सेवा परिलाभ दिनांक 01.07.1998 से एवं चयनित वेतनमान दिनांक 01.07.2006 से संशोधित कर दिये गये हैं तथा प्रकरण में पूर्ण पालना हो चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 13.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(34)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहम्मद हनीफ, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, मकान नं. 185, सब्जी मण्डी के पीछे, वार्ड नं. 11, बून्दी द्वारा मूल रूप से बकाया

चिकित्सा व यात्रा बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 21.02.2017 एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, केशवरायपाटन, जिला बून्दी के पत्र दिनांक 24.4.2017 के अनुसार परिवादी को बकाया यात्रा बिलों की राशि 7,069/- रूपए एवं चिकित्सा बिलों की राशि 2,467/- रूपए का भुगतान कर दिया गया तथा अब कोई दावा लम्बित नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 07.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(56)लोआस/2016

परिवादी श्री नारायण लाल व्यास, विनायक श्रीमाली स्ट्रीट, ऑफिसर्स कॉलोनी, बाड़मेर ने सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन, पेंशन परिलाभ एवं बकाया चिकित्सा बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में परिवाद दर्ज करवाया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 11.04.2017 एवं दिनांक 26.10.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को पेंशन, पेंशन परिलाभ एवं बकाया चिकित्सा बिलों का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 18.01.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(82)लोआस/2016

परिवादी श्री चतुर्भज वैष्णव, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. रामासनी, पंचायत समिति, बिलाड़ा, जोधपुर ने अपने परिवाद में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से की गई कटौती की राशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी न लौटाये जाने का परिवाद दर्ज करवाया।

इस सन्दर्भ में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बिलाड़ा एवं उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर ने पत्र दिनांक 28.11.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के बकाया यात्रा बिल एवं उपार्जित अवकाशों के समर्पण का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 18.01.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(149)लोआस/2016

परिवादी श्री कुंजबिहारी लाल पालड़िया, प्रधान, आदर्शनगर आर्य समाज, अजमेर का मुख्य रूप से यह कहना है कि आर्य समाज के भवन को राजस्थान शिक्षा विभाग को कन्या स्कूल संचालित करने हेतु किराए पर दिया हुआ था लेकिन उक्त कन्या स्कूल अब अन्य विद्यालय में समायोजन हो जाने के उपरान्त भी शिक्षा विभाग द्वारा खाली पड़े आर्य समाज के भवन का कब्जा उन्हें नहीं दिया जा रहा है जबकि आर्य समाज को उक्त भवन की आवश्यकता है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 10.07.2017 द्वारा अवगत करवाया कि प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर द्वारा किराये के आर्य समाज के भवन,

जिसमें उक्त स्कूल संचालित था, को आर्य समाज सोसायटी को दिनांक 7.7.2017 को सुपुर्द कर दिया गया है और अब किसी प्रकार की कोई लेनदारी/देनदारी बकाया नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं आर्य समाज सोसायटी, अजमेर द्वारा भी की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 13.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(155)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती चावली देवी, 393, डिफेन्स कॉलोनी, हिसार, हरियाणा राज्य द्वारा इस आशय का परिवाद पेश किया गया कि उसके पति श्री जयनारायण का प्रधानाध्यक ग्रेड द्वितीय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुलचन्द्र, जिला हनुमानगढ़ के पद पर रहते हुए वर्ष 1961 में स्वर्गवास हो गया था। इस क्रम में उसके द्वारा वर्ष 2015 में शिक्षा विभाग में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था किन्तु अभी तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 05.09.2017 से अवगत करवाया कि परिवादिया ने काफी विलम्ब से पारिवारिक पेंशन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है। पेंशन विभाग, बीकानेर द्वारा पत्र दिनांक 18.07.2017 के तहत पारिवारिक पेंशन आदेश जारी कर दिए हैं तथा परिवादिया को माह जून, 2017 तक की पूर्ण पारिवारिक पेंशन राशि 9,53,118/- रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 31.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(160)लोआस/2016

एफ.5(161)लोआस/2016

परिवादी श्री धनराज स्वर्णकार द्वारा नेशनल चिल्ड्रन उच्च प्राथमिक विद्यालय, परोली, पंचायत समिति, कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा के सचिव की हैसियत से सरपंच एवं उप सरपंच की राजनीतिक द्वेषता के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा द्वारा उक्त विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण नहीं करने बाबत शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 07.06.2017 द्वारा अवगत करवाया कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा द्वारा उक्त नेशनल चिल्ड्रल स्कूल पारोली को कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 9.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(183)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती शिवकुमारी शर्मा, मिडिल स्कूल के सामने, सांगोद, जिला कोटा का कहना है कि उसके पति श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक की ब्रेन हेमरेज की सर्जरी दिनांक 8.12.2015 को होने के पश्चात् से वे कोमा में हैं तथा शिक्षा विभाग द्वारा विगत 15 महीने से उनके पति का वेतन नहीं बनाया जा रहा है जिसके कारण उसे आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 14.06.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के पति श्री हनुमान प्रसाद शर्मा का दिनांक 8.12.2015 से 9.7.2016 तक कुल 215 दिवस का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाकर राशि रूपये 1,67,682/- का वेतन बिल पारित करने हेतु उपकोष कार्यालय, सांगोद को दिनांक 13.6.17 को भिजवाया गया हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 11.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(188)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रद्युम्न धूत द्वारा स्टार किड्स स्कूल, मालपुरा, जिला टोंक के निदेशक की हैसियत से इस आशय की शिकायत की गई कि उक्त स्कूल भवन के स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्रावली का निस्तारण तथा आर.टी.ई. के तहत छह लाख रूपए का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, टोंक द्वारा नहीं किया जा रहा है।

इस संदर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 14.9.2017 से अवगत करवाया कि उक्त विद्यालय स्टार किड्स की भवन परिवर्तन के निस्तारण के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, टोंक को निर्देशित कर दिया गया है।

इस अनुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक ने पत्र दिनांक 17.9.2017 से अवगत करवाया कि स्टार किड्स स्कूल, मालपुरा के प्रश्नगत भवन परिवर्तन के सन्दर्भ में दिनांक 15.9.2017 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है तथा आर.टी.ई. के तहत बकाया भुगतान

नियमानुसार शीघ्र कर दिया जायेगा। इस समस्त कार्यवाही से सन्तुष्टि प्रकट करते हुए परिवादी ने इस सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 18.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(10)लोआस/2017

परिवादी श्री राजेश सोनी, मण्डरायल, करौली द्वारा अपने पिता श्री जगदीश प्रसाद स्वर्णकार, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक (तृतीय) का 18 वर्षीय वेतन स्थिरीकरण के एरियर एवं जीपीएफ की राशि का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर ने पत्र दिनांक 27.7.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी के पिता श्री जगदीश प्रसाद की 18 वर्षीय वेतनमान एरियर राशि 1,60,755/- रूपए का दिनांक 20.7.2017 एवं जी.पी.एफ. राशि 4,23,814/- रूपए का भुगतान दिनांक 23.6.2017 को कर दिया गया है तथा अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 20.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(19)लोआस/2017

परिवादी श्री रूपचन्द गुर्जर, कोच्या की ढाणी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरडोती द्वारा नियमों के विपरीत फर्जी

तौर पर सदस्यों के हस्ताक्षर कर अपने चहेतों का चयन किए जाने के विषय को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय जिला परिषद, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.9.2017 से अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाना, अनुभव को प्राथमिकता नहीं देने, साक्षात्कार को चयन का आधार नहीं बनाने तथा चयनित व वरियता सूची में कांट-छांट आदि कमियां पाए जाने के कारण भर्ती-प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तथा ग्राम पंचायत बरडोती ब्लॉक दूदू, जिला जयपुर में पुनः साक्षात्कार लिए जायेंगे।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए, इस प्रकरण को दिनांक 27.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(35)लोआस/2017

परिवादी श्री बलवीर सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक, नुआं, पोस्ट नुआं, जिला झुन्झुनूं द्वारा मुख्य रूप से नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण अवधि के उपार्जित अवकाशों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के विरूद्ध शिकायत की गई थी।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनूं ने पत्र दिनांक 2.11.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी को प्रश्नगत प्रशिक्षण अवधि के उपार्जित अवकाशों के तहत देय राशि 3,238/- रूपये का भुगतान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ़, झुन्झुनूं द्वारा परिवादी/कार्मिक के एस.बी.आई. बैंक खाता संख्या 51059950749 में दिनांक 13.10.2017 को जमा करवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 09.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(122)लोआस/2017

परिवादी श्री केदार प्रसाद शर्मा ग्राम पालोदा, तहसील महवा, जिला दौसा ने अपने परिवाद में सेवानिवृत्ति पश्चात् जी.पी.एफ. एवं उपार्जित अवकाशों के भुगतान के सम्बन्ध में परिवाद दर्ज करवाया था।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा ने पत्र दिनांक 04.01.2018 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के बकाया जी.पी.एफ. एवं उपार्जित अवकाशों का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 22.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(75)लोआस/2016

परिवादी श्री बाबूलाल जायसवाल, ग्राम जीवद, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर ने राशन डीलर, ग्राम जीवद द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राशन नहीं दिये जाने का परिवाद दर्ज करवाया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने पत्र दिनांक 25.09.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि राशन डीलर श्री बाबूश्याम शर्मा का प्राधिकार-पत्र 90 दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 01.09.2017 को निरस्त किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 10.10.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(89)लोआस/2016

परिवादी श्री असरफ खान, ग्राम सजनपुरी, पोस्ट हसनपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से उचित मूल्य दुकानदार श्री जैकमदीन द्वारा राशन-सामग्री वितरण में की जा रही अनियमितताओं एवं कालाबाजारी को लेकर शिकायत की गई थी।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में जिला कलेक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 18.9.2017 से अवगत करवाया कि उक्त राशन डीलर श्री जैकमदीन द्वारा अनियमितताएं किए जाने के कारण उसका प्राधिकार-पत्र दिनांक 25.5.2017 के तहत निरस्त कर दिया गया है तथा साथ ही उसकी जमाशुदा समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 30.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(26)लोआस/2015

परिवादी श्री रासासिंह रावत पूर्व एमपी एवं अध्यक्ष, इण्डियन रेडक्रॉस सोसायटी एवं सेंटजोन एम्बुलेंस एसोसिएशन, अजमेर ने यह परिवाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध गरीब उम्मीदवारों का वित्तीय शोषण करने के सम्बन्ध में दिनांक 09.07.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.8.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रशासक भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.17 को शुल्क बढ़ाये जाने का आदेश दिनांक 10.12.14 वापिस ले लिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.06.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(43)लोआस/2015

परिवादी श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव भगवान शर्मा, निवासी वीपीओ भीमसर, तहसील सुजानगढ़, चुरू ने यह परिवाद बी.आर. मीणा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध मैन विद मशीन के रूप में किये गये कार्य का मानदेय दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 26.08.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 14.9.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 8.2.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का भुगतान 91,000/-रूपये कोष कार्यालय को भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 05.04.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(99)लोआस/2015

परिवादी श्री राधेश्याम सैन पुत्र श्री गोपीचन्द सैन निवासी गणेश रोड, परमानन्द आश्रम तहसील देवली जिला टोंक ने यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग, भीलवाड़ा के विरूद्ध उसकी पत्नी श्रीमती शीला सैन के स्वर्गवास के पश्चात् उसका पेन्शन प्रकरण तैयार कर अन्य हितलाभ दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 18.1.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 9.2.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 7.3.17/ 28.3.17 के अनुसार श्रीमती शीला सैन का पारिवारिक पेन्शन प्रकरण चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर के माध्यम से पेन्शन विभाग, अजमेर को दिनांक 17.2.17 को प्रेषित किया गया तथा परिवादी को पीपीओ नम्बर व जीपीओ नम्बर जारी किया गया। अन्य हितलाभ के सम्बन्ध में कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं होना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 31.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(74)लोआस/2016

परिवादी श्री निखिल मून्दड़ा पुत्र श्री सत्यनारायण मून्दड़ा, निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के अधीन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा

योजनान्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन विद मैन) के पद पर किये कार्य का भुगतान दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.12.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को उसका वांछित भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.06.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(75)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहम्मद इसरार अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद रफीक अंसारी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध मैनविद मशीन के रूप में किये गये कार्य का मानदेय दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.12.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि

परिवादी संविदाकर्मी होने के कारण उसका भुगतान एनजीओ जन सेवा समिति, शाहपुरा को कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.6.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(22)लोआस/2017

परिवादी श्री अशोक कुमार साहू पुत्र श्री देवी लाल साहू निवासी साहू मोहम्मा हाथी लावे मन्दिर के पास, आसीन्द, भीलवाड़ा ने यह परिवाद मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में किये कार्य का दो वर्ष का बकाया भुगतान दिलवाने के सन्दर्भ में दिनांक 25.5.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.06.2017 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2017 के अनुसार परिवादी अशोक कुमार साहू, मैन विद मशीन व अन्य मैन विद मशीन के बकाया भुगतान रूपये 4,50,393/- का भुगतान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द के द्वारा जरिये चैक उनकी उपस्थिति के अनुसार कर दिया गया। भुगतान एनजीओ प्रयत्न सेवा संस्थान, भीलवाड़ा को किया गया है तथा एन.जी.ओ. द्वारा संविदाकर्मी को भुगतान भी कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 18.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(23)लोआस/2017

परिवादी श्री सराजूद्दीन, पुत्र श्री नबी बक्श निवासी मस्जिद के पास मु.पो. जगपुरा तहसील बदनोर वाया शंभूगढ़, भीलवाड़ा ने यह परिवाद मुख्य मन्त्री नि:शुल्क दवा योजना में उनके द्वारा दो वर्ष तक किये गये कार्य का बकाया भुगतान दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2017 को पेश किया।

इस सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को परिवाद की प्रति प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन जरिये इस सचिवालय के पत्र दिनांक 01.06.2017 आहूत किया गया। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार अवगत करवाया गया कि अशोक कुमार साहू, विजय कुमार छीपा एवं परिवादी मैन विद मशीन का बकाया भुगतान (रू. 4,50,393/-) चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द के द्वारा इनकी उपस्थिति के अनुसार कर दिया गया है ।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(24)लोआस/2017

परिवादी श्री विजय कुमार छीपा पुत्र श्री रमेश छीपा निवासी चारभुजा मन्दिर के पास आसीन्द, तहसील आसीन्द, भीलवाड़ा ने यह परिवाद मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में उनके द्वारा दो वर्ष तक किये गये कार्य का बकाया भुगतान दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2017 को पेश किया।

इस सम्बन्ध मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को परिवाद की प्रति प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन जरिये इस सचिवालय के

पत्र दिनांक 01.6.17 आहूत किया गया। प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी विजय कुमार छीपा व अन्य का मैन विद मशीन का बकाया भुगतान (रूपये 4,50,393/-) चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द द्वारा इनकी उपस्थिति के अनुसार कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(8)लोआस/2015

परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री पूनमचन्द शर्मा, निवासी वार्ड नं. 04 सतीमाता मन्दिर के पीछे, बीदासर, चूरू ने यह परिवाद श्री पीसी सैनी, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रतनगढ़, चूरू के विरूद्ध पूनिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी, पड़िहारा से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध किये गये एक करोड़ पचास हजार रूपये के भुगतान की जाँच के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.7.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 20.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि बीदासर से रामदेवरा सड़क का जो लगभग 2 किलोमीटर लम्बाई का कार्य निम्न स्तर पर पाया गया था, उसे संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर दुरूस्त करवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 27.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.9(20)लोआस/2016

परिवादी श्री हस्तीमल चौधरी पुत्र श्री रिखब चौधरी निवासी गागेदा तहसील हुरडा़ जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, रतनगढ़, हुरड़ा के अधिकारियों के विरूद्ध ग्राम गागेड़ा के अन्दर की एक किलोमीटर सड़क, नालियाँ व नयी रोड बनाने के सन्दर्भ में दिनांक 15.07.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (रा.रा.मा.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.7.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (रा.रा.मा.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.8.17 के अनुसार ग्राम गागेड़ा भीलवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का 700 मीटर लम्बाई में डामरीकृत सड़क निर्माण का कार्य तथा 350 मीटर लम्बाई में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्षा ऋतु के कारण काम बन्द होना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(47)लोआस/2016

परिवादी श्री आशकरण मीना पुत्र श्री भरत लाल मीणा निवासी ग्राम पोस्ट बझेड़ा तहसील हिण्डौन जिला करौली ने परिवाद प्रस्तुत कर हिण्डौन सिटी खरेटा रोड 9 से 6 किलोमीटर तक किये गये सम्पूर्ण पेच मरम्मत रोड कार्य के भुगतान आदेश होने के बावजूद भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है तथा भुगतान दिलवाये जाने हेतु यह परिवाद दिनांक 13.01.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.1.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 24.7.17 के अनुसार परिवादी श्री आशकरण मीणा को राशि रूपये 9,85,664/- का भुगतान उप कोष कार्यालय, हिण्डौन के माध्यम से करना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 04.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(52)लोआस/2016

परिवादी श्री ग्यारसी पुत्र जल्लू निवासी पोस्ट गाजीपुर तहसील महवा जिला दौसा ने यह परिवाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा के अधिकारियों के विरूद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि खसरा नं. 816 पर से अवैध अतिक्रमण हटवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.2.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 1.3.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 7.4.17 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा स्वयं ही विवादित स्थल पर से अतिक्रमण हटा लेना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.6.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.9(55)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती विद्या कोठारी पत्नी स्व. श्री प्रेमचन्द कोठारी निवासी ए-67 प्रेम भवन, इंद्रा विहार, कोटा ने यह परिवाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा के अधिकारियों के विरूद्ध पारिवारिक पेन्शन का रिवाइज्ड पीपीओ जारी करवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 7 मार्च, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, पेन्शन विभाग, राजस्थान, जयपुर और मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.3.17 प्रेषित किये गये। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी, कोटा से प्राप्त पत्र दिनांक 16.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का पारिवारिक पेन्शन आदेश संशोधित कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, राजभवन रोड, कोटा को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 06.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(56)लोआस/2016

परिवादी श्री सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी पोस्ट हिंगोनिया तहसील बामनवास जिला अलवर ने यह परिवाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, हिंगोनिया, अलवर के अधिकारियों के विरूद्ध हिंगोनिया में खेड़ी पर बने नालों को ढक कर गाँव वालों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 06.03.2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.3.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.05.2017 के अनुसार अवगत करवाया गया कि हिंगोनिया में खेड़ी रोड पर नालियों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था और जिस नाली पर अतिक्रमण होने का परिवाद दायर किया गया है, वह ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नाली भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नाली में आकर मिलती है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित नाली का पानी सा.नि.वि. द्वारा बनाई गई नाली में नहीं आ रहा था जिसे दिनांक 16.4.17 को हटवाकर पानी निकासी दुरूस्त कर दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 18.5.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(159)लोआस/2014

परिवादी श्री भगवान रामचन्दानी पुत्र श्री बुलचन्द निवासी मकान नं. 166 लक्ष्मीनगर गली न. 4, मंगुड़ी वाली बगीची ब्रह्मपुरी, जयपुर ने यह परिवाद सेवानिवृत्ति के पश्चात पेन्शन, जीपीएफ व ग्रेच्युटी भुगतान के सन्दर्भ में दिनांक 17 मार्च, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 9.4.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (एमएण्डपी), चम्बल पावर हाउस, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को जीपीएफ का अंतिम भुगतान (रूपये 2,15,476/-) परिवादी के बैंक खाते में दिनांक 17.8.17 को ई.सी.एस. द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(129)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सोन कंवर पत्नी स्व. श्री गिरवर सिंह, निवासी मु0पो0 बड़ी छापरी वाया डीडवाना जिला नागौर ने यह परिवाद राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डीडवाना, नागौर के विरूद्ध उपादान सीपीएम अंतिम भुगतान पेंशन दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 04.12.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक

08.02.2016 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में से प्राप्त पत्र दिनांक के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को सीपीएफ का अंतिम भुगतान (रूपये 32,238/-) जरिये चैक दिनांक 12.5.16 को कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(154)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश पुत्र श्री बदरीराम जाति जाट निवासी सोमणा तहसील जायल जिला नागौर ने यह परिवाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर के श्रवण कुमार चौधरी अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 18.1.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 02.02.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्रवण कुमार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर में चालान पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.7.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(8)लोआस/2016

परिवादी श्री रामप्रसाद जाट पुत्र श्री जोधाराम जाट निवासी इन्दोली, मालपुरा, जिला टोंक ने यह परिवाद सहायक अभियन्ता, जयपुर एवं कनिष्ठ अभियन्ता, मालपुरा के विरूद्ध चारागाह व बिसलपुर आरक्षित जमीन पर कब्जा करने वालों को बिजली कनेक्शन देने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में 13.05.2016 को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.05.2016 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.1.2018 के अनुसार आबादी भूमि पर आवास निर्माण प्रारम्भ हो चुके हैं। अतिक्रमियों को बिसलपुर विस्थापितों हेतु आवंटित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है।

कार्यवाही पूर्ण होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रकरण सचिवालय स्तर पर दिनांक 19.2.2018 को नस्तीबद्ध किया गया तथा बिसलपुर विस्थापितों को आवंटन हेतु आरक्षित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्यवाही की ''त्रैमासिक''प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

एफ.10(112)लोआस/2016

परिवादी श्री धनराज घाची पुत्र श्री बंसीलाल निवासी आदर्श विद्या मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 7, बालोतरा जिला बाड़मेर ने यह परिवाद श्री आर.के. सोनी सहायक अभियन्ता बालोतरा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के विरूद्ध घर के ऊपर से जा रहे विद्युत तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.11.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.12.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (पीपीएम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के मकान से वासुदेव पालवाल के मकान तक लटक रहे विद्युत तारों को हटा दिया गया तथा जब्बार साइकिल के पास वाली गली में श्री सोहनलाल के मकान के आगे लोहे का पोल हटाकर उसके स्थान पर सीमेंट का पोल लगाया जाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.05.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(125)लोआस/2016

परिवादी श्री किशनसिंह पुत्र दीपसिह निवासी गांव ठंडी की भागल मोरणा, पोस्ट टाडावाड़ा गुजरान, जिला राजसमन्द ने यह परिवाद राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजसमन्द के अधिकारियों के विरूद्ध बकाया संशोधित पेन्शन एरियर का भुगतान दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28.12.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.2.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.06.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका पेन्शन विभाग जयपुर से प्राप्त हो

गई है तथा रिवाइज्ड फिक्सेशन के पश्चात रिवाईज्ड पीपीओ के आधार पर राशि रूपये 28,600/-का चैक परिवादी के बैंक खाते में जमा करवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 02.08.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(140)लोआस/2016

परिवादी श्री जगराम मीना पुत्र श्री रामनिवास मीना निवासी ग्राम खेड़ी मानपुर पोस्ट सिरस तहसील निवाई जिला टोंक ने यह परिवाद राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, टोंक के कनिष्ठ अभियन्ता श्री दीपक गुर्जर के विरूद्ध अवैध रूप से कनेक्शन काटने का आरोप लगाते हुए पुनः कनेक्शन जारी करने के सन्दर्भ में दिनांक 25.1.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.2.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा जाँच करवाये जाने पर दीपक गुर्जर द्वारा भरी गई वी.सी.आर. को संदिग्ध पाने से उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। लम्बित विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने मे समय लगने की संभावना को देखते हुए परिवाद को दिनांक 30.6.2017 को नस्तीबद्ध करने पर प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को जाँच कार्यवाही के अंतिम आदेशों से अवगत करवाने हेतु पत्र लिखा गया।

एफ.10(152)लोआस/2016

परिवादी श्री मांगी लाल आर्य निवासी ग्राम साधन तहसील नोखा जिला बीकानेर ने यह परिवाद विद्युत विभाग नोखा में जनता का जायज काम नहीं होने पर शिकायतों का निपटारा नहीं करने के सन्दर्भ में दिनांक 16.2.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 04.06.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित गांव साधुणा में विद्युत लाइन के लिये सात पोल लगाकर ढीले तारों को दुरूस्त कर दिया गया। पूर्णराम सियाल की ढाणी की तरफ जाने वाली लाइन के बीच खराब केबल को बदल दिया गया व 11 केवी लाइन के लम्बे स्पान में अण्डरलाइन पोल लगाकर तारों की ऊँचाई सही कर दी गई। दो केवीए के ट्रान्सफॉर्मर लोड सेंटर के अनुसार लगाकर चैक किया गया तो विद्युत लोड सही होना पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया। शंकरलाल द्वारा कनेक्शन के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर माँग-पत्र जारी किया गया परन्तु उसने निश्चित अवधि में राशि जमा नहीं करवाई, इस कारण उसकी पत्रावली बन्द की गई। नियमानुसार राशि जमा करवा कर पत्रावली रि-ओपन करवाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(158)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती सुनयना पत्नी श्री अरूण मंगल निवासी 67/24 मदनगोपाल रोड, केसरगंज, रिलायंस फ्रेश के पास, अजमेर ने यह परिवाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर के कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रमोद यादव के विरूद्ध विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28.2.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 06.03.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन करने पर कायालय सहायक अभियन्ता (चतुर्थ), अजमेर द्वारा सम्बन्ध-आदेश दिनांक 28.4.17 जारी कर मीटर स्थापित कर कनेक्शन प्रारम्भ कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.5.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(164)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह निवासी ग्राम जैतपुर, पोस्ट परतापुर तहसील नीमराना, अलवर जिला अलवर ने यह परिवाद कनिष्ठ अभियन्ता, हुडिया कलां, नीमराना, अलवर के विरूद्ध घरेलू कनेक्शन जारी नहीं करने के सन्दर्भ में दिनांक 07.03.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.3.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 15.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का घरेलू विद्युत कनेक्शन दिनांक 09.03.17 को ही जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.7.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(19)लोआस/2017

परिवादी श्री गिरधारी लाल पारीक, पुत्र श्री कल्याणमल पारीक, निवासी ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास, सवाई माधोपुर ने यह परिवाद विद्युत कनेक्शन बिल में की गई अनियमितताओं की दुरूस्ती करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 09.05.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.05.2017 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.7.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि यूनिट्स का समायोजन करने पर परिवादी को उसके स्वीकृत लोड 7.5 एच.पी. के अनुसार बिल जारी कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(21)लोआस/2017

परिवादी श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री करण सिंह निवासी चक 8 के.डब्ल्यू. एस.एम. घड़साना, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, घड़साना के अधिकारी श्रीराम चौहान के विरूद्ध चक 8 केडब्ल्यूएसएम घड़साना का प न 193/2 में बनी ढाणी मे प्रार्थी के घरेलू कनेक्शन के सन्दर्भ में दिनांक 09.05.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.6.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.7.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन उसके परिसर 193/02 किला नं. 25 में दिनांक 14.7.17 को जारी कर दिया गया तथा पूर्व में जारी श्री गुरसिमरन सिंह का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया ।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(31)लोआस/2017

परिवादी श्री मदन लाल जैन पुत्र श्री अमरचन्द जैन निवासी जेरला रोड, सुथारों के समाज के पीछे, बालोतरा (बाड़मेर) ने रीडिंग कर्मचारी एवं बिल बनाने वाले अधिकारियों की शिकायत उच्चाधिकारी को करने पर भी कोई सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दिनांक 30.5.17 को प्रस्तुत किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 07.06.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि जाँच के पश्चात् परिवादी के मीटर का डिस्प्ले डिफेक्टिव पाया गया तथा परिवादी की प्रार्थना पर मीटर बदल दिया गया। जाँच के उपरान्त पूर्व में माह मार्च, 2017 व मई-2017 के बिलों में चार्ज किये गये औसत उपभोग यूनिट का समायोजन करने पर राशि रूपये 2,627,00/-उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट करने की प्रस्तावना की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(50)लोआस/2017

परिवादी श्री देव कुमार गौड़ पुत्र श्री नवल किशोर निवासी शिवशंकर कॉलोनी तहसील एवं जिला करौली ने यह परिवाद राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, करौली के अधिकारियों के विरूद्ध विद्युत कनेक्शन करने में देरी करने के सन्दर्भ में दिनांक 23.6.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.6.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेंस) जयपुर वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 7.9.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के अघरेलू

कनेक्शन के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 27.6.16 जारी कर दिया गया है तथा मीटर लगाकर कनेक्शन चालू कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(58)लोआस/2017

परिवादी श्री पुखराज शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल शर्मा निवासी ग्राम डुंसरी पोस्ट कादेड़ा तहसील चाकसू, जयपुर ने यह परिवाद विद्युत विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध विद्युत कनेक्शन नहीं देने के सन्दर्भ में दिनांक 10.7.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.8.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेंस), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार अवगत करवाया गया कि शिकायतकर्ता परिवादी का घरेलू विद्युत कनेक्शन दिनांक 4.7.17 को मीटर नम्बर 3923241 लगाकर विद्युत सप्लाई चालू कर शिकायत का निवारण कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 03.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(75)लोआस/2017

परिवादी श्री रामस्वरूप छाबा पुत्र श्री भंवरलाल छाबा निवासी ग्राम पोस्ट सरमालिया वाया ब्यावर, अजमेर ने यह परिवाद जीपीएफ खाता संख्या 1914/104 की पेन्शन दिलवाने के सन्दर्भ में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.10.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.11.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को पेन्शन रूपये 2450/- का पीपीओ नं. आरएजे/0006433 के द्वारा सहायक भविष्य निधि संगठन जयपुर के आदेश दिनांक 27.9.17 के तहत स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(286)लोआस/2011

परिवादी श्री सुखलाल आर्य, अखिल भारतीय बैरवा महासभा, श्रीमां हाउस, धन्ना तलाई, जिला टोंक के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि पीड़ित कालू पुत्र लाला बैरवा, बीसलपुर विस्थापित को सन् 2003-04 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बीसलपुर परियोजना, देवली, जिला टोंक के द्वारा रूपये 61,184/- की एवज में कीमतन राज्य सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए आरक्षित भूमि खसरा नं. 59 ग्राम क्यारियां में 3.67 है0 भूमि आवंटित की गई थी। परिवादी का कथन है कि उक्त

आवंटित भूमि का कब्जा लगभग 08 वर्ष बाद दिनांक 15.06.2011 को दिया गया। यह असाधारण विलम्ब भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है। कब्जा देने के बाद भी आवंटी अपने खाते पर काश्त नहीं कर पा रहा है तथा तहसील प्रशासन की मदद से भू-माफिया मौके पर काश्त नहीं करने दे रहे हैं। परिवादी ने 2003 से 2011 की अवधि में पदस्थापित तहसील के अधिकारी/कर्मचारीगण की लापरवाही एवं मिलीभगत से आवंटी को समय पर कब्जा नहीं मिलने तथा मिलने के बावजूद भी मौके पर पूरी तरह से काश्त नहीं कर पाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.08.2012 तथा 02.03.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी ने उसकी सम्पूर्ण भूमि 3.67 हैक्टेयर भूमि का कब्जा संभलाये जाने के तथ्य को स्वीकार किया एवं 0.50 हैक्टेयर भूमि का कब्जा कम देने की शिकायत परिवादी द्वारा नहीं किये जाने का उल्लेख भी बयानों में किया गया। नायब तहसीलदार, बरवास के द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 27.05.2014 को परिवादी की सम्पूर्ण 3.67 हैक्टेयर भूमि का कब्जा दिया गया था। यह कब्जा आवंटी एवं परिवादी श्री सुखलाल आर्य की उपस्थिति में मिट्टी की दीवार लगवाकर सुपुर्द किया गया। इस बाबत तैयार किये गये मौका पर्चा पर स्वयं परिवादी के भी हस्ताक्षर अंकित है।

परिवादी द्वारा जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट के सनदर्भ में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई जिस पर जिला कलेक्टर से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला कलेक्टर ने प्रकरण में पुनः जाँच करवाकर रिपोर्ट प्रेषित की। उसके अनुसार प्रश्नगत श्मशान तक जाने वाला रास्ता कदीमी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। परिवादी के खेत की डोल तोड़ी गई थी जिस पर अभी कांटो की बाड़ लगी हुई है। परिवादी को 90,000/- रूपये आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान किये गये हैं। प्रकरण की

अन्य विषय-वस्तु के सम्बन्ध में एस.सी./एस.टी. कोर्ट में तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक में मामले भी विचाराधीन हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(95)लोआस/2013

परिवादी श्री रामकरण शर्मा, निवासी दादनका, तह. दौसा, जिला दौसा के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दादनका के खसरा नं. 1/1, 271/430, 283, 284, 286, 302, 416 एवं 417 चारागाह भूमि (जिसका कुल रकबा 30.13 हैक्टर है) में विभिन्न ग्रामवासियों द्वारा तीन-चार वर्ष से अतिक्रमण किया हुआ है। समय-समय पर शिकायत किये जाने पर भी तहसीलदार द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 तथा 18.07.2014 के द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रकरण में खसरा नं. 284 पर अतिक्रमी द्वारा बनाई पुख्ता दीवार को दिनांक 18.06.2013 को तहसीलदार द्वारा तुड़वाकर अतिक्रमी को मौके से बेदखल किया गया। शेष पुख्ता निर्माणों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, काबलेश्वर द्वारा आबादी विस्तार के प्रस्ताव तहसीलदार, दौसा को प्रेषित कर दिये गये हैं जो प्रक्रियाधीन हैं। जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.11.2014 तथा 11.01.2016 के अनुसार ग्राम दादनका के पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के तीन अतिक्रमियों को न्यायालय उप तहसीलदार, सैंथल द्वारा 03-03 माह के सिविल कारावास के दण्ड एवं 50 गुणा शास्ति व बेदखली से दण्डित

किया गया जिसकी अपील उनके न्यायालय में होने पर 02 प्रकरणों में पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार, दौसा को रिमाण्ड की गई व एक पत्रावली में न्यायालय उप-तहसीलदार, सैंथल का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त दो पत्रावलियों में तहसीलदार, दौसा द्वारा नोटिस जारी करना अवगत करवाया तथा जिस पत्रावली में निर्णय यथावत रखा गया, उसमें निर्णय की पालना में अतिक्रमी के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी, सैंथल को जारी किया जाना अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त दो कर्मचारियों के खिलाफ आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी किये गये। ख.नं. 284 के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में अपील विचाराधीन है। आबादी विस्तार हेतु सूचनाएँ प्रेषित करने में तहसीलदार के स्तर पर देरी नहीं की गई है तथा इसके लिए जिम्मेदार पटवारी को आरोप- पत्रादि जारी किये जा चुके हैं।

जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.05.2016, 25.01.2017 तथा 22.06.2017 के अनुसार नायब तहसीलदार, सैंथल को रिमाण्डशुदा अतिक्रमण प्रकरणों में उच्चतर न्यायालय में अपील होने के कारण पत्रावलियाँ वहाँ प्रेषित की गई है। ख0नं0 284 के सम्बन्ध में अपील राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। प्रकरण में सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध जिला कलेक्टर, दौसा से जाँच करवाकर रिपोर्ट जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्राप्त की जा रही है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 22.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(120)लोआस/2013

राजस्थान पत्रिका समाचार-पत्र में दिनांक 14.07.2013 को **''बेच दी वन विभाग की बेशकीमती जमीन''** शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था।

समाचार में बताया गया कि पुष्कर क्षेत्र में वन विभाग के कब्जे में चली आ रही लगभग 07 हैक्टेयर यानी 45 बीघा जमीन जिसकी कीमत करोड़ों रूपये में है, का राजस्व विभाग के कारिन्दों ने 07 जनों के नाम बेचाननामा पंजीकृत कर रिकॉर्ड में कब्जा खरीददार का होने का ठप्पा लगा दिया है। समाचार-पत्र में यह भी अंकित है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम सिंह ने जमीन के 6 पक्षकारों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में खातेदारियों के नाम को विलोपित कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने का दावा पेश किया है। समाचार में यह भी अंकित है कि सम्वत् 2065 से 2094 की जमाबन्दी में उक्त 07 हैक्टेयर जमीन खातेदारी के पक्ष में दर्ज कर दी गई है जबकि इस जमीन पर वन विभाग का कब्जा है। समाचार में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत दावे में विपक्षीगण के नाम भी अंकित किये गये।

उक्त प्रकाशित खबर पर 'स्वप्रेरणा' से प्रसंज्ञान लिया जाकर खबर की प्रति मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 25.10.2013 एवं दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट हुआ कि विवादित भूमि 7 हैक्टेयर है, जिसमें से 5.58 हैक्टेयर पर वन विभाग का तथा 1.57 हैक्टेयर पर प्राइवेट खातेदारों का कब्जा है। यह भी बताया कि यह रक्षित वन खण्ड लीला सेबड़ी रेन्ज, पुष्कर से दिनांक 25.03.1950 के नोटिफिकेशन द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया गया था किन्तु वन विभाग के अनुसार इन जमीनों का विक्रय वन विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत से नहीं हुआ लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय-पत्रों से स्पष्ट है कि सम्पत्ति 2007-2011 के बीच में विक्रय की गई। प्रकरण में जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.03.2014 के अनुसार विवादित भूमि प्रारम्भ से ही वन विभाग के नाम दर्ज नहीं होकर विभिन्न खातेदारों के नाम दर्ज है। वन विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1950 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त भूमि वन

विभाग की होना माना गया किन्तु वन विभाग द्वारा तत्समय ही गजट नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज नहीं करवाया गया जो विभाग की लापरवाही है। इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा राजस्व वाद सं. 56/2013 उपवन संरक्षक, अजमेर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी पुष्कर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर व अन्य खातेदारों के विरूद्ध धारा 88(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 47 ए एवं 63(4) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर में दिनांक 04.06.2013 को संस्थित करवाया गया। स्पष्टत: दिनांक 25.03.1950 के गजट नोटिफिकेशन के बाद वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को तत्समय ही अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना अपेक्षित था लेकिन ऐसा नहीं किया गया तथा इसी कारण वर्तमान परिस्थितियों उत्पन्न हुई। मामला काफी पुराना होने तथा वन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में राजस्व वाद भी दायर किये जाने के कारण इस सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा हस्तक्षेप उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सक्षम स्तर पर कर दिये जाने से यह परिवाद दिनांक 19.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(55)लोआस/2014

परिवादी श्री शब्बीर अली खान निवासी ग्राम धनूरी, तह0 मलसीसर, झुन्झुनूं के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया था कि सरहद मोजा धनूरी पटवार हल्कार धनूटी गिरदावर वृत रामपुरा तह0 मलसीसर के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 504, 520, 517, 523, 536, 537, 538, 560, 255, 257 व 258 राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। परिवादी का कथन है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से

कदीम से ही रास्ता भूमि के रूप में आवा-जाही रही थी लेकिन विगत 20-25 वर्ष पहले से उक्त रास्ता की भूमि को पहले काश्त के रूप में और मौजूदा ख.नं. 540 में निजी विद्यालय की चार दीवारी बनाकर और ख.नं. 538 में रिहायशी मकान बनाकर कब्जे में लेने के कारण रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया। उक्त रास्ते को खुलवाने के लिए कई बार साधारण व सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके हैं लेकिन रास्ता अभी तक नहीं खुलवाया गया है। परिवादी का कथन है कि उक्त अतिक्रमणों से ग्रामीणों को रास्ते में चलने, पानी की निकासी आदि की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवादी के द्वारा मामले की जाँच करवाई जाकर उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.07.2014 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय तहसीलदार, मलसीसर के बेदखली निर्णय की पालना में कुछ अतिक्रमण दिनांक 08.07.2014 को हटवाया जा चुका है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिस पर जिला कलेक्टर से टिप्पणी प्राप्त की गई। जिला कलेक्टर ने अवगत करवाया कि प्रश्नगत रास्ते को दिनांक 27.10.2016 को तहसीलदार, मलसीसर द्वारा मय पुलिस जाप्ता के मौके पर भौतिक रूप से जे.सी.बी. चलाई जाकर प्रश्नगत रास्ता खुलवा दिया गया है। खसरा नं. 255 एवं 257 निजी खातेदारी भूमि होने के कारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वर्तमान में मौके पर रास्ता सुचारू रूप से चालू है। यदि परिवादी उक्त दोनों खसरा नम्बरान में सरकारी रास्ता कायम करवाना चाहता है तो यथाविधि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी आवश्यक है। प्रकरण में नियमानुसार संभव कार्यवाही कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(97)लोआस/2014

परिवादी श्री फूलचन्द हाडिया, निवासी के 45, इनकम टैक्स कोलोनी, दुर्गापुरा, टोंकरोड, जयपुर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि ग्राम प्रागपुरा, तह0 कोटपूतली में ख0नं0 462 राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में गैर-मुमकिन डोल रकबा 0.16 हैक्टेयर अंकित है। सन् 2004 के आस-पास बाबूलाल स्वामी निवासी ग्राम भूरी भडाज और उसके भाइयों ने ग्राम प्रागपुरा की सीमा में आकर ख.नं. 462 गैरमुमकिन डोल नाला का पाटकर उसके पश्चिमी सिरे की 0.04 हैक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर अपना पक्का मकान और बाड़ा बना लिया और 0.08 हेक्टेयर को पाटकर उस पर अनधिकृत अतिक्रमण कर अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि ख.नं. 461 और 463 में शामिल कर लिया। शेष 0.04 है0 नाले/डोल को पाटकर पड़ोसी किसान गोकुल माली पुत्र प्रभाती लाल माली ने अनधिकृत अतिक्रमण कर अपनी हाल ही में खरीदी गई कृषि भूमि में शामिल कर लिया। परिवादी का कथन है कि चूंकि पड़ोसी किसान इस नाले की डोल पर से होकर सुजातनगर और भैंसलाना आदि गाँवों में जाया करते हैं, इसलिये उन्होंने इस अतिक्रमण का विरोध किया परन्तु अतिक्रमणकारी बाबूलाल स्वामी और गोकुल माली मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पड़ौसी किसानों ने रास्ते डोल की भूमि अतिक्रमियों से मुक्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया लेकिन तहसीलदार द्वारा अतिक्रमियों से मिलीभगत कर हल्का पटारी से गलत रिपोर्ट लेकर उल्टे अन्य ग्रामवासियों की भूमि में से रास्ता दिलवाने की कार्यवाही करने में लग गये और रिश्वत के बल पर तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी एवं तहसील कार्यालय के बाबू द्वारा अवैध कार्यवाही करते हुए रास्ता निकालने की

कार्यवाही कर रहे हैं। परिवादी के द्वारा इस मामले की जाँच करवाई जाकर दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त नाली डोल की भूमि से अतिक्रमण को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला कलेक्टर, जयपुर से प्राप्त की गई। जिला कलेक्टर के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत अतिक्रमण की शिकायत सत्य पायी गई। प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन होना भी प्रकट हुआ। जिला कलेक्टर ने यह भी सूचित किया कि आंशिक अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। प्रकरण में पुख्ता अतिक्रमण होने देने हेतु तत्कालीन पटवारी श्री करण सिंह तथा तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक श्री फूलचन्द वर्मा को आरोपी माना गया किन्तु उनके राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नं. 462 किस्म गै0मु0 डोल मौजा प्रागपुरा तह0 कोटपूतली के मौके से तहसीलदार, उपतहसीलदार, पावटा एवं राजस्व कार्मिकों की उपस्थिति में अवैध पुख्ता निर्माण को जे0सी0बी0 की सहायता से दिनांक 22.02.2017 को हटवा दिया जाना जिला कलेक्टर ने सूचित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(232)लोआस/2014

परिवादी श्री भँवर लाल, निवासी गाँव ताउसर बास मौलासर, जिला नागौर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया था कि ग्राम राजूवास के खसरा नं. 114, 127, 137, 168, 180, 182, 201, 112, 79, 103, 107, 115 व 181 व अन्य आस-पास के खसरा गै0मु0 अंगोर एवं

गैर–मुमकिन रास्ता भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रशासन के नोटिस दिये जाने के बावजूद भी अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। परिवादी ने अतिक्रमण हटवाने एवं जाँच कर उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक दिनांक 15.05.15 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत 10 अतिक्रमणों में से 09 को हटवा दिया गया है तथा एक अतिक्रमण धार्मिक कारणों से नहीं हटवाया गया। परिवादी ने भी इस एक अतिक्रमण को नहीं हटाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होना माना।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(235)लोआस/2014

परिवादी श्री घुरूलाल मीना, निवासी गढी का गाँव, तहसील मण्डरायल, करौली द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नं. 949 ग्राम गढी का गाँव, तहसील मण्डरायल, जिला करौली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु जिला कलेक्टर, करौली द्वारा 06 बीघा भूमि दिनांक 27.09.2011 को आवंटित कर आरक्षित की गई थी जिसकी नक्शा शीट भी तहसीलदार मण्डरायल व विद्यालय को जारी की गई थी परन्तु राजस्वकर्मियों द्वारा आवंटन आदेश के साथ जारी नक्शा शीट से हटकर गलत तरमीम कर दी गई तथा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के बाद प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। उक्त अतिक्रमण को हटाने व नक्शे में सही तरमीम करने को लेकर कई बार जिला कलेक्टर व तहसीलदार को आवेदन किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषीयों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, करौली से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट दिनांक 04.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। जिला कलेक्टर के अनुसार प्रश्नगत भूमि के आदेश के साथ संलग्न नक्शे में अंकित स्थल के विपरीत तरमीम की गई है जिसके लिए दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु सक्षम कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इस सम्बन्ध में निरन्तर पत्राचार करने पर जिला कलेक्टर, करौली के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 22.02.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही कर दी गयी है। प्रकरण में आरोपी लोकसेवकों में से श्री विष्णुलाल शर्मा, तत्कालीन पटवारी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में जारी आरोप-पत्रादि की प्रतिलिपियां प्रेषित की गयी है। श्री गोपाल लाल शर्मा, तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक को सेवानिवृत्त हुए 05 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.01.2018 के अनुसार प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री विष्णुलाल शर्मा, तत्कालीन पटवारी, बुगडार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विचाराधीन कार्यवाही के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक को लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण समाप्त किया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही कर देने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 29.01.2018 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(275)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती नर्बदा देवी निवासी ग्राम दौसोद, तह0 नीमराना, जिला अलवर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम दौसोद तह0 नीमराना, जिला अलवर में हल्का पटवारी श्री देशराज यादव द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए व भारी रिश्वत लेकर कृषि भूमि ख.नं. 1275 में स्थित पवन कुमार के मकान को आबादी भूमि में घोषित कर दिया। इसके अलावा कृषि भूमि ख.नं. 601 व 602 रकबा 2 बीघा गोचर भूमि, जो कि राउमावि दौसोद को आवंटित है, पर पटवारी के सहयोग से अतिक्रमण किया हुआ है। परिवादी ने यह भी अंकित किया था कि तहसीलदार, नीमराना को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया था कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 605 किस्म चारागाह से अतिक्रमी को बेदखल कर फसल नीलामी कर दी गई है। प्रश्नगत खसरा नं. 1275 में प्रतिपक्षी पवन कुमार के मकान आदि नहीं पाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर टिप्पणी भी इस सचिवालय द्वारा प्राप्त की गई जिसके अनुसार सीमाज्ञान नहीं करने सम्बन्धी उसकी आपत्ति पुनः जाँच में सत्य साबित नहीं हुई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(354)लोआस/2014

परिवादी श्री रमेश चन्द राजावत निवासी वनखण्डेश्वर कॉलोनी, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चैकारा, तह0 रूपवास, जिला भरतपुर के आराजी ख.नं. 339, 342 व 343 की भूमि राजस्व रिकार्ड में श्मशान भूमि के रूप में दर्ज है जिस पर ग्राम के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण व कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिये हैं। एक दबंग व्यक्ति द्वारा श्रीराम कौशल माध्यमिक विद्यालय बना लिया गया है। पटवारी द्वारा दिनांक 06.11.2013 को उक्त भूमि का मौका निरीक्षण कर पैमाइश की गई जिसमें अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमियों को अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु पाबन्द भी किया गया किन्तु अवैध अतिक्रमण नहीं हटवाया गया और ना ही अतिक्रमियों के विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम चैंकारा की प्रश्नगत श्मशान एवं कब्रिस्तान भूमि से उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, रूपवास द्वारा दिनांक 30.11.2016 को अतिक्रमण हटवाकर कब्जा ग्राम पंचायत चैंकोरा को सुपुर्द किया जा चुका है। परिवादी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने पर अति. जिला कलेक्टर, भरतपुर से पुनः जाँच करवाई गई जिसमें दोबारा हुआ अतिक्रमण हटवाया जाकर दिनांक 04.06.2017 को पुलिस की मौजूदगी में प्रश्नगत भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(358)लोआस/2014

परिवादी श्री अमिताभ मीणा, निवासी बलकासा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के पिता द्वारा केचमेन्ट के दौरान कभी रकबे का एक वाद सं. 30/89 अति0 कलेक्टर, सीएडी, कोटा में पेश किया था जिसमें न्यायालय ने उक्त ब्लॉक केचमेन्ट रंगराजपुरा के सम्पूर्ण रकबे की पैमाइश के आदेश दिये। पैमाइश में प्रार्थी के पिता के रकबे में 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि कम पाई गई तथा अन्य अप्रार्थीगण के हिस्से में अधिक भूमि पाई गई। इस आधार पर न्यायालय ने प्रार्थी को अनुतोष देते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.07.1990 के द्वारा अप्रार्थी गोविन्दा मीणा के हिस्से में अधिक पाई गई 04 बीघा 04 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी के हिस्से में कम आई 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि को पूर्ण करके, शेष रकबे को सिवायचक घोषित कर दिया। अप्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त, कोटा के यहाँ प्रस्तुत की जो 27.09.99 को खारिज कर दी गई तथा पूर्व के निर्णय को बहाल रखा। परिवादी ने आरोप लगाया कि उक्त आदेश की पालना हेतु उसने कई बार तहसीलदार, केशोरायपाटन और तहसीलदार, सीएडी, कोटा को लिखित व मौखिक निवेदन किया किन्तु उक्त आदेश की पालना नहीं की जा रही है। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में संभागीय आयुक्त, कोटा से रिपोर्ट तलब की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, चम्बल, कोटा ने रिपोर्ट दिनांक 07.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को प्रश्नगत भूमि के निशानात कायम कर कब्जा दिलवा दिया गया। इस सम्बन्ध में तैयार दखलनामे की छायाप्रति भी संलग्न की गई।

परिवादी द्वारा इस सचिवालय में आपत्ति प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि मौका जाँच के दौरान नायब तहसीलदार के द्वारा पूरा कब्जा संभलाये बिना आधे खेत का कब्जा संभलाकर मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं केवल कागजी कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त आधे खेत का कब्जा संभलवाने के बाद भी इन्तकाल डेढ़ वर्ष बाद खोला गया। इन्तकाल नहीं खुलने के कारण अप्रार्थीगणगण द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से पुनः कब्जा कर लिया गया है। अधिकारियों के द्वारा केवल मिथ्या रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गई।

इस सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् क्षैत्रीय विकास आयुक्त, सीएडी, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.06.2016 एवं 26.12.2016 तथा अति0 जिला कलेक्टर (प्र0शा0), बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.11.2017 के अनुसार प्रकरण में तरमीम कर कब्जा (दखल) परिवादी को एक बार दिलवाया जा चुका है तथा पुनः इस प्रकार की कार्यवाही न्यायालय आदेश से ही हो सकती है। इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर से एक से अधिक बार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करवाया जा चुका है।

इस प्रकार प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 24.01.2018 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(532)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रकाश चन्द निवासी रियां श्यामदास, तह0 मेड़ता सिटी, जिला नागौर के द्वारा यह परिवाद ख0नं0 1808 कटानी रास्ता ग्राम रियां श्यामदास पर से अतिक्रमण हटवाने तथा इस कटानी रास्ते पर सड़क बनवाने हेतु इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने परिवाद में

सम्बन्धित तहसीलदार व अन्य के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग किये जाने के आरोप भी अंकित किये।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 1808 गै.मु. रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिया गया तथा सड़क का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया। परिवादी के द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत कर प्रश्नगत गै.मु. रास्ते पर से अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटाया जाना तथा स्वीकृत सड़क निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ नहीं होना अवगत करवाये जाने पर जिला कलेक्टर, नागौर को प्रस्तुत आपत्तियों के सम्बन्ध में तथ्यों का पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया। जिला कलेक्टर से पुनः प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.05.2017 के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में अंकित रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं रास्ता मौके पर चालू है तथा उस पर ग्रेवल सड़क का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अधिकारियों द्वारा पुनः मौका निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण ग्रेवल सड़क पर कोई व्यवधान नहीं पाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(581)लोआस/2014

परिवादीगण श्री ओमप्रकाश सिंह व अन्य, निवासी ग्राम पोस्ट नयासर, तह0 झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के द्वारा ग्राम अणगासर में स्थित गोचर भूमि ख0नं0 592 व 593 पर अवैध रूप से निर्माण कर काश्त किये जाने की शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया गया। परिवादीगण ने यह भी अंकित किया कि इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर तथा

सम्बन्धित तहसीलदार को भी शिकायत की गई तथा पुलिस थाना सदर द्वारा मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबन्द भी करवाया गया मगर फिर भी अतिक्रमी काफी भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त कर रहे हैं।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर दिनांक 02.02.2016 को निर्णय बेदखली पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 13.06.2017 को मौके पर गिरदावर, झुन्झुनूं, पटवारी, आबुसर एवं पुलिस जाप्ता थाना सदर, झुन्झुनूं को साथ लेकर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा अतिक्रमण हटाया जाकर भूमि कब्जे राज ले ली गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(26)लोआस/2015

परिवादी श्री नहनेराम जाट, निवासी लुलहारा, तह नदबई, जिला भरतपुर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि सरकारी भूमि खसरा नं. 337, 366, 376, 383, 413, 414, 439, 451, 445 व 446 पर अतिक्रमण किया जाकर मकान आदि बनाये जा रहे हैं। मन्दिर के महन्त बाबा अयोध्यादास व बुद्धिसिंह गुर्जर भू-माफियों के साथ मिलकर करोड़ों रूपये की सरकारी भूमि को हड़प कर रहे हैं। नगर निगम, भरतपुर द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मूर्ति श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी की खातेदारी की जमीन को भी गैर कानूनी रूप

से विक्रय कर दिया गया है। परिवादी ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने व किये गये अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.09.15 तथा 30.05.16 के द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत सरकारी भूमि पर किसी निजी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है। नगर निगम के सामुदायिक भवन का उपयोग मन्दिर पर उपस्थित रहने वाले निजी व्यक्तियों द्वारा करना भी प्रकरण में प्रकट हुआ। आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.05.2017 तथा 11.08.2017 के अनुसार प्रकरण में एस.टी.सी. हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन को जिला कलेक्टर, भरतपुर के पत्र दिनांक 02.09.16 एवं दिनांक 27.09.16 की अनुपालना में सामुदायिक केन्द्र संचालन समिति द्वारा समस्त दस्तावेज प्राप्त कर सामुदायिक भवन 27.09.2016 को नगर निगम द्वारा स्वयं कब्जे में ले लिया गया। उक्त भवन का वर्तमान में ''पहले आओ, पहले पाओ'' के सिद्धान्त पर शादी, विवाह व अन्य सामाजिक समारोह एवं राजकीय कार्यक्रम हेतु उपयोग में लेने हेतु आयोजकों को निगम द्वारा किराये पर दिया जा रहा है। प्राप्त आय निगम में जमा हो रही है तथा इसका रख-रखाव निगम द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(60)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती विमला देवी, निवासी ग्राम गण्डाला, तह0 बहरोड, जिला अलवर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि उसके पति दलीप सिंह यादव का पटवारी के पद पर रहते हुए हार्ट-अटैक से दिनांक

09.03.2013 को निधन हो गया। परिवादी ने मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित कागजात कार्यालय में जमा करवा दिये किन्तु 26 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद परिवादी को पेंशन व अन्य देय राशि प्राप्त नहीं हुई। इस बाबत कार्यालयों में चक्कर लगाने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परिवादिया ने प्रकरण की जाँच कर पैन्शन दिलाये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.06.2017 एवं 24.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में स्व0 श्री दिलीप सिंह यादव, से.नि. पटवारी का पेंशन प्रकरण तैयार कर तहसीलदार(भू.अ.), मुण्डावर के पत्र दिनांक 05.07.2017 द्वारा बाद आक्षेप पूर्ति पेंशन विभाग, जयपुर को प्रेषित किया जा चुका है जहाँ पर इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.11.2017 के अनुसार प्रकरण में सेवानिवृत्त पटवारी स्व. श्री दलीप सिंह यादव के पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग द्वारा संशोधित पीपीओ दिनांक 12.09.2017 को जारी कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(157)लोआस/2015

परिवादी श्री हेम सिंह, निवासी रामपुरा तन चिराना पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी के खेत ख0न0 769 वाके ग्राम रामपुरा तन चिराना की दक्षिणी सीमा, बाड़, पेड़, सब्जी आदि फसल को जे0सी0बी0

मशीन से काटकर परिवादी को नुकसान पहुँचाया गया है। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार, नवलगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.09.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में तहसीलदार, नवलगढ़ से करवाई गई जाँच के अनुसार परिवादी श्री हेमसिंह की ग्राम रामपुरा तन चिराना स्थित खसरा नं. 768, 769, 770, 820, 777 की भूमि की पत्थरगढ़ी एक टीम गठित कर पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में करवाई गई। पत्थरगढ़ी के समय खातेदार नरेन्द्र सिंह व ख0न0 766 की भूमि का पड़ौसी खातेदार भी उपस्थित था। ख0न0 766 की भूमि का खातेदार पत्थरगढ़ी से असन्तुष्ट था। राजस्व टीम ने किसी प्रकार से पद का दुरूपयोग नहीं किया है तथा पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता से की गई है। मौके पर शांति भंग होने का अंदेशा होने की वजह से पुलिस जाब्ता साथ में लिया गया। परिवादी यदि पत्थरगढ़ी से असन्तुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.02.2016 के अनुसार पुलिस से सम्बन्धित बिन्दुओं के विषय में जाँच पुलिस उप-अधीक्षक, नवलगढ़ द्वारा करवाई गई जिसके अनुसार परिवादी द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्य झूठे व असत्य पाये गये। अनुसंधान में मामला अदम-वकुआ (सिविल नेचर) का पाये जाने पर जरिये एफ.आर. 176/5 दिनांक 23.12.2015 को किता की गई है जो न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। उक्तानुसार रिपोर्ट्स पर परिवादी से आपत्तियां प्राप्त की गई।

परिवादी के द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि प्रकरण में खातेदार नरेन्द्र सिंह पुत्र केशर सिंह के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान

तथा पत्थरगढ़ी का आदेश बाला-बाला करवाया गया। जिस प्रार्थना-पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ द्वारा आदेश दिये गये हैं, उसमें भी तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया गया है। उक्त नरेन्द्र सिंह ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पुलिस से मिलाभगत करके परिवादी की भूमि पर नाजायज कब्जा किया है। नरेन्द्र सिंह ने सड़क की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है। पुलिसकर्मियों तथा सीमाज्ञान की टीम द्वारा की गई ज्यादतियाँ की जाँच भी पुलिस द्वारा ही की गई जो निष्पक्ष नहीं है। परिवादी ने प्रकरण में उसकी भूमि की सीमा को पहुँचाये गये नुकसान की पुनः जाँच करवाने का अनुरोध किया।

प्राप्त आपत्तियों पर जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं एवं पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से टिप्पणी प्राप्त की गई। जिला कलेक्टर के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 एवं 11.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। परिवादी ने सीमाज्ञान हेतु शुल्क जमा करवाने में असमर्थता प्रकट की है। परिवादी की 05 मीटर भूमि गलत रूप से दबाये जाने के क्रम में परिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने पर अनुतोष प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप समुचित कार्यवाही नियमानुसार हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 12.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(212)लोआस/2015

परिवादी श्री सुखपाल, निवासी खौह दरीबा, तह0 राजगढ़, जिला अलवर के द्वारा ऊपरलागुवाड़ा में पहाड़ के रास्ते में पहले से बनी हुई एक जोहड़ी, जिससे गाँव के सारे मवेशी व जंगली जानवर पानी पीते रहे हैं, में श्री रामेश्वरलाल मीणा द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के आरोप

अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय को प्रस्तुत किया गया। परिवादी के अनुसार पूरी जोहड़ी में जानवरों को पानी पीने के लिए कोई जगह नहीं बची है। परिवादी ने इस कारण ग्राम पंचायत में सम्भावित विवाद को देखते हुए इस अतिक्रमण तुरन्त हटाकर गाँव का विवाद खत्म करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.01.2015 तथा 31.01.2017 के अनुसार अवगत करवाया कि परिवादी की शिकायत पर खसरा नं. 370 तथा 369 पर से अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(291)लोआस/2015

परिवादी श्री माँगीलाल आर्य, निवासी ग्राम पोस्ट साधूना तहसील नोखा, जिला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि ग्राम साधूना में माध्यमिक विद्यालय की ओर जाने वाला आबादी भूमि रास्ता कटाण में 80 फुट चौड़ा है जो कि वर्तमान में मात्र 10 फुट ही मौके पर रह गया है। इसकी शिकायत पूर्व में विकास अधिकारी एवं पटवारी को की गई फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी ने उक्त रास्ता खुलवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, बीकानेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार, नोखां में उक्त प्रकरण से सम्बन्धित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विचाराधीन प्रकरणों में जुर्माना और बेदखली का निर्णय पारित

किया गया। इन्हीं प्रकरणों से सम्बन्धित मामलों में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखां द्वारा पारित आदेशों की पालना में न्यायालय नायब तहसीलदार, नोखां द्वारा गठित टीम द्वारा रास्ते का अतिक्रमण हटवाया जाकर मकानों के चिपते हुए 60 फीट चौड़े रास्ते को खुलवाया जाकर अतिक्रमण हटा लिया गया एवं इस भूमि को वापस कब्जे राज कर लिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(357)लोआस/2015

परिवादी श्री गोकुल सिंह, निवासी ठिमाउ बड़ी, तह0 राजगढ, जिला चूरू ने ग्राम ठिमाउ बड़ी से ढंढारिया जाने वाले कटानी रास्ते पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट करने एवं अधिकारियों से आश्वासन मिलने के उपरान्त भी उक्त रास्ते पर अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया। परिवादी ने उक्त रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, चूरू से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत कटानी रास्ते पर से मुताबिक रिकॉर्ड नक्शे पैमाइश कर अतिक्रमण हटवाकर ग्राम पंचायत सरपंच को रास्ता सुपुर्द कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(360)लोआस/2015

परिवादी श्री राजकुमार सिंह, निवासी ग्राम जाटुवास, पो0 कालरी, तह0 राजगढ़, जिला चूरू के द्वारा ग्राम जाटुवास से ग्राम कामाण को जाने वाले कटाणी रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय को प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि शिकायत करने पर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं मिलीभगत से मामले को छुपाया जा रहा है। परिवादी ने रास्ते को खुलवाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, चूरू से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत कटाणी रास्ता खसरा नं. 210 व 218 को सह- खातेदार भानीसिंह तथा अन्य सह खातेदार भागीरथ सिंह, मुंशी सिंह, लादुसिंह व हरिसिंह वगैरह की उपस्थिति में सभी खातेदारों की पूर्ण सहमति से खुलवा दिया गया। मौके पर उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(422)लोआस/2015

परिवादी श्री विकास, निवासी ग्राम मदेरा, तह0 एवं जिला श्रीगंगानगर के द्वारा उसके खेत में बिछाई गई माइन्स के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को आवेदन प्रस्तुत करने एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होने की शिकायत

की गई। परिवादी ने उप जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें काश्त का मुआवजा दिया जाना उचित बताया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि वर्ष 2001 में भारत-पाक युद्ध की आशंका के दृष्टिगत जिला श्रीगंगानगर की सीमावर्ती तहसीलों पर काश्तकारों की कृषि भूमि में सैन्य विभाग द्वारा माइन्स बिछाई गई थी। बिछाई गई माइन्स के समय में फसलों का नुकसान होने पर अनुमोदित बोर्ड कार्यवाही के आधार पर प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिया गया। प्रार्थी ने भी उक्त मुआवजे हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। तत्समय यह मुआवजा राशि सैन्य विभाग की पुष्टि के पश्चात् प्रभावितों को वितरित की गई थी तथा उनसे प्राप्त मुआवजा कृषकों की सूची में उक्त आवेदक का नाम अंकित नहीं होने से इनको भुगतान नहीं किया गया। जिला कलेक्टर ने यह भी अवगत करवाया कि मामला अत्यन्त पुराना है तथा मुआवजा राशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन भुगतान की जानी है। अतः इस हेतु तत्समय 2001 में गठित बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् ही सैन्य विभाग से टिप्पणी प्राप्त होने पर तदनुसार ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में निरन्तर पत्र व्यवहार करने पर जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2017 के द्वारा अवगत करवाया है कि सैन्य विभाग की अभिशंषा के अनुसार परिवादी को उसकी खातेदारी भूमि चक 8 डी बडी के मु.न. 43 के कि.न. 16 से 19 व मु.न. 5 के कि.न. 23 से 25 कुल 7 बीघा में सैन्य विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 में लगाई गई माइन्स के कारण नष्ट हुई फसल के लिये गेहूँ 4 बीघा के लिये 7,084/- प्रति बीघा व चना 03 बीघा 7,286/- प्रति बीघा कुल राशि 50,194/- का फसल मुआवजा स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(490)लोआस/2015

परिवादी श्री ओमप्रकाश, अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय, गांधी टॉवर, चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर के द्वारा जिला कलेक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 27.06.2014 में लिये गये निर्णय की पालना तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर श्री गोपाल परिहार द्वारा न किये जाने की शिकायत करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने उक्त समिति के निर्णय की पालना करवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार, जोधपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना अवगत करवाया गया।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.01.17 तथा जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.08.17 के अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 310/4/1, रकबा 7-10 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिर्वतन) नियम, 1992 के नियम 8(2)/8(3) के तहत तहसीलदार, जोधपुर के कार्यालय से वर्ष 1996 में किया गया था। वर्तमान समय में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.

2(9)विधी/2009 दिनांक 3 फरवरी 2009 की संलग्न सूची-1 के अनुसार ग्राम दांतीवाड़ा जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। विवेचित खसरा संख्या के कुल भाग पर होटल वगैरह चलाने से परिवेदना के समाधान के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 31 से 35 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण संख्या 31/2012 दर्ज किया जाकर सीज करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2014 को मौके पर 3 दुकानों के शटर एवं जाली के दरवाजे पर 5 नये ताले लगाकर सील कर होटल को सीज किया गया, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है एवं विवेचित संपत्ति वर्तमान में भी सीज है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(496)लोआस/2015

परिवादी श्री बृजमोहन सारस्वत, निवासी पुरानी आबादी तह. माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि माण्डलगढ़ के बड़ीतलहटी बरूंदनी बीड़काखेड़ा काबरिया खुर्द में स्थित चारभुजा नाथ मन्दिर की भूमि पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान बाबत भी अनुदान राशि का वितरण नहीं किया गया है। परिवादी के द्वारा देवस्थान की जमीन से अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.01.16, 22.11.2016 तथा 16.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत मन्दिर भूमि पर

से अतिक्रमण के सम्बन्ध में गठित कमेटी की बैठक में हुये परिवादी श्री बृजमोहन सारस्वत एवं काबिजदारान के मध्य लिखित समझौते के अनुसार 16 व्यक्तियों द्वारा अनाज की राशि मन्दिर ट्रस्ट में जमा करवाई जा चुकी है। राशि की प्राप्ति रसीद पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि मामले में दोनों पक्षों में हुए समझौतानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिला कलेक्टर की इस रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(520)लोआस/2015

परिवादी श्री बगताराम, निवासी ग्राम व पो0 साधूना, तह0 नोखां, जिला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि ग्राम साधूना में आथूणाबास स्थित ओबीसी बैंक के आगे सरकारी रिकॉर्ड में 82 फीट चौड़ा कटाणी रास्ता है। अतिक्रमण होने की वजह से वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई 15 फीट भी नहीं रही है। लोगों को रास्ते से वाहन आदि ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों को निवेदन करने के बावजूद सरकारी रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटवाया गया। परिवाद में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर (भू0अ0), बीकानेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 तथा 17.08.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में अतिक्रमण के प्रश्नगत 16 प्रकरणों में बेदखली आदेश पारित करके अतिक्रमियों को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक राज लिया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(619)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेश कुमार गुर्जर, निवासी तौलिया का तालाब, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा नं. 2885 की भूमि का पूरा भाग नदी पेटे में आता है किन्तु इसके बावजूद इसे अम्बालाल गुर्जर को आवंटित कर दिया गया है। जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय के अनुसार आजादी से पूर्व के नदी नालों की स्थिति को बहाल किया जाना है। इसके बावजूद आवंटन को निरस्त नहीं किया गया है। उक्त जमीन को विक्रय किया जाकर निर्माण कार्य भी करवाया गया है, जिसे रूकवाने के लिए नगरपालिका, नाथद्वारा एवं उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। खसरा नं. 2099 की भूमि पर कृष्णकांत गुर्जर द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है जबकि यह सरकारी भूमि है। कृष्णकांत गुर्जर ने प्रार्थी के खेत पर आने-जाने के रास्ते को भी बन्द कर दिया है। अतिक्रमण हटवाने के लिए निवेदन करने पर केवल थोड़े से हिस्से से अतिक्रमण हटाया गया है। राजकीय संस्कृत विद्यालय के खेल मैदान पर भी कृष्णकांत गुर्जर ने कब्जा कर लिया है। परिवाद में उल्लेख किया गया कि वर्ष 1991 से पूर्व बने मकानों के नियमन में भी अनियमितताएं की गई हैं। खाली भूखण्ड होने के बावजूद भी पट्टे जारी कर दिये गये हैं। परिवादी ने प्रकरण की जाँच करवाकर अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, राजसमन्द से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में मौजा नाथद्वारा के आ0नं0 2099 अतिक्रमित

रकबा 1-10 बीघा किस्म नदी में श्री कृष्णकांत पिता रमनलाल गुर्जर, निवासी नाथद्वारा का अवैध अतिक्रमण पाया गया जिसे राजस्व टीम गठित कर नायब तहसीलदार आई.एल.आर., नाथद्वारा एवं पटवारी की गठित कमेटी, पुलिस जाप्ते के साथ दिनांक 13.05.2017 को जे.सी.बी. मशीन से हटवाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में परिवादी के खेतो में जाने का रास्ता दर्ज नहीं है। रास्ता चाहे जाने की स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत वाद दायर कर परिवादी अनुतोष हेतु चाराजोही कर सकता है। मौके से भौतिक रूप से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटा दिया गया है एवं अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(663)लोआस/2015

परिवादी श्री बद्रीलाल, निवासी म.न. 7 रेलवे सोसायटी, बजरंग नगर, पुलिस लाइन कोटा, जिला कोटा के द्वारा उसके पिता को सन् 1982 में ग्राम सीन्ता, तह0 तालेड़ा में आवंटित भूमि पर दिनांक 16.09.2009 को गैर खातेदारी दर्ज हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक खातेदारी प्रदान नहीं करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया था कि गैर खातेदारी दर्ज करवाने हेतु भी उसे अनेक परेशानियां उठानी पड़ी हैं। परिवादी ने उक्त आराजी की खातेदारी दिलवाने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, बून्दी से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2017 के द्वारा अवगत

करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार नियमानुसार प्रदान कर दिये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(691)लोआस/2015

परिवादी श्री हरफूल सिंह, निवासी ढाणी गुमान सिंह, ग्राम गोडावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ने ग्राम पंचायत मंढोली तन चला की ढाणी तहसील नीमकाथाना में मंदिर माफी भूमि मंदिर श्री बिहारीदास जी महाराज के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि को विभिन्न राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर बेचान करने के प्रयास करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया। परिवादी ने यह भी अंकित किया था कि उक्त भूमि पर अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। परिवादी ने प्रकरण में जाँच करवाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 21.12.2016 की पालना में भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.03.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को बन्द करवा दिया गया लेकिन मौका देखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि मौके पर अतिक्रमियों का मकान बनाकर निवास करना पाया गया। तत्पश्चात तहसीलदार, नीमकाथाना ने पत्र दिनांक 21.03.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना से अतिक्रमण हटाने बाबत पुलिस इमदाद

हेतु निवेदन किया गया। इसी दौरान अप्रार्थीगण/अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा दिनांक 27.03.2017 को जारी स्थगन आदेश की प्रति तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी। उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना ने अपनी जाँच में किसी अधिकारी/ कर्मचारी को दोषी नहीं मानते हुए बसे हुए लोगो के बेघर होने, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता एवं अतिक्रमण हटाने हेतु संसाधनों की अनुपलब्धता आदि को परिस्थितिजन्य विलम्ब माना है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सीकर में प्रकरण से सम्बन्धित अपीलें विचाराधीन है।

इस प्रकार प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 09.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(789)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबूलाल, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तह0 कोटपूतली, जिला जयपुर के द्वारा ग्राम ललाणा तह0 कोटपूतली में स्थित पुरानी पड़त सिवायचक रास्ता ख.नं. 61 में स्थित आम रास्ते को कुछ व्यक्तियों द्वारा राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर बन्द कर देने एवं अतिक्रमण कर लेने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने प्रकरण में जाँच करवाकर रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम ललाणा, तह0 कोटपूतली स्थित आराजी खसरा नं. 61 रकबा 2.48 किस्म सिवायचक भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मौके से दिनांक 22.02.2017 को बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(847)लोआस/2015

परिवादी श्री कमलेश कुमार शर्मा, निवासी ग्राम टोडाधामा, तह0 लालसोट, जिला दौसा ने परिवादी ने ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा तहसील लालसोट में स्थित विवादित रास्ता ख.नं. 95 को खुलवाने के सम्बन्ध में यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है, फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा रास्ते को चालू नहीं किया जा रहा है। परिवादी ने सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि से अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया था।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम टोडाधामा उर्फ गोपालपुरा के ख.नं. 95 गै.मु. रास्ते का सीमज्ञान भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कराकर मौके पर निशानात कायम करवाये गये थे। उक्त खसरा नम्बर में पूर्व से ही लगभग 500 मीटर डामर सड़क बनी हुई थी एवं शेष लगभग 200 मीटर पर आस-पास के खातेदारों द्वारा अपना-अपना कब्जा हटाकर कच्चा रास्ता चालू कर दिया गया। मौके पर अब किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है एवं रास्ता सुचारू रूप से चालू है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(889)लोआस/2015

परिवादी श्री विष्णुनाथ, निवासी शनि मंदिर के पास, मसूदा, जिला अजमेर के द्वारा ख.नं. 3758 आबादी भूमि एवं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो जाने के सम्बन्ध में यह परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी ने उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में ग्राम मसूदा, तह0 मसूदा की प्रश्नगत भूमि ख.नं. 3606, 3607 एवं 3608 के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेन्स प्रकरण विचाराधीन है। आबादी भूमि खसरा नं. 3578/2 से अतिक्रमण हटवा दिया गया व खसरा नं. 3600 की भूमि पर राजकीय भवनों का निर्माण होकर अतिक्रमण मुक्त है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(959)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल सिंह व अन्य निवासी गण्डाल, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर के द्वारा ग्राम गण्डाल, तह0 बामनवास स्थित सार्वजनिक भूमि ख.नं. 374, 1175, 1276 तथा 1277 पर किसी रामकिशन गुर्जर द्वारा अतिक्रमण कर लेने के आरोप अंकित करते हुए यह

परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादीगण ने यह भी अंकित किया था कि उक्त व्यक्ति आदतन अतिक्रमी है। परिवादीगण ने उक्त व्यक्ति के विरूद्ध तहसीलदार, बामनवास द्वारा किये गये आदेशों की पालना करवाने एवं अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि उक्त ग्राम के ख.नं. 1175, 1276 एवं 1277 पर किसी व्यक्ति का कोई अतिक्रमण नहीं है। ख.नं. 374 रकबा 0.15 है0 पर सम्वत् 2066 में ओम प्रकाश पुत्र रामकिशन द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर न्यायालय, तहसीलदार, बामनवास द्वारा बेदखली एवं शास्ति के साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा सुनायी गयी, जिसका वारंट एस.एच.ओ. स्तर पर लम्बित है। उक्त भूमि पर अब किसी भी व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं है। पारित निर्णय की अनुपालना में जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट की पालना सम्बन्धित एस.एच.ओ. द्वारा अभी तक (07 वर्ष बाद) भी नहीं किये जाने के कारणों सहित जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.08.2017 में अवगत करवाया कि थाना हाजा के सम्मन/वारन्ट रिकॉर्ड व रजिस्टरों से स्पष्ट होता है कि श्री ओम प्रकाश पुत्र रामकिशन गुर्जर, निवासी गण्डाल प्रकरण सं. 134ए/2010 सरकार बनाम ओमप्रकाश में श्री ओम प्रकाश का वारन्ट मिला। उक्त वारन्ट दिनांक 05.08.2016 को न्यायालय तहसीलदार, बामनवास द्वारा जारी किया गया जो दिनांक 16.08.2016 को थाना बामनवास पर प्राप्त हुआ, जिसकी तलाश की जाकर दिनांक 19.01.2017 को श्री ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी गण्डाल को गिरफ्तार कर पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अतिक्रमी के विरूद्ध यथाविधि कार्यवाही कर दी गयी तथा प्रश्नगत भूमि पर अब अतिक्रमण भी नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(972)लोआस/2015

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 16.03.2016 को ''घूस लेते गिरफ्तार पटवारी को कलेक्टर की माफी'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार में बताया गया कि एसीबी ने आमेर हल्का के तत्कालीन पटवारी विशाल सिंघल को नक्शा तरमीम देने के बदले 8000/- रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था जिस पर अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर श्री कृष्ण कुणाल को पत्र भेजा था लेकिन जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग को अभियोजन स्वीकृति नहीं देने की अनुशंसा इस पर आधार पर की कि पटवारी अपने उधार दिये हुए रूपये वापस ले रहा था तथा हाईकोर्ट के निर्णय दिनांक 24.09.2015 के अनुसार जब दो प्रकार के विरोधाभासी तथ्य प्रकट हो तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिये।

उक्त प्रकाशित खबर पर 'स्वप्रेरणा' से प्रसंज्ञान लिया जाकर खबर की प्रति संभागीय आयुक्त, जयपुर को प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.03.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपित श्री विशाल सिंघल, तत्कालीन पटवारी हल्का, आमेर के विरूद्ध अपराध संख्या 143/2015 दिनांक 14.07.15 अंतर्गत धारा 7, 13(1)डी व 13(2) पीसी एक्ट, 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, जयपुर में पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 01.09.2016 से अभियोजन स्वीकृति चाही गयी थी, जिसके क्रम में जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा पटवारी श्री विशाल सिंघल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

व तहसीलदार, आमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान अधिकारी से विचार-विमर्श की कार्यवाही की गयी तथा तत्कालीन जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा विवेकानुसार अभियोजन स्वीकृति नहीं दिये जाने की अभिशंसा की गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी जिला कलेक्टर, जयपुर के अभिमत-पत्र दिनांक 12.01.16 को उनके समसंख्यक-पत्र दिनांक 19.02.17 से मय मूल पत्रावली शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से दिनांक 21.03.2016 द्वारा राशि की रिकवरी होने के कारण प्रकरण में पुनर्विचार कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 17.11.2016 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की जाकर समसंख्यक-पत्र दिनांक 21.11.2016 से विस्तृत विवरण सहित महानिरीक्षक पुलिस प्रथम, एसीबी, जयपुर को प्रेषित की गई।

इस प्रकार प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा हस्तक्षेप उपरांत अपेक्षित कार्यवाही सक्षम स्तर पर कर दिये जाने से यह परिवाद दिनांक 19.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(980)लोआस/2015

परिवादी श्री किशनलाल टेलर, सेवानिवृत्त पटवारी निवासी राजकीय छात्रावास के पास, वार्ड नं. 17, नैनवां, जिला बून्दी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि वह पटवारी पद पर कार्य करते हुए दिनांक 30.11.2014 को पटवार मण्डल देहीखेड़ा, तहसील इंद्रगढ़, जिला बून्दी से सेवानिवृत्त हो चुका है परन्तु उसका पेंशन प्रकरण तैयार कर सम्बन्धित विभाग को नहीं भेजा गया। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा कई बार कार्यालय में निवेदन भी किया गया। परिवादी ने पेंशन प्रकरण पूर्ण करवाकर पेंशन का भुगतान करवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बून्दी से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.06.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी श्री किशनलाल टेलर का पेंशन प्रकरण बाद आक्षेप पूर्ति तहसीलदार, इन्द्रगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2017 से संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग कोटा(राज.) को भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 08.01.2018 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(989)लोआस/2015

परिवादी श्री सरदाराराम मीणा, निवासी अजाड़ी खुर्द, तह0 व जिला झुन्झुनूं के द्वारा प्रस्तुत परिवादी में अभिकथन किया गया कि तहसीलदार, झुन्झुनूं ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर उसके भूखण्ड की मेड़बंदी तोड़ दी जबकि अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक जोहड़/चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच करवाई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.12.2016 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में औंकारमल पुत्र गणपतराम जाति मीणा, निवासी अजाड़ी का अतिक्रमण ग्राम अजाड़ी खुर्द के ख.नं. 238 रकबा 4.30 है0 गै0मु0 चारागाह पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को दिनांक 09.12.2016 को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया गया। जिला कलेक्टर ने अपनी पुनः रिपोर्ट दिनांक 29.09.2017 के द्वारा यह भी अवगत करवाया कि इसी भूमि में परिवादी सरदाराराम पुत्र

मूलाराम जाति मीणा निवासी अजाड़ी खुर्द व परिवादी के भाई इन्द्रसिंह पुत्र मूलाराम जाति मीणा निवासी अजाड़ी खुर्द का अतिक्रमण पाये जाने पर दिनांक 27.09.2017 को जेसीबी चलाकर मौके से कब्जा हटाया गया, जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(127)लोआस/2016

परिवादी श्री नरसिंह शर्मा, निवासी गांव आसपुरा, तह. श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम आसपुरा, तह. श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित गैर मुमकिन नदी खसरा नं. 555 में दिलीप सिंह, इन्द्र सिंह, संग्राम सिंह पुत्र भगवान सिंह, कानसिंह, बादल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि इस भूमि पर विधायक कोष से बने ट्यूबवैल पर भी कब्जा कर लिया गया। इसके विरूद्ध शिकायत किये जाने पर तहसीलदार, श्रीमाधोपुर ने आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा नं. 262/09 बनाया व इसमें तीन माह के सिविल कारावास की सजा भी दी। आरोपियों ने एडीएम, सीकर के यहाँ अपील की जिन्होनें निर्णय दिया कि यदि कब्जा हटा लिया जाता है तो सजा स्थगित की जाती है। आरोपियों ने प्रशासन से मिलीभगत कर सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 11.05.2016 तक भी कब्जा नहीं हटाया। परिवादी ने आरोपियों को सजा दिलवाते हुए कब्जा हटवाये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, सीकर के

निर्णय दिनांक 11.06.2014 की पालना में कार्यवाही कर दिनांक 20.03.2017 को प्रश्नगत खसरे से अतिक्रमण हटा दिया गया। ए.डी.एम., सीकर द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के दौरान वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(169)लोआस/2016

परिवादी श्री हजारीलाल गुर्जर पुत्र श्री छोटू गुर्जर निवासी ग्राम मोगाना, तहसील नाथद्वारा (राजसमन्द) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम मोगाना में चारागाह भूमि पर गाँव के कुछ रसूखदार लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने एवं उक्त भूमि को विक्रय किये जाने की शिकायत पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, राजसमन्द से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.05.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम मोगाना में चारागाह भूमि में अतिक्रमियों द्वारा कांटों की बाड़, पत्थर की दीवार एवं पत्थर डालकर किये गये अतिक्रमणों को धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत 32 पत्रावलियों का निस्तारण किया जाकर परिवादी श्री हजारीलाल गुर्जर एवं ग्राम के मौतबिरानों तथा ग्राम पंचायत के सचिव एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत सालोर द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से गठित टीम द्वारा उपरोक्त आराजी में किये गये सम्पूर्ण अतिक्रमणों को दिनांक 17-18 जनवरी, 2017 को हटा दिया गया।

उक्त रिपोर्ट के साथ इस सम्बन्ध में तैयार मौका पर्चा की छाया प्रति भी इस सचिवालय को प्राप्त हुई, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.06.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(195)लोआस/2016

परिवादी रामचन्द जणावा पुत्र श्री शंकर लाल जणावा, निवासी मु0 पो0 ईन्टाली, तहसील मावली(उदयपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, ईन्टाली में 134 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जाना बताया एवं इस सम्बन्ध में बार-बार प्रार्थना किये जाने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उदयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.04.17 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उक्त अतिक्रमण को हटवाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के कुछ छाया चित्र भी रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रेषित किये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 17.07.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(227)लोआस/2016

परिवादी श्री छीतरमल धाकड़ पुत्र श्री रामचन्द धाकड़, निवासी ग्राम पंचायत, ढूगरज्या, तहसील दीगोद (कोटा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम की भूमि खसरा नम्बर 535 रकबा 1.70 है0 व खसरा नंबर 18 में नरेगा योजना के अनतर्गत निजी खाते की भूमि पर मिट्टी डाला जाना बताते हुए इस पर रोक लगवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.03.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी की मुख्य समस्या परिवादी के खेत के सीमाज्ञान से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार, दीगोद को दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 20.03.17 को परिवादी की भूमि खसरा नम्बर 535 व 535/804 का सीमाज्ञान करवाकर परिवादी को नरेगा की सड़क व परिवादी के खेत की सीमा से अवगत करवा दिया गया है। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट के साथ सीमाज्ञान की कार्यवाही का मौका पर्चा भी संलग्न किया गया जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 16.06.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(240)लोआस/2016

परिवादी श्री रमेश गुर्जर, निवासी ग्राम लीखली, पोस्ट मरियास, तह. सिकराय, जिला दौसा के द्वारा ग्राम लीखली स्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 18 में जयराम पुत्र रामनिवास गुर्जर द्वारा जबरन अवैध रूप से पक्का निर्माण कर आम रास्ते को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में यह

परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया एवं उक्त रास्ते से अतिक्रमण हटाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम लीखली के आराजी खसरा नं0 18 का राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिनांक 08.10.2015 को सीमाज्ञान कर चिन्हित कर दिया गया। उक्त रास्ते में जयराम पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी लीखली, रमेश पुत्र रामकुवार निवासी लीखली तथा विश्राम पुत्र रामकुवार निवासी लीखली के पुख्ता मकानों का आंशिक भाग आता है। शेष रास्ता रामजीलाल पुत्र ईश्वर, किलाण पुत्र श्योबक्श, रमेश विश्राम पि. रामकुवार निवासी लीखली की खातेदारी में मिला हुआ है। उक्त रास्ता पूर्व में कभी भी आवागमन में चालू नहीं रहा है तथा उक्त अतिक्रमियों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से डामर सड़क बनवा रखी है जिसमें से समस्त ग्रामवासी आवागमन कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के मकान के लिये भी पूर्व में अतिक्रमी जयराम पुत्र रामनिवास द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ता दे दिया गया था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा इस रास्ते के उपयोग करने से मना कर दिया गया। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी से आपत्ति चाही गई जिस पर परिवादी ने आपत्ति प्रस्तुत कर प्रश्नगत रास्ते पर अतिक्रमण विद्यमान होने तथा शिकायतकर्ता के पास आने-जाने के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन किया। इस पर प्रकरण के स्थायी समाधान हेतु तहसीलदार, सिकराय, जिला दौसा एवं सम्बन्धित हलका पटवारी, ग्राम लीखली एवं परिवादी को दिनांक 24.04.2017 को व्यक्तिशः तलब किया जाकर विस्तृत चर्चा की गई। तहसीलदार, सिकराय ने प्रकरण की नवीनतम प्रास्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि दिनांक 11.04.2017 को मौका निरीक्षण एवं तद्नुरूप तैयार मौका रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम लीखली के आराजी खसरा नं. 18 गै0मु0 रास्ता प्रश्नगत गै0मु0 रास्ता रकबा 1.00 बीघा पर जयराम, रमेश

एवं विश्राम गुर्जर निवासीगण ग्राम लीखली के द्वारा रास्ते के आंशिक भाग पर अतिक्रमण कर पुख्ता मकान बना रखे हैं। शेष रास्ते पर रामजीलाल, किलाण व रमेश द्वारा अपनी खातेदारी में मिलाकर अतिक्रमण किया हुआ है। रास्ते का विवाद काफी पुराना है एवं रिकॉर्डेड रास्ते को खुलवाने के लिए मकान आदि ध्वस्त करने पड़ेंगे जिससे मौके पर शांति भंग होने एवं जनहानि का अंदेशा है। राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमियों व परिवादी की समझाइश की गई। परिवादी रमेश इस बात पर राजी हो गया कि उक्त रिकॉर्डेड रास्ते की जगह उसे अन्य जगह से रास्ता दे दिया जाता है तो वह इस रास्ते की माँग नहीं करेगा। परिवादी द्वारा सहमति जताने पर विजयसिंह पुत्र रामनिवास गुर्जर 12x450 फुट रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में से देने को सहमत हो गया तथा दिनांक 13.04.2017 को उक्त रास्ते के उपयोग हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण-पत्र पंजीबद्ध करवा दिया, जिसकी प्रति तहसीलदार, सिकराय ने प्रस्तुत की। उक्त समर्पण-पत्र में परिवादी रमेश द्वारा बतौर गवाह हस्ताक्षर किये गये। साथ ही उक्त समर्पित भूमि पर ग्रेवल सड़क आदि का निर्माण करने के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत, मरियाड़ा को अपने स्तर पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लिखे जाने बाबत अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(280)लोआस/2016

परिवादी श्री नौरतमल जैन पुत्र श्री चौथमल जैन, निवासी मु0पो0 ढाल, वाया नसीराबाद(अजमेर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम ढाल, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के खेल मैदान पर गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवा लिये जाने के विरूद्ध उसके द्वारा

प्रशासन को शिकायत किये जाने पर अतिक्रमियों द्वारा उसे व उसके परिवार को जान माल की क्षति पहुँचाने की धमकी दिये जाने पर उसके द्वारा सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। परिवादी द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने व उसके परिवार की सुरक्षा किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से रिपोर्ट तलब की गयी। जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.01.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि राजकीय विद्यालय के खेल मैदान की भूमि का सीमाज्ञान कर शाला प्रधान को कब्जा सौंपा जा चुका है और अब मैदान पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वहीं जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित आरोपियों के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107/116(3) द.प्र.सं. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें पाबन्द करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 05.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(291)लोआस/2016

परिवादी श्री हनुमान मीणा, निवासी रोशनपुरा तह0 उनियारा (जयपुर) ने यह परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी ने जिला कलेक्टर टोंक, उपखण्ड अधिकारी उनियारा, तहसीलदार तहसील उनियारा, भू0अ0 निरीक्षक व हल्का पटवारी मोहम्मदपुरा तहसील उनियारा, टोंक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बीरबल मीणा पुत्र मोती निवासी रोशनपुरा, तह0 उनियारा को संरक्षण देकर वर्षो पुराना रास्ता बन्द करवाकर ग्राम मोहम्मदपुरा, बिशनपुरा व भाग की झोपड़ियों के किसानों

को परेशान करने व खेतों पर जाने से रोकने के सन्दर्भ में कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम रोशनपुरा के आराजी ख.नं. 197 गै0मु0 रास्ते पर से पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटवा कर दिनांक 20.04.2016 को इसे खुलवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(303)लोआस/2016

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, निवासी वार्ड नं. 08, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि चक 33 पीटीपी, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर में 25 बीघा भूमि की नीलामी तहसीलदार कालूराम कुम्हार द्वारा एक वर्ष काश्त के लिए की गई थी जिसकी बोली मेघराज द्वारा 4.26 लाख रूपये लगाई गई थी तथा 1/4 राशि मौके पर जमा करवा दी। परिवादी का आरोप है कि शेष 3/4 राशि (जो कि लगभग 319500/- होती है) मिलीभगतपूर्वक काश्तकार से वसूल नहीं की गई। इस बीच मेघराज ने मुख्य फसल को बाजार में बेच दिया। इसके बाद आनन-फानन में फसल कुर्की की कार्यवाही की गई जिससे 1.58 लाख रूपये मिले किन्तु तहसीलदार ने मेघराज के विरूद्ध कोई एफ.आई.आर दर्ज नहीं करवाई। परिवादी का यह भी आरोप है कि मेघराज ने उक्त भूमि पर पक्का कमरा बना लिया किन्तु इसके विरूद्ध भी तत्कालीन और वर्तमान तहसीलदारों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मेघराज के अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि पर

काबिज होने के कारण उक्त सरकारी भूमि की काश्त हेतु बोली कम राशि की आई। इस प्रकार सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। परिवादी ने मेघराज से बकाया राशि वसूल करने, दोषियों को दण्डित करने तथा उक्त सरकारी भूमि को खाली करवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में बाकीदार मेघराज द्वारा प्रश्नगत फसल की बोली की बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण उसके विरूद्ध पुलिस थाना, सादुलशहर में दिनांक 07.07.2016 को एफ.आई.आर दर्ज करवाई गयी जिसमें दिनांक 03.01.2017 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। बोलीदाता द्वारा अंतिम नोटिस के बावजूद निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर उसके विरूद्ध न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर में दिनांक 05.05.2017 को वाद दायर किया गया। मौके पर कोई पक्का निर्माण नहीं पाया गया बल्कि अस्थाई निर्माण पाया गया जिसे दिनांक 06.05.2017 को हटा दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में विधि अनुसार प्रशासनिक स्तर पर संभव कार्यवाही कर दी गयी।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(304)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती राजबाला देवी, निवासी सेक्टर 21, गुड़गाँव, हरियाणा द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उनकी ग्राम मलपुरा, तहसील कोटपूतली(जयपुर) स्थित कृषि भूमि के औद्योगिक प्रायोजन हेतु आरक्षित के लिये पूर्व में गलती से जमाबन्दी में नोट लगा होना बताकर उक्त नोट को हटवाने के

लिये बार-बार जिला कलेक्टर जयपुर के कार्यालय में चक्कर लगवाये जाने एवं इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए जमाबंदी से उक्त नोट को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.03.17 के द्वारा यह अवगत करवाया कि परिवादी की भूमि की जमाबन्दी से औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित का प्रश्नगत नोट हटवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से जिला प्रशासन द्वारा की गई। प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 08.05.17 को नस्तीबद्ध किया गया। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में आभार स्वरूप पत्र भी इस सचिवालय को प्रेषित किया गया।

एफ.11(316)लोआस/2016

परिवादी श्री संदीप सुराणा, निवासी सुराणा कॉम्पलेक्स, बस स्टेण्ड, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभिकथन किया गया था कि दिनांक 12.01.2016 को तहसीलदार, बेगूं श्री भूपेन्द्र वर्मा को पत्र देकर बताया कि बिछोर ग्राम के खसरा नं. 2236/11620 कुल रकबा 0.05 है0 प्राकृतिक नाली है जो कि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में भी मौजूद है। खातेदार के द्वारा इस नाली में भराव कर पानी के मार्ग को अवरूद्ध कर दिया एवं इसके उपयोग को परिवर्तित कर इस नाली पर रिसोर्ट के लिये पार्किंग बना दी। पटवारी ने जाँच रिपोर्ट में भी बताया कि इस नाली का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में परिवादी की संस्था ''अर्थ सेव सोसायटी'' के द्वारा जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाये जाने के बाद उनके निर्देश के बाद

भी तहसीलदार, बेगूं श्री भूपेन्द्र वर्मा द्वारा मामले में टालमटोल कर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने इस नाली को पूर्ववत करवाने एवं कार्य में टालमटोल करने वाले तहसीलदार, बेगूं के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.02.17, 15.09.17 तथा 23.10.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर(प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा, तहसीलदार, बेगूं द्वारा नाली दर्ज रिकॉर्ड भूमि की खातेदारी को निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.01.2018 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(359)लोआस/2016

परिवादी श्री हेमाराम पुत्र श्री श्रीराम श्रीमाली, निवासी वाटर वर्क्स रोड, सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर सोजत चक-2 में भानाडा से नरसिंह द्वारा जाव तक रेकॉर्डेड आम रास्ता जो 30 फुट चौड़ा है, पर आस-पास के कृषकों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाना व इस सम्बन्ध में प्रशासन को बार-बार निवेदन करने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.05.17 के द्वारा अवगत करवाया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सोजत द्वारा राजस्व विभाग के कार्मिकों के सहयोग से परिवाद में वर्णित खसरा नंबर 1579 गै0मु0 रास्ता का सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाते हुए

रास्ते को खुलासा करवा दिया गया एवं रास्ते की सफाई कर दोनों तरफ स्थित कंटीली झाड़ियों की भी कटिंग करवा दी गयी। रिपोर्ट के साथ रास्ते की सफाई व अतिक्रमण हटाने से पूर्व एवं अतिक्रमण हटाने एवं सफाई कराने के पश्चात के छाया-चित्र भी संलग्न किये गये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही कर रास्ता खुलासा करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.07.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(423)लोआस/2016

परिवादी श्री छैल बिहारी शर्मा एवं अन्य ग्रामवासी, निवासी-शहदपुर, पोस्ट-रामगढ, तहसील-महुवा, जिला-दौसा द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम शहदपुर, तहसील महवा जिला दौसा में तुलसीराम की ढाणी तक मुख्य सड़क से आवागमन हेतु मौका स्थल पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त ढाणी के लिये सरदारसिंह व अमरसिंह गुर्जर के मकान से तुलसीराम की ढाणी तक रास्ता दर्ज है, जिस पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादीगण द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2017 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 29.03.17 को विकास अधिकारी, महवा एवं पंचायत समिति की टीम व ग्राम सचिव राजस्व टीम पुलिस जाब्ता थाना, महवा सरपंच, ग्राम पंचायत, शहदपुर के खसरा नंबर 166/464 गै0मु0 रास्ता के आस-पास

का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में परिवादी श्री छैल बिहारी एवं उक्त खसरा नम्बर के आस-पास के खातेदारों को समझाइश कर मौके पर निशानात कायम कर मौके पर जे.सी.बी. से रास्ता साफ करवाया गया एवं सभी ग्रामवासी एवं शिकायतकर्ता को मौके पर सन्तुष्ट किया गया। जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के साथ उक्त कार्यवाही की फर्द मौका भी संलग्न की गई, जिस पर परिवादी के भी हस्ताक्षर हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 21.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(426)लोआस/2016

परिवादी श्री सत्यनारायण प्रजापति, निवासी- गंदीफली, कैथून, जिला कोटा द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम गंदीफली से अभयपुरा के रास्ते पर अतिक्रमण कर करोड़ों रूपयों की राजकीय भूमि पर कब्जा कर लिया जाने एवं इस सम्बन्ध में ग्राम वासियों के द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत किये जाने पर 06 माह के बाद भी कोई संतोषजनक कार्यवाही न किये जाने की शिकायत की गई। परिवादी द्वारा सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, कोटा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा कर रास्ते को चालू करवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को

वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 12.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(440)लोआस/2016

परिवादी श्री मनीराम व अन्य निवासी ग्राम बास किरतान, तहसील राजगढ (चूरू) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम बास किरतान, तहसील राजगढ़ (चूरू) के ख.नं. 230 तादादी 23.84 है0 गोचर भूमि पर भभरीण्डा के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण कर लिये जाने व इस बारे में ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सक्षम अधिकारियों को मौखिक व लिखित सूचना दिये जाने पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.06.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि में रामचन्द्र पुत्र सुल्तान जाति मीणा द्वारा 110 वर्गमीटर भूमि पर मकान का नव निर्माण करने हेतु नींव भरने का कार्य किया गया था, जिसे स्थानीय राजस्व एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जे.सी.बी. मशीन की सहायता से हटवा दिया गया। जिला कलेक्टर, चूरू द्वारा उक्त रिपोर्ट के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की मौका फर्द की छाया प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 21.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(447)लोआस/2016

परिवादी श्री नारायण गुर्जर पुत्र श्री भागीरथ गुर्जर, निवासी ग्राम नाहरपुरा, पोस्ट बाघसुरी, तहसील नसीराबाद(अजमेर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर यह

उल्लेख किया गया कि ग्राम नाहरपुरा के ख.नं. 609/851 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर द्वारा अवैध चारदीवारी बनाकर पक्का निर्माण कर लिया गया जिससे परिवादी के खेतों व कुओं एवं शमशान भूमि पर जाने का रास्ता बन्द हो गया है। उनके जानवरों को चारागाह भूमि पर चरने भी नहीं दिया जा रहा है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाया जाकर अतिक्रमी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2018 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम नाहरपुरा के ख.नं. 609/851 किस्म चरागाह भूमि पर अतिक्रमी गोपाल पुत्र हीरा गुर्जर द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.18 को पटवारी हल्का, ग्राम सेवक, सरपंच व अन्य के सहयोग से परिवादी की उपस्थिति में मौके पर जे.सी.बी. की सहायता से कच्चे-पक्के अतिक्रमण को हटाते हुए सम्पूर्ण रास्ते को आवागमन हेतु खुलवा दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के साथ मौके के छाया चित्र एवं मौका पर्चा की छायाप्रति भी संलग्न प्रस्तुत की गई। इस कार्यवाही से सन्तुष्ट होते हुए परिवादी द्वारा मौका पर्चा पर अपनी अंगूठा निशानी भी लगाई गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 16.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(464)लोआस/2016

परिवादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति अग्रवाल, निवासी सेक्टर 3/10, हनुमानगढ टाउन, तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उनकी कृषि भूमि से गाँव कमरानी तक मंजूरशुदा रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर काश्त किया जाना बताया गया। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा तीन माह में तहसीलदार, टिब्बी, एसडीएम, टिब्बी एवं जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को प्रार्थना-पत्र देकर कार्यवाही चाही गई लेकिन प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने अतिक्रमण हटवाकर उक्त रास्ते को खुलवाये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.04.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी की उपस्थिति में प्रश्नगत रास्ता खुलवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्र,नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप रास्ता खुलासा हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने पर यह परिवाद दिनांक 18.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(522)लोआस/2016

परिवादी श्री रामराय मीना पुत्र श्री भौरीलाल मीना एवं अन्य निवासी ग्राम परमानंदपुरा उर्फ मंडालिया, तहसील कोटखावदा(जयपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम परमानंदपुरा में कुल 24.98 है0 चारागाह भूमि पर गाँव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाने एवं इस सम्बन्ध में तहसीलदार एवं पटवारी को शिकायत किये जाने पर कोई कार्यवाही न

किया जाना अंकित करते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अतिक्रमणों के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है। न्यायालय तहसीलदार में सुनवाई पश्चात् 10 अतिक्रमियों के विरूद्ध निर्णय पारित करते हुए 8 प्रकरणों में निर्णय की पालना में अतिक्रमियों को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमियों से पेनल्टी राशि व फसल की नीलामी सम्पूर्ण राशि जमा राजकोष हो चुकी है। शेष 02 प्रकरण सँख्या 42/2016 व 45/2016 में भी पेनल्टी राशि व फसल की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण की जाकर आंशिक रकबे पर पुख्ता मकान व बाड़ा होने तथा इनके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश जारी होकर प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमणों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(539)लोआस/2016

परिवादी श्री रामस्वरूप मीना पुत्र श्री हरिराम मीना, निवासी बमोरी, तहसील अन्ता(बारां) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि उसकी खातेदारी की ग्राम नागदा, तहसील अन्ता स्थित आराजी कुल किता 3 रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि एवं उसके पास स्थित सरकारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिये जाने पर उसके द्वारा कई बार

तहसील कार्यालय अन्ता में अपनी भूमि की पैमाइश करवाने के लिये प्रार्थना की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बारे में पैमाइश करने के लिये आदेशित किये जाने पर कानूनगो निर्मल कुमार सैनी द्वारा परिवादी से 10 हजार रूपये की माँग की गई एवं नहीं देने पर उसकी भूमि की पैमाइश नहीं की गई व अपने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में झूठी जानकारी दी गई। परिवादी द्वारा उक्त भूमि की पैमाइश कर पत्थरगढ़ी करवाकर कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये जाने एवं कथित दोषी कानूनगो निर्मल कुमार सैनी एवं अन्य लोगों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बारां से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.03.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी की भूमि का सीमाज्ञान उसकी उपस्थिति में करा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा की की छाया प्रति भी इस सचिवालय को प्राप्त हुई, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 03.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(541)लोआस/2016

परिवादी श्री एम. के. नागपाल, निवासी 40, एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि फ्लेट नम्बर 30-08-04 स्वर्ण पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर के 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री बाद खरीद दिनांक 03.11.2014 को उप-पंजीयक (पंचम), जयपुर के यहाँ आवासीय मानते

हुए पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया, जबकि मौके पर 06 दुकानें भी हैं जिसके कारण इसे वाणिज्यिक दर से निर्धारित नहीं करने के कारण उप-पंजीयक (पंचम) द्वारा सरकार को राजस्व की हानि पहुँचायी गई है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री एम.के. नागपाल के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उप-पंजीयक द्वारा शिकायत में वर्णित सम्पत्ति का मौका निरीक्षण के किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार सम्पत्ति व्यवसायिक होने एवं निर्माण 400 वर्गफुट होने के आधार पर मालियत पुनः निर्धारण कर कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क राशि 2,71,092/- रूपये वसूली हेतु दस्तावेज न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर (प्रथम) में प्रकरण दर्ज किये गये, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। प्रश्नगत दस्तावेजों में पक्षकारों द्वारा तथ्य छिपा कर पंजीयन करवाया जाना पाया गया है, जिसके क्रम में पक्षकारों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 51 के तहत न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर (प्रथम) के यहाँ रेफरेन्स किया गया है, जिसमें प्रकरण संख्या 07/2017 व 08/2017 दर्ज कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये।

परिवाद में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 7/2017 में निर्णय दिनांक 23.03.17 को एवं प्रकरण सँख्या 8/2017 में निर्णय दिनांक 28.03.17 को पारित किया जाकर प्रकरण सँख्या 7/2017 में निर्णयानुसार कुल रूपये 2,71,102/- रसीद संख्या 3112 एवं 3114 दिनांक 28.04.17 द्वारा उप-पंजीयक जयपुर (पंचम) के कार्यालय में जमा

हो चुके हैं। प्रकरण सँख्या 8/2017 निर्णय दिनांक 28.03.17 में वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण सँख्या 08/2017 में वसूली की कार्यवाही के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब किये जाने पर महानिरीक्षक द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में पक्षकार द्वारा जरिये रसीद संख्या 201702019003205 दिनांक 02.05.17 द्वारा(राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट के तहत) कमी मुद्रांक कर राशि रूपये 2,15,990/-, कमी पंजीयन शुल्क रूपये 33,500/- एवं सरचार्ज राशि रूपये 21,602/- कुल राशि रूपये 2,71,092/- उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रकरण में कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की राशि कुल रूपये 5,42,194/- की वसूली की जाकर राजकोष में जमा हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 16.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(573)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाशचंद्र व्यास, निवासी दीनदयाल थानवी मार्ग, रघुनाथपुरी, तहसील फलौदी(जोधपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया कि बाप तहसील के गाँव गोदरली में खसरा कुल किता 4 कुल रकबा 239.13 बीघा भूमि मन्दिर श्री ठाकुरजी की डोली की खातेदारी में स्थित है। इसी प्रकार गाँव नाथ का मगरा में खसरा कुल किता 40 कुल रकबा 1651.19 बीघा भूमि श्री माताजी का मंदिर डोली की खातेदारी में स्थित है। परिवादी के अनुसार रेवेन्यू बोर्ड के आदेश दिनांक 10.01.2006 की पालना में उक्त सम्पूर्ण भूमि, जिसको गलती से राजस्व कर्मचारियों ने जमाबन्दियों में सिवायचक दर्ज कर दिया था, पुनः मन्दिर श्री ठाकुरजी व

मन्दिर श्री माताजी डोली के नाम दर्ज कर दिया गया लेकिन उक्त आदेश की पालना आज तक नहीं करवाई गई और उक्त भूमियों पर अतिक्रमियों का कब्जा ही चला आ रहा है। परिवादी ने उक्त भूमियों की पैमाइश तत्काल राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में करवाई जाकर अतिक्रमणों को हटवाया जाने व कब्जा मन्दिर डोली की समिति को सुपुर्द किये जाने का आदेश किये जाने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.04.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तहसीलदार बाप, भू0अ0नि0, हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर ग्राम नाथ का मगरा के मूल खसरा नम्बर 259 रकबा 158.04 बीघा, खसरा नम्बर 263 रकबा 5.02 बीघा किस्म बी-4 एवं खसरा नम्बर 266 रकबा 76.07 किस्म बी-4 का मौका देख मौके पर भौतिक रूप से मन्दिर श्री माताजी डोली ट्रस्ट एवं श्री ठाकुरजी ट्रस्ट के सदस्य सचिव श्री कैलाश व्यास व ट्रस्ट के उपध्यक्ष श्री रोशन व्यास को मौके पर अतिक्रमण से मुक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया। इस सम्बन्ध में श्री कैलाश व्यास द्वारा लिखित में कार्यवाही से सन्तुष्टि जाहिर की गई जो जिला कलक्टर की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रशासन द्वारा कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 25.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(585)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्दगी राम, निवासी बहरोड़ (अलवर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर तहसीलदार, नीमराना द्वारा गिरदावर हल्का कान्हावास को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183-बी के तहत पारित निर्णय दिनांक 18.07.2016 की पालना हेतु जारी आदेश की पालना

नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की माँग की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम बसई भोपालसिंह के आराजी ख.नं. 896 संयुक्त खातेदारी में होने से पक्षकारों में आपसी सहमति नहीं हो रही थी। अब प्रयास कर पक्षकारों को समझाने पर शिकायतकर्ता की मौजूदगी में आपसी सहमति होने पर उक्त खसरा नम्बर 896 का विभाजन दिनांक 09.06.17 को किया गया तथा नामान्तकरण संख्या 1601 दिनांक 03.07.17 को स्वीकृत किया गया। मौके पर सभी पक्षकारों को 183(बी) प्रकरण में कब्जा दिलवाया गया। विभाजन मुताबिक नक्शे में तरमीम की गयी है। रिपोर्ट के साथ संलग्न पर्चा मौका पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 09.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(586)लोआस/2016

परिवादी श्री गोपाल कुमार यादव पुत्र श्री सुखलाल यादव, निवासी डूंगरपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि परिवादी की कृषि भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाने के लिये उसके द्वारा दिनांक 30.08.2016 को इसकी रूपान्तरकरण राशि ई-चालान के द्वारा जमा करवाये जाने के बावजूद उसके प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, डूंगरपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक

18.04.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी से मूल पत्रावली तलब कर कार्यवाही की जा चुकी है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.03.17 को वांछित भूमि सम्परिवर्तन आदेश जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 03.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(616)लोआस/2016

एफ.11(742)लोआस/2016

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री रिड़मलसिंह, निवासी सरदारपुरा, मार्ग नम्बर 1, बाड़मेर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जाकर बाड़मेर शहर के उत्तर में खसरा नम्बर 1435 एवं 1437 की राजकीय भूमि (बिला कब्जा गैर मुमकिन नाला) पर अनाधिकृत कब्जा कर विभिन्न व्यक्तियों को कीमतन बेचान कर देने के सम्बन्ध में कलेक्टर, बाड़मेर व अधीनस्थ अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, जोधपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर संभागीय आयुक्त के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.03.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि बाड़मेर स्थित खसरा नम्बर 1435 व 1437 बिला कब्जा गै0मु0 नाला की भूमि पर हुए अतिक्रमणों को तहसील प्रशासन द्वारा दिनांक 07.02.17 को नगर परिषद, बाड़मेर की सहायता से जे.सी.बी. द्वारा हटवाया जाकर भूमि खाली करवा दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 25.05.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(632)लोआस/2016

परिवादी श्री बनारसी राम शर्मा पुत्र श्री हर प्रसाद शर्मा, निवासी माचड़ी, तहसील रैणी(अलवर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया कि माचड़ी पटवार क्षेत्र के अन्तर्गत ख.नं. 2659/2.28 गै.मु. नाला वाके ग्राम माचड़ी में स्थित है। इस नाले पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है व अपने काश्त की भूमि में मिला लिया है एवं नाले के बहाव को खत्म करके पानी का निकास रोकना चाह रहे हैं। इस बाबत सरपंच द्वारा तहसीलदार, राजगढ़ को अवगत करवाया गया लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वर्तमान में यहाँ कार्यरत कार्यवाहक नायब तहसीलदार मुकेश शर्मा पर अप्रार्थी से कथित तौर पर रिश्वत लेकर मामले को ठण्डे बस्ते में डालने का आरोप लगाया गया। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में जाँच कर अतिक्रमण को हटवाये जाने व तहसीलदार मुकेश शर्मा एवं अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.17 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी की परिवेदना के अनुसार कथित अतिक्रमण को हटवा दिया गया है एवं आराजी ख.नं. 2659 गै0मु0 नाला पर उगे पेड़, जो नाले के कटाव को रोकने का कार्य करते हैं तथा पर्यावरण की दृष्टि से उचित है, को दिनांक 02.05.17 को तहसीलदार, रैणी द्वारा कब्जेराज लिये गये हैं। नाले को जे.सी.बी. की सहायता से दिनांक 16.07.17 एवं 18.07.17 को गहरा करवाया जाकर

प्राकृतिक बहाव सुचारू कर दिया गया। उक्त कार्यवाही से परिवादी द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा परिवाद में अंकित अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 23.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(639)लोआस/2016

परिवादी श्री मुकेश दरवाल पुत्र श्री कैलाश जाट, निवासी ग्राम भुरटिया, तहसील निवाई(टोंक) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर कोथून लालसोट रोड, एन. एच.-11 से भूमाफिया द्वारा चारागाह भूमि में से रोड निकाल लिये जाने के विरूद्ध पंचायत प्रशासन, नायब तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी को सूचित किये जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 05.07.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 17.03.17 को प्रकरण में ग्राम भूरटिया में आ.ख.नं. 3 किस्म चारागाह भूमि में होकर नाड़ी की पाल के ऊपर से अवैध रूप से निकाले गये रास्ते को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामवासियों व परिवादी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटा दिया गया। जिला कलेक्टर के द्वारा साथ में फर्द मौका की छाया प्रति भी प्रेषित की गई ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 28.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(688)लोआस/2016

परिवादी श्री रामजी लाल बैरवा पुत्र श्री केसर लाल बैरवा, निवासी ग्राम हरचंदेड़ा तहसील एवं जिला टोंक द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हरचंदेड़ा में नामांकन संख्या 365 दिनांक 10/09/1998 को खोला गया एवं उक्त नामांकन में से नन्द राम बैरवा का नाम हटवाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, टोंक, तहसीलदार, टोंक व संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा फैसले दिये जाने पर भी तहसीलदार व हलका पटवारी परिवादी को 30 माह से बार-बार चक्कर कटवा रहे हैं। परिवादी ने उक्त नामांकन में से नन्द राम बैरवा का नाम हटवाने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.03.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक, तहसीलदार, टोंक एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा नामन्तरण भरा जाकर, नन्दराम बैरवा का नाम हटा दिया गया है एवं नामान्तरण बाद तस्दीक कम्प्यूटर में फीड करवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 07.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(723)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती कमला देवी यादव पत्नी स्व0 श्री सिंहाराम, निवासी बहरोड़ (अलवर) ने परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया कि उसके स्व0 पति भूतपूर्व सैनिक थे जिनकी सेना से सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सेवा में

तहसील बहरोड़ में पटवारी पद पर कार्य करते हुए वर्ष 1998 में मृत्यु हो गई थी। परिवादी के अनुसार राज्य सरकार की घोषणा के सन्दर्भ में उसे राज्य सरकार से पेंशन मिलनी चाहिये जिसके लिये वह गत एक वर्ष से विभिन्न स्तरों पर प्रार्थना-पत्र दे चुकी है लेकिन उसे पेंशन की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। परिवादी ने इस सम्बन्ध में जाँच करवाई जाकर उसको पेंशन दिलवाये जाने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में स्व0 श्री सिंहाराम यादव पटवारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 17.09.94 एवं मृत्यु दिनांक 14.07.98 है। श्री यादव पटवारी पद पर नियुक्ति से पूर्व में सेना में सेवारत थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिल रही है। कार्मिक की मृत्यु के समय प्रचलित प्रावधानों(पेंशन नियम-65) के अनुसार परिवार पेंशन ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत नहीं की जावेगी, जो किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा प्रकरण अग्रेषित करने पर इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार से भी प्रकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही एवं वांछित स्वीकृति के सम्बन्ध में निरन्तर रिपोर्ट तलब किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाकर परिवादी को परिवार पेंशन स्वीकृत की गई। परिवादी द्वारा भी इससे सन्तुष्ट होकर इस सचिवालय द्वारा उसकी पेंशन स्वीकृत करवाये जाने के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही करवाये जाने पर आभार के रूप में धन्यवाद-पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा परिवादी के पेंशन प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 22.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(730)लोआस/2016

श्री रोहताश गुर्जर पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर, निवासी ढाणी ढेहरी, तन मोकलवास, तहसील नीमकाथाना(सीकर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम ढाणी ढेहरी के नजदीक स्थित चारागाह भूमि पर पूर्व सरपंच दाताराम गुर्जर पुत्र श्री प्रभात व अन्य द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करवाये जाने एवं इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा तहसीलदार कार्यालय में कई बार शिकायत किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं होने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.06.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम मोकलवास के खसरा नम्बर 184, 183/2 व 180 में किये गये अतिक्रमण पर न्यायालय नायब तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा राज. भू-राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 17.04.17 को बेदखली का आदेश पारित कर आदेशों की पालना में अतिक्रमियों के पत्थर, छड़ी, बाड़ आदि हटाकर उन्हें भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 17.07.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(734)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाश चंद यादव पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम माजरी खुर्द, तहसील नीमराना (अलवर) द्वारा ग्राम पंचायत, दौसोद के अन्तर्गत सरकारी रास्ते आराजी नम्बर 1399 पर ग्राम दौसोद के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने एवं इस बारे में शिकायत किये

जाने पर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे नहीं हटवाने के सम्बन्ध में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के समबन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत रास्ते पर लालचंद पुत्र ओमकार जाति जाट नि0 दौसोद ने अतिक्रमण कर फसल बाजरा काश्त कर रखी थी। तहसीलदार, नीमराना द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट., 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई उपरान्त अतिक्रमी के विरूद्ध भौतिक रूप से बेदखली के आदेश पारित कर उक्त अतिक्रमण को जे.सी.बी. चलाकर रास्ता पूर्ण रूप से चालू करवा दिया गया। जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा उक्त बेदखली की कार्यवाही के बाद मौके के छाया चित्र की छाया प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 17.07.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(741)लोआस/2016

परिवादी श्री मेसराम जाट पुत्र श्री पेमाराम जाट, निवासी पीपाड़ शहर(जोधपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम गढ़सूरिया के खसरा नम्बर 243, रकबा 6.02 बीघा, गैर-मुमकिन गौचर भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.05.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण

को तहसीलदार, पीपाड़ शहर के निर्देशन में पुलिस इमदाद से हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की फर्द मौका भी संलग्न प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 20.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(751)लोआस/2016

परिवादी श्री सरदार सिंह पुत्र श्री सुखराम जाटव, निवासी टोडाभीम(करौली) द्वारा राजस्व कार्मिकों एवं सरपंच द्वारा सांठ-गांठ कर उसके भाईयों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर विधि विरूद्ध तरीके से उसके भाइयों के नाम नामान्तरकरण संख्या 383 एवं 384 दर्ज करने का आरोप लगाया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, करौली से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 12.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण खुलने से पूर्व विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार हो चुका था, जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम में अपील दिनांक 15.11.2016 को प्रस्तुत की गई। राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, टोडाभीम को दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 11.02.2017 को परिवादी के पक्ष में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 419 दर्ज किया गया जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 09.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(764)लोआस/2016

परिवादी श्री काशीराम गुर्जर पुत्र श्री नारायण गुर्जर, निवासी संग्रामपुरा, तहसील मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उसके स्वर्गीय पिता की ग्राम संग्रामपुरा स्थित भूमि जो कि उनके नाम विरासत में दर्ज रिकॉर्ड हुई है, को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाने के लिये दो बार तहसीलदार मांडलगढ़ के समक्ष रिपोर्ट पेश करने एवं दिनांक 01.06.16 को प्रशासन ''गाँव के द्वार" कैम्प में भी प्रार्थना-पत्र पेश करने पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित करते हुए उक्त भूमि को नियमानुसार कार्यवाही कर खातेदारी में दर्ज करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.03.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा नजराना ब्याज की राशि जमा नहीं करवाने से प्रकरण में खातेदारी के अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये। इस पर परिवादी को सूचित किये जाने पर परिवादी द्वारा उक्त नजराना राशि जमा करवाई गई। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर से रिपोर्ट लिये जाने पर उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 07.11.2017 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री काशीराम, प्रेम, लाड पिता नारायण, भोली पत्नी नारायण गूर्जर नि0 संग्रामपुरा तहसील माण्डलगढ़ के नाम से दर्ज ग्राम संग्रामपुरा के आराजी नं0 43 रकबा 6.05 बीघा एवं 139/1 रकबा 0.11 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार दिनांक 08.09.17 से दिये जा चुके हैं। प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार हेतु आदेश पारित किये

गये एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.01.2018 को जमाबन्दी व नामान्तरण की छाया प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 18.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(793)लोआस/2016

परिवादी श्री हनुमान सहाय जोशी पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जोशी, निवासी सीकर हाउस कॉलोनी, जिला जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 04.02.2016 की पालना तहसीलदार शाहपुरा द्वारा न किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त निर्णय की पालना करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 04.05.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम लेट का बास के खसरा नम्बर 688/029, 658/031 व 658/1398 रकबा 0.12 है0 में राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.02.16 की पालना में श्री हनुमान सहाय पुत्र कन्हैया लाल का 1/8 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 881 दर्ज कर दिया गया, जिसकी स्वीकृति दिनांक 08.04.17 हो चुकी है। नामान्तकरण की छायाप्रति भी संलग्न प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(819)लोआस/2016

परिवादी श्री नवल खान पुत्र श्री भल्ला खान, निवासी मोहनपुर, तहसील मालाखेड़ा(अलवर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर मालाखेड़ा तहसील के ग्राम सोहनपुर में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने तथा इसके सम्बन्ध में प्रशासन को शिकायत किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं जाना अंकित करते हुए उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सोहनपुर में चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत दर्ज कर एवं निर्णित कर दिनांक 03.05.17 जे.सी.बी. की सहायता से कच्चे-पक्के मकान निर्माण छप्पर इत्यादि को ध्वस्त किया जाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 14.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(823)लोआस/2016

परिवादी श्री लालसिंह पुत्र श्री गणपतराम, निवासी ग्राम कतोपुर, तहसील कोटकासिम (अलवर) द्वारा ग्राम कतोपुर में जोड़िया से रेवाड़ी जाने वाले सरकारी रास्ते पर भोजराम पुत्र मौजीराम द्वारा फसल काश्त कर रास्ते को रोक दिया जाना बताते हुए शिकायत के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन

द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर उक्त रास्ते को खुलवाये जाने हेतु यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.05.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवाद में वर्णित रास्ता शेरपुर रोड़ से जमालपुर की तरफ से दिनांक 28.04.17 को मौके पर से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के समय स्वयं परिवादी भी मौके पर मौजूद था जो उक्त कार्यवाही से संतुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से अतिक्रमण के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 03.07.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(833)लोआस/2016

परिवादी सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री बनेसिंह, निवासी रूंध इकरन, जिला भरतपुर द्वारा ग्राम रूंध इकरन पटवार मण्डल बझेरा स्थित आराजी संख्या 566 रकबा 1.44 की संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में उसका नाम तहसील कर्मचारियों की गलती से जोड़ने से रह जाना और उसको सही करवाने के लिये विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रार्थना करने पर भी विगत 03 वर्षो से कोई सुनवाई नहीं होने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.03.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी सुन्दर सिंह पुत्र स्व0 बनैसिंह जाति बाबरिया निवासी रूंध इकरन का इन्द्राज जमाबन्दी में अंकित कर दिया गया है। गलत इन्द्राज लिपिकीय भूल से हुआ था जो वर्तमान में ठीक कर दिया गया है तथा

शुद्ध जमाबन्दी की एक प्रति परिवादी को प्रेषित कर कार्यवाही से सूचित कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 18.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(856)लोआस/2016

परिवादी श्री बंशी बलाई पुत्र श्री रायमल, निवासी सुलवाड़ा, तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी खातेदारी में आने-जाने वाले रास्ते को बालू पिता कजोड़ बलाई के द्वारा बन्द कर दिये जाने पर उसके द्वारा दिनांक 04.03.16 को एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, आसीन्द को दिये जाने के लगभग एक वर्ष बाद भी उक्त प्रकरण में लोकसेवकों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उसे हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई एवं सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रकरण को तहसीलदार न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सुना जाकर दिनांक 25.08.17 को आदेश पारित कर पटवारी हलका एवं भू0अ0नि0 को निर्णय की पालना हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर दिनांक 25.08.17 को परिवादी की उपस्थिति में प्रश्नगत रास्ते का खुलासा करवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रकरण मे प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त

हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 18.09.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(862)लोआस/2016

परिवादी श्री नाथू पुत्र श्री रत्ना दरोगा, निवासी ग्राम सांस, तहसील मालपुरा (टोंक) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम सांस में चारागाह भूमि व आम रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने के लिये ग्रामवासियों द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित करते हुए अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.06.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम सांस के खसरा नम्बर 400/1 रकबा 0.03 बीघा किस्म जमीन चारागाह में होकर नाला निकला हुआ था, जिसमें पानी की आवक होती थी। पानी उक्त नाले से होकर गाँव के खेतों में चला जाता था। इस नाले को श्री उदा पुत्र किशन गुर्जर द्वारा मिट्टी डालकर व मिट्टी के ऊपर कांटेदार बबूल की झाड़ियां डालकर अतिक्रमण कर लिया गया था। अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली आदेश दिनांक 24.05.17 को पारित किये जाकर दिनांक 31.05.17 को मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जे.सी.बी. की सहायता से अतिक्रमण को हटाकर नाले का खुलासा कर दिया गया। उक्त रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा की छाया प्रति भी इस सचिवालय को प्राप्त हुई, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित

अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 13.06.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(880)लोआस/2016

परिवादी श्री गजानन्द पुत्र स्व0 श्री चौथमल जी, निवासी तारज, उप तहसील सारोलाकलां, तहसील खानपुर (झालावाड़) द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम सारोला कलां स्थित खाता संख्या 357 की विरासत का इन्तकाल खुलवाये जाने एवं उसकी जमीन का सीमाज्ञान करवाये के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया। परिवादी द्वारा उक्त इन्तकाल को खुलवाने तथा उसकी भूमि का सीमाज्ञान करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झालावाड़ से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.08.17 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री गजानन्द पुत्र चौथमल जोशी द्वारा शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित वारिसान की सूची प्रस्तुत किये जाने पर नामान्तकरण संख्या 2426 खोला जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.07.17 को तस्दीक किया जा चुका है। प्राप्त रिपोर्ट के साथ नामान्तकरण संख्या 2426 की प्रति भी संलग्न की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 01.09.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(908)लोआस/2016

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हरलाल शर्मा, निवासी सांगोद (कोटा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उसकी दुकान के समीप स्थित

रियासतकालीन बाउण्ड्री पर चबूतरी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया जाना बताते हुए इस सम्बन्ध में प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होना बताया एवं उक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर उनके द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांगोद द्वारा परिवाद में वर्णित रियासतकालीन बाउण्ड्री से अतिक्रमण हटवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 23.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(936)लोआस/2016

परिवादी श्री रामनिवास ब्राह्मण पुत्र श्री श्रीकिशन, निवासी डाबला, तहसील बनेड़ा (भीलवाड़ा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उसके द्वारा रास्ता खुलवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद में न्यायालय तहसीलदार, बनेड़ा द्वारा दिनांक 20.07.2011 व उपखण्ड अधिकारी, बनेडा द्वारा दिनांक 10.06.2015 को पारित किये गये निर्णय की पालना नहीं किया जाना बताकर उक्त निर्णयों की पालना कर प्रश्नगत रास्ते को खुलवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 12.05.2017

को पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में परिवादी के रास्ते का खुलासा करवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 04.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(943)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेश चन्द नगायच पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद नगायच, निवासी वार्ड नम्बर 09 कस्बा वैर (भरतपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उसकी कब्जेशुदा गैरखातेदारी कृषि भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने के लिये समस्त राजकीय शुल्क जमा करवाकर पत्रावली जिला कलेक्टर, भरतपुर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के 18 माह बाद भी उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण मे तहसीलदार, वैर द्वारा दिनांक 10.07.17 को अन्तर राशि 27663/- रूपये जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 12.10.2017 में परिवादी द्वारा अन्तर राशि जमा करवाने व किसी सक्षम न्यायालय में स्थगन न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान कर दिया जाना अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर की रिपोर्ट 26.12.2017 के साथ सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 3 तथा जमाबन्दी खाता सँख्या 179 संलग्न प्रस्तुत की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हुआ।

परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में इस सचिवालय को इस अनुतोष के लिये आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र भी प्रेषित करते हुए यह अंकित किया कि इस सचिवालय में परिवाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसके द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री एवं अन्य उच्चाधिकारियों को परिवाद प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उसे कहीं से भी राहत प्रदान नहीं की गई। राजस्व विभाग के कर्मचारी उससे बड़ी रिश्वत की माँग कर रहे थे। इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करवाये जाने से उसके वर्षों से लम्बित प्रकरण का निस्तारण हो गया। परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 17.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(953)लोआस/2016

परिवादी श्री हकीराम अहीर पुत्र श्री किशनलाल, निवासी चावण्डी, तहसील नीमराना (अलवर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार, मांढण, तहसील नीमराणा श्री भँवर सिंह गौड़ पर यह आरोप लगाया गया कि दिनांक 09.03.17 को ग्राम चावण्डी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान अपने रिश्तेदारों के अतिक्रमण छोड़ दिये लेकिन गरीब व्यक्तियों के अतिक्रमण हटा दिये। परिवादी द्वारा उक्त कार्यवाही में छोड़े हुए अतिक्रमण हटवाने एवं नायब तहसीलदार के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी की शिकायत पर ग्राम चावण्डी के सिवायचक/चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मौके से हटवा दिया गया। परिवादी द्वारा लिखित में प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वह ग्राम चावण्डी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाने में की गयी कार्यवाही से सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 23.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(16)लोआस/2017

परिवादी श्री जगतपाल बैनीवाल निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सँख्या 31/16, स्टेट बनाम बलराम में पारित निर्णय दिनांक 27.02.17 की अनुपालना हेतु तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय की पालना हेतु पटवारी हलका, रणजीतपुरा को दिनांक 07.03.17 को नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जाने के बावजूद हलका पटवारी, श्री सतीश कुमार द्वारा परिवादी से उक्त कार्य को करने के लिये रूपये 5000/- की रिश्वत माँगे जाने एवं नहीं देने पर परिवादी का कार्य नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.07.17 तथा दिनांक 02.01.2018 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि चक 7, आरपी-सी की 2.5 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बेगू पुत्र नन्दराम, कौम जाट, साकिन रणजीतपुरा एवं उसके वारिसान का नाम हटाकर रकबा राजसात किया जा चुका है एवं सम्बन्धित नामान्तरकरण सँख्या 421 की छाया प्रति तथा सम्बन्धित जमाबन्दी की छाया प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(20)लोआस/2017

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद कटारा पुत्र श्री रामजीलाल कटारा, निवासी निवासी रूपवास(भरतपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उसकी खातेदारी भूमि ख.नं. 24 वाके ग्राम भिड़ियानी, तहसील रूपवास की राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के बारे में सम्बन्धित कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कई बार तरमीम करने के कार्यालय आदेश पारित होने के बावजूद लगभग 04 साल व्यतीत होने पर भी तरमीम नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 22.05.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी जगदीश प्रसाद कटारा व अन्य की उपस्थिति में खसरा नं0 174/24 का सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा मौका देखा जाकर मौका अनुसार परिवादी की भूमि की तरमीम प्रस्तावित की गई। परिवादी जगदीश प्रसाद कटारा प्रस्तावित की गयी तरमीम से सन्तुष्ट है। जिला कलेक्टर के द्वारा साथ में फर्द मौका की छाया प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 31.05.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(24)लोआस/2017

परिवादी श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा, निवासी पीथाजी का मन्दिर, देवगढ़, जिला राजसमन्द द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर स्वयं को मन्दिर श्री गोवर्धननाथ जी का पुजारी बताते हुए राज्य सरकार द्वारा पुजारी को

वर्ष में एक बार दी जाने वाली एन्युटी की राशि के भुगतान के लिये उसके द्वारा लगभग 40 वर्ष से निरन्तर प्रयासरत होने के बावजूद उसे एन्युटी राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उसे एन्युटी राशि का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, राजसमन्द से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री रामेश्वर लाल शर्मा को एन्युटी राशि स्वीकृति में विलम्ब उनके वारिसानों की जाँच के कारण हुआ है। श्री रामेश्वर लाल शर्मा को प्रपत्र 12(ए) स्वीकृत किया जाकर बजट स्वीकृति हेतु देवस्थान विभाग, उदयपुर को प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर से तलब किये जाने पर उनके द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी के प्रकरण में दिनांक 27.06.17 द्वारा संशोधित प्रपत्र 12(ख) जारी कर दिया गया है एवं वार्षिकी की राशि का बजट आवंटन माह अप्रेल, 2017 में सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय को कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही किये जाने से परिवादी की समस्या, जिसके समाधान के लिये वह विगत 40 वर्ष से निरन्तर प्रयासरत था, का समाधान हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने पर परिवाद को दिनांक 20.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(33)लोआस/2017

परिवादी श्री नेहरू सिंह शेखावत पुत्र श्री मोहनसिंह शेखावत, निवासी दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर यह आरोप लगाया कि वाके

मौजा प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर स्थित सिवायचक नहर की भूमि खसरा नम्बर 418 पर अतिक्रमण होने पर तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत आरम्भ की गई कार्यवाही को अतिक्रमी द्वारा तहसीलदार से साँठ-गाँठ कर रूकवा दिया गया। परिवादी के अनुसार इसके बाद अन्य लोगों द्वारा भी एनएच-8 से ग्राम ललाणा की सीमा तक अतिक्रमण कर लिये गये। परिवादी द्वारा उक्त अतिक्रमणों को हटवाये जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 418, किस्म सिवाचयक नहर, मौजा प्रागपुरा से दिनांक 29.09.17 को मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की मौका फर्द की छाया प्रति भी संलग्न की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 27.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(45)लोआस/2017

परिवादी श्री भेराराम घाँची पुत्र श्री नवाजी घाँची, निवासी रामसीन, जिला जालोर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर मौजा रामसीन के खसरा नम्बर 4059 रकबा 0.04 है0 पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप-तहसीलदार रामसीन द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध दिनांक 02.01.2017 को राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मुकदमा दर्ज कर

दिनांक 10.01.2017 को पारित किये गये आदेश की पालना नहीं होना बताकर उक्त आदेश की पालना करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जालौर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दो खसरा नम्बरों की भूमि को कुर्क करके फसल नीलामी की जा चुकी है तथा एक खसरा नम्बर की पैमाइश करवा कर उस पर किये गये अतिक्रमण को जे.सी.बी. की सहायता से हटवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(61)लोआस/2017

परिवादी श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी बानसूर (अलवर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम फतेहपुर के खसरा नम्बर 473 रकबा 4.25 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने एवं उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत ग्राम पंचायत कोरम द्वारा प्रस्ताव लेने के बावजूद प्रशासन द्वारा नहीं हटवाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.11.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 22.07.17 को वाके मौजा फतेहपुर पटवार मण्डल मौठूका की चारागाह भूमि आराजी नम्बर 473 रकबा 4.25 है0 किस्म चारागाह का सीमाज्ञान सचिव, ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी, बानसूर व आस पास के खातेदारों की मौजूदगी में किया जाकर चारागाह भूमि के चारों ओर जे.सी.बी. से

निशानात लगवा दिये गये। चारागाह भूमि चिन्हित करने व निशानात लगवाने पर अतिक्रमियों ने अपने-अपने अतिक्रमण को हटा लिया गया। जिला कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि इस चारागाह भूमि के चारों ओर खाई खुदवाने के लिये ग्राम पंचायत के सचिव को आदेशित कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 09.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(99)लोआस/2017

परिवादी श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री पांचूराम गूर्जर, निवासी जमवारामगढ़(जयपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा एलआर एक्ट की धारा 251 (ए) के तहत उनकी खातेदारी में जाने हेतु 04x92 मीटर रास्ता पड़ौसी खातेदार की भूमि में से कीमतन दिये जाने का निर्णय पारित किया गया, जिस पर उनके द्वारा रूपये 1,20,788 राजकोष में जमा भी करवा दिये तथा राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में उसका अंकन भी कर दिया गया किन्तु इसके बावजूद प्रतिपक्षी से मिलीभगत होने के कारण तहसीलदार द्वारा अभी तक भी उक्त रास्ते को नहीं खुलवाया गया, जिससे उन्हें अपनी कृषि भूमि पर आने-जाने में परेशानी हो रही है। परिवादी ने तहसीलदार जमवारामगढ पर प्रतिपक्षी से मिले होने का भी आरोप लगाते हुए इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक

03.07.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर एवं प्रकरण में निर्णय कर तहसीलदार जमवारामगढ की गठित टीम एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दिनांक 12.06.17 को मौके से अतिक्रमण हटाकर रास्ते को खुलवाकर सुचारू रूप से रास्ता चालू करवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 05.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(100)लोआस/2017

परिवादी श्री भागीरथ कुमावत पुत्र श्री रामदेव कुमावत, निवासी टूटोलाव, तहसील फुलेरा (जयपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम तेज्या का बास स्थित उसकी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसील कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बावजूद भी काफी लम्बा समय निकल जाने पर भी सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 03.07.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी को उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1446, 1447 व 1448, ग्राम तेज्या का बास का सीमाज्ञान करवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 09.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(130)लोआस/2017

परिवादी श्री कैलाशदान पुत्र श्री चन्द्रसिंह, निवासी ग्राम पारलू, तहसील पचपदरा(बाड़मेर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर पारलू गाँव के खसरा संख्या 190 में सरकारी जमीन पर अध्यापक तनसिंह, अध्यापक ललित सिंह व उसके भाई सुरेन्द्र सिंह द्वारा कब्जा किये जाने एवं उप तहसीलदार, जसोल द्वारा दिनांक 10.02.17 को बेदखली का आदेश किये जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के बारे में लिखा जाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.10.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पारलू के खसरा नंबर 190 गै0मु0 ओरण एवं खसरा नंबर 188 किस्म गै0मु0 ओरण में किये गये समस्त अतिक्रमणों को हटा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिये जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 07.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(164)लोआस/2017

परिवादी श्री पप्पूसिंह राजपूत पुत्र श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी इन्दौर (मध्यप्रदेश) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उनकी पटवार हल्का साकरोदा, तहसील मावली में स्थित कृषि भूमि के बँटवारे के दावे के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.16 को पारित प्रारम्भिक डिक्री व दिनांक 28.03.16 को प्रकरण संख्या 41/2013 में भँवर कुंवर बनाम मुन्नी कंवर में माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक-डिक्री की

पालना आदिनांक तक नही होना बताते हुए उक्त निर्णयों की पालना करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उदयपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.10.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में वादीगण के ग्राम साकरोदा में नहीं रहने से वादी पक्ष द्वारा बताये गये पते पर जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सूचना पत्र भिजवाये गये, जो अदम तामील प्राप्त होने से प्रश्नगत प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना में विलम्ब हुआ है। तहसील कार्यालय मावली द्वारा पत्र क्रमांक 1335 दिनांक 15.09.17 एवं प्रकरण संख्या 278/2008 एवं क्रमांक 1334 दिनांक 15.09.17 से प्रकरण संख्या 41/13 में प्रारम्भिक-डिक्री की पालना कर बँटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 22.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(171)लोआस/2017

परिवादी श्री जोराराम बावरी पुत्र श्री आसुराम बावरी, निवासी सोजत(पाली) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम मुरड़ावा स्थित भूमि ख0नं0 468 रकबा 0.88 है0 के सीमांकन के सम्बन्ध में दिनांक 06.04.16 को आदेश क्रमांक भू0अ0/16/800 के बावजूद पटवारी, मुरड़ावा द्वारा सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे आम रास्ता बन्द पड़ा है। परिवादी द्वारा उक्त सीमांकन करवाया जाकर आम रास्ते को खुलवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक

18.10.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटवा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान के कुछ छायाचित्र भी जिला कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाकर सार्वजनिक रास्ते पर से अतिक्रमण हटवा दिया जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 23.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(184)लोआस/2017

परिवादी श्री रिछपाल पुत्र श्री गोदूराम एवं अन्य निवासी पोस्ट बैरास, तहसील लक्ष्मणगढ (सीकर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम बैरास, पटवार हल्का दिसनाऊ में स्थित गोचर भूमि (गोगामेडी़ की वणी) खसरा नम्बर 27 व 27/1 में अतिक्रमण होने एवं इसके सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन को शिकायत किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना अंकित करते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.01.2018 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में ग्राम बैरास के खसरा नम्बर 27 व 27/1, नया नम्बर 56 रकबा 26.53 है0 से अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ मय फर्द मौका संलग्न प्रस्तुत किये गये, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा

दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(186)लोआस/2017

परिवादी श्री बनवारी जाट पुत्र श्री रामनाथ जाट, निवासी श्रीमाधोपुर (सीकर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सिमारला से खेजड़ोली मुख्य डामर सड़क सीमा से लगती हुई सरकारी भूमि को काश्तकारों द्वारा काटकर अपने खेतों में मिलाया जाकर कब्जा कर लिये जाने, रोड़ के समानान्तर खसरा नम्बर 398, 426, 427/2 पर कब्जा कर लिये जाने व स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त रोड़ की चौड़ाई फिक्स कर पत्थरगढ़ी करवाने व उपरोक्त भूमियों से अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सिमारला जागीर की भूमि ख.नं. 427/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर जो मौके पर सिमारला जागीर से ग्राम खेजड़ोली की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता है। उक्त रास्ते की निशानदेही की जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चालू करवाया गया तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर के पत्रांक पंसश्री/लो.प्रकरण/2017/7549 दिनांक 12.10.17 के द्वारा परिवाद में वर्णित रास्ते खेजड़ोली सिमराला मुख्य मार्ग व खसरा नम्बर 398 व 426 गै0मु0 रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कर आवागमन बहाल किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 04.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(237)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती सरिता पत्नी श्री बाबूलाल, निवासी ग्राम धींगडीया, तहसील सूरजगढ़ (झुंझुनूं) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर उनके खेत के पास स्थित कटाणी रास्ते पर किये गये अवैध अतिक्रमण के कारण उन्हें हो रही असुविधा के बारे में दिनांक 04.05.15 को तहसीलदार, सूरजगढ़ और दिनांक 30.07.15 को जिला कलेक्टर, झुंझुनूं को शिकायत किये जाने के बावजूद उनके द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुंझुनूं से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 10.01.2018 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में दिनांक 02.11.17 को पुलिस जाब्ते के साथ ग्राम धींगड़िया में मौके पर भू.अ. नि. द्वारा जेसीबी मशीन से बन्द कटाणी रास्ते को खुलवाया गया। उक्त रिपोर्ट के साथ की गई कार्यवाही की फर्द मौका की छाया प्रति भी संलग्न प्रस्तुत की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(269)लोआस/2017

परिवादी श्री जगदीश गुर्जर एवं अन्य निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील सरवाड़ (अजमेर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम राजपुरा स्थित 265 बीघा 03 बिस्वा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन

को विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 09.11.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि ग्राम राजपुरा, तहसील सरवाड़ के चारागाह भूमि रकबा 265 बीघा 03 बिस्वा से दिनांक 10.07.17 व 11.07.17 को मौके पर जे.सी.बी. की सहायता से समस्त अतिक्रमण हटवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(281)लोआस/2017

परिवादी श्री पप्पूदास पुत्र श्री हरिदास, निवासी ग्राम चिरढ़ाणी, तहसील पीपाड़ (जोधपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके ग्राम चिरढ़ाणी स्थित कृषि भूमि के पत्थरगढ़ी के लिये आवेदन करने पर सेटलमेन्ट टीम द्वारा दिनांक 31.01.2017 को सीमांकन किया गया लेकिन पत्थरगढ़ी के आदेश होने के बावजूद पत्थरगढ़ी नहीं की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.12.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर की स्वीकृति के पश्चात् राजस्व कर्मियों की गठित टीम द्वारा दिनांक 15.12.17 को पुलिस इमदाद से पक्षकारों की आपसी सहमति से मौतबिरों के रूबरू सेटलमेन्ट टीम के तकनीकी सहयोग से ग्राम चिरढ़ाणी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 865 रकबा 8.10 बीघा

का सीमांकन के अनुसार मौके पर मुटाम कायम करवा दिये गये हैं। उक्त कार्यवाही में पक्षकारों की सहमति होना अवगत करवाया गया। प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न मौका पर्चा पर परिवादी के हस्ताक्षर भी हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करवाई जाकर परिवादी की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 27.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(303)लोआस/2017

परिवादी श्री हस्तीराम मीना पुत्र श्री हरिराम मीणा, निवासी खेड़ी मानपुर, तहसील निंवाई (टोंक) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर सरकारी चारागाह भूमि खसरा नम्बर 114 पर अतिक्रमण होना बताकर उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने व दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.12.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में अंकित खसरा नम्बर 114 किस्म चारागाह भूमि व रास्ते से दिनांक 05.12.2017 को अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ प्रकरण में की गई कार्यवाही का मौका पर्चा भी संलग्न किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने पर परिवाद को दिनांक 17.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(329)लोआस/2017

परिवादी श्री श्रीराम टेलर पुत्र श्री मदनलाल दर्जी, निवासी नीमकाथाना (सीकर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत, पाटन के वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम पाटन स्थित गोचर भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमणों को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रशासन द्वारा कार्यवाही आरम्भ किये जाने पर ग्राम पाटन के ख.नं. 751/1475, 742/1491 व 753 किस्म चारागाह पर किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमी द्वारा स्वयं ही हटा लिया गया। उक्त चारागाह भूमि को चारागाह विकास हेतु विकसित करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 15.09.17 लिया गया, जिसके अनुसार खाली पड़ी गोचर भूमि पर पेड़-पौधे लगाये जायेंगें, जिससे चारागाह विकसित हो सकें एवं गाँव के पशुओं के लिये चारागाह मिल सकें।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 11.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(354)लोआस/2017

परिवादी सचिव, श्रीराम गौशाला सेवा समिति, बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ़ (जोधपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर श्रीराम गौशाला सेवा समिति बारनी खुर्द की लीज-अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में दिनांक 27.06.16 को जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6)

विभाग, राजस्थान, जयपुर को मूल पत्रावली भेजे जाने के एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी कार्यवाही नहीं होने की शिकायत की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में श्री राम गौशाला सेवा समिति की लीज अवधि बढाने के सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के द्वारा कार्यालय जिला कलेक्टर से स्पष्ट अभिशंसा चाही गई थी। इसकी पालना में दिनांक 17.10.17 को उक्त गौशाला की लीज अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष की जाने की अभिशंसा की जाना अवगत करवाया है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रेषित की गयी अभिशंसा की छायाप्रति भी संलग्न प्रेषित की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(366)लोआस/2017

परिवादी श्री प्यारेलाल मीणा पुत्र श्री रामफल मीणा, निवासी वजीरपुर (सवाईमाधोपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम फुलवाड़ा के खसरा नम्बर 1071 सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन को निरन्तर शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2018 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक

19.01.18 को भू.अ.नि. रायपुर, पटवारी हल्का फुलवाड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत, फुलवाड़ा के साथ ग्राम फुलवाड़ा के आ.ख.नं. 1071 रकबा 0.09 है0 (जो राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है) के मौके पर जाकर रास्ते में बनाई गई ड्योढ़ (जिससे रास्ता अवरूद्ध हो रहा था) को जे.सी.बी. की सहायता से हटवाकर रास्ता सुचारू करवा दिया गया। जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के साथ उक्त कार्यवाही की फर्द मौका एवं छाया चित्र भी प्रेषित किये गये।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 16.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(383)लोआस/2017

परिवादी श्री योगेश कुमार पुत्र श्री चौथमल एवं अन्य निवासीयान रैगरान मौहल्ला, मुकाम पोस्ट करनोस तहसील पीसांगन (अजमेर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम करनोस की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 899/1474 पर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में शिकायत किये जाने पर प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 30.11.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 899/1474 में बना चाय का ढाबा (झोंपड़ी) व होद को ध्वस्त करते हुए अन्य झोंपड़ियां एवं काँटों की बाड़ को मौके से हटा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को

वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 28.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(415)लोआस/2017

परिवादी श्री श्रवण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी ग्राम भवानी खेड़ा, तहसील नसीराबाद(अजमेर) ने परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम भवानीखेड़ा स्थित उसके पिता के नाम से दर्ज कृषि भूमि पर जाने के आम रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 15.03.82 को न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, नसीराबाद द्वारा डिक्री जारी की जाने एवं उक्त रास्ते की आराजी को दिनांक 16.06.85 को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के बावजूद अन्य लोगों द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने की शिकायत करते हुए उक्त रास्ते को खुलवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 11.12.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ते को खुलवा दिया गया। इसकी पुष्टि में परिवादी द्वारा लिखित पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 11.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(454)लोआस/2017

परिवादी श्री युधिष्ठर लाल कुम्हार पुत्र श्री फूलचंद, निवासी खेतड़ी(झुंझुनूं) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम रवां, तहसील खेतड़ी में गौरव पथ पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.08.15 के द्वारा बेदखल कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये जाने व उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में उनके द्वारा कई बार शिकायतें करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवाया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुंझुनूं से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 22.11.17 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि न्यायालय तहसीलदार, खेतड़ी के निर्णय की पालना में दिनांक 03.11.17 को पुलिस इमदाद लेकर तहसीलदार, खेतड़ी की मौजूदगी में प्रश्नगत अतिक्रमण को जे.सी.बी. की सहायता से हटवाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के साथ फर्द मौका बेदखली की छायाप्रति भी संलग्न प्रस्तुत की गई, जिस पर परिवादी के भी हस्ताक्षर हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 01.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(467)लोआस/2017

परिवादी श्री सुल्तान सिंह राजपूत पुत्र श्री भोपाल सिंह, निवासी खेजड़ी सांखड़ा, तहसील कोटड़ी (भीलवाड़ा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर ग्राम

खेजड़ी, सांखला में चारागाह भूमि आराजी सँख्या 24, 25, 33 ,84, 86, 2, 15, 39, 71, 100, 1, 12, 14, 16, 32, 99 एवं 140/12 कुल किता 17, कुल रकबा 82-07 बीघा भूमि पर गत 20 वर्षो से किये हुए अतिक्रमणों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना बताते हुए उक्त अतिक्रमणों को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2017 के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण में कुल 10 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध एल.आर. एक्ट, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय तहसीलदार, कोटड़ी द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं प्रकण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 12.10.17 के द्वारा जुर्माना आरोपित करते हुए फसल जब्त सरकार कर नीलाम करने एवं बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हलका सांखड़ा द्वारा दिनांक 13.10.17 को फसल नीलामी कर अतिक्रमियों को बेदखल कर बेदखली पर्चा मौका प्रस्तुत किया गया, जो रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक चारागाह भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 14.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(600)लोआस/2017

परिवादी श्री रामसिंह सैनी पुत्र श्री मंगल सैनी, निवासी वैर(भरतपुर) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में भरण पोषण अधिनियम के तहत उसके द्वारा दायर वाद में उसको स्वीकृत 1500/-

प्रति माह की राशि का उसके पुत्रों द्वारा दिनांक 16.07.2011 से 06.12.2012 अर्थात् 18 महीने का उसे भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए उसे उक्त राशि का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, वैर (भरतपुर) से रिपोर्ट तलब किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.12.2017 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि दिनांक 06.11.17 को प्रार्थी के पुत्रों ने प्रार्थी रामसिंह को 27000/- रूपये का भुगतान कर दिया, जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 30.01.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(197)लोआस/2014

परिवादी श्री घनश्याम मीणा से दिनांक 25.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, मलारना चौड़ (जिला सवाईमाधोपुर) की विभिन्न योजनाओं में सरपंच वगैरह द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर गलत पाँच वर्षों का सामाजिक अंकेक्षण उच्च स्तरीय कमेटी से करवाकर जाँच के पश्चात् दोषी कार्मिकों को दण्डित करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 07.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद के बिन्दु सं.1, 4 व 5 में वर्णित आरोपों को सही नहीं पाया गया और बिन्दु सं. 2 के सम्बन्ध में पंचायत के सरपंच व सचिव पर निकाली गई 9,38,950/-रु. की वसूली के विरूद्ध 2,46,265/-रु. वसूल किये गये हैं और शेष राशि जमा करवाने की कार्यवाही चल रही

है तथा बिन्दु सं.3 अनुसार विभिन्न 7 हैण्डपम्पों पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लेने पर उन्हें हटाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौली को निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात् विभाग से 19.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सभी सार्वजनिक 7 हैण्डपम्पों पर हुए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत, मलारना चौड़ द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटवा दिया गया है और उपर्युक्त हैण्डपम्प अब अतिक्रमण से मुक्त होकर सार्वजनिक उपयोग में आ रही है।

विभाग से दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि वसूली की शेष राशि 6,92,685/-रु. में से पूर्व सरपंच श्री मोहनलाल पूर्विया से 3,51,027/-रु. और तत्कालीन ग्राम सेवक श्री ओम प्रकाश माली से 3,41,658/-रु. की वसूली प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में दिनांक 13.10.2016 एवं 12.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पूर्व सरपंच श्री मोहनलाल पूर्विया द्वारा कुल 2,00,000/-रु. जमा करवाये गये हैं तथा शेष वसूली कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट ''त्रैमासिक'' स्तर पर आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(212)लोआस/2014

परिवादी श्री रामजीलाल से दिनांक 21.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि वे ग्राम सेवक व पदेन सचिव के पद से दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हुए हैं किन्तु उनके पेंशन प्रकरण का निस्तारण आज तक नहीं किया गया है। वे वित्त विभाग एवं

पंचायती राज विभाग के भी चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ उनके पेंशन प्रकरण का निस्तारण करवाया जाये।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री रामजीलाल सैनी (सेवानिवृत्त ग्राम सेवक) का पेंशन प्रकरण उनके कार्यालय के दिनांक 19.09.2013 के पत्र क्रमांक 2015 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष निस्तारण हेतु भिजवाया जाकर उनके द्वारा बार-बार कार्यवाही हेतु निवेदन भी किया जा रहा है, इस कारण वर्तमान में यह प्रकरण निर्णय हेतु विभाग में विचाराधीन है।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विभागीय आदेश क्रमांक 3195/03.08.2017 के अनुसार विभिन्न विभाग/निगम/बोर्ड इत्यादि से सैकण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/ विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारी (जिनका पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सेवक के पद पर समायोजन किया गया है) की पेंशन देयता के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री रामजीलाल सैनी के मामले में पेंशन विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृति पीपीओ सं. 1063899 (आर) दिनांक 27.10.2017 जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 04.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(132)लोआस/2015

परिवादी श्री कैलाश चन्द्र गौतम से दिनांक 02.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि वे पंचायत समिति, बारां से दिनांक 31.07.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उन्हें आज तक वर्ष 2006 से देय वार्षिक वेतनवृद्धि, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान, उनकी पत्नी के मेडिकल बिल का भुगतान व पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण उन्हें यथाशीघ्र लम्बित परिलाभ एवं पेंशन का भुगतान करवाया जाये।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से दिनांक 18.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री कैलाश चंद्र गौतम द्वारा राजकार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण वे चार बार निलम्बित रहे, इस कारण अब उनकी शेष जाँच का निस्तारण एवं अन्य आवश्यक निस्तारण न होने तक उनकी अनन्तिम पेंशन का मामला पेंशन विभाग, कोटा को भिजवाया गया जिस पर उनकी अनन्तिम पेंशन पी.पी.ओ. सं. 1007587 (आर) से जारी की गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बारां के कार्यालय द्वारा दो माह की अवधि में उन्हें राज्य बीमा एवं जीपीएफ की राशि के समस्त क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है तथा वास्तविक पेंशन प्रकरण जाँच के निस्तारण एवं सेवा-पुस्तिका पूर्ण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विभाग से दिनांक 05.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्री कैलाश चन्द्र गौतम (सेवानिवृत्त ग्राम सेवक) के राजकीय सेवा में रहने के दौरान विभिन्न निलम्बन अवधियों की विचाराधीन जाँच का निस्तारण कर वेतन भुगतान कर वर्ष 2006 से वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत कर दी गई। श्री गौतम के 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृति हेतु प्रकरण मार्गदर्शन हेतु वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया है, जहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होते ही चयनित वेतनमान स्वीकृत कर पेंशन प्रकरण

पेंशन विभाग को शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जायेगा। श्री गौतम की अनुपस्थित अवधि दिनांक 16.06.2012 से 31.05.2013 तक का निस्तारण जिला परिषद, बारां के दिनांक 22.06.2016 के आदेश द्वारा किया जा चुका है और उनका पेंशन कुलक तैयार कर दिया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से दिनांक 15.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री कैलाश चन्द गौतम के मामले में पेंशन विभाग, कोटा के द्वारा श्री गौतम की पीपीओ सं. 5033226 (आर) दिनांक 10.11.2017 से पेंशन स्वीकृत कर दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(283)लोआस/2015

परिवादी श्री ओम प्रकाश से दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, दौलतपुरा (श्रीगंगानगर) के वार्ड सं.5 में सार्वजनिक गुवाड़ पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने के सम्बन्ध में ''सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अधीन दिनांक 22.06.2014 को प्रस्तुत शिकायत का निराकरण न होने से उपर्युक्त अतिक्रमण को हटवाकर उसकी शिकायत का निराकरण करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 05.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, दौलतपुरा के गुवाड़ में जिन लोगों द्वारा चौकिया बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको हटाने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं जिसमें स्वयं परिवादी ओम प्रकाश भी शामिल है। विभाग से दिनांक 20.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी के

परिवाद में वर्णित ग्राम दौलतपुरा के वार्ड सं.5 के गुवाड़ में किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर हटा दिया गया है।

तत्पश्चात् इस मामले में परिवादी द्वारा आपत्तियाँ प्रेषित करने पर उनके सन्दर्भ में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 16.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि अतिक्रमण स्थल से सम्पूर्ण मलबा ग्राम पंचायत द्वारा हटा दिया गया है और अब कोई अतिक्रमण व मलबा शेष नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(417)लोआस/2015

परिवादी श्री मंगलाराम भील से दिनांक 05.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, छाली (पंचायत समिति, गोगुन्दा जिला उदयपुर) के ग्राम सेवक श्री नारायण सिंह सक्सैना व रोजगार सहायक श्री शिवलाल गमेती व पंचायत समिति, गोगुन्दा के कनिष्ठ अभियन्ता और ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोगुन्दा के व्यवस्थापक द्वारा नाल का बास एनिकट को गहरा करवाने के कार्य में फर्जी हाजरियाँ भर कर लाखों रु. का गबन करने पर विशेष जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 01.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से करवाई गई जिनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उण्डिथल के नियोजित श्रमिकों की फर्जी हाजरी प्रतीत होती है। साथ ही गाँव भेवड़िया में भी हाजरियाँ संदिग्ध है लेकिन अधिकांश श्रमिकों के द्वारा कार्य करना बताया गया। मामले की जाँच से प्रथमदृष्टया

आरोपित शिवलाल गमेती (तत्कालीन रोजगार सहायक) नारायण सक्सैना (तत्कालीन सचिव) एवं राजेन्द्र सिंह झाला (तत्कालीन व्यवस्थापक) इत्यादि दोषी हैं। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 12.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन सचिव श्री नारायण सिंह सक्सैना एवं सवाराम भील के विरूद्ध पुलिस थाना, गोगुन्दा में प्र.सू.रि. सं. 127/2016 पंजीबद्ध करवाई गई।

इस मामले में जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 07.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन रोजगार सहायक श्री सवाराम भील का अनुबन्ध पंचायत समिति, गोगुन्दा के दिनांक 04.01.2017 के पत्र अनुसार समाप्त किया गया और तत्कालीन ग्राम सेवक श्री नारायण सिंह के मामले में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन के अधीन लम्बित जाँच में नये जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गई तथा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से ''यथासमय'' इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश जिला कलक्टर, उदयपुर को दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(422)लोआस/2015

परिवादी श्री माँगीलाल से दिनांक 02.11.2015 को गोगुन्दा कैम्प में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम गोगुन्दा (पंचायत समिति, गोगुन्दा व जिला उदयपुर) में उपखण्ड कार्यालय एवं डाक बंगला के बीच बिना स्वीकृति एवं अवैध रूप से निर्माणाधीन बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसीलदार, सार्वजनिक

निर्माण विभाग के अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर मामले की सम्पूर्ण जाँच करवा कर अवैध निर्माण को अविलम्ब रूकवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उदयपुर से दिनांक 19.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि प्रार्थी श्री पन्नालाल पुत्र श्री मोडा तेली एवं श्रीमती लीला पत्नी पन्नालाल तेनी को ग्राम पंचायत, गोगुन्दा द्वारा राजस्व ग्राम गोगुन्दा की आराजी सं. 5789/1 में दिनांक 07.07.2014 एवं दिनांक 08.07.2014 को वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति तथा दिनांक 16.07.2014 को भवन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

यह भी अवगत करवाया गया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 (9) के प्रावधानानुसार पंचायत जनता के प्रति की गई सेवाओं के लिये भवन संनिर्माण के लिये 2/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से राशि वसूल कर अनुज्ञा-पत्र जारी करती है। उक्त प्रावधान में वाणिज्यिक या आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं है। पंचायत समिति, गोगुन्दा के पत्र क्रमांक 934 दिनांक 02.05.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत, गोगुन्दा वाणिज्यिक भूमि पर निर्माण स्वीकृति हेतु अधिकृत नहीं है तथा इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.06.2016 से शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति किस स्तर से जारी की जाती है एवं वाणिज्यिक भवन निर्माण की स्वीकृति की वैधानिक प्रक्रिया क्या है, उसके सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया।

इसी क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 20.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 565/

15.06.2017 से प्राप्त वांछित मार्गदर्शन के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 (9) में ''भवन'' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके अनुक्रम में भवन संग निर्माण में वाणिज्यिक एवं आवासीय दोनों भवन समाहित हैं और यदि निर्मित भवन में वाणिज्यिक गतिविधि सम्पादित की जा रही है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत इन नियमों में विहित दर से नियमानुसार फीस का उद्ग्रहण कर सकती है।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, गोगुन्दा द्वारा पूर्व में प्रार्थी श्री पन्नालाल/मोड़ाजी तेली एवं लीला बाई/पन्नालाल तेली को भवन निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत नक्शा के अनुसार कुल 33,390 वर्गफुट की पाँच तलों में दी गई थी जिसकी वास्तविक भवन निर्माण स्वीकृति की राशि 6,208/-रु. हुई। पूर्व में इस पेटे रसीद सं. 65/08.07.2014 से 2,500/-रु. जमा किये जा चुके थे और शेष अन्तर राशि 3,708/-रु. तथा इस राशि पर तीन वर्ष तीन माह के ब्याज की राशि 2,172/-रु. जोड़ कर कुल अन्तर राशि 5,880/-रु. रसीद सं. 08/13.11.2017 के द्वारा ग्राम पंचायत, गोगुन्दा में जमा कर लिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(461)लोआस/2015

परिवादी श्री बजरंगलाल खण्डेलवाल से दिनांक 09.12.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, कोटपूतली (जयपुर) की अधीनस्थ विभिन्न पंचायतों में अपने द्वारा नरेगा के अधीन किये गये कार्यों के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटपूतली द्वारा उसका

बकाया भुगतान न करने पर यह भुगतान कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, जयपुर से दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पावटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में बकाया भुगतान शेष नहीं रहा है। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 21.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पावटा के पत्र दिनांक 20.06.2017 के अनुसार श्री बजरंग खण्डेलवाल कन्सट्रक्शन कम्पनी का ग्राम पंचायत, पण्डितपुरा में कार्य ग्रेवल सड़क निर्माण स्कूल ग्राउण्ड भादरा की ओर की बकाया भुगतान राशि 29,338/-रु. का एफटीओ दिनांक 06.06.2017 को जारी कर भुगतान कर दिया गया है। विभाग से दिनांक 09.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, भैंसलाना के आईटी केन्द्र के बिजली फिटिंग की बकाया राशि 50,013/-रु. का भुगतान सम्बन्धित फर्म को दिनांक 19.07.2017 को करना बताया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 06.09.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(519)लोआस/2015

परिवादी श्री चन्द्रभान यादव से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.14 को हुई है और जिला परिषद, अलवर के माध्यम से उनका पेंशन प्रकरण वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित करने के पश्चात् 6 माह से अधिक की

अवधि व्यतीत होने के बावजूद उन्हें आज तक कोई पेंशन नहीं मिल पाई, वहाँ उन्हें विलम्ब के लिये 9 प्रतिशत ब्याज सहित पेंशन का लाभ दिलवाया जाये।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी की पेंशन देयता के क्रम में वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रेषित की गई है जिनके द्वारा इसी प्रकार के प्रकरणों के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएं/जानकारी चाही गई है जो विभाग द्वारा उन्हें भिजवाई जा रही है। उक्त समायोजित ग्राम सेवकों की पेंशन देयता के क्रम में वित्त विभाग से मार्गदर्शन/राय प्राप्त होने पर तद्नुसार ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक 04.09.2017 को विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विभिन्न विभाग/निगम/बोर्ड इत्यादि से सैकण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के पद पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों का पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सेवक के पद पर समायोजन किया गया और उनकी पेंशन देयता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2017 को आदेश जारी किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 16.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सेवानिवृत्त ग्राम सेवक श्री चन्द्रभान यादव का पेंशन प्रकरण स्वीकृत हो गया है जिसका पीपीओ नं. 106415 (आर) दिनांक 01.11.2017 है।

एफ.12(539)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी से दिनांक 20.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपाड़शहर द्वारा

मनरेगा लोकपाल, जोधपुर द्वारा परिवाद सं. 63/2013 में दिनांक 15.05.14 को पारित निर्णय (अवार्ड) की अनुपालना में दोषी कर्मचारियों से 18,000/-रु. ब्याज सहित वसूल नहीं करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, जोधपुर से दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में लोकपाल परिवाद सं. 63/2013 के सम्बन्ध में मूल राशि 18,200/-रु. तथा इस पर ब्याज राशि के 13,212/-रु. मिलाकर कुल 31,412/-रु. की वसूली तत्कालीन रोजगार सहायक श्री महिपाल पिचकिया, ग्राम पंचायत, खांगटा से कर ली गई है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.04.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(564)लोआस/2015

परिवादी श्री जयेन्द्र सिंह से दिनांक 27.01.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, खारपा (जिला झालावाड़) के रोजगार सहायक श्री रामबाबू द्वारा अपनी पत्नी/सरपंच श्रीमती सुमित्रा बाई एवं पूर्व सचिव श्री जगदीश सोनी से मिलकर ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से दिनांक 08.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि शिकायत के बिन्दु सं.1 में वर्णित अनुसार जॉब कार्ड क्रमांक 255 श्री रामबाबू के नाम से बना हुआ है जिसमें पूर्व सरपंच श्रीमती सुमित्रा बाई का नाम भी दर्ज है और सरपंच पद पर रहते हुए मस्टररोल में

कार्य दर्शाया हुआ है यानी 2560/-रु. की राशि वसूली योग्य है एवं मस्टररोल में फर्जी नाम दर्ज करने वाले मेट को ब्लेक लिस्ट किया जाना है। शेष आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, झालावाड़ से दिनांक 27.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में पूर्व सरपंच श्रीमती सुमित्रा बाई से 2560/-रु. की वसूली कर ली गई तथा मस्टररोल में फर्जी नाम दर्ज करने वाले मेट को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अकलेरा द्वारा ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(627)लोआस/2015

परिवादी श्री श्यामलाल टेलर से दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, देवलीकलां (जिला पाली) के सरपंच एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने उसके पट्टाशुद भूखण्ड पेटे षड़यंत्रपूर्वक 2,51,000/-रु. प्राप्त कर लिये और उसके भूखण्ड के 8x30 फुट भू-भाग को उसके पड़ौसी को 62,400/-रु. में बेच दिया तथा इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन पाली को शिकायत करने के बावजूद उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। इसने पश्चातवर्ती आवेदन-पत्र दिनांक 29.06.2016 से उपर्युक्त राशि का भुगतान करवाने की भी प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 23.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद के सम्बन्ध में गठित जाँच कमेटी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, देवलीकलां के सरपंच एवं ग्राम सेवक को दोषी माना गया किन्तु ग्राम

सेवक सेवानिवृत्त हो चुका है। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 03.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री श्यामलाल टेलर को 30x13 फुट भूखण्ड के लिये ग्राम पंचायत, देवलीकलां के समक्ष जमा करवाई गई राशि 2,51,000/-रु. लौटा दी गई। इसी क्रम में परिवादी से उसकी संतुष्ट का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने ग्राम पंचायत, देवलीकलां के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं होने का उल्लेख किया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(686)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती होमली बाई से दिनांक 29.03.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सुहागपुरा (जिला प्रतापगढ़) के ग्राम बोरानखेड़ा में सम्बन्धित सरपंच एवं सचिव द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश उसे इन्दिरा आवास योजना के लाभ से वंचित रखने पर मामले की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिलाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़ से दिनांक 19.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्रीमती होमली बाई मीणा बीपीएल सूची, 2002 में चयनित होकर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रात्रता रखती है किन्तु उसके द्वारा आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में न करके सीधे ई-मित्र पर किया गया और पंचायत के सचिव/कनिष्ठ लिपिक द्वारा भी उससे आवश्यक दस्तावेज माँगे गये किन्तु उसके द्वारा उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उसे आवास योजना का लाभ

समय पर नहीं मिल पाया। अब उसे उपर्युक्त आवास योजना का लाभ देने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई है तथा इसी क्रम में दिनांक 20.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 में दिये लक्ष्य अनुसार परिवादी श्रीमती होमली बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आदेश दिनांक 14.12.2016 से आवास स्वीकृत कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(8)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रेमसुख तरड़ से दिनांक 05.04.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, मन्नीवाली (तहसील, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर) क्षेत्र में स्थित अपने मकान के मुख्य द्वार की गली पर पड़ौसी साहबराम द्वारा किये गये अतिक्रमण/कब्जा को हटाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा आदेश देने के बावजूद पंचायत के ग्राम सेवक श्री विवेक कथुरिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दोषी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 13.10.2016 को प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच के पश्चात् ग्राम पंचायत, मन्नीवाली द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर परिवाद में वर्णित अप्रार्थी श्री साहबराम पुत्र मनफूलराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 25.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी अवगत करवाया गया कि साहबराम भांभू द्वारा किये गये अतिक्रमण को भी हटवाया जा चुका है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(60)लोआस/2016

परिवादी श्री दीपक गुप्ता से दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, सुनेल की ग्राम पंचायतों, काली तलाई व रायपुर आदि को वर्ष 2011-2012, 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि में सीमेन्ट सप्लाई हेतु जमा करवाई गई धरोहर राशि का भुगतान सम्बन्धित पंचायतों के सचिवों द्वारा नहीं करने पर इस धरोहर राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से दिनांक 02.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, काली तलाई से सम्बन्धित निविदा की प्रतिभूति राशि 14,040/-रु. परिवादी को लौटा दी गई। इसी क्रम में दिनांक 27.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को ग्राम पंचायत, रायपुर से सम्बन्धित धरोहर राशि 30,600/-रु. का भुगतान कर दिया गया। फिर दिनांक 24.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसकी सम्पूर्ण निविदा धरोहर राशि (88,560/-रु.) लौटा दी गई है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(134)लोआस/2016

परिवादी श्री हिम्मत कुमार पुरोहित से दिनांक 08.07.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, पाडीव (पंचायत समिति व जिला सिरोही) के गोलीया में आई गोचर भूमि (खसरा सं. 1070 व 1071) में श्री वागसिंह व अन्य द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही एवं उच्चाधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद उन भू-माफियाओं व अतिक्रमियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए इनके विरूद्ध जाँच करवाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही से दिनांक 11.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि जाँच अधिकारी/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की दिनांक 29.08.2017 की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और परिवादी व अप्रार्थी को समझाइश कर विवादित स्थल पर भूमि विवाद का निराकरण करवाया गया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। विवादित स्थल पर गायों के जाने वाले रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(298)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील जाखड़ से दिनांक 12.08.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने जल ग्रहण उप समिति, बाय द्वारा वर्ष 2013-14 में कृषकों को रबी फसल के बीज, गेहूँ व उर्वरक वितरण में सरकारी धन

का विभिन्न तरीके से दुरूपयोग करने पर मामले की जाँच करवाकर दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में परियोजना प्रबन्धक, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जल ग्रहण समिति, बाय के अध्यक्ष एवं सचिव को दोषी मानते हुए उन्हें हटाने के लिये पीआईए को निर्देशित कर दिया गया है और पौधे परिवहन पर किये गये व्यय (1,000/-रु.) की वसूली कर ली गई है। इस पर विभाग को जल ग्रहण समिति, बाय के अध्यक्ष एवं सचिव को हटाने की कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट इस सचिवालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(315)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रतापदास साध से दिनांक 23.08.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पीलवा की आबादी भूमि में उनके आवासीय मकान से देचू जाने वाले आम रास्ते की भूमि पर ग्राम के फतेह सिंह एवं श्रीमती राधा द्वारा अतिक्रमण कर लेने पर उक्त रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 22.03.2017 एवं 18.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देचू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, पीलवा की आबादी भूमि खसरा सं. 560 में अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 21.02.2017 को नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी, देचू,

राजस्व, पंचायती राज के कार्मिकों एवं पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अस्थाई प्रकृति के अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। परिवादी श्री प्रताप दास व फतेह सिंह के बीच की गली में भी अतिक्रमणों को हटवा दिया गया है और वर्तमान में परिवादी के मकान के नजदीक में चारों ओर कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(344)लोआस/2016

परिवादी श्री बालुलाल सोनी से दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने दिनांक 30.04.2016 को पंचायत समिति, हिण्डोली (जिला बून्दी) से ग्राम सेवक के पद से सेवानिवृत्त होने के बावजूद उसका पेंशन प्रकरण निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 03.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली के पत्र दिनांक 15.06.2017 से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बालुलाल सैनी (सेवानिवृत्त गाम सेवक) के पेंशन प्रकरण में सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा के द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2017 से पीपीओ सं. 1053863 जारी कर पेंशन स्वीकृत कर दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(345)लोआस/2016

परिवादी श्री राजाराम से दिनांक 31.08.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, कोलाड़ा (तहसील, बौंली, जिला सवाईमाधोपुर) के सरपंच, सचिव एवं मस्टररोल इन्चार्ज द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध निर्माण करवाने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 28.12.2016 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि चारागाह भूमि बासेड़ा बने सिंह में वृक्षा रोपण में संधारित मस्टररोल में कोई कांट-छांट नहीं है और सरपंच/सचिव/सहायक सचिव/मेट के विरूद्ध चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाने की शिकायत निराधार है किन्तु वृक्षारोपण करवाने के बाद शेष चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाना शेष बताया गया और इस सम्बन्ध में तहसीलदार, बौंली से उपर्युक्त अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की गई जिस पर उन्होंने दिनांक 20.10.2016 के आदेश के द्वारा टीम गठित कर उपर्युक्त अतिक्रमण से अतिक्रमियों को बेदखल करने का आदेश दिया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 14.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच में किसी भी मस्टररोल का भुगतान बकाया नहीं है और शिकायतकर्ता को मस्टररोल का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है जिन व्यक्तियों के नाम मस्टररोल में अंकित हैं, उन्हें भुगतान किया गया है। चारागाह पर विद्यमान प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से दिनांक 19.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2017 को पुलिस को सहयोग से करके अतिक्रमणों को मौके से हटवा दिया गया है और अब चारागाह भूमि कोई अतिक्रमण शेष नहीं है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(376)लोआस/2016

परिवादीगण श्री गलाराम व अन्य से दिनांक 09.09.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि गाँव डबलीवास में करीब डेढ वर्ष बनाई गई सीसी सड़क के साथ आज तक नालियों व खडजों का निर्माण नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में पंचायत के अधिकारियों को कई बार कहने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही देते रहे हैं, वहाँ नालियों व खडजों का निर्माण करवाया जाये।

परिवादी से प्राप्त परिवाद विहित प्ररूप में नहीं होने से उसे परिवाद व शपथ-पत्र के विहित प्ररूप प्रेषित कर उससे विहित प्ररूप में परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) आहूत किया गया किन्तु प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उसके परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 03.11.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

तत्पश्चात् इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से दिनांक 12.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम डबलीवास मौलवी में ग्राम पंचायत द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार नाली एवं खडजा का निर्माण करवा दिया गया यानी इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित उपचार उपलब्ध हो गया।

एफ.12(414)लोआस/2016

परिवादी श्री धर्मेन्द्र से दिनांक 27.09.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, दांता (पंचायत समिति, दांतारामगढ़) के क्षेत्र में स्थित उसके मकान के उत्तर दिशा में गेट के सामने पंचायत द्वारा निर्मित सीसी ब्लॉक के आम रास्ते पर श्री शंकरलाल द्वारा अवैध अतिक्रमण कर स्वयं का गेट लगाकर उस आम रास्ते को बन्द कर देने पर उपर्युक्त अतिक्रमण को हटाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 17.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, दांता द्वारा आरोपी अतिक्रमी श्री शंकरलाल मीणा को दिनांक 28.06.2016 को अतिक्रमण के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया और उसके अनुक्रम में दिनांक 17.06.2017 को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ते में लगे गेट को हटा दिया गया जिसके सम्बन्ध में परिवादी श्री धर्मेन्द्र सोनी ने संतुष्टि व्यक्त की।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(431)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील जाखड़ से दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने जल ग्रहण उप समिति, बाय द्वारा वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत पौधा-रोपण हेतु कृषकों को वितरित करने के लिये विभिन्न प्रजातियों के पौधे क्रय एवं वितरण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में निष्पक्ष जाँच करवाकर गबन राशि को ब्याज सहित वसूलने और

गबनकर्ता सचिव/सरपंच एवं सहायक अभियन्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 07.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच परिवादी को साथ लेकर पंचायत समिति, झुन्झुनूं के सहायक अभियन्ता और पीआईए श्री सुभाष चन्द्र से करवाई गई जिनकी जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार छायादार पौधों के क्रय हेतु 500/-रु. की राशि का भुगतान उप समिति (जल ग्रहण), बाय के खाता से नहीं करने और उनके परिवहन व चढ़ाई-उतराई पर व्यय की गई राशि 1,000/-रु. वसूल करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार निष्कर्ष के बिन्दु सं.3 में वर्णित राशि के समायोजन की सिफारिश की गई और सम्बन्धित जल ग्रहण विकास दल कृषि सदस्य श्री राजेश रोहिला की सेवाएं पूर्व में स्थगित कर दी गई जिन्हें भविष्य में इस पद पर नहीं रखने तथा जल ग्रहण उप समिति, बाय के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा अपने कर्त्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करने का निष्कर्ष दिया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 11.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि 1,000/-रु. की वसूली जल ग्रहण उप समिति, बाय के सचिव से रसीद सं. 49/3 दिनांक 8.04.2017 के द्वारा करके समिति के खाते में जमा करवा दी गई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार जिस राशि का भुगतान समिति द्वारा नहीं किया गया, उसका समायोजन नहीं किया जायेगा और सम्बन्धित भुगतान नहीं करने हेतु जल ग्रहण उप समिति को पाबन्द कर दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बाय द्वारा दिनांक 15.08.2017 को आयोजित ग्राम सभाव के प्रस्ताव सं.2 द्वारा सर्वसम्मत्ति से सरपंच/अध्यक्ष एवं सचिव, जल ग्रहण उप समिति, बाय को हटा दिया गया है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(442)लोआस/2016

परिवादी श्री राम निवास (मै. श्रीराम बिल्डर्स) से दिनांक 06.10.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, पूनासर (जिला जोधपुर) में मनरेगा योजना में निर्माण सामग्री हेतु नियमों के विरूद्ध हुए टेण्डर को निरस्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 17.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कमेटी की जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, पूनासर (पंचायत समिति, बापिणी, जिला जोधपुर) के सामग्री क्रय के टेण्डर की विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2016 को प्रकाशित हुई जिसमें त्रुटि होने से ग्राम पंचायत, रायमलवाड़ा की जगह पूनासर एवं ग्राम पंचायत, मोटानिया की जगह बापिणी खुर्द का संशोधन विज्ञप्ति क्रमांक 140/20.09.2016 द्वारा किया गया जो दिनांक 25.09.2016 को प्रकाशित हुई। निविदा-प्रपत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत से 400/-रु. नकद जमा करवाकर निविदा खुलने की दिनांक 27.09.2016 को 12 बजे तक प्राप्त किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिया गया और निविदाएं दिनांक 27.09.2016 को खोली गई। ग्राम सेवक और सरपंच द्वारा पूर्व में दिये गये बयान अनुसार ग्राम पंचायत, पूनासर का कार्यालय दिन भर खुला रहा एवं तीन निविदाओं का विक्रय किया गया।

प्रकरण में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 (7) के अनुसार उपाप्त किये जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य 10 लाख रु. से लेकर 1 करोड़ रु. तक के मामले में बोली आमंत्रित

करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि 21 दिन होनी चाहिए किन्तु इस मामले में उपर्युक्त नियम की पालना किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट न होने से अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से इस सम्बन्ध में सकारण स्पष्टीकरण/टिप्पणी आहूत की गई।

विभाग से दिनांक 12.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, बापिणी जोधपुर जिले की नवसृजित पंचायत समिति होने से वहाँ पर तकनीकी एवं लेखा सम्बन्धी कार्मिकों का पदस्थापन नहीं हुआ और लेखा सहायक श्री भोम सिंह भाटी (संविदा) द्वारा ही लेखा सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाने व उसे लेखा सम्बन्धी नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने से राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 (7) की पालना नहीं की गई। उपर्युक्त नियम की पालना नहीं से इस प्रकार की अनियमितता के कारण पंचायत समिति, बापिणी के दोषी लेखा सहायक (संविदा) पर नरेगा अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत 1,000/-रु. शास्ति आरोपित की गई जिसे उनके द्वारा रसीद सं. 321/04.12.2017 के द्वारा नरेगा राजकोष में जमा करवाने के फलस्वरूप उन्हें भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(488)लोआस/2016

परिवादी श्री मांगीलाल से दिनांक 07.11.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, मांझी (पंचायत समिति, डेगाना) के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामनिवास का स्थानांतरण पंचायत समिति, लाडनूं में होने

के बावजूद अपना प्रभार नहीं सम्भलाने व फिर कुछ समय बाद पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के बावजूद पंचायत समिति, डेगाना में कार्यग्रहण न कर ग्राम पंचायत, मांझी में ही कार्यग्रहण करने और इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डेगाना द्वारा कोई कार्यवाही न करने से श्री रामनिवास के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से दिनांक 28.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि जिला सतर्कता समिति, नागौर द्वारा दिनांक 19.07.2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डेगाना और सम्बन्धित ग्राम सेवक को दिनांक 29.11.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं तथा सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा दुरूपयोग की गई राजकीय राशि की वसूली समानुपातिक रूप से करने एवं ग्राम पंचायत, मांझी में कार्यरत ग्राम सेवक को हटा कर दूसरा ग्राम सेवक लगाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डेगाना को निर्देश दिये गये हैं।

विभाग से दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरपंच/सचिव द्वारा दुरूपयोग की गई राशि 54,883/-रु. रसीद सं. 88/21.02.2017 के द्वारा वसूल कर राजकोष में जमा करवाना बताया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री घासीलाल मीणा द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया गया कि इस मामले से सम्बन्धित कार्य की शिकायत दिनांक 19.12.2014 से 31.01.2015 की अवधि के मस्टररोल की है और तत्समय इस पद पर श्री भरत सिंह यादव कार्यरत थे जो अब राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ग्राम पंचायत, मांझी के ग्राम सेवक श्री राम निवास सोमनवाल के सम्बन्ध में प्रकट किया गया

कि वे ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से भाग लेकर अपने कर्त्तव्यों का नियमानुसार निर्वहन कर रहे हैं।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(494)लोआस/2016

परिवादी श्री संतोष देवी से दिनांक 09.11.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सोजत रोड़ के लिपिक परमानन्द एवं ग्रुप सचिव श्री चन्दन सिंह के द्वारा उसकी निर्माण स्वीकृति को मनमाने तौर पर अपने अवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रोकने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से दिनांक 08.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सोजत से प्राप्त पत्रांक 669/01.08.2017 एवं क्रमांक 1070/08.11.2017 के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत, सोजत रोड़ द्वारा परिवादी श्रीमती संतोष देवी को दिनांक 11.04.2017 को निर्माण-स्वीकृति दे दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(518)लोआस/2016

परिवादी श्री बाबू खान (सेवानिवृत्त ग्राम सेवक) से दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने बार-बार निवेदन करने के बावजूद

पंचायत समिति, बालोतरा द्वारा उसके यात्रा भत्ता बिल (रु.49,123/-) का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी बाबू खान के यात्रा भत्ता के बिल कालातीत होने के कारण प्री-चैक हेतु प्रेषित किये गये थे और अब कार्यालय के आदेश दिनांक 21.02.2017 के अनुसार इनके भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गई है। तत्पश्चात् दिनांक 16.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री बाबू खान के बकाया यात्रा भत्ता बिल की राशि 49,123/-रु. का भुगतान चैक सं. 090076 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा करना बताया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 06.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(529)लोआस/2016

परिवादी श्री श्यामलाल व्यास से दिनांक 25.11.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने अपने बापी-पट्टा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, बड़गाँव (पंचायत समिति, भीण्डर) के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर उसे आधारहीन नोटिस देकर परेशान करने एवं इसी क्रम में आधारहीन तथ्यों की रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को प्रेषित कर उसकी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करने और शौचालय निर्माण पर भारत सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया।

परिवादी से प्राप्त परिवाद विहित प्ररूप एवं सत्यापित शपथ-पत्र से समर्थित न होने से सत्यापित शपथ-पत्र विहित प्ररूप में परिवाद आहूत किया जाना किन्तु उससे वांछित परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद की

एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 27.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 04.07.17 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत परिवादी/लाभार्थी श्री श्यामलाल व्यास को पंचायत समिति, भीण्डर के आदेश क्रमांक 1806/06.12.2016 से उनके खाते में आरटीआईजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 12,000/-रु. की राशि अंतरित कर दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली अंतिम रूप से दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(544)लोआस/2016

परिवादी श्री रमणलाल चरपोटा से दिनांक 02.12.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, डकारकुण्डी (पंचायत समिति, गढ़ी व जिला बाँसवाड़ा) के सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा मिलीभगत करके मनरेगा कार्यों में मृतक व्यक्तियों की उपस्थिति दिखाकर भुगतान उठाकर सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 15.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, डकारकुण्डी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर मेटों द्वारा श्रमिकों को मस्टररोल पर गलत ढंग से नियोजित किया गया जिनमें 9 मृतक श्रमिकों के नाम 4 मेटों ने अंकित कर राजकीय राशि का दुरूपयोग एवं अनियमितता कारित की। जाँच के आधार पर उन 9 श्रमिकों के नाम पर जारी भुगतान की राशि

रु. 16,175/- की वसूली कर पंचायत समिति, गढ़ी में जमा कर ली गई तथा साथ ही चारों मेटों को भी ब्लेक लिस्ट कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(584)लोआस/2016

परिवादी श्री रामसिंह जाट से दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, नेठराना (तहसील भादरा) में गत जून माह में बस स्टैण्ड से ओबीसी बैंक तक बनाई गई सड़क में गड़बड़ी व फर्जीवाड़ा की शिकायत पंचायत समिति और जिला परिषद में करने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से दिनांक 10.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा से करवाई गई जिनसे प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से सम्बन्धित सड़क ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप नहीं बनाई जाने के कारण कुछ कमियां रह गई थीं और अब पंचायत द्वारा उक्त सड़क को सही करवा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में परिवादीगण ने पत्र के माध्यम से भी संतोष प्रकट किया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.04.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(585)लोआस/2016

परिवादी श्री जुगलाल से दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने अतिक्रमी श्री गोकुल चन्द जाट द्वारा अपनी राजस्व भूमि के सटकर स्थित गोचर भूमि खसरा सं. 379/110 के करीब 6 बीघा भू-भाग पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार, सूरजगढ़ को नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 18.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रश्नगत जमीन खाली पड़ी है और इस पर किसी का अतिक्रमण नहीं है। इससे पहले उक्त जमीन खसरा सं. 379/110 रकबा 1792 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में गोकुलचन्द पुत्र सांवलराम जाट द्वारा 0.50 हैक्टेयर भूमि पर फसल जोत कर अतिक्रमण किया हुआ था जिसे धारा 91 की कार्यवाही की जाकर तहसील कार्यालय के आदेश दिनांक 06.02.2017 की अनुपालना में फसल को कुर्क कर उसकी नीलामी राशि राजकोष में जमा करवा दी गई तथा परिवाद में अंकित भूमि पर वर्तमान में अतिक्रमण नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.08.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(640)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश नारायण मीणा से दिनांक 19.01.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जमवारामगढ़ एवं सचिव, ग्राम पंचायत, खरखड़ा के विरूद्ध आरोप लगाया कि वे ग्राम

खरखड़ा में आम रास्ते पर गोपाल गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री जगदीश नारायण मीणा द्वारा बताई गई विवादित प्याऊ (पानी की टंकी) उसके द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर 6.2X6.8 फुट अर्थात् 42 वर्गफुट में अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इसी प्रकार श्री गोपाल गुप्ता द्वारा 1178 वर्गफुट भूमि पर अवैध चार दीवारी का निर्माण किया गया था। ग्राम पंचायत, खरखड़ा द्वारा दिनांक 05.01.2017 को पारित सर्वसम्मति प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 24.01.2017 को ग्राम पंचायत, प्रशासन द्वारा विवादित पानी की टंकी एवं चार दीवारी के अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूमि को ग्राम पंचायत के कब्जे में ले लिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(650)लोआस/2016

परिवादी श्री धन सिंह सैनी से दिनांक 24.01.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम हडिया (तहसील, महवा व जिला दौसा) के खसरा सं. 506 गैर मुमकिन रास्ता पर श्री शिवलाल शर्मा व मिठ्ठनलाल द्वारा फसल बोकर किये गये अतिक्रमण की शिकायत उप जिला कलेक्टर, दौसा को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए आम रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में उपखण्ड अधिकारी, महवा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 के अनुसार ग्राम हडिया के खसरा सं. 506 सिवायचक/रास्ता में किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है और अब किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा इस सम्बन्ध में कोई विवाद भी नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 18.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(657)लोआस/2016

परिवादी श्री जसराम मीणा से दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के दिनांक 15.12.2015 के आदेश की पालना में ग्राम पंचायत, झालाटाला के सरपंच श्री सियाराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 22 (3) के अधीन सौंपी गई जाँच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर द्वारा एक माह की अवधि में पूरी नहीं करने और उसे एक वर्ष से अपने पास दबाये रखकर दोषी को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, झालाटाला (पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ व जिला अलवर) के सरपंच श्री सियाराम मीणा के विरूद्ध शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 2223/20.06.2017 के द्वारा जाँच रिपोर्ट सहित मूल पत्रावली शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,

1994 की धारा 38 (4) के तहत सरपंच को वर्तमान पद से निलम्बित करने की अभिशंषा करके भिजवाई गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(683)लोआस/2016

परिवादी श्री चन्द्र प्रकाश मीना से दिनांक 08.02.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, रंगपुर (कोटा) के सरपंच के विरूद्ध आरोप लगाया कि सरपंच ने मनमर्जी करते हुए सरकारी भूमि पर से उसके अतिक्रमण को तो हटवा दिया लेकिन गाँव के ही छीतरलाल मीणा द्वारा सरकारी रास्ते पर किराणे की दुकान के रूप में किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, कोटा को भी की गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, कोटा से दिनांक 24.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडपुरा से करवाई गई जिनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार श्री छीतरलाल मीणा द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 09.06.2017 को हटा दिया गया है और वर्तमान में वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.08.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(730)लोआस/2016

परिवादी श्री रामदयाल कुमावत से दिनांक 27.02.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम किशनपुरा (तहसील, चौहूं व जिला जयपुर) की आराजी सं. 1128 में निर्मित सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री हरदेव देवन्दा व उसके भाई भूराराम द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दुकानात आदि का निर्माण करने के सम्बन्ध में दिनांक 15.09.2008 को तहसीलदार, चौमूं और उपखण्ड अधिकारी, चौमूं को शिकायत करने के बावजूद उपर्युक्त अतिक्रमण के न हटने पर अब वहाँ किये जा रहे निर्माण कार्य को तुरन्त प्रभाव से रूकवाने की प्रार्थना की।

यद्यपि उपर्युक्त शिकायत (दिनांक 15.09.2008) से मामला पाँच वर्ष से अधिक पुराना होने से परिसीमाकाल से बाधित है किन्तु इसी क्रम में तहसीलदार, चौमूं द्वारा की गई कार्यवाही को देखने से यह प्रकट हुआ कि दिनांक 25.07.2014 को इस सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें यह पाया गया कि पैमाइश के उपरान्त मौके पर डाली गई रोड़ी-बजरी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर पाई गई यानी प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रशासन स्तर पर कार्यवाही लगातार लम्बित होने से प्रकरण परिसीमाकाल के भीतर पाया गया। इस मामले में किसी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में किये गये कार्य को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया गया बल्कि उसके द्वारा निजी हैसियत से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया और इस सम्बन्ध में प्रशासन के समक्ष भी कार्यवाही चली जिसका समाधान नहीं हुआ, इस कारण इस परिवाद पर आगामी कार्यवाही की गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले

में उपखण्ड अधिकारी, चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा दं.प्र.सं. की धारा: 133 में प्रसंज्ञान लेते हुए दिनांक 16.03.2017 को प्रकरण दर्ज कर समुचित कार्यवाही सम्पादित की गई जिसमें गैर सायल को सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित व नियम विरूद्ध निर्माण एवं निर्माण सामग्री को उनके द्वारा हटाने हेतु सड़क के मध्य से 12.05 मीटर दूरी तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने हेतु आदेशित किया गया। इसी क्रम में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड चौहूं की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उपखण्ड अधिकारी, चौमूं के आदेशानुसार सड़क के मध्य से 12.05 मीटर की दूरी पर निर्मित/चिन्हित निर्माण को हटवा दिया गया और इस प्रकार से समुचित प्रक्रिया अपनाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया गया किन्तु परिवादी श्री राम दयाल कुमावत से उसके सेलफोन (सं.9950010104) पर वार्ता करने पर उन्होंने प्रकट किया कि प्रशासन ने प्रश्नगत अतिक्रमण को नहीं हटाया और यह झूठी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में उन्हें आपत्ति है तथा सार्वजनिक सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को तुरन्त प्रभाव से रोके जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में जिला कलेक्टर, जयपुर से दिनांक 07.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम किशनपुरा के ख. सं. 1128 में 60 वर्गमीटर में लगे टीन शैड रूपी अतिक्रमण को दिनांक 17.11.2017 को हटा दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(737)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती गीता देवी रैगर से दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने एसडीएम, पीसांगन द्वारा ग्राम पंचायत, देवनगर की वार्ड पंच श्रीमती सायरी देवी चौधरी के खिलाफ चल रही जाँच में आरोपी वार्ड पंच के देवर को ही ग्राम पंचायत का अधिवक्ता नियुक्त कर विधि/नियम विरूद्ध आरोपी वार्ड पंच की मदद करने एवं उससे जाँच प्रभावित होने की आशंका व्यक्त करते हुए गलत रूप से नियुक्त अधिवक्ता को बदलने एवं आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकार/कलेक्टर (पंचायत), अजमेर से दिनांक 20.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, देवनगर की वार्ड पंच श्रीमती सायरी देवी के विरूद्ध दिनांक 27.11.1995 के बाद चार संतान होने के तथ्य को छिपा कर चुनाव लड़ने सम्बन्धी शिकायत की जाँच करवाने पर शिकायत में अंकित तथ्य सही पाये जाने के फलस्वरूप रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम), पीसांगन द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर के न्यायालय में परिवाद पेश करने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना, पुष्कर में भा.दं.सं. की धारा 191, 192, 193, 197, 198 व 420 के अपराधों की प्र.सू.रि. सं. 115/2017 पंजीबद्ध कर अनुसन्धान किया जा रहा है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(741)लोआस/2016

परिवादी श्री ओम प्रकाश तेली से दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से शौचालय का निर्माण करवाया है एवं नियमानुसार ग्राम पंचायत, फागी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया किन्तु इसके बावजूद उसे शौचालय की राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है, वहाँ शौचालय की राशि स्वीकृत करवा कर सम्पूर्ण मामले की जाँच करवाई जाये।

परिवादी से प्राप्त परिवाद विहित प्ररूप में नहीं होने से उसे परिवाद व शपथ-पत्र के विहित प्ररूप प्रेषित कर उससे विहित प्ररूप में परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) आहूत किया गया किन्तु प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उसके परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 27.04.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

तत्पश्चात् इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 03.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री ओम प्रकाश तेली को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बचत खाता सं. 51084164994 में अन्तरण के माध्यम से कर दिया गया यानी इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित उपचार उपलब्ध हो गया।

एफ.12(743)लोआस/2016

परिवादी श्री मोतीराम मारोटिया से दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम मोकलपुर (जिला नागौर) में गाँव से खेतों में जाने वाले मुख्य रास्ते खसरा सं. 1668 पर गाँव के श्री रामकिशन वगैरह द्वारा अतिक्रमण कर टांका व ट्यूबवेल आदि के निर्माण कर लेने

पर तहसीलदार, मेड़ता और उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा उपर्युक्त अतिक्रमण को पुलिस इमदाद से हटाने का आदेश पारित करने के बावजूद उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाने पर इसे हटवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से दिनांक 20.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोकलपुर के खसरा सं. 1668 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर रामाकिशन माली द्वारा पानी के टांके, ट्यूबवैल, पक्की दीवार एवं विद्युत ट्रांसफार्मर के रूप में किये गये अतिक्रमण को दिनांक 10.06.2017 को तहसीलदार, मेड़ता के नेतृत्व में राजस्व टीम एवं गोटन थाना के पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी की सहायता से हटवा दिया गया है तथा मौके पर से रास्ता चालू करवा दिया गया है। वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 18.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(748)लोआस/2016

परिवादी श्री जब्बर सिंह राजपूत से दिनांक 06.03.2017 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने सरकारी योजना के तहत ग्राम पंचायत, बोया द्वारा उसके शौचालय एवं पशु शैड निर्माण पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाली द्वारा भी उपर्युक्त प्रोत्साहन राशि के लिये मना कर दिये जाने पर उसे उक्त राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 01.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली

से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की राशि 12,000/-रु. का भुगतान परिवादी के बैक खाता सं. 6298344913 के माध्यम से कर दिया गया। परिवादी द्वारा पशु शैड निर्माण हेतु आवेदन किया गया किन्तु ग्राम पंचायत, बोया की ग्राम सभा की प्राथमिकता में नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत नहीं किया गया था। परिवादी का आवेदन इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना में जुड़वाकर पंचायत समिति से तकमीना तैयार कर स्वीकृति हेतु पत्र दिनांक 14.09.2017 से जिला परिषद को भिजवाया गया यानी ग्राम पंचायत, बोया के स्तर पर सम्भव कार्यवाही कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(754)लोआस/2016

परिवादी श्री मुश्ताक मो0 से दिनांक 07.03.2017 को कोटा कैम्प में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने सेवानिवृत्ति के के उपरान्त पेंशन एवं उससे सम्बन्धित परिलाभ दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 14.02.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री मुश्ताक मो0 (सेवानिवृत्त ग्राम सेवक) के पेंशन प्रकरण में सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा से पीपीओ सं. 1066485 (आर) जारी होकर पेंशन स्वीकृत कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी की समस्या का निराकरण हो जाने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(767)लोआस/2016

परिवादी श्री उत्कर्ष कौशिक से दिनांक 07.03.2017 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, संगरिया में ग्राम सेवक के पद पर रहते हुए उसके पिता की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु किये गये आवेदन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर उपर्युक्त अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 14.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विभागीय पत्र दिनांक 27.05.2017 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ को जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में कनिष्ठ लिपिक के पद पर श्री उत्कर्ष कौशिक के लम्बित प्रकरण में नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की सहमति दे दी गई है और इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, हनुमानगढ़ से दिनांक 12.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कार्यालय आदेश दिनांक 01.08.2017 के द्वारा परिवादी श्री उत्कर्ष कौशिक को कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.09.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(768)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील कुमार से दिनांक 17.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, मेहरादासी (जिला झुन्झुनूं) के सरपंच एवं

ग्राम सेवक द्वारा उसकी फर्म मीरा इंजीनियर्स को सामग्री की आपूर्ति पेटे पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 19.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मेहरादासी द्वारा परिवादी श्री सुनील कुमार को उसकी बकाया राशि 2,50,025/-रु. व 15,995/-रु. कुल 266020/-रु. का बकाया भुगतान कर दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(772)लोआस/2016

परिवादी श्री कलुवाराम मीना से दिनांक 09.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम दादनपुर (जिला करौली) में गत दो वर्षों से मुख्य रास्तों पर नालों व बरसात का पानी भरा होने से राहगीरों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, करौली से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली से करवाई गई जिनसे प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.07.2017 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडाभीम एवं तहसीलदार, टोडाभीम द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रश्नगत रास्ते में भरे पानी को निकलवा दिया गया है। पानी भराव स्थल पर मोरम डालकर रास्ते को दुरूस्त करवा दिया गया है

और भविष्य में उक्त समस्या की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु ग्राम पंचायत, मान्नौज द्वारा नाली निर्माण एवं सीसी रोड़ निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है यानी परिवादी की शिकायत का समाधान हो गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(795)लोआस/2016

परिवादी श्री धनराज जैन से दिनांक 09.03.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, देवगाँव के सरपंच/सचिव एवं पंचायत, समिति, केकड़ी के विकास अधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाया कि वे उसकी फर्म अरिहन्त सीमेन्ट सप्लायर्स, केकड़ी द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की निविदा के दौरान जमा की गई धरोहर राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 05.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केकड़ी ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2017 से अवगत करवाया कि अरिहन्त सीमेन्ट सप्लायर्स की ग्राम पंचायत, देवगाँव की वर्ष 2013-14 की अमानत राशि 62,000/-रु. का डी.डी. एवं 93,000/-रु. रोकड़ और वर्ष 2014-15 की राशि 22,000/-रु. का डी.डी. यानी कुल 2,17,000/-रु. का भुगतान ग्राम पंचायत के वाउचर सं. 130/31.03.2017 के द्वारा किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 11.08.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(17)लोआस/2017

परिवादी श्री रणवीर सिंह यादव से दिनांक 10.04.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि फरवरी, 2015 तक उसे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं मिलता रहा लेकिन उसके पश्चात् उसकी जानकारी के बिना उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया गया। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं एसडीएम, नीमराना को प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसने फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 20.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में उपखण्ड अधिकारी, नीमराना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री रणवीर सिंह से खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाकर बाद जाँच अपील सं. 16/2017 में दिनांक 02.11.2017 को पारित आदेश के अनुसार आवेदन-पत्र स्वीकार उसका नाम ग्राम पंचायत, श्रीयानी (पंचायत समिति, नीमराना) की खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में सम्मिलित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(51)लोआस/2017

परिवादी श्री ओम प्रकाश मीणा से दिनांक 26.04.2017 को प्राप्त परिवाद अनुसार उल्लेख किया गया कि ग्राम खेड़ली में मीणों की ढाणी में स्थित बोरवैल का ग्राम पंचायत द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व से बिजली का बिल जमा नहीं करवाने से उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया जिससे लोगों को पानी की भारी समस्या का सामना कर पड़ रहा है। इसके

बारे में सरपंच एवं सम्बन्धित विकास अधिकारी को कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, अतः बोरवैल का विद्युत कनेक्शन वापस लगवाकर लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाये।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 26.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मामले की जाँच में पाया गया कि मीणाओं की ढाणी में स्थित बोरिंग चालू है। बोरिंग का जो विद्युत बिल बकाया था, उसे ग्राम पंचायत द्वारा जमा करवा दिया गया है और अब आम जन को बोरिंग से पीने के लिये पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तथा इसकी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त नहीं है। इस वस्तुस्थिति को परिवादी द्वारा सही होना स्वीकार किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी की समस्या का समाधान हो जाने पर पत्रावली दिनांक 13.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(66)लोआस/2017

परिवादी श्री चम्पतराय जैन से ऋषभदेव कैम्प में दिनांक 08.05.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ऋषभदेव के सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने ग्राम धुलेव (ऋषभदेव) लोहारवाड़ा में स्थित उसके पुश्तैनी मकान व भूखण्ड का बापी पट्टा फर्जी तरीके से उसके पड़ौसी मोहन लाल भोई की पुत्रवधू श्रीमती कौशल्या देवी के नाम जारी कर धोखाधड़ी की है, इस कारण पट्टे को निरस्त कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 28.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, ऋषभदेव द्वारा

की गई जिनकी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, ऋषभदेव द्वारा प्रश्नगत पट्टे का शुद्धिकरण किया गया है। शिकायतकर्ता श्री चम्पतराय जैन को उनके मकान का बापी पट्टा पूर्व में जारी किया जा चुका है। उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 128/19.07.2017 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, ऋषभदेव को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का शुद्धिकरण करने का प्रावधान न होने से प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करवाने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अधीन जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 26.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में ग्राम पंचायत, ऋषभदेव द्वारा श्रीमती कौशल्या देवी के पक्ष में जारी पट्टे के निरस्तीकरण हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष निगरानी याचिका सं. 2/2017 बउनवान ग्राम पंचायत, ऋषभदेव बनाम श्रीमती कौशल्या भोई प्रस्तुत कर दी गई है जिसके अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से इस सचिवालय को **यथासमय** अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(67)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती राजेश्वरी सालवी से दिनांक 08.05.2017 को ऋषभदेव (उदयपुर) कैम्प में प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, कल्याणपुर (तहसील, ऋषभदेव) द्वारा उसके स्वयं के मकान का बापी पट्टा नहीं बनाने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 11.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, कल्याणपुर के पत्र दिनांक 06.10.2017 के अनुसार परिवादी श्रीमती राजेश्वरी सालवी को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 9564/ 20.09.2017 जारी कर दिया गया। इस वस्तुस्थिति को परिवादी द्वारा सही होना स्वीकार किया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 18.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(91)लोआस/2017

परिवादी श्री डूगरा राम से दिनांक 12.05.2017 को बाड़मेर शिविर में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सरली (हाल पंचायत समिति, बाड़मेर) द्वारा वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि में गाँवों में किये गये विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार व गबन करने का आरोप लगाते हुए मामले में जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शिकायत के एक बिन्दु से सम्बन्धित शिकायत सही पाई गई तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित फर्म से ब्याज सहित 40,592/-रु. की वसूली के सम्बन्ध में विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 16.01.18 व 01.02.18 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म से ब्याज सहित कुल राशि 40,592/-रु. की वसूली हो चुकी है और टांका निर्माण कार्य नरेगा वर्ष 2010-11 में होने से सॉफ्टवेयर से हटाया जा चुका है, इस कारण अब पुनः टांका निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(98)लोआस/2017

परिवादीगण श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा व अन्य से दिनांक 17.05.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि जिला कलक्टर, दौसा द्वारा ग्राम सहजपुरा चारागाह भूमि खसरा सं. 8 रकबा 8.3 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बावजूद विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई और सरपंच, ग्राम पंचायत, कोलाना द्वारा अपनी हठधर्मिता के कारण उन्हें पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 27.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि आवेदकों ने तथ्य छिपा कर खुद को भूमिहीन एवं घुमन्तू जाति का बताकर ग्राम सहजपुरा की चारागाह भूमि में से गलत आवंटन करवा लिया और ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों एवं अन्य ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.05.2017 के प्रस्ताव सं.4 में पट्टे जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में परिवादीगण से आपत्तियाँ आहूत करने पर उनसे दिनांक 01.12.2017 को प्राप्त आपत्तियों में यह उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत, कोलाना में उनमें से किसी के पास खातेदारी भूमि नहीं होकर वे भूमिहीन हैं और वे गाड़िया लोहार होकर घुमन्तू जाति के हैं। इन आपत्तियों के सम्बन्ध में विभाग को परिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने का निर्देश दिया गया। इस पर स्वयं परिवादीगण से दिनांक 05.02.2018 को प्राप्त पत्र के अनुसार यह अवगत

करवाया गया कि ग्राम पंचायत, कोलाना द्वारा उनकी पट्टों की समस्या का समाधान दिनांक 29.01.2018 को कर दिया गया है और अब उन्हें ग्राम पंचायत से पट्टा वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(127)लोआस/2017

परिवादी श्री दिनेश कुमार मेघवाल से दिनांक 30.05.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, कैलाश नगर (सिरोही) में पंचायत सहायक भर्ती में उसके व अन्य अभ्यर्थियों के अधिक योग्य होने के बावजूद प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्वक चयन समिति के सदस्यों को गुमराह करके अपने चहते आवेदकों को साक्षात्कार में मनमर्जी से नम्बर देकर उनका चयन कर लिये जाने पर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करवाकर अब इसमें पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए प्रक्रिया को पुन: सम्पादित करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही से दिनांक 23.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के परिवाद का परीक्षण किये जाने पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दिनांक 20.09.2017 को पारित निर्णय के अनुसार एसडीएमसी द्वारा पूर्व में किये गये पंचायत सहायकों के चयन को निरस्त किया गया और विभागीय निर्देशानुसार पुन: कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये। इस वस्तुस्थिति को परिवादी द्वारा सही होना स्वीकार किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(130)लोआस/2017

परिवादी श्री मिश्रीदास वैष्णव से दिनांक 29.05.2017 को जैतारण कैम्प में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सांगावास (पंचायत समिति, जैतारण) के गाँव झुझण्डा में गैर मुमकिन रास्ता व तालाब आदि की भूमि पर धमेन्द्र काला वगैरह द्वारा किये गये अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने पर उपर्युक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, पाली से दिनांक 05.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, जैतारण के द्वारा दिनांक 19.09.2017 को टीम का गठन कर ग्राम झुझण्डा में गैर मुमकिन रास्ते व तालाब में लोगों द्वारा किये गये कब्जा को हटाने की कार्यवाही कर खसरा सं. 240 रकबा 0.01 बीघा किस्म गैर मुमकिन बाळा एवं खसरा सं. 225 रकबा 6.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन तालाब की भूमि से सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत खसरा सं. 113 रकबा 2.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर फसल के रूप में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन कार्यवाही करके उनके विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित होने पर फसल नीलामी की कार्यवाही के पश्चात् उनको भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.01.2018 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(204)लोआस/2017

परिवादी श्री रामावतार मीना से दिनांक 22.06.2017 को करौली कैम्प में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडाभीम द्वारा उसे शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली से दिनांक 15.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी को शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि 12,000/-रु. का भुगतान एफटीओ के माध्यम से कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.01.2018 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(226)लोआस/2017

परिवादी श्री देवीलाल खोखटिया से दिनांक 04.07.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने इन्दिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत आवास का निर्माण पूरा कर लिया लेकिन इस सम्बन्ध में पंचायत समिति, झाड़ोल के बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें आज तक इस योजना की द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुई।

परिवादी से प्राप्त परिवाद के साथ संलग्न उसका शपथ-पत्र नियमानुसार सत्यापित न होने से मूल शपथ-पत्र उसे सत्यापन हेतु लौटाया गया किन्तु उससे प्राप्त न होने उसके परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 04.09.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

तत्पश्चात् इस मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री देवीलाल खोखटिया को इन्दिरा आवास योजना में निर्मित मकान की द्वितीय व तृतीय किश्त की राशि (क्रमशः 42,000 व 15,000/-रु.) का भुगतान कर दिया गया है यानी इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित उपचार उपलब्ध हो गया।

एफ.12(304)लोआस/2017

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह चूण्डावत से दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पेंशन उठाने के मामले में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी राशमी से करवाई गई जाँच में दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 16.06.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का आदेश विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी को देने के बावजूद उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध आज तक प्र.सू.रि. दर्ज नहीं करवाई गई है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी के पत्र दिनांक 07.09.2017 के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थियों के विरूद्ध पुलिस थाना, राशमी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471 व 420 सपठित 120बी के अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 142/06.09.2017 दर्ज करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(341)लोआस/2017

परिवादी श्री राजेन्द्र बलाई से दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने वर्ष 2015 में शौचालय निर्माण की अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, भगेगा (पंचायत समिति, नीमकाथाना व जिला सीकर) के समक्ष आवेदन किया था जो उच्चाधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया परन्तु उसे उक्त राशि का भुगतान जून, 2017 तक नहीं हुआ, वहाँ मामले की जाँच करवाकर उसे शौचालय निर्माण की अनुदान राशि का भुगतान करवाया जाये।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री राजेन्द्र बलाई के परिवाद के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना से प्राप्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 16.10.2017 के अनुसार परिवादी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना के अन्तर्गत निर्मित शौचालय की राशि 12,000/-रु. का भुगतान हो गया एवं प्रार्थी ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि स्वच्छ भारत मिशन में निर्मित शौचालय का भुगतान हो गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(435)लोआस/2017

परिवादी श्री जगदीश सिंह से दिनांक 06.08.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, तिगाँवा (पंचायत समिति, कोटकासिम, जिला अलवर) के सरपंच व सचिव के विरूद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने उसके द्वारा ठेकेदार के रूप में किये गये विकास कार्यों के लेबर एवं सामग्री के प्रदान के 17,50,000/-रु. का भुगतान करीब डेढ वर्ष से रोक रखा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 19.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में 71,35,917/-रु. की सामग्री की आपूर्ति की गई थी जिसका ग्राम पंचायत, तिगाँवा द्वारा सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और अब कोई राशि शेष नहीं है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(456)लोआस/2017

परिवादी श्री रमेश कुमार जाट से दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ख्याली (जिला चूरू) के पदाधिकारियों के विरूद्ध मनरेगा में करवाये गये कार्यों के जॉब कार्ड्स में फर्जी अंगूठा लगाकर राशि का गबन करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से दिनांक 08.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ से करवाई गई जिनसे प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत

प्रमाणित पाये जाने पर दोषी रोजगार सहायक श्री दिनेश कुमार के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन 1,000/-रु. शास्ती से दण्डित कर ग्राम पंचायत, ख्याली से हटाकर ग्राम पंचायत, रतनपुरा में पदस्थापित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 11.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(462)लोआस/2017

परिवादी श्री भँवर सिंह नाथावत से दिनांक 23.10.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने गाँव नांगल बिचपड़ी के राजपूत मौहल्ला में स्थित सार्वजनिक कुएं में स्थानीय निवासियों द्वारा गन्दा पानी डालकर उसके पानी को दूषित करने की शिकायत करते हुए ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के विरूद्ध अकर्मण्यता का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से दिनांक 22.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, जालसू श्री राकेश बुनकर द्वारा मौका निरीक्षण करने पर प्रश्नगत कुआ ऊपर पट्टियों से ढका हुआ पाया गया जिसमें आस-पड़ौस के घरों का गन्दा पानी जर्जर दीवार से कुएं में आना पाया गया। मामले में ग्राम पंचायत, नांगल बिचपड़ी द्वारा दिनांक 08.01.2018 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें गन्दा पानी बंद किये जाने एवं कार्यवाही से संतुष्ट होने का उल्लेख किया गया। स्वयं परिवादी एवं अन्य वार्ड वासियों के भी हस्ताक्षर मौका कार्यवाही फर्द पर करवाये गये।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में परिवादी श्री भँवर सिंह नाथावत से उनके सेलफोन (9799241299) पर वार्ता करने पर उन्होंने इसे सही होना

बताया और यह प्रकट किया कि अब सार्वजनिक कुएं में गन्दा पानी नहीं गिरता है तथा उनकी समस्या का समाधान हो गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(506)लोआस/2017

परिवादी श्री द्वारका प्रसाद से दिनांक 15.11.2017 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने उनकी व उनकी पत्नी की माह जून, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की बकाया वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से दिनांक 10.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री द्वारका प्रसाद एवं उसकी पत्नी श्रीमती गोमती देवी को वृद्धावस्था पेंशन पी.पी.ओ. सं. क्रमशः 04450360 व 0444992 का भुगतान उनके बैंक खाता में माह जून, 2016 से माह दिसम्बर, 2016 की अवधि का कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.01.2018 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.14(6)लोआस/2017

परिवादी श्री गुरूचरण सिंह, 512, देवली हाऊस, बाईजी का तालाब, जोधपुर द्वारा मूल रूप से ऑटोरिक्शा परमिट का नवीनीकरण नहीं किए

जाने को लेकर जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 11.10.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने के पश्चात् दिनांक 14.7.2017 को अतिरिक्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जोधपुर द्वारा अनुज्ञा-पत्र पर नये वाहन का प्रतिस्थापन एवं अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण स्वीकृत कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 30.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(8)लोआस/2016

परिवादी श्री कन्हैया लाल नागदा पुत्र श्री शंकर लाल जी नागदा, निवासी ग्राम पोस्ट बूझड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर ने वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण देशी सागवान की लकड़ी अवैध रूप से आरा मशीन द्वारा काटे जाने एवं जिला प्रशासन द्वारा अनियमित रूप से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम काटे जाने का परिवाद दर्ज करवाया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में उप वन संरक्षक, उदयपुर ने पत्र दिनांक 29.11.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि जाँच में आरा मशीन के परिसर में मौके पर देशी सागवान नहीं पाया गया। परिवादी के नाम को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उदयपुर ने पत्र दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अवगत करवाया है कि परिवादी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 13.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(17)लोआस/2016

परिवादी श्री वृद्धिचन्द करवा, वार्ड नं. 13, छापर, सुजानगढ़, जिला चूरू ने श्री डूंगरबालाजी के रास्ते में गोपालपुरा पहाड़ी पर बनी सड़क स्थाई रूप से बंद कराने एवं दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कराने का परिवाद दर्ज कराया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने पत्र दिनांक 04.07.2017 के द्वारा अवगत कराया कि पहाड़ी पर बने रास्ते पर आवागमन को पूर्ण रूप से बन्द करा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 23.08.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(32)लोआस/2016

परिवादी श्री खेताराम कालमा, वार्ड नं. 22, कालमा भवन, बालोतरा, जिला बाड़मेर द्वारा जिला परिषद सदस्य की हैसियत से मृतकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं देने तथा राजेश्वर कंस्ट्रेशन कम्पनी एवं लालाराम मेघवाल की डिक्रिटल राशि का भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में उप वन सरंक्षक, बाड़मेर के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सम्बन्ध में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 20.2.2017 से

अवगत करवाया कि आश्रिता श्रीमती नारायणी देवी पत्नी स्व. श्री मीठालाल, श्रीमती ऐलमा पत्नी स्व. श्री फोटे खां एवं आश्रित श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा विलम्ब से आवेदन किए जाने से शिथिलन की स्वीकृति हेतु मामला राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है तथा आश्रित श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिंह राजपूत को अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मामला कार्मिक विभाग को भिजवाया हुआ है।

तत्पश्चात् वन विभाग ने पत्र दिनांक 7.3.2017 से यह अवगत करवाया कि श्री लालाराम को डिक्रिटल राशि रूपए 15,312/- का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार पत्र दिनांक 16.3.2017 से अवगत करवाया कि राजेश्वर कंस्ट्रेक्शन कम्पनी को 500 बैग सीमेन्ट सप्लाई की राशि रूपए 1,47,500/- रूपए का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 3.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(44)लोआस/2016

परिवादी श्री सुदेश कुमार पालीवाल, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वर्ष 2014 में ओजोन दिवस कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान स्वयं के स्तर पर व्यय किए गए 50,000 रूपए का पुनर्भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.8.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी को उक्त प्रश्नगत राशि 50,000/- रूपए का भुगतान जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 370156 दिनांक 14.6.2017 को कर

दिया गया है। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं परिवादी ने दूरभाष पर करते हुए इस सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 29.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(4)लोआस/2017

परिवादी श्री कजोड़ गुर्जर, निवासी कांटोली, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा परिवाद में निवेदन किया कि उसके द्वारा वन विभाग के आदेश के तहत वर्ष 2013-14 में पौधे आदि लगाने का कार्य किया गया था। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर वनपाल श्री रमेश शर्मा व वन प्रसार अधिकारी श्री सीताराम शर्मा के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.08.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री कजोड़ गुर्जर को बकाया राशि रूपये 42,000/- का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 01.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(22)लोआस/2017

परिवादी श्री सुदेश कुमार पालीवाल, 352, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा मुख्य रूप से दिनांक 31.3.2015 को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी बकाया यात्रा बिलों की

कुल राशि 9359 रूपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दिनांक 24.7.2017 को शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सुदेश कुमार पालीवाल को प्रश्नगत यात्रा बिल की कुल राशि 9,359/- रूपए का भुगतान दिनांक 29.9.2017 को कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 10.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(03)लोआस/2001

परिवादी शान्तिलाल जैन, 32 समेगीयों की पाटी, पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि महावीर नगर योजना, पाली के भूखण्ड सँख्या 155 व 156 के स्वामीगण द्वारा पट्टे से अधिक भूमि पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया गया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 21.02.2017 से अवगत करवाया कि श्री प्रवीण कुमार एवं श्री दिनेश कुमार द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि से 1123 वर्ग फुट अधिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद, पाली द्वारा हटवाकर कब्जे में ले लिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 22.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(71)लोआस/2008

श्री संजय गोठवाल, निवासी 29, झिनीरेत की गली, उदयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में प्राथमिकता के आधार पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भू-खण्ड आवंटन किये जाने के राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद प्रन्यास के अध्यक्ष, सचिव एवं भू-खण्ड आवंटन समिति के अध्यक्ष द्वारा मिलीभगत कर 96 पत्रकारों को नियम विरूद्ध भू-खण्डों के आवंटन के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में नगर सुधार न्यास एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से पत्राचार करने पर प्रेषित जाँच रिपोर्ट के अनुसार समस्त आवंटनों में से एक आवंटन नियम-विरूद्ध पाये जाने पर उसे निरस्त किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलरूवरूप नियम-विरूद्ध किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(45)लोआस/2010

परिवादी फेनाराम, निवासी कोरियों का बास, आशापुरा रोड, पोकरण, जिला जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि सेवापुरी धूणामार्ग पर अतिक्रमण होने की शिकायत करने के बावजूद नगरपालिका, पोकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पोकरण (जैसलमेर) द्वारा पत्र दिनांक 02.02.2018 से अवगत करवाया कि सेवापुरी धूणा रोड पर सरकारी भूमि में भंवरलाल, मांगीलाल, अम्बालाल व भगाराम द्वारा किए गए अतिक्रमण

को पालिका द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया है तथा उसका मलबा भी पूरी तरह हटवा कर पालिका सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 15.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(70)लोआस/2012

परिवादी श्री हरीश चण्डक, निवासी कल्याणपुरा मार्ग नं.5, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि होटल मरूधरा पैलेस, बाड़मेर के स्वामी ने अवैध पट्टा प्राप्त करके स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण किया है तथा अवैध रूप से मोबाइल टावर लगवाया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 03.05.2017 से अवगत करवाया कि तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड, बाड़मेर की बैठक दिनांक 24.01.2012 में प्रश्नगत होटल के निर्माण/सेटबैक व पार्किंग पर किये गये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की अनुपालना में होटल मालिक द्वारा शास्ति सहित कुल राशि 9,10,940/- रूपए दिनांक 21.0.2013 को जमा करवाये गये। आवेदक को वर्ष 2008 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी। विवादित परिसर शहर के सघन आबादी क्षेत्र में स्थित है। निर्माण स्वीकृति जारी करते समय बिल्डिंग बॉयलाज अधिसूचित नहीं थे। जीरो सैटबैक पर भवन निर्माण स्वीकृतियाँ जारी की जाती थीं। आयुक्त ने पत्र दिनांक 25.11.2016 से यह भी अवगत करवाया कि प्रश्नगत होटल पर बिना स्वीकृति मोबाइल टावर लगाने बाबत होटल मालिक के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में माँग-पत्र राशि

1,30,000/- रूपए दिनांक 25.11.2016 को जमा करा देने पर परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति मय अनुज्ञा-पत्र जारी कर दी गई। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने दिनांक 12.05.2017 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उसके परिवाद में की गई जाँच से पूरी तरह सन्तुष्ट होते हुये इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के लिए आभार भी प्रकट किया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 20.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(32)लोआस/2013

परिवादी अनिल चुघ, 4-डी-22 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा मुरब्बा नम्बर 49, किला नम्बर-1 के स्वामीगण की भूमि का गलत भू-उपयोग परिर्वतन किया है एवं उक्त मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 व 2 में व्यावसायिक भूखण्ड पर अवैध निर्माण किया गया है। परिवादी ने स्वयं की दुकान का पट्टा जारी करवाने की प्रार्थना की है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 22.03.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी के भूखण्ड का पट्टा दिनांक 30.11.2015 को नियमानुसार जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 03.11.2017 से अवगत करवाया गया है कि मैसर्स मारूति नंदन के अवैध निर्माण को दिनांक 05.10.2017 को सीज कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(79)लोआस/2013

परिवादी सुभाष चन्द गल्होत्रा जरिये विकास ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मेन बाजार, अनूपगढ़ जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके द्वारा आम नीलामी में मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़ से पूर्वी तहबाजारी की दुकान संख्या 8-ए खरीदी गई थी। सुभाष पुत्र बूलचन्द से मिलीभगत कर नगरपालिका, पीलीबंगा के कार्यकारी अधिशाषी अधिकारी राकेश ने पिता का नाम मोहनलाल लिख दिए जाने बाबत झूंठा शपथ-पत्र लेकर उस दुकान को हड़पने के लिऐ स्थानीय अखबार में विज्ञापन निकलवा दिया। कूटरचित व फर्जी शपथ-पत्र के सम्बन्ध में सुभाष चन्द पुत्र बूलचन्द व अधिशाषी अधिकारी श्री राकेश के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने एवं परिवादी को दुकान कब्जा दिलाकर लीज-डीड बनवाने की प्रार्थना की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ने पत्र दिनांक 17.06.2015 से अवगत करवाया कि सुभाषचन्द पुत्र बूलचन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 266/13 पुलिस थाना, पीलीबंगा में अनुसन्धान के पश्चात न्यायालय में चालान पेश किया गया। तत्पश्चात पत्र दिनांक 05.10.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी सुभाष को दिनांक 11.07.2017 को उसकी दुकान का कब्जा सम्भला दिया है एवं दिनांक 3.10.2017 को रजिस्ट्री/लीज-डीड भी उसके पक्ष में करवा दी गई है। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने दिनांक 27.10.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके परिवाद में की गई जाँच से पूरी तरह सन्तुष्ट होते हुये इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के लिए आभार भी प्रकट किया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 08.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(104)लोआस/2014

परिवादी केशव सिंह, सचिव, नागरिक जन समस्या समाधान समिति, 1786 दीवान भागचंद की गली, तेली-पाड़ा, चौड़ा रास्ता, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि ''रतन श्री हाउस'' 2313, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर में नियम विरूद्ध अवैध रूप से व्यावसायिक प्रकृति का निर्माण करके व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, हवामहल जोन-पश्चिम, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.09.2017 से अवगत करवाया कि भवन को दिनांक 05.09.2017 को 240 दिवस के लिए सीज कर दिया गया है तथा इस प्रकार व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन बन्द हो गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 03.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(215)लोआस/2014

परिवादी श्री बृजेश धाभाई, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि बालाजी के रास्ते में

दुकानदारों ने दोनों तरफ पट्टियां व काउन्टर बढ़ाकर रास्ते को संकरा कर दिया है, जिससे आवागमन में बाधा हो रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, हवामहल जोन (पूर्व), नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.12.2016 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत रास्ते में दुकानदारों द्वारा पट्टियां, काउन्टर व सीढ़ियां लगाकर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को मौके पर जाकर ध्वस्त कर हटा दिया गया है, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न किये जा रहे हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 24.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(498)लोआस/2014

परिवादी अशोक कुमार शर्मा, 4806, सोतियों की गली, तीसरा चौराहा, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि मकान नम्बर 4806, सोतियों की गली, तीसरा चौराहा, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर में आवासीय परिसर में बाबूलाल दूध व मिष्ठान भण्डार के नाम से व्यावसायिक गतिविधि संचालित हो रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 06.04.2015 से अवगत करवाया कि दुकान मालिक श्रीमती उषा अग्रवाल के विरूद्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 व 285 के अपराध बाबत न्यायालय में चालान पेश किया गया है एवं उपायुक्त, हवामहल जोन (पूर्व) नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 10.11.2017 से

अवगत करवाया कि प्रश्नगत दुकान के आगे चबूतरे पर लगे लोहे के खम्भे पर से प्लास्टिक की चद्दरों को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(645)लोआस/2014

परिवादी बृजनारायण धाबाई, निवासी ई-55, रत्नेश्वर महादेव मन्दिर के सामने, गांधीनगर सेक्टर-5, चित्तौडगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके दिनांक 30.06.2014 को कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, चित्तौडगढ से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात उसकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं की गई है तथा उपार्जित अवकाश व ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौडगढ ने पत्र दिनांक 18.11.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी को उसके अवशेष उपार्जित अवकाश की नगदीकरण राशि 3,26,657/- रूपये एवं ग्रेच्युटी राशि 4,02,158/- रूपये के भुगतान की स्वीकृति जारी कर दी गई है व पत्र दिनांक 12.04.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादी की प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की जाकर पी.पी. ओ. नम्बर 1046086(आरएम) दिनांक 04.01.2017 को जारी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी ने पत्र भेजकर सूचित किया है कि उसे जी.पी.एफ, अवशेष उपार्जित अवकाश, ग्रेच्यूटी का भुगतान प्राप्त हो गया है। दिनांक 01.07.2014 से लगातार प्रोविजनल पेंशन भी प्राप्त हो रही है तथा वह कार्यवाही से पूरी तरह से सन्तुष्ट है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 29.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(680)लोआस/2014

परिवादी कैलाश सैनी पुत्र कल्याण सैनी, निवासी-3 एमए, 232 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उनके पड़ोसी मकान नम्बर 3/एमए/231 के मालिक विजय विश्नोई द्वारा अपने मकान में अवैध रूप से रिहायशी मकान को तोड़कर भूतल का निर्माण किया गया है एवं वाणिज्यिक दुकान बनाई जा रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आवासीय अभियन्ता, खण्ड-11, रा0आ0म0, जयपुर ने पत्र दिनांक 13.10.2017 से अवगत करवाया कि इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में आवास संख्या 3/एमए/231 व परिवादी के आवास संख्या 3/एमए/232 में आवंटियों द्वारा किए गए अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। तत्पश्चात् यह भी अवगत करवाया कि बेसमेंट को बन्द कर दिया है तथा तोड़े गए भाग को अनुपयोगी कर दिया है। आवास में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चल रही है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 21.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(845)लोआस/2014

परिवादी श्री मयंक वर्मा निवासी सी-339 मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि विनोबा बिहार

योजना के पार्क में ग्यारसीलाल मीणा द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दीवार को तोड़ दिया गया। आगे यह भी शिकायत की गई कि उस पार्क में अपना बोर्ड लगा दिया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 04.06.2015 से अवगत करवाया कि पार्क में ग्यारसीलाल मीणा द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया जाकर सुरक्षार्थ चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है। चार दीवारी तोड़ने पर उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी क्रम में पत्र दिनांक 20.02.2018 से यह अवगत करवाया गया कि पार्क में ग्यारसीलाल मीणा द्वारा लगाए गए बोर्ड को हटा दिया गया एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं होने देने के लिए सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी को पाबन्द कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण 20.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(862)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती अनीता मीणा निवासी ई-731, गुप्ता स्टोर के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके प्लाट संख्या-5 जी, बाईस गोदाम, कच्ची बस्ती, जयपुर के सम्बन्ध में वांछनीय सभी राशि व दस्तावेज नगर निगम, जयपुर में जमा करवाने के बावजूद पट्टा व साइट-प्लान नहीं दिया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.12.17 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा दिनांक

07.12.17 को तैयार कर दिया गया। इस सन्दर्भ में दिनांक 12.12.2017 को परिवादी से इस सचिवालय में पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसने उसके भूखण्ड का पट्टा प्राप्त हो जाना स्वीकार करते हुये इस सम्बन्ध में इस सचिवालय की कार्यवाही के लिये आभार एवं धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 13.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(871)लोआस/2014

परिवादी श्री दौलाराम कीलका, आर.पी.एस. (रिटायर्ड), निवासी मिर्धानगर, कुचामन सिटी, नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके मकान के पीछे श्री हणुताराम किलकिला के आवासीय मकान में ''पारस छात्रावास'' के नाम से अवैध छात्रावास चल रहा है, जिसके छात्र हर समय शोर-शराबा करते हैं। नाली में कचरा डालकर गन्दगी फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं एवं आने-जाने वाली महिलाओं पर अशोभनीय एवं अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। इस सम्बन्ध में सभी विभागों व अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने पत्र दिनांक 07.12.2015 से अवगत करवाया कि छात्रावास का बोर्ड हटा दिया गया है। इसी क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुचामनसिटी ने पत्र दिनांक 01.12.2016 से यह भी अवगत करवाया कि प्रश्नगत मकान के स्वामी हणुताराम आदि के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 182, 233 व 285 सपठित धारा 298 के अन्तर्गत इस्तगासा पेश कर दिया गया है तथा पत्र दिनांक 08.05.2017 से अवगत करवाया कि भवन मालिक द्वारा

लिखकर दिया गया है कि भवन में उसके परिवार व रिश्तेदार के बच्चे ही निवास करते हैं एवं छात्रावास संचालित नहीं हो रहा है। नगरपालिका ने यह भी सूचित किया कि वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भवन का संस्थानिक/ व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी ने पत्र दिनांक 14.06.2017 से उसकी पीड़ा का निवारण हो जाना व परिवाद के सम्बन्ध में अब कोई आपत्ति नहीं होना सूचित किया है तथा इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के लिये कोटिशः हार्दिक आभार भी प्रकट किया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 29.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(08)लोआस/2015

परिवादीगण सलामती एवं मैमूना बानो, निवासी बी-97 सादुलगंज, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का सार यह है कि मकान नम्बर बी-97, सादुलगंज बीकानेर में से 28x30 कुल 840 वर्ग फुट जमीन दिनांक 13.05.2011 को अमीनखाँ से खरीदी थी, जिसके नामान्तरण हेतु नगर सुधार न्यास में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अभी तक नामान्तरण नहीं किया गया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा पत्र दिनांक 12.10.2017 से अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में प्रकरण में उप-विभाजन की स्वीकृति व नक्शा दिनांक 05.10.17 को जारी किया जा चुका है एवं इसी सन्दर्भ में पत्र दिनांक 10.01.18 से अवगत करवाया गया कि परिवादी सलामती बानो को एन.ओ.सी. शास्ति के शुल्क के 8000/- रूपये नामान्तरण शुल्क की राशि 1,000/-

रूपये जमा करवाने हेतु पत्र दिनांक 01.10.2017 को भेजा जा चुका है। वांछनीय राशि जमा होने पर उसके पक्ष में नामान्तरण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 21.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(24)लोआस/2015

परिवादी श्री लीलाधर भार्गव निवासी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के विरूद्ध सार्वजनिक रास्ते व चौक पर किये गये अनाधिकृत निर्माण व अतिक्रमण के विषय में कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06-04-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि वार्ड नम्बर 18, भार्गव चौक, बस-स्टेण्ड के पास सार्वजनिक रास्ते एवं चौक पर किये गये अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन एवं मौका मजिस्ट्रेट की सहायता लेकर हटा दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 26-05-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(75)लोआस/2015

परिवादी श्री रूपाराम आदि निवासी- हनुमान चौक, बाड़ी कुआं, नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आयुक्त, नगर परिषद, नागौर के विरूद्ध श्रीमती दुर्गादेवी के सार्वजनिक चौक व रास्ते की भूमि पर किये गये

अतिक्रमण को लिखित में शिकायत करने के बावजूद नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, नागौर द्वारा पत्र दिनांक 13.06.2017 व 14.06.17 से यह अवगत करवाया गया कि श्रीमती दुर्गादेवी द्वारा सार्वजनिक चौक की 21.83 वर्गगज भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर नगर परिषद द्वारा पक्की सी.सी. रोड़ का निर्माण करवा दिया गया है तथा दुर्गादेवी की कब्जेशुदा 46.98 वर्गगज भूमि का परिषद की खांचा भूमि आवंटन समिति के निर्णय की अनुपालना में नियमानुसार देय राशि 3,00,667/- रूपए परिषद में जमा करवा देने पर नियमन कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी रूपाराम आदि को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 14.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(81)लोआस/2015

परिवादी श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी निवासी- 23, चन्द्र पथ, सूरजनगर (प0), सिविल लाइन्स, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसने इनकम-टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर की अजमेर रोड व सिविल लाइन्स के मध्य स्थित इनकम-टैक्स कॉलोनी योजना में भूखण्ड संख्या-23 खरीदा था। इसका पट्टा प्राप्त करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में राशि 44,064/- रूपए जमा करवाने के बावजूद अभी तक पट्टा जारी नहीं किया गया और जयपुर विकास प्राधिकरण ने राशि 2,97,637/-रूपए जमा कराने हेतु अवैध रूप से माँग-पत्र जारी किया है। परिवादी ने उसका पट्टा जारी करवाने व दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 21.06.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा माँग-पत्र की राशि प्राधिकरण कोष में जमा करवा देने के उपरान्त उसके भूखण्ड का पट्टा दिनांक 15.05.2017 को नियमानुसार जारी कर परिवादी को उपलब्ध करवा दिया गया। इस सन्दर्भ में दिनांक 12.09.2017 को परिवादी से इस सचिवालय में पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसने उसके भूखण्ड का पट्टा प्राप्त हो जाना स्वीकार करते हुये इस सम्बन्ध में इस सचिवालय की कार्यवाही के लिये आभार एवं धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(124)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रभात सैनी, निवासी किशोरी पायसा, कामां, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री हेतराम उर्फ पप्पू सैनी ने आम रास्ते की जमीन को दबाकर निर्माण किया है। इसकी शिकायत नगरपालिका, कामां एवं जिला सतर्कता कार्यालय, भरतपुर में करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर ने पत्र दिनांक 12.01.2017 से अवगत करवाया कि नगरपालिका, कामां द्वारा अतिक्रमण को हटा दिया गया तथा सड़क से मलबा भी हटा दिया गया, जिसका नजरी नक्शा भी संलग्न किया जा रहा है। तत्पश्चात् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कामां (भरतपुर) ने पत्र दिनांक 27.01.2017 से

मौके से अतिक्रमण एवं मलबा हटा दिये जाने के फोटोग्राफ्स एवं सी.डी. भी प्रेषित की।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 05.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(129)लोआस/2015

परिवादी श्री कजोड़ सिंह, निवासी 115, नेहरू नगर, 200 फीट रोड़ के समीप, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री केसर सिंह व उसकी पत्नी ने 30 फुट चौड़ी सरकारी सी.सी. रोड़ की 4 फुट जगह पर कब्जा करके पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया। नगर सुधार न्यास, अलवर को शिकायत की गई लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटवाया गया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने पत्र दिनांक 29.04.2016 से अवगत करवाया कि श्री केसर सिंह द्वारा आम सड़क के हिस्से पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया एवं पिलर भी गिरा दिये गए। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि अतिक्रमी ने पुनः पिलर खड़े कर दिये हैं। इस सन्दर्भ में पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने पत्र दिनांक 20.01.2017 से अवगत करवाया कि केसर सिंह द्वारा पुनः किये गये अतिक्रमण को भी दिनांक 30.08.2016 को हटा दिया गया। इसके बाद भी अतिक्रमण करने पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2017 को सम्पूर्ण अतिक्रमण (दीवार, पिलर, गेट इत्यादि) को हटवाया जा चुका है। इस कार्यवाही के फोटोग्राफ्स भी संलग्न किये गये हैं।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 16.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(131)लोआस/2015

परिवादिया वंदना कौल निवासी 631, दादाबाडी, मैनरोड, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि किन्हीं डॉक्टर दीनदयाल वर्मा द्वारा अपने आवासीय भवन की ऊपरी मंजिल पर नगर निगम से स्वीकृति लिए बिना अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 09.10.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड के अवैध निर्माण वाले भाग को दिनांक 29.07.2017 को 180 दिवस के लिए सीज कर दिया गया है तथा पत्र दिनांक 15.11.2017 से यह भी अवगत करवाया कि वर्तमान में सीज किए गए भाग में कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही है व उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 22.12.2017 से यह भी अवगत करवाया कि परिवादिया स्वयं व उसका परिवार बच्चों सहित उसी मकान में निवास कर रहा है। भवन अभी-भी सीज अवस्था में है। स्वयं परिवादिया ने पत्र दिनांक 27.01.2018 से सूचित किया है कि सीज की कार्यवाही न्यायोचित है वह इसी भवन के नीचे वाले हिस्से में निवास करती है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 08.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(205)लोआस/2015

परिवादी सतीश साहनी निवासी मकान नम्बर 29/89, संगम रेस्टोरेण्ट के पास, गुमानपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके मकान के पड़ौस में बाबूखाँ ने सरकारी जमीन (भू-पट्टी) पर काफी कचरा, मलबा डाल दिया है जिससे मकान को खतरा व असुरक्षा हो रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 10.04.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भू-पट्टी पर से कचरा हटा दिया गया है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 29.09.2017 से आयुक्त, नगर निगम, कोटा ने अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर चारदीवारी का निर्माण कार्य भी पूर्ण करा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 03.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(210)लोआस/2015

परिवादी महन्त श्री भारत भूषण भट्ट, मन्दिर गोकुल नाथ जी, मकान नं0-523-24, गैटोर रोड़ की छतरियों के पास, ब्रह्मपुरी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि कमला देवी व उसके दत्तक पुत्र महिपाल सिंह द्वारा मन्दिर के प्रथम चौक में अवैध कब्जा करके तीस से भी अधिक पशुओं को रखकर अवैध रूप से दूध डेयरी का कार्य किया जा रहा है एवं दूध डेयरी को हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.07.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत मन्दिर में से एक गाय व एक सांड को दिनांक 06.06.2016 को पकड़कर हिंगोनिया गौशाला में अवरूद्ध किया गया। तत्पश्चात् उपायुक्त (पशु प्रबन्धन), नगर निगम, जयपुर ने पत्र मय फोटो दिनांक 16.03.2017 से अवगत करवाया कि मौके से तीन जानवरों को हटा दिया गया एवं मौके पर अब कोई डेयरी संचालित नहीं हो रही है। इसकी तस्दीक स्वयं परिवादी ने की।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 16.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(256)लोआस/2015

परिवादी श्री जीवण राम कुमावत, अमरावाली ढाणी, किशनगढ़-रेनवाल जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि गोपाललाल कुमावत द्वारा दायर किए गए दावे का निर्णय व अपील का निर्णय हो जाने के बावजूद न्यायालय के निर्णय में बताए गए अतिक्रमण को नगरपालिका द्वारा नहीं हटाया गया है। कानाराम ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है एवं अतिक्रमणों को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.03.2016 से अवगत करवाया गया कि न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रश्नगत अतिक्रमण वाले भाग को स्वयं अतिक्रमी द्वारा हटा देने से भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है। इसी सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, किशनगढ़-रेनवाल ने पत्र दिनांक 29.08.2016 से अवगत करवाया कि खसरा नम्बर 357 में वर्षो पूर्व के अन्य कब्जाधारियों में से कुछ को पंचायत ने पट्टे दे दिये है। शेष कानाराम

सहित अन्य लोगों की पत्रावलियों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तथा पत्र दिनांक 08.01.2018 से नगरपालिका की साधरण सभा दिनांक 19.04.2017 के निर्णय की प्रति संलग्न कर अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि में पट्टा दिए जाने एवं गोचर भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुताष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 21.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(301)लोआस/2015

परिवादी कृष्णकुमार छीपा, निवासी कुन्हाडी-कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि आदर्श नगर, बून्दी रोड पर महादेव मंदिर के सामने एन.एच.12 पर रिलायंस कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति रिलायंस टॉवर लगा दिया जिससे रेडियेशन का खतरा बना हुआ है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 03.10.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत मोबाईल टावर को कम्पनी द्वारा हटवा दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 01.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(307)लोआस/2015

परिवादी श्री अशोक, निवासी सोजत सिटी द्वारा अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सोजत, जिला पाली के विरूद्ध आवंटित भूखण्ड

का शुद्धि-पत्र जारी नहीं किये जाने व भूखण्ड का कब्जा नहीं दिये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सोजत सटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20-05-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा अन्तर राशि दिनांक 17-11-2016 को जमा करवाये जाने के बाद नियमानुसार प्लाट संख्या 106 का शुद्धि-पत्र जारी कर आवंटन की कार्यवाही कर दी गई है और शुद्धि-पत्र का पंजीयन भी तहसीलदार, सोजत सिटी द्वारा कर दिया गया।

परिवादी द्वारा पत्र दिनांक 17-06-2017 के माध्यम से सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तोष व्यक्त किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 30-06-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(360)लोआस/2015

परिवादी जगदीश प्रसाद पुत्र गिरधारीलाल, निवासी वार्ड नम्बर-5 तारानगर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि मन्दिर श्री नृसिंह, वार्ड नम्बर-5, तारानगर, जिला चूरू के समीप हवेली को तोड़कर उसके भूखण्ड पर अमित अग्रवाल द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के अण्डरग्राउण्ड निर्माण किया गया तथा मंदिर के सामने पानी के टेंक का निर्माण करके अतिक्रमण किया गया एवं अवैध निर्माण जारी है। शिकायत करने पर भी उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सहायक निदेशक (सर्तकता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र दिनांक 01.06.2017 से अवगत करवाया कि अवैध निर्माण को

रूकवाने के लिए कार्यवाही नहीं करने हेतु दोषी लोकसेवक श्री प्रदीप मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री श्याम बिहारी तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री अनन्त कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध जाँच कर आरोप-पत्र प्रस्तावित किये।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 02.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(370)लोआस/2015

प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान पत्रिका के दिनांक 26.09.2015 के अंक में प्रकाशित समाचार ''कागजों में 15 किलोमीटर दूर खिसका दी रिंग रोड़'' में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 258, ग्राम आलीवास, टोंक रोड, तहसील चाकसू में जयपुर विकास प्राधिकरण के ठेकेदार जगदीश द्वारा किए गए कब्जा व अतिक्रमण को प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा नहीं हटवाने तथा कब्जाधारी को बचाने में जुटे रहने के तथ्य वर्णित किए गए। इसलिए उक्त प्रकाशित समाचार के आधार पर ''स्वप्रेरणा'' से प्रकरण दर्ज किया गया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.10.2017 से अवगत करवाया कि मौके पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से दिनांक 27.10.2017 को ध्वस्त किया जा चुका है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 08.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(382)लोआस/2015

परिवादिनी श्रीमती लिस्सी जॉन द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध उसके भूखण्ड संख्या 125 में से 2x50 फीट की भूमि का जबरन कब्जा हटाने के विषय को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा परिवादिनी श्रीमती लिस्सी जॉन, श्रीमती कनक जैन, तहसीलदार, जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर तथा विपक्ष से श्री रूपेश बोहरा को बुला कर व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उभय पक्षों के मध्य समझौता होने पर परिवादिनी श्रीमती लिस्सी जॉन एवं श्रीमती कनक जैन की ओर से सामूहिक सहमति-पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24-07-2017 को परिवादिनी श्रीमती लिस्सी जॉन ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है एवं उसके व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर परिवादिनी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं परिवादिनी के पड़ौसी की संयुक्त व्यक्तिगत सुनवाई के फलस्वरूप परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादी दिनांक 24-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(418)लोआस/2015

परिवादी अशोक मुंजराल निवासी 4-एफ 39, जवाहर नगर, श्री गंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर परिषद, श्री गंगानगर में वर्ष 2015-16 के 13 वार्डों की सफाई के ठेके में भारी भ्रष्टाचार किया गया एवं सफाई कर्मियों के हकों पर कुठाराघात किया गया। ठेकेदार को भुगतान करते समय सफाईकर्मियों का भौतिक सत्यापन

नहीं करवाया गया, उनके भविष्य निधि की राशि भी उनके खाते में जमा नहीं करवाई गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 08.12.2017 से अवगत करवाया कि ठेकेदार फर्म ने पी.एफ. के पेटे देय राशि 19,29,000/- रूपये पी.एफ. विभाग में जमा करवा दिए हैं। ठेकेदार को देय राशि 21,79,763/-रूपये नगर परिषद में जमा है। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार सफाई कर्मियों की राशि 1,55,000/-रूपये के भुगतान की कार्यवाही नगर परिषद द्वारा कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 13.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(419)लोआस/2015

परिवादी श्री नरेन्द्र मिड्ढा द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर के विरूद्ध मकान नंबर 20, बी-ब्लाक, श्रीगंगागनर में श्री विनोद जैन एवं श्री गुरदीप सिंह द्वारा क्रमशः मिष्ठान व दही-भल्ले का व्यवसाय करने एवं उक्त व्यवसाय के संचालन हेतु जनरेटर लगाये रखने से वायु व ध्वनि प्रदूषण होने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 30-02-2016 से अवगत करवाया कि परिवादी की शिकायत पर कार्य बन्द करवा दिया गया एवं जनरेटर को हटा लिया गया। अब मौके पर किसी तरह का 'न्यूसेंस' नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 18-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(434)लोआस/2015

परिवादी हुक्मीचंद लोहिया, निवासी वार्ड संख्या 21, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर परिषद, चूरू के अधिकारियों द्वारा उनकी निजी हवेली का नामन्तरण उनके नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है और न ही हाउस टैक्स की राशि जमा की जा रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, चूरू ने पत्र दिनांक 28.12.2017 से अवगत करवाया कि कृष्ण कुमार लोहिया व ललित कुमार लोहिया के पक्ष में नामान्तरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(466)लोआस/2015

परिवादी श्री धर्मेश शर्मा निवासी मालवीय नगर, जयपुर द्वारा उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने के विषय में शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11-04-2017 द्वारा अवगत कराया कि परिवाद के संदर्भ में कार्यवाही करके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 26-05-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(481)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती कमलेश बाई निवासी फतेहकडी, रामपुरा, वार्ड नम्बर 41, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके अवैध शौचालय बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त नाला खुला हुआ भी है जिस कारण जगह-जगह गन्दगी फैली हुई है व सफाई नहीं हो रही है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 01.02.2016 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत कच्चे नाले की सफाई करवाकर कीटनाशक का छिड़काव करवा दिया है तथा नाले पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके विरूद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी क्रम में उपायुक्त ने पत्र दिनांक 20.12.2017 से यह भी अवगत करवाया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उक्त शौचालयों में पक्की सीट लगाकर उन्हें सामुदायिक सेप्टिक टेंक से जोड़ दिया गया है, जिससे अब गन्दगी होने व महामारी फैलने का खतरा नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 16.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(484)लोआस/2015

परिवादी महेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी ई-853, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि प्लाट संख्या जी-73, करधनी में अवैध रूप से मोबाईल टावर लगाया जा रहा है जिसे रूकवाया जावे।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 02.02.17 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत टावर को दिनांक 13.01.2017 को सीज कर दिया गया है एवं बिजली का कनेक्शन काटकर बॉक्स को भी सीज कर दिया गया है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 28.12.2017 से अवगत करवाया कि मौका निरीक्षण किए जाने पर उक्त टॉवर अभी भी सीज अवस्था में है व बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। टॉवर कोई काम में नहीं लिया जा रहा है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 30.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(515)लोआस/2015

परिवादीगण श्री लक्ष्मीचन्द गोयल व श्री रमेश कुमार जीनगर, निवासी जीनगर कॉलोनी, सांचौर द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका, सांचौर आदि के विरूद्ध सरकारी सम्पत्तियों की बन्दर-बांट करने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में पुलिस अधीक्षक, जालौर ने पत्र दिनांक 05-11-2016 से अवगत करवाया कि परिवाद के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया जाकर अभियुक्त हाजी

रसीद अहमद व मौहम्मद अली के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 193 व 420 में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 13-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(530)लोआस/2015

परिवादी श्री तिलक राज खत्री, नमन होटल के पास, 200 फुट रोड़, ज्योति प्रोपर्टीज के पास, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 164 ग्राम खुदनपुरी में स्थित उसके प्लॉट का पट्टा नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा बार-बार चक्कर लगाने पर भी जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने पत्र दिनांक 04.01.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री तिलक राज खत्री को दिनांक 19.02.2016 को उसके प्लॉट का पट्टा जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 07.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(561)लोआस/2015

परिवादी श्री सतीशचन्द्र पाराशर द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध विधानसभा नगर, ग्राम धोलाई, पत्रकार कालोनी के पास भवन विनियमों के विपरीत अवैध निर्माण करवाये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 16-01-2017 से अवगत करवाया कि सम्बन्धित पेन्ट हाउस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 10-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(594)लोआस/2015

परिवादी श्री कुन्दनमल शर्मा द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजलदेसर जिला चूरू के विरूद्ध मोडूराम पुत्र सुगनाराम मेघवाल को नियम विरूद्ध बी.पी.एल.श्रेणी में रखकर आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की प्रथम किश्त पेटे 25,000/-रूपये का चैक देने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने पत्र दिनांक 16-08-2016 से अवगत करवाया कि श्री मोडूराम का नाम वर्ष 1998 की बी.पी.एल. सूची में सहवन से दर्ज होने से आर्थिक सहायता राशि की प्रथम किश्त 25,000/-रूपये का भुगतान किया गया था। इस तथ्य की जानकारी होने पर दूसरी किश्त का भुगतान रोक दिया गया और श्री मोडूराम से 15,000/-रूपये दिनांक 16-05-2016 को तथा 10,000/-रूपये दिनांक 04-08-2016 को वसूल कर लिये गये हैं।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी की शिकायत पर श्री मोडूराम को त्रुटिपूर्ण तरीके से भवन निर्माण हेतु दी गई आर्थिक सहायता राशि 25,000/-रूपये की वसूली की जाकर परिवादी

को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादीदिनांक 03-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(719)लोआस/2015

परिवादी श्री महेश मालू, निवासी बाहेतियों की गली, चित्तौड़गढ़ द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़, तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ एवं अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध आराजी खसरा नंबर 1787 पूर्व आराजी नम्बर 1336, रकबा 5 बिस्वा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नाला भूमि पर स्वीकृति के विपरीत अम्बेश्वरी कोलोनाइजर के मालिक द्वारा पार्किंग व अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ ने पत्र दिनांक 13-12-2016 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड श्री शंकरलाल कोठारी व उसके परिवार द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात् अम्बेश्वरी रियल एस्टेट प्रा0लि0 की ऋतुराज वाटिका के पास स्वीकृत योजना के ब्लॉक 4 के साथ संयुक्तीकरण कर निर्माण स्वीकृति दिनांक 10-01-2010 तथा दिनांक 05-04-2012 को दी गई। अम्बेश्वरी रियल स्टेट प्रा0लि0 द्वारा नाले पर निर्माण नहीं किये गये हैं। स्वीकृति के विपरीत दो बेसमेंट निर्माण कराये जाने पर बेसमेंट को सीमेन्ट व कंकरीट से बन्द कर दिया गया और बेसमेंट का व्यवसायिक उपयोग नहीं करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूखण्डों के सामने पार्किंग रोड़ व नाले अलग से हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादी दिनांक 20-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(731)लोआस/2015

परिवादी श्री नवरतन डांगा, निवासी संगरिया ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध वार्ड नंबर-15 में सार्वजनिक चौक की भूमि में गलत खांचा भूमि आवंटन निरस्त करने तथा चौक की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, संगरिया ने रिपोर्ट दिनांक 02-11-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मकान नंबर 35/1, 35/2 व 35/3 श्री बद्रीप्रसाद, श्री सूरजभान व श्री कृष्ण के नाम आवंटित भूखण्ड के आगे चौक की तरफ उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 28-08-1986 को खांचा भूमि आवंटित की गई है, जिसका पंजीयन हो चुका है। मकान नंबर 26, 51, 52 व 42/ए पर किये गये अतिक्रमण व श्रीमती गीता देवी द्वारा सार्वजनिक चौक में चबूतरी, पेड़ी आदि बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया। श्री नवरतन को आवंटित खांचा भूमि का आवंटन न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के बाद खांचा भूमि पर किये गये शौचालय निर्माण को हटा दिया गया। श्री नवरतन डागा के पिता श्री सुगनचन्द को पूर्व में गंदे नाले के पास खांचा भूमि आवंटित की गई थी। इस सम्बन्ध में श्रीमती गीता राठी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर खांचा भूमि का विक्रय-विलेख निष्पादित नहीं करवाया गया व किया गया निर्माण हटा दिया गया।

इस प्रकार यह परिवाद यथोचित अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 04.01.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(736)लोआस/2015

परिवादी श्री इस्राइल खाँ, निवासी अलवर द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर के विरूद्ध पट्टा जारी नहीं करने पर कार्यवाही किए जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20-07-2017 प्रस्तुतकर अवगत करवाया कि परिवादी श्री इस्राइल खाँ को भूखण्ड संख्या बी-449, खसरा नम्बर 333 ग्राम मूंगसका का पट्टा प्रभारी अधिकारी (नियमन), नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 20-07-2017 के अनुसार राशि जमा करवाये जाने के बाद जारी कर दिया जायेगा। परिवादी द्वारा नगर सुधार न्यास, अलवर की उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में सचिवालय में उपस्थित होकर सहमति प्रकट की गई।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 24-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(749)लोआस/2015

परिवादी श्री भींवाराम, निवासी सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सोजत, जिला पाली के विरूद्ध सम्पूर्ण दस्तावेज पेश किये जाने के बावजूद आवासीय पट्टा जारी नहीं किये जाने के आरोप लगाते हुए यह शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05-06-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि नगरपालिका, सोजत द्वारा परिवादी को आवासीय पट्टा जारी किये जाने

पर परिवादी द्वारा परिवाद 'विड्रा' करने हेतु आवेदन-पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 02-06-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(894)लोआस/2015

परिवादी श्री दुर्गा शंकर गहलोत, निवासी डी.सी.एम. रोड़, कोटा ने आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर के विरूद्ध पीड़ित पक्षकार श्री भगवानदास द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में शादी समारोह हेतु दिनांक 19-02-2016 से 22-02-2016 तक की गई बुकिंग निरस्त करने पर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 08-02-2017 प्रस्तुतकर अवगत करवाया कि प्रार्थी श्री भगवानदास पुत्र श्री चन्दुलाल के नाम बुक संख्या 1016/20 दिनांक 01-06-2015 को दिनांक 19-02-2016 से 22-02-2016 तक सफाई एवं समारोह शुल्क राशि 8,000/-रूपये का माँग-पत्र जारी किया गया था, जिस पर दिनांक 01-06-2015 को उक्त राशि जमा करवा दी गई जबकि कार्यालय नगर निगम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्था के साथ किये गये गोदनामे के अनुसार संस्था द्वारा पत्र जारी किये जाने के बाद ही माँग-पत्र जारी किया जाना था। प्रार्थी श्री भगवानदास को नगर निगम कोष में जमा राशि लौटाने के आदेश दे दिये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 06-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(913)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल गोटेवाला निवासी अजमेर द्वारा आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर के विरूद्ध आम रास्ते पर किये गये अवैध निर्माण को हटवाने को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि दिनांक 06-07-2017 को सड़क मार्ग पर श्रीमती सुमन वर्मा की बनी बॉलकनी/चबूतरी को तोड़/ध्वस्त कर दिया गया और श्रीमती नोरती देवी की भी दो अवैध दुकानों को सीज कर दिया गया है। परिवादी श्री गोपाल गोटेवाल द्वारा भी पत्र दिनांकित 11-09-2017 प्रस्तुत कर परिवाद में सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही से वांछित अनुतोष प्राप्त होना अंकित किया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 13-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(926)लोआस/2015

परिवादी श्री आदर्श कुमार पाण्डेय, निवासी किसा मार्ग, टोंक रोड़, जयपुर ने आयुक्त, नगर निगम, मानसरोवर जोन, जयपुर के विरूद्ध पड़ौस में प्लाट नम्बर पी-39 में हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, नगर निगम, मानसरोवर जोन, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 27-09-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि विवादित स्थल पर भवन

के पूर्व-दक्षिण की तरफ सेटबैक में बनाये गये लैट्रीन-बाथरूम दिनांक 29-09-2017 को पूर्णतया ध्वस्त कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 22-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(936)लोआस/2015

परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर के विरूद्ध वार्ड नम्बर 20 में श्री दीनदयाल शर्मा द्वारा आम रास्ते में चौक का निर्माण करने तथा वार्ड नंबर 22 में मकान के आगे बहुत बड़ा रैम्प बनाकर आम रास्ते पर नाजायज कब्जा करने तथा गोविन्द टेंट वाले के घर से रामावतार शर्मा के घर की तरफ जाने वाली गली में अतिक्रमण करके आम रास्ता रोकने के विषय को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 03-08-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मौके के निर्माण को दिनांक 27-04-2017 को हटा दिया गया। इसके बाद अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, तारानगर ने रिपोर्ट दिनांक 13-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अवैध रैम्प को भी हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 10-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(941)लोआस/2015

परिवादी श्री रामकिशोर शर्मा, निवासी मकान नम्बर 463, राजा शिवदासजी का रास्ता, इन्द्रा बाजार, जयपुर ने आयुक्त, नगर निगम, हवामहल जोन, जयपुर के विरूद्ध सार्वजनिक मार्ग की जमीन उपयोग में लेकर रास्ता रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, नगर निगम, मानसरोवर जोन, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 08-09-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि दिनांक 09-06-2017 को मकान नम्बर 462 के भवन स्वामी द्वारा रोड़ पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को हटा दिया गया एवं रोड़ लैवल से ऊँचे किये गये अतिक्रमण एवं पानी की टंकी को ध्वस्त कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 23-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(984)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण कुमार भारद्वाज, निवासी शिवराम कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर व कॉलोनीवासियों ने आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध चौरसिया मैरिज गार्डन के मालिक द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने, मौके पर पार्किंग-स्थल न होने से विवाह समारोह में आने वाले लोगों द्वारा कॉलोनी के भूखण्डों के आगे वाहन खड़े करने से आवागमन बाधित होने व मैरिज गार्डन के कचरे से बदबू आने तथा मैरिज गार्डन के मालिक द्वारा दक्षिणी दीवार में गैरकानूनी रूप से गेट निकालने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 19-05-2017 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मैरिज गार्डन के संचालक द्वारा रोड़ पर किये गये अतिक्रमण को स्वयं के स्तर पर हटा लिया गया। इसके बाद उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि विवाह स्थल का पंजीयन संशोधित उपविधि, नगर निगम के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण दिनांक 04-09-2017 को विवाह स्थल सीज किया जा चुका है।

परिवादी व अन्य कॉलोनी वासियों ने पत्र दिनांक 02-12-2017 प्रस्तुत कर इस सचिवालय द्वारा कॉलोनी वासियों की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में किये गये प्रयास हेतु कोटि-कोटि धन्यवाद देते हुए अवगत करवाया कि लोकायुक्त सचिवालय के सार्थक प्रयासों से विवाह स्थल सील हो गया है और इस विवाह स्थल के आस-पास रहने वाले प्रभावित लोगों को इसके दुष्प्रभावों (गंदगी, ट्रैफिक समस्या, डी.जे. के द्वारा असामान्य ध्वनि प्रदूषण आदि) से मुक्ति मिल पाई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 06-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(1011)लोआस/2015

परिवादी श्री विजय जैन, अध्यक्ष, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, अजमेर द्वारा सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विरूद्ध सतगुरू एज्यूकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट को भूमि आवंटन नियम, 2015, होटल नीति नियम, 2006 व राजस्थान पर्यटन यूनिट पॉलिसी के प्रावधानों का

उल्लंघन करते हुए भूमि आवंटन करके किये गये भ्रष्टाचार के विषय की जाँच किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30-05-2017 प्रस्तुतकर अवगत करवाया कि संस्था को शिक्षण संस्था हेतु भूमि आवंटन का निर्णय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09-03-2016 में लिया गया और आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22-12-2016 व दिनांक 10-02-2017 को जारी गई। आवंटित भूमि का कब्जा संस्था को दिनांक 08-05-2017 को दिया गया। अब संस्था द्वारा 16,74,40,000/-रूपये की राशि जमा करवा दी गई है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 27-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(1026)लोआस/2015

परिवादी श्री समीर पारीक द्वारा उपायुक्त, जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध उसके भूखण्ड संख्या ए/148, वैशाली नगर, जयपुर के नाम हस्तान्तरण के विषय को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उपायुक्त, जोन-7, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 03-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि भूखण्ड संख्या ए/148, वैशाली नगर योजना, जयपुर का परिवादी श्री समीर पारीक के नाम हस्तान्तरण-पत्र जारी किया जा चुका है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 08-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(17)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती गट्टू देवी, निवासी सोजत जिला पाली द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सोजत, जिला पाली के विरूद्ध आवासीय पट्टा जारी नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30-05-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि नगरपालिका, सोजत द्वारा परिवादिनी को आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर परिवादी द्वारा परिवाद 'विड्रा' करने हेतु आवेदन-पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिनी को शिविर में नियमानुसार राजकीय छूट देते हुए विभाग द्वारा पट्टा जारी किया गया। इसके बाद परिवादिनी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुतकर सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना प्रकट किया। इस प्रकार परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादी दिनांक 27-06-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(29)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहम्मद सईद निवासी फाजल का नाड़ा, मालपुरा जिला टोंक ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, मालपुरा के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 13-04-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी मोहम्मद सईद का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाने की स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रदान करने के बाद नगरपालिका, मालपुरा द्वारा

सम्बन्धित दुकानदार को खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मोहम्मद सईद को समस्त सामग्री दिये जाने के आदेश दिनांक 10-11-2017 को जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 11-05-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(45)लोआस/2016

परिवादी श्री नारायण लाल सोलंकी, निवासी गांधी चौक, सुमेरपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुमेरपुर के विरूद्ध सरकारी कीमती जमीन पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटवाये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20-03-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रकरण में पालिका द्वारा अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया जाकर उस स्थल पर दिनांक 14-02-2017 को नगरपालिका के स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादी दिनांक 10-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(46)लोआस/2016

परिवादी श्री मुकेश कुमार धनोपिया द्वारा उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर के विरूद्ध गणेश कॉलोनी, हनुमान मन्दिर के पीछे भगत फेब्रिक्स कम्पनी के मालिक व उसके परिजनों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर

विद्युत जनरेटर रखने, रास्ते में पानी का टैंक व शौचालय बनाने के विषय को लेकर कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट्स दिनांक 27-04-2017, दिनांक 20-07-2017 तथा दिनांक 04-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि सतर्कता शाखा की मदद से जनरेटर को दिनांक 23-11-2016 को हटाकर जप्त कर लिया गया। प्रश्नगत अवैध शौचालय हटा दिया गया तथा भूमिगत पानी के टैंक को मिट्टी से भरवाकर बंद करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 10-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(92)लोआस/2016

परिवादी श्री गणेश कुमार यादव निवासी बस स्टैण्ड, झालरापाटन द्वारा अध्यक्ष, नगरपालिका, झालरापाटन के विरूद्ध श्रीमती भगवती बाई द्वारा यादव समाज की गुवाड़ी के चौक/चबूतरा व सरकारी नाली को तोड़कर किये जा रहे अवैध कार्य को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा ने पत्र दिनांक 23-11-2016 से अवगत करवाया कि श्रीमती भगवती यादव को भू-पट्टी विक्रय किये जाने के निर्णय के बाद परिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा 'स्ट्रीप आफ लैण्ड' की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और निर्माण की स्वीकृति भी नहीं दी गई है और नगरपालिका के इस निर्णय से परिवादी पूर्णतया सन्तुष्ट और सहमत है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 13-04-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(97)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहन सिंह खर्रा निवासी श्रीमाधोपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुमेरपुर के विरूद्ध शिक्षण संस्था के सामने स्थित नाले का कचरा नहीं हटाये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि पालिका द्वारा गन्दे पानी के नाले से कचरे की सफाई करवा दी गई तथा भविष्य में शीघ्र ही एस्टीमेट बनवाया जाकर पक्के नाले का निर्माण करवाया जाकर समस्या का स्थायी समाधान किया जावेगा।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवादी दिनांक 10-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(112)लोआस/2016

परिवादी श्री सदाशिव श्रोत्रिय, निवासी नाथद्वारा से नाथद्वारा शिविर के दौरान दिनांक 23.05.2016 को प्राप्त परिवाद में नाथद्वारा में वार्ड संख्या 19 नई हवेली में शौचालयों का उत्सर्जित मल-मूत्र खुली नालियों में प्रवाहित करने से हर समय मौहल्ले में असहनीय दुर्गन्ध फैलने के सम्बन्ध में नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा सीवरेज लाइन का कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा प्रतिवेदन द्वारा दिनांकित 14.02.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के आदेश दिनांक 09.01.2017 की पालना में दिनांक 19.01.2017 को जारी आदेशानुसार सीवरेज का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 25.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(148)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती शांति देवी से दिनांक 08.06.2016 को प्राप्त परिवाद में नगरपालिका, कामां के अधिशाषी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध संस्कार एकेडमी स्कूल के सामने, कामां, जिला भरतपुर में रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्वायत्त शासन विभाग, भरतपुर द्वारा पत्र दिनांकित 03.03.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि दिनांक 03.03.2017 को अवैध अतिक्रमण हटाकर आम रास्ता खोल दिया गया है। परिवादिनी की ओर से इस सम्बन्ध में बावजूद पत्र प्रेषित करने के कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई।

इस प्रकार आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटा देने से परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(166)लोआस/2016

परिवादी श्री अशोक कुमार, निवासी पुरानी मण्डी, सर्राफा बाजार, हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी के विरूद्ध स्वयं के प्लाट के सामने बरगमा रोड़ पर श्री विष्णु कुमार द्वारा अनाधिकृत लैट्रीन-बाथरूम बनाकर अतिक्रमण किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी ने रिपोर्ट दिनांक 19-12-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि श्री अशोक कुमार द्वारा किये गये अतिक्रमण को नगर परिषद द्वारा दिनांक 15-12-2018 को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 21-02-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(200)लोआस/2016

परिवादी श्री भगवानदास शर्मा निवासी आबूरोड़ द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आबूरोड़ के विरूद्ध मोहन वाटिका के पास मकानों के मध्य रास्ते में नाली जाम होने, नाली का गन्दा पानी इकट्ठा होने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 04-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि गन्दे पानी की निकासी के लिए पालिका द्वारा पश्चिम दिशा में नई नाली का निर्माण करवाकर परिवादी की समस्या का स्थायी समाधान करवा दिया गया।

इसी सन्दर्भ में परिवादी श्री भगवानदास शर्मा ने पत्र दिनांकित 03-10-2017 के माध्यम से अवगत करवाया कि वह वरिष्ठ नागरिक है तथा नाली के गन्दे पानी की समस्या के लिए वह वर्ष 2013 से लगातार नगर पालिका में प्रार्थना-पत्र देता रहा था लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ था और अन्ततः लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद दायर करने पर पाँच साल पुरानी समस्या का स्थाई समाधान हो पाया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 14-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(210)लोआस/2016

परिवादी श्री हरसहाय लाल शर्मा, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता ने आयुक्त, नगर परिषद, गंगापुर सिटी के विरूद्ध 20 वर्ष से बकाया पी.एफ. राशि व एक माह का बकाया वेतन भुगतान नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 06-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी को पी.एफ. राशि मय ब्याज 72,868/-रूपये एवं 16 दिवस के बकाया वेतन 3,660/-रूपये का भुगतान जरिये चैक कर दिया गया। उक्त राशि पर राजस्थान सेवा नियम एवं लेखा नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण ब्याज देय नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 27-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(220)लोआस/2016

परिवादी श्री पवन कुमार शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट अडूंगा, वाया चिड़ावा जिला झुंन्झुनूं ने सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, चिड़ावा, उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चिड़ावा के विरूद्ध सब्जी विक्रेताओं के पास पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने व प्राइवेट मण्डी में अत्यधिक राशि वसूली के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 12-12-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मण्डी प्रांगण चिड़ावा में फल-सब्जी मण्डी यार्ड का स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 11-08-2017 को आवंटन समिति की बैठक आयोजित करके 97 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी द्वारा परिवाद के माध्यम से चाहे गये अनुतोष के साथ-साथ अन्य फल-सब्जी विक्रेताओं को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 21-02-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(233)लोआस/2016

परिवादी श्री विष्णु बाहेती निवासी 113/1, सेक्टर-1, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कोटपूतली के विरूद्ध विद्युत सामान का बकाया भुगतान नहीं करने पर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कोटपूतली ने रिपोर्ट दिनांक 03-11-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी फर्म मैसर्स कनिष्क

इन्टरनेशनल, जयपुर को जरिये चैक संख्या 30901 दिनांक 24-08-2017 बकाया राशि 10,56,190/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

इसी सन्दर्भ में परिवादी श्री विष्णु बाहेती ने पत्र दिनांकित 31-10-2017 के माध्यम से अवगत करवाया कि नगरपालिका, कोटपूतली द्वारा उसकी बकाया राशि 10,56,190/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 17-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(243)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती अपर्णा शर्मा निवासी चाकसू, जिला जयपुर से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू के विरूद्ध दिनांक 22.07.2016 को प्राप्त परिवाद में उसकी खरीदसुदा दुकान के आगे सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगरपालिका, चाकसू द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 18.11.2016 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि दिनाक 13.10.2016 को परिवादी अर्पणा शर्मा एवं राजेश जैन के द्वारा दुकानों के बाहर लगाये गये अस्थाई अतिक्रमण रोड़ से हटवा दिये गये तथा तन्दुरों व सब्जियों के भगोने के स्थान पर लगे हुए कातले आदि हटवा दिये गये। स्वयं शिकायतकर्त्ता अर्पणा शर्मा का भी अस्थाई अतिक्रमण हटवा जा चुका है। इस बाबत फोटोग्राफ्स भी प्रेषित किये गये।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(273)लोआस/2016

परिवादी श्री अशोक कुमार अरोड़ा, निवासी मकान नम्बर बी-110, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर ने आयुक्त, नगर निगम, लाल कोठी, जयपुर के विरूद्ध उसके प्लॉट का उप विभाजन नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर निगम, मोती डूंगरी जोन, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी के भूखण्ड सँख्या बी-110 मोती डूंगरी, तिलक नगर, जयपुर का उप-विभाजन पूर्व में दिनांक 02-01-2013 को किया जा चुका है। परिवादी द्वारा भी आवेदन दिनांक 15-04-2017 प्रस्तुत कर परिवाद निरस्त करने की माँग की गई।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 17-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(301)लोआस/2016

परिवादी श्री निसार मौहम्मद, निवासी इमली चौक, छावनी (कोटा) से नगर निगम, कोटा के कनिष्ठ अभियन्ता एवं जमादार के विरूद्ध दिनांक 23.08.16 को प्राप्त परिवाद में पुलिस चौकी के पीछे इमली चौक, छावनी (कोटा) में आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमणों को नहीं हटाने बाबत आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, कोटा द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 01.06.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि विभिन्न अतिक्रमणों को हटाने बाबत अतिक्रमियों को पाबन्द कर दिया गया और नवीन अतिक्रमणों को नगर निगम द्वारा तत्परता से हटा दिया गया एवं नगर

निगम द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर घोषणा-पत्र दिया गया।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमणों को हटाये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 19.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(302)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती आशा देवी, निवासी वार्ड नम्बर-14, खण्डेला, जिला सीकर ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खण्डेला जिला सीकर के विरूद्ध दुकान निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं करने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 17-11-2018 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रकरण में नियमानुसार समस्त कार्यवाही कर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 21-02-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(306)लोआस/2016

परिवादी श्री राजाराम विश्नोई, निवासी हनुमानगढ़ से हनुमानगढ़ शिविर के दौरान दिनांक 23.08.2016 को प्राप्त परिवाद में हनुमानगढ़ जंक्शन में मुख्य सड़कों पर पशुओं का वध कर बिना परमिट के मीट बेचने के सम्बन्ध में नगर परिषद, हनुमानगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़ द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 20.01.2016 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि रोड़ पर एक व्यक्ति द्वारा खोखा लगाकर किये जा रहे मीट व्यवसाय को हटा दिया गया तथा मीट के दुकानदारों को अपनी दुकाने नहीं खोलने हेतु पाबन्द कर दिया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आक्षेप प्रेषित नहीं किये गये।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमणों को हटाये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 18.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(374)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती उगन्तीदेवी गुर्जर, निवासी 22, जनता नगर, राकड़ी, सोडाला (जयपुर) से दिनांक 14.10.2016 को प्राप्त परिवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कनिठ अभियन्ता द्वारा उसके मकान के साइट प्लान में दिशा सूचक को सही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 28.02.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि परिवादी उगन्ती देवी के प्लॉट नम्बर 22, जनता नगर राकड़ी, सोडाला, जयपुर के साइट प्लान में दिशा सूचक सही कर उप-पंजीयक (द्वितीय), जयपुर में पंजीयन हेतु प्रेषित कर दिया गया। उन्होंने संशोधित मानचित्र की छाया प्रति भी प्रेषित की। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(416)लोआस/2016

परिवादी श्री माँगी लाल सांखला, निवासी वार्ड नम्बर 26, बालोतरा ने आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध आकड़िया बाबा की मण्डी जाने वाले रास्ते में किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा ने रिपोर्ट दिनांक 21-11-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि दिनांक 19-11-2017 को परिवादी को मौके पर बुलाया जाकर उसके द्वारा बताया गया अतिक्रमण हटाया गया एवं आम रास्ता 40 फीट कायम किया गया। दिनांक 27-11-2017 को स्वयं परिवादी सचिवालय में उपस्थित हुआ एवं सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अतिक्रमण हटाये जाने एवं आम रास्ता 40 फीट कायम किये जाने पर पूर्ण संतोष प्रकट किया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 27-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(417)लोआस/2016

परिवादी श्री ओमप्रकाश प्रजापत से बालोतरा शिविर के दौरान दिनांक 18.11.2016 को आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में मुख्य रूप से बालोतरा में सरकारी भूमि में हो रहे विभिन्न अतिक्रमणों को हटाने बाबत आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जोधपुर द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन

दिनांक 26.03.2017 से यह प्रकट किया गया कि ट्रक यूनियन द्वारा बालोतरा पुराने बस स्टैण्ड पर सब्जी की थड़ियों के पास टीन-शेड बनाकर तथा दरवाजा लगाकर किये गये अतिक्रमण को नगर परिषद द्वारा कार्यवाही करते हुए ध्वस्त किया जा चुका है। परिषद के कर्मचारियों द्वारा इन्दिरा गांधी प्रथम चरण में किये गये अतिक्रमण को दिनांक 20.01.2017 को हटाया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय पार्क में टैक्सी यूनियन द्वारा किये गये अतिक्रमण को भी हटाया जा चुका है। आगे उल्लेख किया कि रेलवे फाटक, पुराने बस स्टैण्ड, शास्त्री चौक, गौर का चौक, मुख्य बाजार, पुराना पादरू बस स्टैण्ड रोड, कबीर आश्रम रोड, पचपदरा रोड व गर्ल्स कॉलेज के आगे सहित शहर के आम रास्तों पर दुकानदारों द्वारा किये जा रहे अतिक्रमणों को उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के साथ हटाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

परिवादी द्वारा उपर्युक्त विभागीय प्रतिवेदन पर बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई। प्रश्नगत अतिक्रमणों को हटाये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 17.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(418)लोआस/2016

परिवादी श्री घेवर चन्द से बालोतरा शिविर के दौरान दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त परिवाद में अभिकथन किया गया है कि खसरा सँख्या 631/1 के ले-आउट प्लान के अनुसार 40 फुट रास्ता दर्शाया गया है जिस पर अतिक्रमण कर उसे मात्र 15 फुट कर दिये जाने के बावजूद आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

परिवाद के सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा ने पत्र दिनांक 06.02.2017 प्रेषित कर प्रकट किया कि पुराने बस स्टैण्ड पर सब्जी की थड़ियों के पास कार टेक्सी यूनियन द्वारा नगर परिषद की भूमि पर

टीन-शेड बनाकर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा चुका है और दीपाराम, बंशीलाल, चम्पालाल एवं भगाराम (जिन्हें लीजडीड जारी की गई थी) के द्वारा रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 27.12.2016 को हटाया जाकर आम रास्ता मौके पर 40 फुट कायम किया जा चुका है। इन तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार रास्ते की एवं नगर परिषद की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 17.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(431)लोआस/2016

परिवादी श्री ईश्वर लाल चौहान निवासी पाली द्वारा नगर परिषद, पाली के संविदाकर्मी श्री स्वरूप सिंह भाटी, कनिष्ठ लिपिक श्री प्रमोद कुमार तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध पट्टे की पत्रावली गुम कर दिये जाने को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12-06-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी के पट्टे की पत्रावली संख्या-6 में पट्टा जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 17-08-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(433)लोआस/2016

परिवादी श्री नटवर छंगाणी, निवासी जोधपुर द्वारा अतिक्रमण प्रभारी/निरीक्षक, नगर निगम, जोधपुर के विरूद्ध उसके मकान के निकट सार्वजनिक गली में किये गये अवैध अतिक्रमण के विषय को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी के मकान नम्बर 166, प्रथम बी. रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर के पड़ौसी द्वारा अवैध रूप से 6 फीट की सार्वजनिक गली में किये गये अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 13-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(438)लोआस/2016

परिवादी श्री अमर चन्द टांक, निवासी नया दरवाजा, नागौर ने आयुक्त, नगर परिषद, नागौर के विरूद्ध सार्वजनिक शौचालय तोड़कर अतिक्रमण करने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 21-04-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि सार्वजनिक शौचालय के स्थान पर चारदिवारी निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को तोड़कर पूर्णत: मुक्त करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 23-10-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(444)लोआस/2016

परिवादी श्री अनिल भाटी, निवासी नागौर ने आयुक्त, नगर परिषद, नागौर के विरूद्ध बखत-सागर तालाब के केचमेंट एरिया एवं आड़ क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 16-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि बखत-सागर पर पूर्व में हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 27-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(448)लोआस/2016

परिवादी श्री अमरजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 15, श्रीगंगानगर ने नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध वार्ड नंबर-15 में नालियों व पुलिया मरम्मत कार्य घटिया स्तर पर किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 24-10-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि शिकायत के बाद ठेकेदार

द्वारा मौके पर नालियों व पुलिया की मरम्मत की गई। दिनांक 24-09-2017 को सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, हनुमानगढ़ द्वारा अधिशाषी अभियंता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मौका मुआयना किया गया और परिवादी श्री अमरजीत सिंह को भी मौके पर बुलाया गया। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य स्तरहीन होने की बात का समर्थन नहीं किया। परिवादी ने भी पुनः ठीक किये गये कार्य पर सन्तोष व्यक्त किया ।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 27-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(476)लोआस/2016

परिवादी श्री पवन कुमार निवासी किसान डिग कंपनी, चांदोरा होटल के सामने, रावतसर जिला हनुमानगढ़ व अन्य ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतसर के विरूद्ध सरदार शहर रोड़ स्थित रिटेल शापिंग सेन्टर व सिनेमा मार्केट के सामने रेहड़ी, टैम्पो व गाड़ियों के द्वारा रास्ता अवरूद्ध किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 17-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रश्नगत रेहड़ी, ठेला वालों को स्थान चिन्हित कर व्यवस्थित करके समस्या का स्थाई समाधान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी श्री पवन कुमार व अन्य ने भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर उनकी शिकायत का समाधान हो जाने व आगे प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत पत्र प्रस्तुत किया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी वगैरह को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 01-08-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(509)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती कमला से दिनांक 24.01.2017 को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आबू पर्वत के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में मुख्य रूप से दिनांक 30.11.2014 को सफाई कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद पेंशन नहीं मिलने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा पत्र दिनांक 08.06.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि श्रीमती कमला के पेंशन प्रकरण में पेंशन विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृत कर पीपीओ नम्बर 1051056 आर जारी कर दिया गया जिसकी फोटो प्रति भी संलग्न प्रेषित की गई।

इस प्रकार परिवादी को पेंशन स्वीकृत की जाकर पीपीओ जारी कर दिये जाने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 21.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(513)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती रामदेवी द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कामां जिला भरतपुर के विरूद्ध उसके मकान के सामने सरकारी पुख्ता चौक व रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 12-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि परिवादिनी श्री रामदेवी के

घर के सामने लड़ामनी बनाकर किये गये अतिक्रमण को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कामां द्वारा दिनांक 11-06-2017 को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित पूर्ण अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 08-11-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(524)लोआस/2016

परिवादी श्री अब्दुल रहमान द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नीमकाथाना के विरूद्ध रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध करने को लेकर कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20-07-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि विवादित अतिक्रमण हटा दिया गया तथा परिवादी के मकान के सामने की नाल, जो अवैध निर्माण तोड़ते समय टूट गई थी, उसका भी निर्माण करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 30-08-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(526)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती सेवीदेवी, निवासी जीनगर मोहल्ला, बाड़मेर द्वारा उपायुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर के विरूद्ध बी.पी.एल. विधवा कोटे से कियोस्क आवंटित नहीं करवाये जाने पर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20-08-2017 एवं रिपोर्ट दिनांक 01-12-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादिनी श्रीमती सेवी देवी ने कियोस्क आवंटन हेतु दिनांक 05-03-2001 को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे 8,500/-रूपये की राशि दिनांक 30-09-2005 तक जमा करवाने हेतु अंतिम नोटिस दिनांक 20-09-2005 को दिया गया। इसके बाद परिवादिनी ने 8,500/-रूपये दिनांक 27-12-2007 को जमा करवाये हैं। दिनांक 30-09-2005 तक राशि जमा नहीं कराये जाने व व्यवसाय शुरू नहीं करने के कारण परिवादिनी को कियोस्क आवंटन स्वत: निरस्त कर दिया गया। इसके बाद परिवादिनी को कियोस्क हेतु भूखण्ड दिये जाने का निर्णय सतर्कता समिति की बैठक में लिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 06-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(582)लोआस/2016

परिवादी श्री शिवदान चारण द्वारा उपायुक्त, नगर निगम, कोटा के विरूद्ध उसके मकान के पड़ोसी श्री सूरजमल द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने पर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा ने रिपोर्ट दिनांक 17-08-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवादी श्री शिवदान चारण व उसके पड़ोसी श्री सूरजमल के बीच रास्ते का मनमुटाव था। परिवादी के रास्ते हेतु पूर्व के

खड़े कातले वाले स्थान पर पक्की बाउण्ड्री-वाल करवाकर श्री शिवदान को रास्ता देते हुए दोनों पक्षों से लिखित में समाइश-पत्र प्राप्त कर लिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 05-12-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(598)लोआस/2016

परिवादी श्री तरूण स्वामी, निवासी विश्वकर्मा गेट के अन्दर, बीकानेर ने उपायुक्त, नगर निगम, बीकानेर के विरूद्ध श्री महेन्द्र सिंह द्वारा जस्सूसर गेट के बाहर, विश्वकर्मा गेट के अन्दर, परकोटे के पास सफील को तोड़कर दुकान व बालकॉनी निर्माण करने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 23-01-2018 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अवैध निर्माणकर्ता द्वारा सफील पर किये गये अवैध निर्माण को हटा दिया गया। परिवादी श्री तरूण स्वामी ने भी सचिवालय में पत्र दिनांक 16-01-2018 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित अतिक्रमण हटा लिये जाने के कारण अब परिवाद में कार्यवाही निरस्त की जावे।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 08-02-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(41)लोआस/2017

श्री शीशराम यादव, निवासी सी-14, रणजीत नगर, अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में आर्ट्स कॉलेज के पास बने आर.ओ.बी. की पूर्व दिशा की ओर ट्रान्सपोर्ट नगर वाले भाग में क्षतिग्रस्त डामर सड़क को सही करवाने व रोड़ लाइट लगवाने के सन्दर्भ में नगर सुधार न्यास व जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, अलवर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ट्रान्सपोर्ट नगर, रणजीत नगर व एन.ई.बी. विस्तार कॉलोनी को शहर से जोड़ने वाले आर.ओ.बी. के पूर्व की ओर ट्रान्सपोर्ट नगर के पास पुल से जोड़ने वाली सड़क पर नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा सी.सी.रोड़ का निर्माण किया जा चुका है जिससे यातायात/आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(65)लोआस/2017

श्री मोहम्मद असलम, निवासी वार्ड नं. 23, पोस्ट तारानगर, जिला चूरू द्वारा प्रेषित परिवाद में निराणाराम पुत्र सुरजाराम सैनी व उसके पुत्रों द्वारा कटाणी रास्ता, आम चौक व नगरपालिका की 3 बीघा जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के लिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर, चूरू द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री निराणाराम सैनी एवं मौहम्मद असलम दोनों ने परस्पर एक-दूसरे के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की। प्रश्नगत प्रकरण में पालिका द्वारा मौका

निरीक्षण कर पाया कि निराणाराम सैनी द्वारा पालिका भूमि पर अस्थाई बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु श्री निराणाराम पुत्र सुरजाराम सैनी को नोटिस दिया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों में आपसी पंचायती फैसले की रजामंदी से पालिका भूमि पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण को दिनांक 27.05.2017 से पूर्व हटा दिया गया।

परिवादी मोहम्मद असलम द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.05.2017 में परिवाद में की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(67)लोआस/2017

श्री मकबूल खान पुत्र श्री इलाहीबख्श खान, निवासी वार्ड नं. 17, खेतान कॉलोनी, पोस्ट लोसल, जिला सीकर द्वारा प्रेषित परिवाद में आर्ट्स कॉलेज के पास बस स्टैण्ड, लोसल में दुकानदारों द्वारा नाली से बाहर किये गये अतिक्रमण को बार-बार शिकायत करने पर भी नगरपालिका, लोसल द्वारा नहीं हटाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, सीकर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बस स्टैण्ड, लोसल में दुकानदारों द्वारा नाली से बाहर किये गये अस्थायी अतिक्रमण को दिनांक 22.09.2017 को हटवा दिया गया है तथा दुकानदारों को नाली के बाहर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(88)लोआस/2017

श्री कैलाश चन्द माली पुत्र श्री मोतीराम माली, निवासी छतरियों का कुआँ, सांभर लेक, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में नगर पालिका, सांभर लेक के लोकसेवकों द्वारा गत चार वर्षों से बी.पी.एल. परिवार की सर्वे-शीट की प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी उसे प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभर लेक से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका, सांभर लेक द्वारा आवेदक को बी.पी.एल. सर्वे-शीट उपलब्ध करवा दी गई, जिसकी प्राप्ति रसीद की प्रति भी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(145)लोआस/2017

श्री राजीव भण्डारी पुत्र श्री रतन चन्द भण्डारी, निवासी 12 एम, हनुवन्त नगर, सर्किट हाउस रोड़, जोधपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में नगर परिषद क्षेत्र में वॉल पेन्टिंग कार्य हेतु नगर परिषद, नागौर द्वारा जारी निविदा में उनकी फर्म की दरें न्यूनतम होने से उनकी फर्म के पक्ष में कार्यादेश जारी किया गया लेकिन सभापति द्वारा 17 माह से उन्हें परेशान कर 11.50 लाख रूपये के चैक का भुगतान नहीं करवाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर से पत्राचार करने के पश्चात् ही परिवादी ने पत्र प्रेषित

कर अवगत करवाया कि नगर परिषद, नागौर से उसे भुगतान राशि रूपये 11,38,419/- रूपये का चैक प्राप्त हो गया है।

परिवादी द्वारा परिवाद में की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(150)लोआस/2017

डॉ. श्रुति कोठारी, निवासी बी-1/62, टेक्नोकार्ट ऑफिस, व्ही, एस. मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-40005 द्वारा प्रेषित परिवाद में परिवादी द्वारा भू-खण्ड सँख्या 957/बी का हिस्सा ए-1, 12वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर की भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जोधपुर द्वारा जारी नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर से पत्राचार करने के उपरान्त परिवादी की ओर से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें परिवादी द्वारा धन्यवाद प्रेषित करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 23.02.2018 को उसे निर्माण की अनुमति प्राप्त हो गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(160)लोआस/2017

परिवादी श्री मूलचन्द लखेरा, निवासी आदर्श नगर-ए, बगीची, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में नगर परिषद, सवाई माधोपुर पर राशि जमा करवाने के बावजूद पट्टा जारी नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उनके भू-खण्ड संख्या 7 के लिये वांछित पट्टा जारी किया जा चुका है।

प्राप्त रिपोर्ट के सन्दर्भ में परिवादी से परिवाद में अंकित मोबाइल नम्बर पर वार्ता करने पर उनके द्वारा भू-खण्ड संख्या-7 का पट्टा मिलना व अब कोई शिकायत नहीं होना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(164)लोआस/2017

श्री लखन लाल मीणा, निवासी प्लॉट नं. 19-20, सांकड़ा हाऊस, हम्मीर नगर खैरदा, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री सौरभ जिन्दल, आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध उसके पड़ौसी द्वारा मकान के आगे किये गये 20 x 7 फीट चबूतरा एवं 9 फीट रैम्प के अवैध निर्माण को नहीं तोड़े जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री कैलाश मथुरिया द्वारा 30 फीट रोड़ पर 20 x 7 फीट पक्का चबूतरा बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(168)लोआस/2017

श्री गुरूवचन ऑबेराय, निवासी मकान नं. 20, जवाहर नगर, गुलाब बाग, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में रिन्युअल पट्टे की फाइल लगाये हुए 8 माह व्यतीत होने के बाद भी फाइल पर कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद, सवाई माधोपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री गुरूवचन को वांछित पट्टा जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(170)लोआस/2017

श्री गौतम चन्द जैन, निवासी अंकित ट्रेडर्स, जैन मन्दिर के सामने, लक्ष्मी मार्केट, टोंक रोड़, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में भू-खण्ड संख्या 10, प्रेम मन्दिर विस्तार योजना का पट्टा अध्यक्ष एवं आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा नहीं दिये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गौतम चन्द जैन को उनके भू-खण्ड संख्या 10, प्रेम मन्दिर विस्तार योजना का पट्टा जारी किया जा चुका है।

परिवादी से दूरभाष पर वार्ता करने पर उन्होंने उनके भूखण्ड का पट्टा मिलना व प्रकरण में अब कोई शिकायत नहीं होना बताया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(175)लोआस/2017

श्रीमती नूरबानो पत्नी श्री बशीर मोहम्मद, निवासी प्रेम मन्दिर कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में नगर परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा वेयर हाउस कॉलोनी, प्लॉट नं. 70-बी के पट्टे हेतु सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के बावजूद आयुक्त, नगर परिषद, सवाई माधोपुर द्वारा पट्टा जारी नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को भूखण्ड संख्या 70, वेयरहाउस कॉलोनी, गुलाब बाग, मान टाऊन, सवाई माधोपुर का पट्टा जारी करना बताया गया।

परिवादी के परिवाद में दर्ज मोबाइल नम्बर पर कॉल करने पर परिवादी के पति श्री बशीर मोहम्मद द्वारा यह अभिकथित किया गया कि लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत के पश्चात् उन्हें उनके भूखण्ड का पट्टा प्राप्त हो चुका है तथा इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से वह संतुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(205)लोआस/2017

श्री अशोक टांक, निवासी कलेक्टर्स पैराडाइज, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रेषित परिवाद में पूरण खण्ड कुण्ड, पुष्कर, छोटी बस्ती में व्याप्त गन्दगी के सम्बन्ध में नगरपालिका में शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गय।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका, पुष्कर क्षेत्र में सीवर लाइन व चैम्बर्स की सफाई का कार्य विशेष अभियान चलाकर कर दिया गया। कुण्ड से गन्दा पानी, कचरा एवं काई भी हटा दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 22.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(222)लोआस/2017

श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी जगदम्बा ऑफसेट प्रिन्टर्स, रेलवे रोड़, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री हरभजन सिंह, पूर्व स्टोरकीपर, नगर पालिका, श्रीकरणपुर द्वारा नगरपालिका के प्रिन्टिंग कार्य वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के बिलों का भुगतान नहीं किये जाने तथा इस सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी एवं अध्यक्ष, नगरपालिका, श्रीकरणपुर को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार की फर्म मैसर्स जगदम्बा ऑफसेट प्रिन्टर्स, श्रीकरणपुर को प्रिन्टिंग सामग्री की एवज में समस्त भुगतान जरिये चैक संख्या 214317 दिनांक 04.10.2017 राशि रूपये 24,800/-कर दिया गया।

परिवादी से दूरभाष पर वार्ता करने पर बताया कि उन्हें समस्त भुगतान प्राप्त हो चुका है और अब वह प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(226)लोआस/2017

श्रीमती वंदना देवी, निवासी 11/1193 मालवीय नगर, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में अपने पड़ौसी श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा लोहे की सीढ़ियां बनाकर, गलियारे में पानी की मोटर लगाकर तथा प्रार्थी के प्रवेश द्वार के ऊपर कूलर लगा कर जाने का रास्ता अवरूद्ध कर देने के सन्दर्भ में नगर निगम, जयपुर के अधिकारियों को शिकायत करने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.10.2017 के अनुसार परिवादी के पड़ौसी वीरेन्द्र सिंह द्वारा किये गये अवैध लोहे की सीढ़ियों के निर्माण को दिनांक 25.09.2017 को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(273)लोआस/2017

श्री भँवर लाल पुत्र स्व. मोतीलाल भार्गव, निवासी वार्ड नं. 23, पोस्ट तारानगर, जिला चूरू द्वारा प्रेषित परिवाद में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर पदीय हैसियत से बाहर सांठ-गांठ कर स्कूल के आगे सरकारी भूमि पर श्री विमल कुमार द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में श्री विमल कुमार सरावगी को सरकारी भूमि पर डाले गये लोहे के सरिया व अवैध चौकी हटाने के लिये नोटिस दिनांक 20.06.2017 जारी करने पर अप्रार्थी द्वारा अवैध सरिये को आम रास्ते से हटा दिया गया। अप्रार्थी द्वारा सड़क के किनारे कच्ची जगह में बनाई गई पुरानी चौकी, जो कि आवागमन में बाधक नहीं थी, उसे भी तोड़कर लेवल कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(320)लोआस/2017

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी आई.सी.आई.सी.आई बैंक के पास, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में स्वयं के मकान के बाहर गौरव पथ पर रोड़ के दोनों तरफ पर नाले के अधूरे निर्माण से मकान के पास गन्दा पानी एकत्र होने पर नगरपालिका, बहरोड़ व सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नाले का निर्माण पूरा कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 22.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया है।

एफ.17(45)लोआस/2016

परिवादी श्री केवल कृष्ण अरोड़ा, निवासी 4-डी, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में यह उल्लेख किया गया कि उसके मकान के नीचे स्थित विक्रयशुदा दुकान के मालिक व उसके किरायेदार द्वारा मिलकर मकान के आगे चबूतरे की जगह पर नाजायज कब्जा किया गया है, जिसकी शिकायत नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर को करने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अवैध कब्जा/अतिक्रमण स्वयं अतिक्रमी के स्तर पर हटा दिया गया है, जिसकी पुष्टि न्यास के पटवारी द्वारा मौके पर जाकर की जा चुकी है।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद में की गई उक्त कार्यवाही से सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(69)लोआस/2016

श्री अमर सिंह रावत, निवासी ब्ल्यू केसर पब्लिक स्कूल के पास, सेठी कॉलोनी, परबतपुरा जिला अजमेर से प्राप्त परिवाद अनुसार उसकी खातेदारी की भूमि नगर सुधार न्यास द्वारा अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी विस्तार योजना में अवाप्त की गई थी एवं उसे उसकी कृषि भूमि (लेण्ड फॉर लेण्ड योजना) के बदले नगर सुधार न्यास द्वारा 9 प्लॉट आवंटित किये गये। उक्त आवंटित भूखण्डों की राशि उसके द्वारा दिनांक 07.04.2013 को अदा करने के बावजूद भी अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उसके भूखण्डों का कब्जा नहीं दिये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री अमर सिंह रावत को अर्जुन लाल सेठी नगर योजना में मौके से अतिक्रमण हटवाकर दिनांक 26.04.2017 को मौके पर कब्जा दे दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(83)लोआस/2016

श्री अजीत प्रसाद जैन, निवासी 1/35, राजस्थान आवासन मण्डल, कॉलोनी, भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में आवासन मण्डल कॉलोनी के मकान नम्बर 1/4 के मालिक द्वारा बिना अनुमति से सेट बैक घेरकर निर्माण कर एवं पीछे की तरफ की दीवार तोड़कर पीछे के सेट बैक से परिवादी की तरफ रास्ता व छज्जा बनाकर परिवादी की निजता व सुरक्षा भंग करने के आरोप लगाये। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाड़ी

को प्रार्थना-पत्र पेश किया लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित मकान के पीछे की ओर स्थित अवैध छज्जे का निर्माण हटा दिया गया।

परिवादी द्वारा प्रेषित पत्र में परिवाद में की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(103)लोआस/2016

श्री रामप्रकाश पुत्र श्री जयनारायण शर्मा, निवासी 11, रामानन्द नगर, डिग्गी के पीछे, अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में रामानन्द नगर के पास घोड़ाफेर चौराहे से जयपलटन गेट तक जाने वाली आम सड़क के दोनों तरफ की नालियां टूट जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, अलवर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस हेतु बजट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, ताकि जनता की लम्बे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो सके। जलदाय विभाग की लाइन डालने के पश्चात् प्राथमिकता से नाली निर्माण करने का कार्य किया जावेगा।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(105)लोआस/2016

श्री हरिराम ब्राह्मण पुत्र श्री ओमकार, निवासी ए-316, राठ नगर, अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में ग्राम बल्लाबोड़ा के खसरा नं. 304, 305 व 306 का ले-आउट प्लान बिना मौके की जाँच किये मौका स्थिति के विपरीत तैयार करने व पट्टे जारी करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, अलवर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ले-आउट प्लान समिति, नगर सुधार न्यास, अलवर की बैठक दिनांक 24.05.2017 के निर्णय के अनुसार प्लान में संशोधन का निर्णय लिया गया।

परिवादी से दूरभाष पर जानकारी लेने पर उसके द्वारा कथन किया गया कि ले-आउट प्लान संशोधित किया जा चुका है। ले-आउट प्लान की संशोधित प्रति भी उसे प्राप्त हो चुकी है अर्थात् परिवाद में इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से परिवादी सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(107)लोआस/2016

श्री प्रमोद बिहारी शर्मा, निवासी 2/78, अरावली विहार, अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में अरावली विहार पार्क में 2 वर्ष पूर्व बने कमरे के निर्माण में रही कमी को ठीक करवाने हेतु जिला कलेक्टर व यू.आई.टी. को अवगत कराया गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, अलवर प्राप्त रिपोर्ट के साथ आयुक्त, नगर परिषद, अलवर की रिपोर्ट संलग्न की गई जिसके

अनुसार प्रकरण में वर्णित पार्क में बनाये गये शैड का मौका मुआयना करवाया गया। मौके पर पार्क में बनाये गये शैड के ज्वाईट्स में पानी का लीकेज होना पाया गया, जिसको मौके पर सही करवा दिया गया।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। परिवाद में अंकित दूरभाष पर सम्पर्क करने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि उनके परिवाद में वर्णित समस्या का समाधान हो गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(129)लोआस/2016

श्रीमती भगवती गोस्वामी, निवासी 3620, बाबा नारायणदास दरबार, के.जी. बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में एम.आई.जी. -'ए' श्रेणी के डुप्लेक्स आवास के लिये सम्पूर्ण राशि जमा करवा देने के बाद भी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास का आवंटन नहीं करवाये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार आवासन आयुक्त द्वारा दिनांक 23.05.2017 को दिये गये निर्देशों के अनुसार परिवादी को दिनांक 07.06.2017 को आयोजित आवास आवंटन लॉटरी द्वारा आवास संख्या 76/407, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का आवंटन कर दिया गया एवं परिवादी को चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(132)लोआस/2016

श्रीमती अनिता, निवासी बाड़ा पदमपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके आवास संख्या 50/382 प्रताप नगर, सांगानेर के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.07.2017 को परिवादी को अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। रिपोर्ट के साथ अदेयता प्रमाण-पत्र की प्रति भी प्रेषित की गई।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई जिससे प्रतीत होता है कि वह परिवाद में की गई उक्त कार्यवाही से सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(149)लोआस/2016

श्री कालूराम, निवासी जी-4, महादेव एनक्लेव, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में सूरतगढ़ बाईपास पर स्थित मेरिज पैलेस द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये निर्माण करने तथा आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, सदर तथा यू.आई.टी, सचिव द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में वर्णित कपिल बंसल के नवीन मैरिज पैलेस वाली भूमि अभी खाली ही पड़ी है, जिसमें मात्र चार

दीवारी बनी हुई है। न्यास में उक्त भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही अभी लम्बित है।

पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानर से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी मैरिज पैलेस के मालिकों को बुलाकर रात्रि के 10.00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग नहीं करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है तथा सभी थानाधिकारियों को तय समय के पश्चात् ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर परिवादी से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे प्रतीत होता है कि वह परिवाद में की गई उक्त कार्यवाही से सन्तुष्ट है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(166)लोआस/2016

श्री शिवराज सिंह चौधरी, निवासी 72/272-ए, परमहंस मार्ग, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में मानसरोवर क्षेत्र में प्लॉट नं. ए-33, ए-68 एवं सीडी-302, दादूदयाल नगर, मानसरोवर में नियम विरूद्ध हुए निर्माण पर रोक लगवाने एवं अतिक्रमण को ध्वस्त कराने के सन्दर्भ में जे.डी.ए. द्वारा मिलीभगत कर के कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार दादूदयाल नगर, इस्कॉन रोड़, मानसरोवर क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने के लिये प्रवर्तन अधिकारी जोन-8 को अधिकृत किया गया है एवं धारा 32 के नोटिस के पश्चात् पार्किंग

एरिया में अवैध रूप से निर्माण के विरूद्ध धारा 34(क) के तहत नोटिस जारी कर पार्किंग में किये गये निर्माण को सील किया गया।

परिवादी द्वारा प्रेषित पत्र में परिवाद में की गई कार्यवाही से संतुष्ट होना व प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत लिखकर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(181)लोआस/2016

श्री नजमुद्दीन, निवासी 38, सिलावटवाड़ी, उदयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में नगर सुधार न्यास, उदयपुर की सार्वजनिक भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिये नगर सुधार न्यास द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सीसारमा के खसरा नम्बर 2218, न्यास की भूमि से मौके पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया और इस प्रकार से परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(189)लोआस/2016

श्री हसन मोहम्मद, निवासी बम्बू का बाँस, मन्नाका जिला अलवर द्वारा प्रेषित परिवाद में अरावली विहार योजना, अलवर में अवाप्तशुदा भूमि के बदले विकसित भूमि व रास्ता नहीं दिये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में नगर सुधार न्यास, अलवर से पत्राचार करने पर प्रेषित जाँच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.07.2017 को नगर सुधार न्यास की आवंटन समिति की बैठक में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 592 के सन्दर्भ में भूमि दी जा चुकी है।

परिवादी मोहम्मद असलम द्वारा प्रेषित पत्र में परिवादी का कथन है कि उसे विकसित भूमि व रास्ता मिल चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(207)लोआस/2016

श्री चुन्नीलाल जाट, निवासी 269-ए, सिंधु नगर, स्कीम नम्बर 16, प्रताप नगर, मुरलीपुरा, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में प्लॉट संख्या 270 की मालकिन श्रीमती मधु विजय द्वारा अवैध रूप से ग्लास पर पेन्टिंग, कटिंग व मॉडलिंग का कार्य किये जाने के सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भू-खण्ड संख्या 270, प्रताप नगर, मुरलीपुरा में अवैध रूप से की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के विरूद्ध दिनांक 22.02.2017 को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 09.01.2018 को पुनः मौका निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि अब कोई काँच फेक्ट्री संचालित नहीं है।

परिवादी स्वयं उपस्थित आया एवं काँच फैक्ट्री बन्द हो जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट होने के सन्दर्भ में प्रार्थना-पत्र पेश किया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(22)लोआस/2017

श्री खेताराम कुमावत, निवासी 880, गणेश नगर, निवारू रोड़, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके स्वयं के प्लॉट सँख्या 76, भास्कर एनक्लेव, ग्राम धोलाई, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर निर्मित जी+2 भवन को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सील किये जाने के आरोपों के सन्दर्भ में पेश किया गया।

परिवादी के आरोपों के बारे में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की ओर से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट दिनांक 05.01.2018 के अनुसार भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर अवैध निर्माण हटाने हेतु 30 दिवस के लिये भवन को सील मुक्त किया गया और इसके पश्चात् भू-स्वामी द्वारा अवैध निर्माण हटा लिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(61)लोआस/2017

श्री दिलीपसिंह सोलंकी, निवासी सिंह हाऊस, बच्चे की गली, गुलाब सागर, जोधपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में आयुक्त एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आदेश पर मारवाड़ वेलफेयर हॉल हज हाऊस स्टेडियम, जोधपुर में साइलेन्ट जनरेटर लगाने के कार्य का प्रथम बिल का भुगतान विगत 3 वर्ष 4 माह से आयुक्त एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर से पत्राचार करने के फलस्वरूप परिवादी का पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुसार परिवादी ने लोकायुक्त सचिवालय को धन्यवाद देते हुए कथन किया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उसके कार्य का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(100)लोआस/2017

परिवादी श्री दिलीप सुराणा, निवासी सी-129, शास्त्री नगर, जोधपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में यह उल्लेख किया गया कि खसरा नं. 910/747 ग्राम जोधपुर में स्थित प्लॉट संख्या 35 का पट्टा ले-आउट स्वीकृत नहीं होने का कारण बताकर पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि ले-आउट पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2 वर्ष से पट्टा नहीं दिये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का भू-खण्ड खसरा नम्बर 910/747 में स्थित है जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2017 को ही जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हुई है। प्राधिकरण के नाम दर्ज होते ही परिवादी को पट्टा दिनांक 01.09.2017 को जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(112)लोआस/2017

परिवादी श्री वी.एस. हलावत व अन्य निवासी रामपुरा कॉलोनी, सिविल लाइन्स, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-7 में 240 वर्ग गज सड़क की भूमि एवं 1185 गज के तीन भूखण्डों को इकजाई कर बिना किसी रूपान्तरण के प्रवर्तन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण से मिलीभगत कर मुख्य सड़क, क्वीन्स रोड़ पर खुले आम होटल निर्माण करवाने एवं इस सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भू-खण्ड सँख्या 19, 20 व 21, गुरू जम्बेश्वर नगर-ए में किये गये अवैध निर्माण के सन्दर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32 व 33 का नोटिस जारी कर रोड़ सीमा में किये गये अतिक्रमण को हटा लिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(25)लोआस/2016

परिवादी श्री हनुमान प्रसाद महावर पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल महावर निवासी विकास कॉलोनी, गेटोलाव रोड, जिला दौसा ने यह परिवाद दौसा जिले में समस्त अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक रूपये वसूल करने के सन्दर्भ में दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 26.12.2016 प्रेषित किया गया। इस

सम्बन्ध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 10.02.2017 के अनुसार दिनांक 1.4.2016 से 15.1.17 तक अनुज्ञा-पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में 64 अभियोग एवं निर्धारित विक्रय-मूल्य से अधिक विक्रय-मूल्य करने के सम्बन्ध में 71 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं एवं मदिरा अनुज्ञाधारी देशी मदिरा वार्ड नं. 20 एवं 21 के गोदाम भी निरस्त किये गय हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(7)लोआस/2017

परिवादी श्री विक्रम सिंह यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव निवासी ग्राम चांदोली, पोस्ट श्यामपुरा, बानसूर, अलवर ने यह परिवाद खेड़ा श्यामपुरा और खलीलवाली में थानाधिकारी व आबकारी अधिकारी को मंथली देकर अवैध रूप से शराब की दुकानें खोलने का आरोप लगाते हुए दुकानें बन्द करवाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.04.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.4.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित स्थान पर रैड गश्त कर खेड़ा से श्यामपुरा जाने वाली रोड के किनारे पर हेमराज अवैध मदिरा बेचते हुए पाया गया जिस पर उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.19(7)लोआस/2017

परिवादी श्री सुशील कुमार भण्डारी पुत्र स्व. श्री पुखराज भण्डारी निवासी 12/18 मालवीय नगर, जयपुर ने यह परिवाद रीको द्वारा की गई भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया को रद्द करने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक-13 जून, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, रीको राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.6.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, रीको राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.7.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि भूखण्डों की आवंटन की कार्यवाही निगम द्वारा वाद दर्ज होने के पूर्व ही निस्तारित की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 5.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(21)लोआस/2009

परिवादी श्री कमलकान्त जोशी अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी आई, 41, ए ब्लॉक तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद जैतसर सिंचाई कॉलोनी में कब्जाधारियों को बेदखल करवाकर किराया वसूलने के सन्दर्भ में दिनांक 5.3.2010 को पेश किया।

शपथ-पत्र के अभाव में परिवाद नस्तीबद्ध करने पर परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर को प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि जिन व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया था, उनसे आंशिक वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है जिसमें स्थगन आदेश लागू है। पत्र में 6 कर्मचारियों का उत्तरदायी होना बताया गया है जो सभी सेवानिवृत्त होने बताये गये। कैनाल कॉलोनी जैतसर के राजकीय आवास में अनाधिकृत रूप से जो व्यक्ति निवास कर रहे थे, उन्हें पूर्णतः खाली करवा लिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.6.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(52)लोआस/2015

परिवादी श्री मोहनलाल प्रजापत पुत्र श्री सुखदेव निवासी कुचलवाड़ा रोड, शिव कॉलोनी, हनुमाननगर, स्टील फैक्ट्री के सामने, देवली टोंक, ने यह परिवाद बरानी डूब क्षेत्र में जो जमीन उसे मिली थी उसे निरस्त किये जाने से वापिस दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक- 21.01.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 05.2.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के साथ संलग्न अतिरिक्त कलेक्टर, पुनर्वास एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर, परियोजना, देवली, टोंक के पत्र दिनांक

18.1.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि बीसलपुर विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि 31.12.17 या आदेश जारी होने की तिथि से 180 दिवस तक की अवधि बढ़ा दी गई जिसके बाबत सूचना परिवादी को प्रेषित की गई। इस कार्यवाही में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से त्रैमासिक प्रतिवेदन मँगवाया जा रहा है। प्रकरण में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से परिवाद सचिवालय स्तर पर दिनांक 5.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(56)लोआस/2015

परिवादी श्री गणपत सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट रामगढ़ तहसील विजयनगर जिला अजमेर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मसूदा, अजमेर के सहायक अभियन्ता के विरूद्ध देवीसागर फीडर, रामगढ़ का निर्माण कार्य वर्षो से अपूर्ण होने व बार बार शिकायत किये जाने पर भी कार्य पूरा न करवाने की जाँच करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 16 फरवरी, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 26.5.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 20.6.16 एवं 17.11.17 के अनुसार देवीसागर फीडर, रामगढ़ कार्य की मुख्यमन्त्री जल स्वावलंबन अभियान द्वितीय चरण के अन्तर्गत 9 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर कार्यादेश दिनांक 3.2.17 राशि 5,37,310/- रूपये का जारी करना एवं वर्तमान में कार्य दिनांक 30.6.17 को पूर्ण कर लिया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(10)लोआस/2016

परिवादी श्री भैरूलाल पालीवाल पुत्र स्व. श्री रामलाल निवासी ग्राम गुडला, हाल मुकाम कर्मचारी कॉलोनी, नाथद्वारा, राजसमन्द ने यह परिवाद खारी फीडर कैनाल हेतु अवाप्त भूमि के बदले में अन्य जगह भूमि दिलाने के सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, राजसमन्द को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.7.2016 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 8.12.17 के अनुसार परिवादी को अवाप्त भूमि के बदले में भूमि आवंटित की गई थी किन्तु परिवादी द्वारा कब्जा नहीं लेने के कारण अन्य लोगों के कब्जे हो गये। पूर्व में परिवादी को किये गये भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है जिसका निरस्तीकरण होते ही कार्यालय से पट्टा जारी कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.2.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(13)लोआस/2016

परिवादी श्री हरीश चन्द पुत्र श्री धर्मचन्द निवासी मकान नं. 75 मोहल्ला नवाबपुरा, अलवर ने यह परिवाद मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर

के विरूद्ध यात्रा भत्तों का भुगतान करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 14.6.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.6.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.4.2017 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के यात्रा-भत्तों के सम्बन्ध में कुल राशि 19,215/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(24)लोआस/2016

परिवादी श्री गोविन्द राम जाट पुत्र श्री सांवतराम जाट निवासी चक 32 एस एस डब्ल्यू, फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद तहसीलदार द्वारा गठित कमेटी की सीमाज्ञान-रिपोर्ट के आधार पर सहायक अभियन्ता द्वारा सही स्थान पर स्वीकृत खाला पुलिस मौजूदगी में खुदवाने के सन्दर्भ में दिनांक 29 अगस्त, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 7.9.16 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14.3.17 के अनुसार किला नं. 1 में नहर के पटड़ की टोह से 5 फुट जगह छोड़कर जलमार्ग खुदवाने पर दोनों पक्षों की सहमति दे दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(35)लोआस/2016

परिवादी श्री सरदार सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी नाथूखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ ने यह परिवाद सिंचाई विभाग, पचपहाड़, झालावाड़ के अधिकारियों के विरूद्ध बाँध से परिवादी की भूमि नष्ट हो जाने के कारण मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.10.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 29.11.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन, वृत्त झालावाड़ से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि भिमानी सिंचाई परियोजना के बांध के डेम लाईन डूब क्षेत्र बोरो एरिया एवं वेस्ट वियर में अवाप्त की जाने वाली भूमि के परिवादी श्री सरदारसिंह के मुआवजे का चैक तादादी 7,26,000/-रूपये तैयार कर हितकारी को मुआवजे का चैक वितरण हेतु तहसीलदार, पचपहाड़ को भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.23(55)लोआस/2016

परिवादी श्री विजयकृष्ण दाधीच पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी ब्रह्मपुरी मोरी के हनुमान जी के पास रामपुर, कोटा ने यह परिवाद लोकसेवक भारत रत्न गौड़ अधिशाषी अभियन्ता, सीएडी अन्ता (बारां) के विरूद्ध चयनित वेतनमान दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24.3.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.3.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विकास आयुक्त (सिंचाई प्रकोष्ठ), सीएडी, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 14.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का सेवानिवृति उपरांत उनका 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान निर्धारण होने के पश्चात् एरियर भुगतान की कार्यवाही की जाकर अधिशाषी अभियन्ता, दाईं नहर खण्ड द्वितीय कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट, अंता द्वारा उप कोष कार्यालय, अंता में भुगतान हेतु भिजवा दिया गया। परिवादी से प्राप्त पत्र के अनुसार उसे चयनित वेतनमान का भुगतान प्राप्त हो चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.23(3)लोआस/2017

परिवादी श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री माँगी लाल शास्त्री निवासी 592 ए आर.के.पुरम, कोटा ने यह परिवाद लोकसेवक श्री शाबिर हुसैन व श्री चन्द्रभान मौर्य सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कोटा के विरूद्ध

उसकी जमीन तथा मकान डूब क्षेत्र में आने से मुआवजा में आवंटित प्लॉट दिलवाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.04.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से प्राप्त पत्र दिनांक 14.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 4.8.17 को पट्टा आवंटित कर दिया गया ।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.24(3)लोआस/2015

परिवादी श्री रामसिंह कविया पुत्र स्व. श्री बलवन्तदान निवासी 1 डी 89 ललिता शास्त्री नगर, जयपुर ने यह परिवाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के मुख्य अभियन्ता, श्री अमर जीत सिंह के विरूद्ध एरियर पर 9 प्रतिशत ब्याज दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 15.9.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.10.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, इंदिरागांधी नहर परियोजना, बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक 6.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को ब्याज राशि रूपये 7274/- का भुगतान पूर्व में तथा शेष राशि रूपये 3,230/- की अधि स्वीकृति निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण

विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर को भिजवा दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.5.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(7)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री रामजी लाल मीणा माँजी की बावड़ी, पुराना राजगढ़ पंचायत समिति, राजगढ़ जिला, अलवर ने यह परिवाद स्वयं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 7.11.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.1.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.5.17 के अनुसार परिवादिया के प्रार्थना-पत्र पर पुनर्विचार किया गया एवं विवाह सहायता राशि रूपये 51,000 स्वीकृत कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 5.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(16)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री सोहन सिंह सैनी निवासी वीपीओ गहनौली तहसील महवा जिला दौसा ने यह परिवाद स्वयं की पुत्री के

विवाह की सहायता राशि न देने के सन्दर्भ में दिनांक 24.1.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.2.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव मण्डल, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 13.04.2017 के अनुसार परिवादी को वांछित राशि स्वीकृत कर दी गई है जिसे परिवादी द्वारा स्वयं भी स्वीकार किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(24)लोआस/2014

परिवादी श्री गंगा सहाय मीणा, निवासी मकान नं. 13-62 श्रीराम कॉलोनी कटी घाटी, अलवर ने यह परिवाद श्रीराम कॉलोनी कटी घाटी, अलवर में शेष रहे मकानों में पीने के पानी की समस्या के सन्दर्भ में दिनांक 11.9.14 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर एवं मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 11.11.14 प्रेषित किये गये। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि विचाराधीन प्रकरण में पानी की समस्या के स्थाई निदान हेतु मैसर्स इण्डियन हूम पाइप कम्पनी लिमिटेड, मुंबई को 31.3.17 को निविदा स्वीकृति के

पश्चात अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एनसीआर), अलवर द्वारा कार्यादेश जारी किया गया है तथा संवेदक द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 01.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(51)लोआस/2014

परिवादी श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी मु.पो. नवलगढ़ जिला झुंझुनूं ने यह परिवाद श्री बनवारीलाल, सहायक अभियन्ता, जल ग्रहण पंचायत समिति, नवलगढ़ एवं श्री उदाराम अधीक्षण अभियन्ता, जिला परिषद, झुंझुनूं के विरूद्ध बिना आवश्यकता शमशान घाट में टंकी का निर्माण करवाने व अन्य कार्यों में अनियमितता एवं गबन के सन्दर्भ में दिनांक 01.01.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.2.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में आयुक्तालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान से प्राप्त पत्र दिनांक 23.11.16 के अनुसार अवगत करवाया गया कि जल ग्रहण समिति कोलसिया के पूर्व अध्यक्ष सचिव एवं कृषि विशेष सदस्यों को दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करने का दोषी मानते हुए हटा दिया गया तथा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.3.17 के अनुसार श्रीमती हरकोरी देवी एवं हरफूल को किये गये 6-6 दिवस के अधिक भुगतान की राशि रूपये 1,764/- की वसूली सचिव श्री रामनिवास से कर उप-समिति कोलसिया के खाते में जमा करवाई गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 7.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(26)लोआस/2015

परिवादी श्री रामकरण सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी, निवासी कॉलेज के सामने वार्ड नं. 01 बावडी का बास, राजगढ़ जिला अलवर ने यह परिवाद जलापूर्ति हेतु बोरिंग व टंकी की स्वीकृति करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 09.07.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 18.7.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड राजगढ़ से प्राप्त पत्र दिनांक 09.06.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि बंजारा बस्ती में एक नलकूप लगाया गया था परन्तु वह सफल नहीं हुआ। इस क्षेत्र को पाइपलाइन से लाभान्वित होने में समय लगने की संभावना बताते हुए वैकल्पिक तौर पर परिवादी के घर से 100 फीट की दूरी पर एक हैण्डपम्प चालू हालत में होना बताया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(46)लोआस/2015

परिवादी श्री नानक चन्द नागपाल निवासी 6 ब 25 पवनपुरी दक्षिण विस्तार, बीकानेर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

बीकानेर के अधिकारियों के विरूद्ध निर्धारित मापदण्ड का पानी उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 17.9.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 1.10.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत बीकानेर से प्राप्त पत्र मय टेस्टिंग दिनांक 04.08.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि जल सैंपल की जाँच करने पर परिवादी के क्षेत्र में वितरित किया जा रहा जल सही पाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 18.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(71)लोआस/2015

परिवादी श्री दिलीप कुमार सुथार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति सुथार निवासी 12 डीबीएल डबलीवाला तहसील टिब्बी वाया, रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद ग्राम पंचायत डबलीवाला के चक 14 डीबीएल के निवासियों की पानी की समस्या का समाधान करवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 30.12.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 11.1.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि अतिवृष्टि के कारण एक स्टोरेज टेंक व वाटर वर्क्स

के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 13.37 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जीर्णोद्धार का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 30.8.2017 तक कार्य सम्पूर्ण होने की संभावना है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 4.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(78)लोआस/2015

परिवादी श्री परिवादी महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री के.डी. शर्मा निवासी एफ 2 माउण्ट अपार्टमेंट, प्रथम तल द्वैत्य मगरी, एक्सिस बैंक के सामने, सहेली मार्ग, उदयपुर द्वारा यह परिवाद अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिसलपुर-दूदू परियोजना खण्ड मालपुरा, जयपुर के विरूद्ध पी.जी. राशि रिफण्ड अकारण रोके रखने का आरोप लगाते हुए पी.जी. राशि रिफण्ड करवाने के अनुतोष हेतु दिनांक 28.1.16 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.2.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री महेन्द्र कुमार के कार्य का अंतिम बिल पास कर धरोहर राशि रूपये 85,802/- टीवी नं. 27255 दिनांक 22.6.17 के द्वारा लौटा दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.31(85)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेन्द्र जैन, महामन्त्री द्वारा यह परिवाद श्री नईम खान, सहायक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध नईम खान द्वारा ए ब्लॉक वैशाली नगर की पानी की टंकी के कैम्पस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने की शिकायत प्रस्तुत करने पर कब्जाशुदा स्थान को खाली करवाने की प्रार्थना के साथ दिनांक 17 फरवरी 2016 को प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 1.3.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि कर्मचारी द्वारा ए ब्लॉक वैशाली नगर पानी की टंकी के कैम्पस में राजकीय क्वार्टर पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया है तथा कर्मचारी नईम खान से किराया भत्ता की माह 5/2013 से 12/2016 तक की कुल बकाया राशि रूपये 93,274/-की कटौती 2000/-रूपये प्रतिमाह कर्मचारी के वेतन बिल से प्रारम्भ कर दी गई है, जो अप्रैल 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.31(13)लोआस/2016

परिवादी श्री राम अवतार सोनी पुत्र श्री बंशीधर सोनी निवासी वार्ड नं. 20 तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने यह परिवाद सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, श्रीमाधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर वार्ड नं. 20 में पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करवाने एवं अवैध कनेक्शनों को हटवाने के सन्दर्भ में दिनांक 16.5.2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.5.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि शहरी योजना, श्रीमाधोपुर पर नलकूप कमिशनिंग कर एचडीपीई पाइप लाइन डालकर पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 30.6.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(19)लोआस/2016

परिवादी श्री दिनेश सारण निवासी सारणों की ढाणी मंगल नगर, गुडा बिश्नोईयान, जोधपुर ने यह परिवाद पानी की समस्या का समाधान करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 31.5.2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.8.16 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर,

जोधपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 28.3.2017 के अनुसार परिवाद में अंकित कॉलोनी को कुड़ी हौद हैडवर्क्स से पाइप लाइन द्वारा जोड़कर आस-पास की ढाणियों में पेयजल वितरण का कार्य किया जा रहा है। चूंकि आबादी बिखरी हुई है, इसलिए चार पाँच घरों के समूह में बने हुए टांकों में जल वितरण उच्च जलाशय के माध्यम से किया जा रहा है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.4.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(33)लोआस/2016

परिवादी श्री रामचन्द्र परिहार पुत्र श्री माँगी लाल परिहार निवासी नयापुरा बालफिया भोमियाजी के पास, फलौदी, जोधपुर द्वारा वार्ड नं. 30 नयापुरा गालियों के बास में बगतूड़ी की साल होते हुए बालकिया भोमियाजी के थान तक जाने वाली पाइप लाइन से जल सप्लाई सुचारू करवाने हेतु यह परिवाद दिनांक 23.8.16 को प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 31.8.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17.7.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादित क्षेत्र में जलापूर्ति सुधार एवं जोड़े जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जल योजना की तकनीकी स्वीकृति रूपये 896.89 लाख की जारी की गई है एवं निविदा प्राप्त कर ली गई है। वर्तमान में

पाइप लाइन एवं क्षेत्र जोन में आंशिक परिवर्तन कर जलापूर्ति में सुधार कर दिया गया है तथा आंशिक जलापूर्ति बहाली कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.31(34)लोआस/2016

परिवादी श्री इमामदीन खान पुत्र श्री मुसे खां निवासी वीपीओ घंटियाली तहसील बाप जोधपुर द्वारा श्री सुमेर सिंह ग्रामसेवक घंटियाली जोधपुर के विरूद्ध यह परिवाद वीपीओ घंटियाली तहसील बाप जिला जोधपुर में जनता जल योजना के तहत 15 माह से बन्द पड़े नलकूपों को चालू करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 23 अगस्त 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 31.8.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.9.17 के अनुसार परिवाद में अंकित स्थलों पर पम्प सेट खराब होने के कारण नलकूप बन्द थे। पम्प सेट व अन्य सामग्री बदलने योजना स्वीकृत करवाकर नलकूप चालू करवा दिये गये हैं तथा वर्तमान में पेयजल योजना सुचारू होना बताया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(38)लोआस/2016

परिवादी श्री हीरा लाल पुत्र श्री जोहरी लाल निवासी विवेकानन्द नगर, अलवर ने यह परिवाद वार्ड नं. 30 में पानी की आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में दिनांक 31.8. 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.09.2016 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 13.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में दीर्घकालीन समाधान हेतु विवेकानन्द नगर सेक्टर-4 एवं इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों को अमृत योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु ले लिया गया है जिसके सम्बन्ध में इण्डियन ह्यूम पाइप लिमिटेड, मुंबई को कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पाईप लाईन डलवाकर स्कीम नं. 8 स्थित उच्च जलाशय से मिलान करवाकर उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति सुचारू कर दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.7.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.31(43)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहम्मद अयूब पुत्र साबिर मोहम्मद निवासी सिलिकॉन वैली कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन, पीएचसी के पास, रोडवेज बस स्टॉप डिपो के पीछे, सरदार शहर, चूरू ने यह परिवाद गोविन्द प्रसाद शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (परियोजना) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड

सरदारशहर चूरू द्वारा जानबूझकर फर्म के बिलों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए बिलों का भुगतान करवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 6 सितम्बर, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.9.16 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता से प्राप्त पत्र दिनांक 31.1.17 के अनुसार परिवादी को प्रमाणीकरण व जाँच के पश्चात् प्रथम रनिंग बिल रूपये 56,184 का भुगतान कर दिया गया एवं द्वितीय बिल का रूपये 89,544/- का भुगतान जून 2016 में कर दिया गया है। फर्म की एसडी द्वितीय एवं धरोहर राशि रूपये 2400/- के भुगतान हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.4.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(51)लोआस/2016

परिवादी श्री घुड़ाराम पुत्र महादेवाराम निवासी पीपल की ढाणी पोस्ट बॉटल वाया शम्भी तहसील एवं जिला सीकर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा राजकोष को नुकसान पहुँचाने की शिकायत करते हुए जाँच किये जाने एवं ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 4.11.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य

अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.08.2017 के अनुसार विभाग द्वारा बनाई गई जीएलआर (30 केएल) तीन परिवारों के मध्य है जिसके लिये भूमि खसरा नं. 885 में विभाग को दान दी गई है। भू-तल जलाशय के स्थान पर पाइप लाइन पूर्व में अवस्थित थी जिससे पीएसपी द्वारा ढाणी में जलापूर्ति की जा रही है। योजना का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना बताया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(65)लोआस/2016

परिवादी श्री सालगराम पुत्र श्री कानाराम निवासी ग्राम पंचायत, चौरू भूरिया की ढाणी तहसील फागी, जयपुर ने यह परिवाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण के विरूद्ध जीएलआर में पानी नहीं पहुंचाने तथा 20 किलोमीटर पाइप लाइन डलवाकर एवं 38 किलोमीटर पाइप लाइन के पैसे देने के प्रकरण की जाँच करने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 25 जनवरी 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.2.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 11.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि भूरिया की ढाणी में पानी की सप्लाई नियमित कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया। प्रश्नगत पाइप लाइन 35.38 किलोमीटर स्वीकृत किया जाना तथा 35.226

किलोमीटर पाइप लाइन डाला जाना और उसी का भुगतान किया जाना भी बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 4.7.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(71)लोआस/2016

परिवादी श्री नरपत सिंह पुत्र श्री तेज सिंह निवासी वार्ड संख्या 2 ग्राम डांवरा तहसील बावड़ी, जोधपुर ने यह परिवाद श्री सुरेन्द्र पारीक सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बावड़ी, जोधपुर के विरूद्ध मनमाफिक जलापूर्ति करने हेतु घरों की ओर पाइप लाइन बिछाई जाने की जाँच करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 22 फरवरी 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.03.2017 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 12.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम डाबरा में विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(80)लोआस/2016

परिवादी श्री ग्यारसी लाल सैनी द्वारा जिला महामन्त्री कांग्रेस सेवा दल निवासी पोस्ट खादरा, सीकर द्वारा ग्राम खादरा में रूपये 9,50,000/- की लागत से पेयजल टंकी टयूबवैल व पाइप लाइन का ठेका मैसर्स दूत कंस्ट्रक्शन कम्पनी को देने के एक साल बाद भी जलापूर्ति सुचारू नहीं होने एवं जलापूर्ति सुचारू करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 23 मार्च 2016 को पेश किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 2.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.9.17 के अनुसार ग्राम खादरा में सुचारू जलापूर्ति हेतु पेयजल टंकी टयूबवैल व पाइप लाइन का ठेका मैसर्स दूत कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया था। कार्य पूरा हो चुका है और जिसकी गुणवत्ता जाँच प्रमाण-पत्र ऑथेंटिक इन्स्ट्रुमेंट एण्ड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के द्वारा दिनांक 9.1.14 को जारी किया गया। वर्तमान में जनता जल योजना ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जा चुकी है। दूसरी पंचायत, नीमोद योजना के अन्तर्गत 38.81 लाख रूपये का कार्यादेश जारी हुआ था। ग्राम पंचायत द्वारा नलकूप का विद्युत बिल जमा नहीं करवाने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद हो गया था जिसका भुगतान जनता जल योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 12.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(25)लोआस/2017

परिवादी श्री देवनारायण गुर्जर पुत्र श्री रामकिशोर गुर्जर निवासी ग्राम बाड़ा वजीदपुर तहसील नादौती, करौली ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन जिला करौली के उपखण्ड, नादौती में टेंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई के सम्बन्ध मे मेहनताने के भुगतान के सन्दर्भ में दिनांक 23.06.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.6.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 5.10.17 के अनुसार परिवादी को उसके द्वारा पेयजल परिवहन कार्य के बिल राशि रूपये 2,70,400/- का भुगतान बिल सं. 1044 दिनांक 14.7.17 के द्वारा कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 5.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(30)लोआस/2017

परिवादी श्री अशोक टांक पुत्र श्री स्व. जी.एस. टांक निवासी कलेक्टर्स पैराडाइस, पुष्कर जिला अजमेर ने यह परिवाद पुष्कर शहर में सीवरेज लाइन की गन्दगी एवं आये दिन गटर चैम्बरों में ओवरफ्लो की समस्या का समाधान करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 7 जुलाई, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.07.17 प्रेषित किया

गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 4.10.2017 के अनुसार पूरणखण्ड में जमा गन्दा पानी, कचरा व काई हटाने बाबत विशेष अभियान चलाकर सफाई करवा दी गई। ओवरफ्लो की समस्या के अस्थाई समाधान हेतु एक अतिरिक्त पम्प सैट लगाया गया है, विद्युत कटौति की समस्या के निदान हेतु जनरेटर की व्यवस्था करवाई जा रही है तथा सम्पूर्ण पुष्कर शहर में सीवरेज लाइन के ओवरफ्लो के स्थाई समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा 4.10 करोड़ रूपये की डीपीआर भी स्वीकृत किया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(36)लोआस/2017

परिवादी श्री बलकरण सिंह नाई पुत्र श्री लीला सिंह निवासी ग्राम पंचायत, नारायणगढ़ तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर ने यह परिवाद उसकी नहरी काश्तकारी भूमि में जलमार्ग को पुनः चालू करवाने तथा दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 28 जुलाई, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 4.8.2017 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11.9.17 के अनुसार 40-45 वर्षों से चले आ रहे जल मार्ग को पक्षकारों में आपसी विवाद होने व विभिन्न न्यायालयों के स्थगन प्रभावी होने के कारण उस दौरान चालू नहीं करवाया जा सका। न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 12.4.17 को निरस्त करने पर दिनांक 18.4.17 को सिंचाई व्यवस्था बहाल कर दी गई जो वर्तमान में भी चालू है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 6.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(38)लोआस/2015

दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक 9.9.15 संस्करण में छपी खबर ''स्कॉलरशिप के लिये अफसर बन गये बीपीएल'' के आधार पर दिनांक 9.10.2015 को इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 23.06.16 प्रेषित कर प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय प्रलेख आहूत की गई।

इस सचिवालय द्वारा इस संबंध में निरन्तर कार्यवाही किये जाने पर निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 8.11.17 के अनुसार भारत सरकार के छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार ''गलत तथ्यों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति राशि वसूल करने एवं सम्बन्धित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृत्ति हेतु ब्लैकलिस्ट एवं डिबार करने का प्रावधान है।'' इस प्रकरण में संजय सिंह मीणा, राजकुमार मीणा एवं वीरेन्द्र मीणा में से किसी को भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया था। इन तीनों विद्यार्थियों को विभाग की किसी भी योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति हेतु भविष्य के लिये ब्लैकलिस्टेड तथा डिबार कर दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(27)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बाबू लाल निवासी वीपीओ अलाम तहसील एवं जिला नागौर द्वारा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर से लाभान्वित करवाने हेतु यह परिवाद दिनांक 12.7.16 को पेश किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 2.9.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत 25 हजार रूपये की अनुदान राशि से लाभान्वित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 3.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(38)लोआस/2016

परिवादी श्री लोकेश कुमार मराठा पुत्र श्री भागीरथ लाल मराठा निवासी ग्राम नला, पोस्ट खण्डवा, तहसील निवाई जिला टोंक ने यह परिवाद छात्रवृत्ति दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 16.9.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.9.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को वर्ष 2012-13 में पी.जी. डिप्लोमा की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की शेष रही राशि रूपये 1,17,000/- का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक- 3.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(52)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती ममता वर्मा पत्नी श्री गंगाराम रैगर निवासी रैगरों का मोहल्ला, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर ने यह परिवाद छात्रवृत्ति दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 17 जनवरी, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.1.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार परिवादिया को छात्रवृत्ति का भुगतान करना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(57)लोआस/2016

परिवादी श्री श्रवणलाल बैरागी पुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी वार्ड नं. 16 बपावर रोड तहसील सांगोद, कोटा ने यह परिवाद समाज कल्याण विभाग के विरूद्ध वृद्धावस्था पेन्शन चालू करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 7 मार्च, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.3.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (पेन्शन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.5.17 के अनुसार परिवादी की वृद्धावस्था पेन्शन सितम्बर, 2016 से मार्च, 2017 तक की उसके बैंक खाते में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(9)लोआस/2017

परिवादी श्री नीरज कुमार वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र वर्मा निवासी 5 एस, बलाई बस्ती, नहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर ने समाज कल्याण विभाग के विरूद्ध यह परिवाद उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अजा 2013 का पूर्ण भुगतान कराने के सन्दर्भ में दिनांक 16 जून 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 11.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (अजा/जजा कल्याण) सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 9.10.17 के अनुसार वर्ष 2012-13 की छात्रवृत्ति की कुल राशि रूपये रूपये 29,400/- का भुगतान बिल नं. 375 दिनांक 3.12.14 के द्वारा किया गया है। वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति की कुल राशि रूपये 31,500/- का भुगतान जरिये बिल नं. 186 दिनांक 3.8.15 के द्वारा कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति का प्रार्थना-पत्र अंकतालिका के अभाव में निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 27.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(10)लोआस/2017

परिवादी श्री नीरज कुमार वर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र वर्मा, निवासी 5 एस बलाई बस्ती नाहरी का नाका, शास्त्रीनगर, जयपुर ने यह परिवाद छात्रवृत्ति भुगतान कराने के सन्दर्भ में दिनांक 10 मई 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.8.17 के अनुसार परिवादी की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 की राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(15)लोआस/2017

परिवादिया श्रीमती आशादेवी रैगर पत्नी श्री मोहन लाल रैगर निवासी ग्राम बाढ़ महाराजपुरा पोस्ट खेडा रानीवास तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ने यह परिवाद उसे महाराजपुरा पोस्ट कोटखावदा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति नहीं देने के सम्बन्ध में श्रीमती मन्जू चौहान, बाल विकास परियोजना अधिकारी, चाकसू, जयपुर के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत करते हुए उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दिलाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 21 जून, 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.06.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.10.17 के अनुसार परिवादिया को आंगनबाड़ी केन्द्र बाढ महाराजपुरा ग्राम खेडा रानीवास मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन कर लिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(20)लोआस/2017

परिवादी श्री राजकुमार जायसवाल पुत्र श्री ज्ञानचन्द जायसवाल निवासी शिवपुरी कालोनी, बौली सवाई माधोपुर ने यह परिवाद ओबीसी वर्ग में परिवादी को प्रोत्साहन राशि दिलाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 17.7.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.7.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 26.9.17 के अनुसार प्रार्थी की अनुप्रति योजनान्तर्गत देय प्रोत्साहन राशि रूपये 25000/- का बिल बनाकर कोष कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाया जाना एवं वहाँ से दिनांक 14.9.2017 को परिवादी के खाता मे रूपये 25000/- राशि जमा करवा दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.34(50)लोआस/2015

परिवादी श्री राकेश मीणा पुत्र श्री वेस्ता मीणा निवासी अरनिया पोस्ट धलकियाँ, बाँसवाड़ा ने यह परिवाद नियुक्ति की समय सीमा में शिथिलन दिलवाये जाने के के सन्दर्भ में दिनांक 22.3.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 26.4.16 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की रिपोर्ट दिनांक 1.3.17 के अनुसार परिवादी की अनुकम्पात्मक नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर श्री मीणा को उदयपुर मण्डल आवंटित किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य0) उदयपुर (प्रथम) को पदस्थापन किये जाने हेतु सौंप दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.3.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.34(17)लोआस/2016

परिवादी श्री दिनेश पारीक पुत्र स्व. श्री गोरधन लाल पारीक निवासी प्लॉट नं. 3 दुर्गा विहार, टोंक रोड, जयपुर, (सेवानिवृत आरएएस) ने श्री बालेन्द्र पाण्डेय, उप विधि परामर्शी, कार्मिक विभाग, जयपुर के विरूद्ध परिवाद दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत कर उसे उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान ब्याज सहित दिलाने एवं श्री बालेन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुतोष चाहा।

प्रकरण के सम्बन्ध में शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.1.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 9.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी को बकाया अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 23.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.34(24)लोआस/2016

परिवादी श्री नेमीचन्द चौधरी निवासी 1/404 विद्याधर नगर, जयपुर ने यह परिवाद संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के विरूद्ध परिवादी की जीपीएफ खाता संख्या 73762 की बकाया राशि का भुगतान दिलवाये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 21 मार्च 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदोक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 04.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज., जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 31.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी की बकाया राशि के लेजर जिला कार्यालय, नागौर एवं टोंक से प्राप्त होने पर गणना कर अवशेष राशि रूपये 81,051/-का अधिकार-पत्र जारी कर कर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर दिया गया है तथा अब कोई राशि बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.7.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.34(4)लोआस/2017

परिवादी श्री बालकिशन हीरागर पुत्र स्व. श्री भगवाना राम हीरागर निवासी पुरानी पुलिस के पास झूपाघाट, सिरोही हाल मुकाम पोस्ट गोयली, सिरोही ने यह परिवाद संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय के विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23.5.17 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में शासन सचिव कार्मिक, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 29.5.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध में विलम्ब अवधि में शिथिलन प्रदान किया जाकर पत्रावली सम्बन्धित विभाग को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाई जा चुकी है। इस विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.8.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.34(6)लोआस/2017

परिवादी श्री भागीरथ पुत्र सुण्डाराम निवासी ग्राम दूधवालों का बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ने यह परिवाद श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, मन्त्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान द्वारा सरपंच एवं अन्य को राजनैतिक संरक्षण देने के आरोप में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 16 जून 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 6.7.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव एवं आयुक्त (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट 6.11.17 के अनुसार दिनांक 21.8.17 को सुनवाई के उपरांत सरपंच श्री मुरारी लाल शर्मा को दोषी पाये जाने पर उन्हें ग्राम पंचायत दूधवालों का बास के

सरपंच पद से अयोग्य घोषित किया जाकर सरपंच का चार्ज नियमानुसार उप सरपंच, ग्राम पंचायत दूधवालों का बास को दिलवा दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.11.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(130)लोआस/2013

परिवादी श्री भीमराज सिंह, जिला अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, जिला सीकर से दिनांक 08.04.2013 को प्राप्त परिवाद में विभिन्न बोर्ड अध्यक्षें पर राशि बकाया होने, सेवानिवृत्त अधिकारियों, पूर्व मंत्रियों और डाक्टरों द्वारा राजकीय आवासों का किराया नहीं चुकाने, मनरेगा में जेसीबी से काम, मजदूरों को 1/-रू. प्रतिदिन मजदूरी देने, एसीबी के एएसपी द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने बाबत आरोप लगाये गये।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 30.06.2014 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि खाता संख्या 2355:356 की फरवरी, 2013 तक 57,970/-रू. की राशि बकाया थी और उसके बाद अप्रेल, 2014 तक बकाया बिलों की राशि चार किश्तों में जमा करवा दी गई तथा वर्तमान में कोई राशि बकाया नहीं है।

उप शासन सचिव, स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 13.05.2014 प्रेषित कर प्रकट किया है कि दिनांक 30.03.2009 से 30.0902012 तक बकाया किराया पेटे करीब 1,45,32,201/-रू. के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 145.33 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाकर बकाया किराया विभागीय मद में जमा हो चुका है।

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 30.04.2014 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि पंचायत समिति, दूदू की 21 ग्राम पंचायतों में अप्रेल एवं जुलाई के मध्य मजदूरी दर 13/-रू. से कम आने का कारण स्वीकृत कार्यों पर मिट्टी खुदाई का कार्य जेसीबी मशीन लगाकर करवाया गया। अब जेसीबी द्वारा करवाये जा रहे कार्यों को रूकवा दिया गया। कई कार्यों पर श्रमिकों ने कोई कार्य नहीं किया व कुछ कार्यों पर कम मजदूरी (दर) आने के कारण श्रमिकों ने पूरा कार्य नहीं किया। ग्राम पंचायत बिचून के अन्तर्गत अप्रेल 2012 में 5 कार्यों हेतु कार्य के टास्क के अनुसार 52/- से 101/- रू. के बीच श्रमिकों को भुगतान किया गया।

उप-निदेशक सम्पदा निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 23.05.2014 प्रेषित कर प्रकट किया है कि बकाया किरायं में से डॉ. एल.डी. अग्रवाल से आवास किराये के 69,720/-रू., डॉ. एस.एस. साखला से 34,100/- एवं डॉ. आर.एस. मित्तल से 12,600/- जमा किया जा चुका है।

निदेशक एवं उप शासन सचिव, सम्पदा निदेशालय, जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन 10.08.2017 में प्रकट किया गया है कि अब तक भूतपूर्व मंत्रीगण एवं भूतपूर्व सदस्यों से आवास किराये की कुल बकाया राशि 24,43,923/- में से 10,41,735/-रू. वसूल की जा चुकी है और बकाया वसूली बाबत नोटिसेज जारी किये जा रहे हैं पूर्ण वसूली में समय लगने की संभावना अभिव्यक्त की गई और वसूली प्रक्रियाधीन होना बताया गया।

इस प्रकार राज्य की बकाया राशियाँ के वसूल हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(286)लोआस/2014

परिवादिनी श्रीमती अनोप कंवर से दिनांक 31.10.2014 को प्राप्त परिवाद में उसके दिवंगत पति श्री भँवर सिह, आरक्षी संख्या 259/256 का प्रथम बटालियन, आर.ए.सी. में राजकीय सेवा के दौरान दिनांक 27.07.1960 को स्वर्गवास हो जाने के बावजूद उसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवादिनी के परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर द्वारा पत्र दिनांकित 24.05.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि दिनांक 24.05.2017 को पेंशन प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है, जिसके पी.पी.ओ. नंबर 2008068 है। पत्र के साथ पीपीओ की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई। स्वयं परिवादिनी श्रीमती अनोप कंवर द्वारा पत्र दिनांकित 07.07.2017 इस सचिवालय को प्रेषित कर उसकी पारिवारिक पेंशन उप-कोषाधिकारी, मकराना जिला नागौर द्वारा उसके बचत खाते में जमा कराने का उल्लेख करते हुए इस कार्यवाही से संतुष्ट होना अभिकथित किया गया।

इस प्रकार परिवादिनी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होकर उसका भुगतान उसके बचत खाते में जमा होने से परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(125)लोआस/2015

परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश मीणा से कोटा शिविर के दौरान दिनांक 27.07.2015 को अधिशाषी अभियन्ता, दाँयी नहर खण्ड द्वितीय, अन्ता जिला कोटा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में मुख्य रूप से ग्राम लुहावद, तहसील पीपल्दा की सरकारी भूमि खसरा संख्या 905/1213 पर अतिक्रमण कर धोरे से पानी की निकासी अवरूद्ध कर दिये जाने और इस सम्बन्ध

में बावजूद शिकायत के कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, कोटा ने प्रतिवेदन दिनांकित 30.12.2015 प्रेषित कर अवगत करवाया कि धोरे के पानी की निकासी पुलिस जाब्ते की मदद से सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में बहाल कर दी गई।

जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा से जांच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांक 16.08.2017 से यह प्रकट किया कि विवादित खसरा संख्या 905/1312 पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, महावीर, छोटूलाल व बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

परिवादी द्वारा विवादित धोरा गलत स्थान पर होने एवं उसकी भूमि खसरा संख्या 906 से अतिक्रमण नहीं हटाने बाबत आक्षेप प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 24.11.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि मौके पर खसरा संख्या 905/1312 विवादित जगह खसरा संख्या 906 के सहारे खाली होकर झाड़ियाँ हैं और उक्त खसरे पर बाबूलाल का अतिक्रमण होना जाहिर होता है जिसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित की गई।

इस प्रकार धोरे से पानी की निकासी बहाल करवा देने और सरकारी भूमि खसरा संख्या 905/1312 पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(141)लोआस/2015

परिवादी तिलक नगर (शॉपिंग सेन्टर), व्यापार मण्डल, जयपुर के प्रतिनिधि श्री अनुज जैन की ओर से दिनांक 12.08.2015 को मोती डूंगरी जोन कमिश्नर श्री कौशिक के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में तिलक नगर, जयपुर में एल.बी.एस. कॉलेज के सामने स्थित पार्क को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने एवं इसे स्वच्छ बनाये जाने का निवेदन किया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 05.07.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया कि तिलक नगर शॉपिंग सेन्टर, एल.बी.एस. कॉलेज के पास हो रहे अस्थाई अतिक्रमण को नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 20.06.2016 को हटा दिया गया।

उपायुक्त, मोती डूंगरी जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा पत्र दिनांकित 28.12.2016 प्रेषित कर यह अवगत करवाया गया कि तिलक नगर शॉपिंग सेन्टर में सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी, मोती डूंगरी जोन, नगर निगम, जयपुर को नियमित रूप से सफाई करवाये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके तहत नियमित सफाई करवाने का कार्य करवाया जा रहा है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रकरण में वांछित कार्यवाही हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर उक्त परिवाद को दिनांक 19.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(229)लोआस/2015

परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा से दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त परिवाद में ग्राम पंचायत, कोलासिया, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं में स्थित

मन्दिर माफी की भूमि पर पटवारी श्री जुगलाल, गिरदावर बसावा एवं पुलिस थाना नवलगढ़ के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके अवैध निर्माण करवा देने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 20.09.2016 एवं पत्र दिनांकित 11.01.2017 प्रेषित कर यह अवगत करवाया गया कि खसरा नंबर 853 मन्दिर श्री रघुनाथ जी भगवानदास की खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में जानबूझकर कार्यवाही नहीं करने के लिये श्री मोहनलाल मीणा, भू-अभिलेख निरीक्षक, नवलड़ी एवं श्री जुगलाल, पटवारी, पटवार मण्डल, कोलासिया के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दिनांक 20.02.2017 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। मौके पर 30-40 वर्षो से करीब 25-30 परिवारों का निवास होने से उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं को निर्देर्शित किया गया।

इस प्रकार लोक-सेवक श्री भंवरलाल मीणा, भू-अभिलेख निरीक्षक, नवलड़ी एवं श्री जुगलाल, पटवारी, कोलसिया द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही नहीं किये जाने से उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने एवं मौके पर 30-40 वर्षो से 25-30 निवास करने वाले परिवारों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं को निर्देशित कर दिये जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(250)लोआस/2015

परिवादी श्री गीगालाल मीणा से दिनांक 17.11.2015 को प्राप्त परिवाद में ग्राम सुजावास, पंचायत समिति, पिपराली तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में खसरा संख्या 378 में स्थित उसकी पट्टाशुदा आवासीय 150 वर्गगज भूमि को ग्राम सुजावास के विद्यालय प्रशासन के अतिक्रमण से मुक्त कराने अथवा जिला जन अभियोग निराकरण समिति, सीकर के निर्णय 31.05.2014 की पालना करवाकर ग्राम पंचायत से 150 वर्गगज भूमि उपलब्ध करवाकर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, सीकर द्वारा पत्र दिनांकित 17.05.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि खसरा संख्या 378 में खाली भूमि से अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को पत्रावली संख्या 2/2017 से पंचायत बैठक दिनांक 20.04.17 के निर्णय द्वारा पट्टा संख्या 1801 नियम 158(1) में 150 वर्गगज का नि:शुल्क जारी कर परिवादी को भूखण्ड का कब्जा दिलवा दिया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को पट्टा जारी कर आधिपत्य सुपुर्द कर दिये जाने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 25.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(355)लोआस/2015

परिवादी श्री ज्ञानचंद मित्तल से दिनांक 09.02.2016 को प्राप्त परिवाद में ग्राम अलवर नम्बर एक में खसरा संख्या 1173 में उसके हिस्से के प्लॉट नंबर 9 के सम्बन्ध में बरकत खाँ द्वारा फर्जी कागजों के आधार पर नगर विकास न्यास, अलवर से फर्जी पट्टा बनाने बाबत की गई शिकायत एवं इस सम्बन्ध में थाना एनइबी, अलवर में पंजीबद्ध कराये गये अभियोग

संख्या 419/13 में सहायक उप निरीक्षक श्री सुबेसिंह द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये है।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 20.12.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा गलतफहमी के आधार पर मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने प्रकरण में एफ आर संख्या 569/14 जारी करना वर्णित किया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर ने पत्र दिनांकित 14.09.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि नगर सुधार न्यास, अलवर की 288 वीं बैठक में निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या एफ-34 हाल खसरा नंबर 2489 से 2491 ग्राम अलवर नं.1 में बरकतखाँ को जारी भूखण्ड का नियमन पट्टा दिनांक 23.09.2013 निरस्त किया जा चुका है। उक्त पट्टा जारी करते समय सम्बन्धित तत्कालीन लिपिक से प्रक्रियात्मक भूल हुई है, जिसके सेवानिवृत्त हो जाने से विभागीय कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के उक्त प्रतिवेदन पर कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(396)लोआस/2015

परिवादिनी श्रीमती राधा रानी भार्गव की ओर से श्री पीयूष भार्गव द्वारा दिनांक 15.03.2016 को प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि परिवादिनी श्रीमती राधा रानी के पति श्री आर.सी. भार्गव का स्वर्गवास वर्ष 1967 में हो जाने के बावजूद उसे मात्र 450/-रू. पारिवारिक पेंशन मिल रही है, जिसे रिवाइज करने हेतु पेंशन विभाग में कार्यवाही करने के बावजूद आज तक पारिवारिक पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया।

परिवादिनी के परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से पत्र दिनांक 31.03.2017 के द्वारा प्रकट किया गया कि श्रीमती राधा रानी भार्गव पत्नी स्व. श्री आर.सी. भार्गव धारक पीपीओ नंबर 6697 की संशोधित पारिवारिक पेंशन अधिकृति संख्या 0141-5029660 (प्री-2006) उनके पत्र दिनांक 31.03.2017 द्वारा जारी कर दी गयी है, जिसकी फोटो प्रतियाँ भी प्रेषित की गईं।

इस प्रकार परिवादिनी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हो जाने पर उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 05.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(72)लोआस/2016

परिवादी श्री केदारनाथ शर्मा से दिनांक 11.05.2016 को श्रीमाधोपुर शिविर के दौरान जिला कलक्टर, सीकर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर एवं तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में ग्राम पंचायत जोरवर नगर की जोहड़ी गुरूवाली में हो रहे विभिन्न अतिक्रमणों को नहीं हटाये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 02.03.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि ग्राम जोरवरनगर के खसरा संख्या 475/1 रकबा 13.75 हैक्टेयर मे से 0.0120 हैक्टेयर पर नाथूराम द्वारा निर्मित कच्चे मकान व टीनशेड के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सम्पादित कार्यवाही की अनुपालना में दिनांक 23.01.2017 को मौके से अतिक्रमी को बेदखल किया जा चुका है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार गैरमुमकिन भूमि पर नाथूराम के कच्चे मकान व टीनशेड के अतिक्रमण को हटाया जाकर उसे दिनांक 23.01.2017 को बेदखल किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(141)लोआस/2016

परिवादी श्री शांति कुमार जैन से दिनांक 20.06.2016 को प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि खसरा संख्या 2090 गणपति नगर, केशव विद्यापीठ रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर में उसकी खातेदारी की भूमि में विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये जाने बाबत उसकी ओर से आवेदन करने के बावजूद उक्त भूमि पर बोबाड़ी समिति में अवैध विद्युत कनक्शन फर्जी पट्टों के आधार पर जारी किये गये।

परिवादी के परिवाद पर सचिव (प्रशासन), जविविनिलि द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 29.06.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि सहायक अभियन्ता (ई-चतुर्थ), आमेर द्वारा बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति में पट्टों के आधार पर विद्युत सम्बन्ध जारी किये गये थे किन्तु बाद में उक्त पट्टे फर्जी होने की सूचना प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता (ई-चतुर्थ), आमेर द्वारा कुल पाँच विद्युत सम्बन्ध पीडीसी कर दिये और शेष 4 विद्युत सम्बन्ध न्यायालयों के आदेशानुसार चालू है।

इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा फर्जी पट्टों की जानकारी होने पर पाँच विद्युत सम्बन्धों की पीडीसी कर दिये जाने व चार विद्युत सम्बन्ध न्यायालय के आदेश से चालू रहने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 28.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(147)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती ललिता डाबी से दिनांक 30.06.2016 को आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में उसके स्वर्गीय पति महेन्द्रसिंह को सन् 2002 में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित कियोस्क पर निर्मित दुकान को नगर परिषद, सिरोही द्वारा बिना सूचना के तोड़कर एक लाख रूपयों की क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 13.12.2016 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुज्ञा-पत्र के बिन्दु सं.7 के अनुसार कियोस्क का कब्जा पाने की तिथि से 02 माह की अवधि में आवंटी महेन्द्रसिंह व श्रीमती ललिता पत्नि श्री महेन्द्रसिंह डाबी तथा लक्षमी देवी के द्वारा कियोस्क का निर्माण कर व्यवसाय प्रारंभ नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त हो गया और श्रीमती ललिता डाबी द्वारा बिना नगर परिषद अनुमति के दुकान का निर्माण करवाया जिसको अवैध निर्माण मानते हुए नगर परिषद द्वारा मौके से हटाया गया।

उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 17.01.2017 प्रेषित कर यह भी प्रकट किया गया कि कियोस्क नंबर 15 के आवंटी महेन्द्रसिंह व कियोस्क नंबर 14 के आवंटी लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विरूद्ध परिवादिनी द्वारा आपत्तियाँ प्रेषित की कि लक्ष्मीदेवी जीवित है। लक्ष्मीदेवी को मृत बताने वाले दोषी लोक सेवक व उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही बाबत पूछने पर संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 05.06.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि लक्ष्मीदेवी जो जीवित है, उसे मृत बताने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार दुलानी, तत्कालीन स्वच्छता निरीक्षक उत्तरदायी है जिसको माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.02.2017 की पालना में नौकरी से निष्कासित कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादिनी की सास लक्ष्मीदेवी की मृत्यु हो जाने बाबत गलत रिपोर्ट करने वाले दोषी लोक-सेवक श्री प्रवीण कुमार दुलानी, तत्कालीन स्वच्छता निरीक्षक को नौकरी से निष्कासित कर दिये जाने से परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 14.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(311)लोआस/2016

परिवादी श्री सोहनलाल माली निवासी धोबी गट्टा, अलवर से दिनांक 02.12.2016 को प्राप्त परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा प्रार्थना-पत्र संख्या 3/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2016 की अनुपालना में उसके पुत्रों से भरण-पोषण की राशि एवं मकान का कब्जा दिलाने बाबत न्यायालय व पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांकित 16.01.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी, अलवर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांकित 20.01.2017 में यह प्रकट किया है कि परिवादी का उसके पुत्रों से राजीनामा हो गया कि वे अपने पिता को गुजारा भत्ता दे देंगें। इस आधार पर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कोई अनुतोष शेष नहीं होने से प्रकरण दिनांक 04.01.2017 की खारिज किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार परिवादी का उसके पुत्रों से भरण पोषण एवं आवास बाबत राजीनामा हो जाने से एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(318)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रभुदयाल जांगिड़ से दिनांक 31.03.2017 को ग्राम पंचायत, सिमारला, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में मुख्य रूप से ग्राम कोलवा में आम रास्ते पर किये गये विभिन्न अतिक्रमणों को हटवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर ने प्रतिवेदन दिनांकित 24.07.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि ग्राम कोलवा जोगियों के मौहल्ले में आम रास्ते पर केवल कन्हैयालाल योगी का अतिक्रमण था जिसे दिनांक 05.04.2017 को हटवा दिया गया एवं ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है तथा वर्तमान में रास्ता पूणतया आवागमन योग्य है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के उक्त कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(322)लोआस/2016

परिवादी श्री राजेश कुमार चौधरी निवासी मोहनपुरा रणवा तहसील फागी जिला जयपुर द्वारा शिविर फागी में दिनांक 02.12.2016 को प्रस्तुत परिवाद में गैरमुमकिन रास्ता खसरा संख्या 94 के किनारे कुछ लोगों द्वारा मिट्टी डालकर बरसाती पानी की निकासी बन्द करने की शिकायत बाबत पटवारी हलका द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाते हुए बाद सीमाज्ञान रास्ते से अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फागी से जांच करवाकर प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित

28.02.2017 में यह प्रकट किया गया कि ग्राम मोहनपुरा रणवा में गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 94 रकबा 2 बीघा पर किये गये अतिक्रमण को उप-तहसीलदार, माधोराजपुरा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर दिनांक 16.09.2016 को मौके पर से भौतिक रूप से हटवाया जाकर उक्त खसरा संख्या 94 पी.डब्ल्यू.डी. को संभला दिया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के उक्त प्रतिवेदन बाबत कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार गैरमुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(330)लोआस/2016

परिवादी श्री माधाराम बावरी निवासी नानण, तहसील पीपाड़शहर, जिला जोधपुर से दिनांक 05.12.2016 को पीपाड़ शहर में आयोजित शिविर में तहसीलदार, पीपाड़शहर के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 510/2015 उनवान मादाराम बनाम तहसीलदार पीपाड़शहर में दिनांक 12.10.2015 को पारित निर्णय की अनुपालना तहसीलदार, पीपाड़ शहर द्वारा नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 27.01.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि दिनांक 28.12.2016 को ग्राम नानण के खसरा संख्या 27/28 रकबा 1.05 बीघा पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी श्री माधाराम को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के उक्त प्रतिवेदन पर कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को उसकी भूमि का कब्जा प्राप्त होने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(332)लोआस/2016

परिवादिनी श्रीमती दुर्गा राठौड़ निवासी सरदारशहर जिला चूरू से दिनांक 14.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में अभिकथन किया गया कि वह शूटर है और इस सम्बन्ध में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी है लेकिन उसका शस्त्र अनुज्ञा-पत्र सं. 427/13 का क्षेत्र विस्तार सम्पूर्ण भारत के लिये बावजूद आवेदन के नहीं किया जा रहा है।

परिवादिनी के परिवाद के सम्बन्ध में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांकित 28.04.2017 से यह अवगत करवाया कि परिवादिनी महिला खिलाड़ी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं.427/13 का क्षेत्र विस्तार समस्त भारत वर्ष जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 18.03.2017 के द्वारा किया जा चुका है। परिवादिनी ने बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रेषित नहीं की।

इस प्रकार परिवादिनी के शस्त्र अनुज्ञा-पत्र का क्षेत्र विस्तार खेल कोटे के तहत समस्त भारत वर्ष कर दिये जाने से परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(350)लोआस/2016

परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा एवं ताज मौहम्मद से दिनांक 28.12.2016 को तहसीलदार, मलसीसर, पटवारी, गिरदावर हल्का हरिपुरा

तहसील मलसीसर एवं सरपंच ग्राम पंचायत हरिपुरा तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में ग्राम महरादास, तहसील मलसीसर में स्थित खसरा नंबर 59 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ते पर से अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने प्रतिवेदन दिनांकित 02.08.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि दिनांक 19.07.2017 को उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर एवं तहसीलदार मलसीसर द्वारा मौका मुआयना करवाने पर पाया गया कि मौके पर रास्ता खसरा नंबर 61 में से होकर प्रचलित है जिसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। परिवादीगण ने उक्त प्रचलित रास्ते को सुविधाजनक मानते हुए उसे पुख्ता करने की सहमति जाहिर की क्योंकि खसरा संख्या 59 गैर मुमकिन रास्ते में पुख्ता आबादी बसने के कारण रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई जिस पर ताज मौहम्मद एवं राकेश परिवादीगण के हस्ताक्षर मौजूद है।

इस प्रकार परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(356)लोआस/2016

परिवादी श्री धर्मवीर से दिनांक 02.11.2016 को प्राप्त परिवाद में श्री सुरेन्द्र जाट निवासी भालोठ द्वारा ग्राम भालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं द्वारा खसरा संख्या 492 डार्क जोन में अवैध तरीके से बोरिंग बनवाने एवं फर्जी तरीके से एल.टी. लाइन के तीन पोल व एल.टी. लाइन के तार लगाकर विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने पर वी.सी.आर दिनांक 26.02.2016 के 2,42,730/-रू. के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा 21,750/-रू. ही भरवाने का आरोप लगाते हुए उक्त बोर को सीज करने व विद्युत पोल व लाइन को हटवाये जाने का निवेदन किया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने बाद जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 29.09.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि दिनांक 06.04.2017 को ग्राम भालोठ के खसरा संख्या 835 रकबा 0.97 हैक्टेयर में सुरेन्द्र जाट द्वारा अवैध बोर कर उपयोग में ले रहा था। इस अवैध बोर में मिट्टी डलवाया जाकर बन्द करवाया दिया गया। इस सम्बन्ध में फर्द मौका दिनांक 06.04.2017 की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (सतर्कता प्रथम) अ.वि.वि.लि, झुन्झुनूं ने बाद जाँच तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 25.08.2017 प्रेषित कर यह अवगत करवाया है कि परिवादी के आवेदन पर कनिष्ठ अभियन्ता, घसेड़ा को निर्देशित करने पर उनके द्वारा वीसीआर नंबर 25227 दिनांक 23.01.2017 तैयार कर श्रीचंद के खाता संख्या 1502/0016(Agr. Catagory) के नाम से प्रस्तुत की जबकि उन्हें खाता संख्या 1502/175(Agr. Catagory) की भरनी थी। गलत वीसीआर भरने बाबत कनिष्ठ अभियन्ता, घसेड़ा श्री रविन्द्र माहीचा को आरोप पत्र जारी करना अधीक्षण अभियन्ता (झु.वृ.) अविविनिलि, झुझुनूं ने अपने पत्र दिनांक 03.10.2017 से अवगत करवाया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(374)लोआस/2016

परिवादीगण श्री भैरूलाल नामा द्वारा दिनांक 12.01.2017 को प्रस्तुत परिवाद में बिठूजा क्षेत्र (बाड़मेर) में कृषि भूमि से अवैध रूप से जल दोहन कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ बैचने, लूणी नदी में अवैध रूप से पाइप लाइन डालने एवं टेक्सटाइल्स ईकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी लूणी नदी में प्रवाहित करने के आरोप लगाये गये।

परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 24.11.2017 एवं जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 13.11.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि लूनी नदी में बिछाई गई अवैध पाइप लाइनों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कुल 21 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें से 6 अवैध पाइप लाइनों को दिनांक 24.09.2017 को भौतिक रूप से हटा दिया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत सुखाचार नियमों के तहत पानी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम बिठूजा से बालोतरा शहर के लिए 15 पाइप लाइन बिछाने की अनुमति जारी की गई थी। इन 15 पाइप लाइनों के जरिये बालोतरा शहर के लोगों को पीएचईडी द्वारा पेयजल आपूर्ति कर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रकार लूनी नदी में स्वीकृत पाइप लाइनों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अवैध पाइप लाइन नहीं है। किसी भी प्राइवेट संस्था/व्यक्ति द्वारा बालोतरा शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु जलदाय विभाग के किसी भी पम्पिंग स्टेशन/स्वच्छ जलाशय से पानी नहीं दिया जा रहा है।

यह भी प्रकट किया गया है कि रीको द्वारा ग्राम बिठूजा में ट्यूबवैल खोदे गये हैं तथा वाटर टैंक बनाये गये हैं और पाइप लाइन के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों में जल सप्लाई किया जा रहा है। बिठूजा सीईटीपी की इनलेट पाइप श्री स्वरूपराम माली के खेत के पास से गुजर रही है, वहाँ एक चेम्बर निर्मित है जिसके ढक्कन से पानी लीकेज हुआ जिसकी मरम्मत करवा दी गई है और वर्तमान में वहाँ पर लिकेज की समस्या नहीं है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा बिठूजा सीईटीपी एवं एचआरटीएस प्लांट का समय-समय पर निरीक्षण कर पाइप लाइन दुरूस्ती व होदियों के रखरखाव हेतु कार्यवाही की जा रही है।

यह भी प्रकट किया गया है कि अघरेलू विद्युत सम्बन्धों में से कोई भी सम्बन्ध फीडर से जुड़ा हुआ नहीं है और ग्राम बिठूजा में अवैध

ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत चोरी करने का प्रकरण नहीं पाया गया और न ही इस क्षेत्र में कोई अवैध ट्रांसफार्मर लगा है।

परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के इस सम्बन्ध में कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(395)लोआस/2016

परिवादी श्री शहाब अहमद खान निवासी बनास हाऊस, पक्काबंधा, टोंक द्वारा दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत परिवाद में उसकी खरीद शुदा भूमि खसरा सँख्या 6522/5 के पीछे 25 फीट चौड़े आम रास्ते खसरा सँख्या 6721/1 व 6721/2 पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर परिषद, टोंक के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमियों से मिली-भगत कर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 24.05.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया गया है कि दिनांक 16.05.207 को मौके पर खसरा सँख्या 6721/1 रकबा 0.08 बीघा व खसरा सँख्या 6721/2 रकबा 0.03 बीघा का सीमाज्ञान करवाकर उक्त भूमि पर से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। स्वयं परिवादी शहाब अहमद ने प्रार्थना-पत्र दिनांकित 27.07.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि मौके पर अतिक्रमण ध्वस्त कर उक्त स्थल पर नगर परिषद का बोर्ड स्थापित कर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(404)लोआस/2016

परिवादी श्री नाथू खाँ मुसलमान निवासी जसोल, जिला बाड़मेर से दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त परिवाद में ग्राम जसोल में स्थित उसकी कृषि भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा में बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट के प्लान्ट का रसायनयुक्त प्रदूषित पानी के भराव से उसकी खेती नष्ट हो जाने से मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 13.11.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि परिवादी श्री नाथू खाँ को टेक्सटाइल उद्योग से खेत में हुए नुकसान की मुआवजा की राशि 40,800/-रू. का भुगतान जरिये चैक नम्बर 135830 दिनांक 12.10.2017 के बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(415)लोआस/2016

परिवादी श्री लीलाधर भार्गव से दिनांक 14.02.2017 को प्राप्त परिवाद में कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के वार्ड संख्या 18, भार्गव चौक, बड़े पोस्ट आफिस के पास सार्वजनिक रास्ते एवं चौक पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ द्वारा बावजूद शिकायतों के कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ से जाँच

करवाकर प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 10.07.2017 में यह प्रकट किया कि कस्बा लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 18, भार्गव चौक के पास सार्वजनिक चौक एवं रास्ते में अवैध निर्माण को दिनांक 06.04.2017 को हटवा दिया गया। परिवादी की ओर से बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(420)लोआस/2016

परिवादी श्री नागेन्द्रसिंह निवासी सूरजगढ से दिनांक 17.02.2017 को प्राप्त परिवाद में अभिकथन किया गया कि नगरपालिका पिलानी क्षेत्र में उसकी कृषि भूमि खसरा सँख्या 808 पर किये गये अतिक्रमण बाबत नगरपालिका पिलानी में शिकायत करने पर दिनांक 26.12.2016 को नगरपालिका के लोक-सेवकों द्वारा निर्माण कार्य बन्द करवाने पर उनके राज कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, पिलानी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और बाद में अधिशाषी अधिकारी ने भी विपरीत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित कर दी । इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 04.09.2017 से यह अवगत करवाया गया कि अवैध निर्माण व अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही नगरपालिका, पिलानी द्वारा दिनांक 27.10.016 व 11.11.2016 को नोटिसेज जारी कर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। बाद में पुन: निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर दिनांक 23.12.2016 को नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता व सफाई निरीक्षक को भेज गया जिनसे औजार आदि छीनने व उनके साथ अभद्र व्यवहार करने पर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिलानी के

निर्देश पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाहा लेकिन पुलिस ने मना कर दिया जिस पर नगरपालिका द्वारा न्यायालय के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है और नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 184 के तहत कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य बन्द है।

परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई। इस प्रकार मौके पर निर्माण कार्य को रूकवाने एवं नगरपालिका कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत पुलिस में मामला दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ कर देने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(422)लोआस/2016

परिवादी श्री चुन्नीलाल जाट से दिनांक 18.02.2017 को प्राप्त परिवाद में ग्राम नवलड़ी, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं में खसरा संख्या 700 डार्क जोन में शिशपाल द्वारा अवैध रूप से बनाये गये बोरवेल को राज हक में लेकर कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बडवासी के सुपुर्द करने के बावजूद शिशपाल द्वारा पटवारी हल्का एवं कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बडवासी से मिलीभगत कर उक्त बोरवेल से फसल की पिलाई करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं ने बाद जाँच अवगत करवाया कि उक्त बोरवेल को दिनांक 30.01.2017 को सीज कर सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग, नवलगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया और मौके पर उक्त बोरवेल का किसी के द्वारा उपयोग/उपभोग नहीं किया जा रहा है। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के उक्त प्रतिवेदन पर कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(439)लोआस/2016

परिवादी श्री भगवती प्रसाद गर्ग से दिनांक 06.03.2017 को सांगोद शिविर के दौरान प्राप्त परिवाद में सांगोद नगर में काशीपुरा हिन्दू जनता ट्रस्ट की धर्मशालाओं में एवं शादी इत्यादि अवसरों पर निर्धारित मापदण्डो से कहीं गुना ज्यादा डी.जे. व बाजे की साउण्ड पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पाबन्दी नहीं लगाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जिला कोटा (ग्रामीण) द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 31.03.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि कस्बा सांगोद में स्थित धर्मशालाओ के संस्थापकों एवं डी.जे. दुकानदारों को निर्धारित मापदण्डों पर ही समयानुसार डी.जे. बजाने व पार्किंग स्थान पर वाहन पार्किंग करवाने हेतु पाबन्द किया गया और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत वर्ष 2016 में कुल 14 एवं वर्ष 2017 में अब तक 5 कार्यवाहियाँ की जा चुकी हैं। न्हाण पर्व जिसमें किन्नर काफी मात्रा में आते हैं, शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया गया तथा ध्वनि प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध समय-समय पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हैं। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ इस सम्बन्ध में प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में पुख्ता कार्यवाही किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.06.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(452)लोआस/2016

परिवादी श्री सत्यनारायण सैनी से दिनांक 17.03.2017 को प्राप्त परिवाद में रा.उ.प्रा.वि. जीवा की ढाणी, ग्राम पंचायत बुडाना, जिला झुन्झुनूं के खेत के मैदान हेतु आवंटित खसरा संख्या 177 व 178 की 1.13 हैक्टेयर भूमि पर गोपीराम एवं अन्य द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध में लम्बित वाद में राजकीय अधिवक्ता द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाये जाने का निवेदन किया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पत्र दिनांकित 22.08.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि रा.उ.मा.वि., जीवा वाली ढाणी, ग्राम पंचायत बुडाना, तहसील झुन्झुनूं के खेल के मैदान की भूमि खसरा संख्या 177 व 178 रकबा 1.13 हैक्टेयर में तारबन्दी एवं मेड़बन्दी लगाकर किये गये अतिक्रमण को जे.सी.बी. की सहायता से हटवाया जाकर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर भौतिक कब्जा संस्थान प्रधान को सम्भलाया गया। इस सम्बन्ध में फर्द मौका दिनांक 18.08.2017 की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(21)लोआस/2017

परिवादी श्री मान सिंह मीना से दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त परिवाद में इन्द्रा गाँधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में पानी की भारी समस्या होना वर्णित करते हुए अभिकथन किया गया कि उक्त कॉलोनी में बिसलपुर के पानी की सप्लाई हेतु कुछ मीटर लम्बी पाइप लाइन डालनी है लेकिन आवासन मण्डल व जलदाय विभाग के अधिकारियों की आपसी खींचतान के

कारण यह कार्य पूर्ण नहीं होने से बिसलपुर के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है जबकि राज्य सरकार द्वारा तीन माह के अन्दर कॉलोनी में बिसलपुर का पानी पहुँचाने के आदेश सम्बन्धित विभाग को दिये गये जिसको 10 माह का समय हो गया है लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई।

परिवाद पर दिनांक 23.02.2018 को उप-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ने इस सचिवालय में उपस्थित होकर प्रकट किया कि प्रश्नगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4,92,86 लाख रूपयों का चैक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को प्रेषित किया जा चुका है जिसका भुगतान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा उक्त राशि प्राप्त हो जाना स्वीकार करते हुए प्रकट किया है कि उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 21.02.2018 को जारी की जा चुकी है और टेण्डर जारी कर उक्त योजना शीघ्रता से पूर्ण कर करीब चार माह में पानी सप्लाई करने का प्रयास किया जावेगा।

इस प्रकार परिवादी के परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने पर जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने की तकनीकी स्वीकृति जारी होकर जलापूर्ति की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(62)लोआस/2017

परिवादी श्री सरूपाराम माली, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर से दिनांक 23.05.2017 को प्राप्त परिवाद में उन्होंने ग्राम बिठूजा में स्थित उसकी कृषि भूमि खसरा सँख्या 481 में बिठूजा प्लान्ट से प्रदूषित पानी आने से उसकी जमीन बंजर हो जाने का आरोप लगाया लगाते हुए मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन किया।

परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 24.10.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया गया है कि बिठूजा प्लांट में उपचारित पानी की निकासी हेतु पाइपलाइन में लगे चेम्बर में हुए लीकेज के कारण परिवादी के खेत में उपचारित पानी बह गया था। उपचारित पानी जानबूझकर खेत में नहीं डाला गया था । बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, बालोतरा द्वारा खेत में हुए खराबे की मुआवजा राशि 27,200/-रूपये का भुगतान जरिये चैक नम्बर 135831 दिनांक 12.10.2017 परिवादी सरूपाराम माली को कर दिया गया। परिवादी द्वारा बावजूद पत्र के कोई आपत्तियाँ प्रेषित नहीं की गई।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(94)लोआस/2017

परिवादी श्री उम्मेदसिंह वर्मा से दिनांक 29.06.2017 को प्राप्त परिवाद में जयपुर स्थित मयूर विहार कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 17 में लालाराम मीणा द्वारा अवैध टयूब वेल खोद कर पानी का अवैध दोहन कर पानी का व्यवसायिक उपयोग करने बाबत शिकायत करने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर, अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड तृतीय, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), सांगानेर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांकित 22.11.2017 में यह प्रकट किया गया कि मयूर कॉलोनी, प्लॉट सँख्या 17 में स्थित बोरिंग को सीज कर पर्ची लगाकर कब्जा कर बोरिंग को नहीं चलाने हेतु पाबन्द कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 04.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.40(8)लोआस/2016

दिनांक 12.12.2016 के दैनिक भास्कर, जयपुर अंक में प्रकाशित समाचार ''28 साल का वेतन 44 लाख, सम्पत्ति मिली 14.50 करोड़'' में आरोपी श्री महेश शर्मा कन्सलटेन्ट नर्सिंग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जयपुर को 5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये ए.सी.बी. द्वारा पकड़े जाने पर जाँच के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से 3278% ज्यादा कुल 14.50 करोड़ रूपये की सम्पत्ति पाये जाने पर इस बारे में ए.सी.बी. में दर्ज प्रकरण में तीन साल निकल जाने के बाद भी अनुसन्धान पूर्ण नहीं करने व चार्जशीट पेश नहीं करना बताये जाने पर सचिवालय द्वारा इस बारे में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया गया।

आरोपी महेश शर्मा के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ए.सी.बी. मुख्यालय राजस्थान, जयपुर से पत्राचार करने पर आरोपी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति पाये जाने पर इस बारे में दर्ज प्रकरण सँख्या 394/2013 में अनुसन्धान के बाद पी0सी0 एक्ट की धारा 13(1)(ई) व 13(2) एवं भा0दं0सं0 की धारा 109 में चार्जशीट पेश कर दिया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 3.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.41(2)लोआस/2012

परिवादी श्री सुरेश कुमार सोनी मुकाम पोस्ट खेजरोली, चौमू जिला, जयपुर ने यह परिवाद धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ई.एम.पी., आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, खेजरोली चौमू के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी

प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 2 मई 2012 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.10.12 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त पत्र के अनुसार अवगत करवाया गया जय अम्बे हैप्पी चिल्ड्रन स्कूल, फालोदिया भवन, झोटवाड़ा, जयपुर की मान्यता समाप्त की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.41(8)लोआस/2016

परिवादी श्री रूप नारायण रैगर (सेवानिवृत्त परिचालक) पुत्र श्री नाथू रैगर निवासी ग्राम पोस्ट गुदलिया तहसील बसवा जिला दौसा ने यह परिवाद फिक्सेशन एरियर दिलवाने के संदर्भ में दिनांक 29.11.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.1.17 प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद, विभाग, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को अनुपयोजित उपार्जित अवकाश की अन्तर राशि एवं फिक्सेशन एरियर की राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.5.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.42(14)लोआस/2015

परिवादी श्री रमेश लाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत निवासी मु. महुनिया, पो. उल्लाई तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के विरूद्ध मन्दिर श्री चारभुजा जी महाराज की कृषि भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाने के सन्दर्भ में पेश किया जो इस सचिवालय में दिनांक 29.9.15 को दर्ज कियका गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.10.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र दिनांक 2.11.17 के अनुसार मन्दिर की कृषि भूमि पर पक्के मकानों का अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर में वाद दायर किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.44(8)लोआस/2015

परिवादी श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी सुभाष बाजार, टोंक ने यह परिवाद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरूद्ध मिलीभगत कर सरकार को राजस्व हानि पहुँचाने के सन्दर्भ में दिनांक 18.9.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 9.10.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.6.16 के अनुसार अवगत करवाया गया कि विभागीय कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित फर्मो से वसूली की जा चुकी है। जाँच के दौरान आर. डी. साहू वाणिज्यिक कर अधिकारी, टोंक के विरूद्ध मिलीभगत करने एवं राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुँचाने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 4.5.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(47)लोआस/2015

परिवादी श्री कुदरत हुसैन पुत्र उसमान हुसैन निवासी राश्मी, तहसील राश्मी ने दिनांक 19.10.2015 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि चित्तौड़गढ़ की मातृकुण्डिया तहसील राश्मी से बनास नदी निकलती है। मैसर्स शिवा कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा मंशा-पत्र की आड़ में, श्री आसीफ अंसारी, खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़, श्री दिलीप कुमार, कार्यदेशक एवं श्री पी. आर. आमेटा, निदेशक, खान से मिल कर नियमों और शर्तो का उल्लंघन किया जाकर बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है। अभी तक मैसर्स शिवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है, फिर भी उक्त अधिकारियों द्वारा मंशा-पत्र जारी कर अवैध लाभ पहुँचाने के लिए बजरी का अवैध खनन करवाया जा रहा है। इस अवैध खनन के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। परिवादी ने शिकायत प्रस्तुत कर दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की माँग की।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। इसमें उन्होंने यह बताया है कि शासन के पत्र क्रमांक प.20(21)खान/ग्रुप-2/2013 दिनांक 28.01.2013 के द्वारा जिला

चित्तौड़गढ़ की तहसील में गैर-मुमकिन नदी नालों से निकलने वाले खनिज बजरी का खनन-पट्टा मैसर्स शिवा कार्पोरेशन (इण्डिया) लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में स्वीकृत करने का मंशा-पत्र जारी किया गया। शासन के पत्र दिनांक 19.12.2013 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में उक्त खनन-पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करने की अस्थाई कार्यानुमति जारी की गई। मंशा-पत्र धारक ने बजरी खनन हेतु खनन योजना बना कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाई है। पर्यावरण क्लियरेंस हेतु आवेदन विचाराधीन है जिनकी जन सुनवाई हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के आधार पर ही मंशा पत्र धारक को शासन द्वारा कार्यानुमति जारी कर खनन कार्य हेतु अधिकृत किया गया था। तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिनांक 30.01.2014 को खनन क्षेत्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि 3 मीटर से अधिक गहराई तक खनन कार्य किया गया एवं कार्यानुमति की अन्य शर्तों की अवहेलना मंशा-पत्र धारक द्वारा की गई। खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ द्वारा मंशा-पत्र धारक को विधिक चेतना पत्र दिनांक 05.02.2014 को जारी किया गया, जिसकी पालना नहीं होने पर मंशा-पत्र निरस्त करवाने हेतु पत्र निदेशालय को प्रेषित किया गया।

निदेशालय द्वारा दिनांक 15.01.2015 को मंशा पत्र धारक को नोटिस जारी किया गया जिसके प्रत्युत्तर में मंशा-पत्र धारक ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 17.02.2015 को प्रस्तुत किया। मंशा-पत्र धारक ने नोटिस की पालना नहीं की, इसलिए निदेशालय ने अपने पत्र दिनांक 26.06.2015 से मंशा पत्र निरस्त करते हुए अस्थाई कार्यानुमति समाप्त किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया। मंशा पत्र धारक को दिनांक 01.11.2014 को पत्र प्रेषित कर कार्यानुमति अध्यर्पित कर वर्तमान में खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु सूचित किया गया। मंशा-पत्र धारक द्वारा विगत एक वर्ष से खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

शासन द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 25.06.2015 पर मंशा-पत्र धारक के प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अस्थाई कार्यानुमति की शर्तों का उल्लंघन मानकर मंशा-पत्र व अस्थाई कार्यानुमति को दिनांक 15.09.2017 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार सचिवालय द्वारा किये गये प्रयास के परिणाम स्वरूप मंशा-पत्र धारक द्वारा शर्तो एवं नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे जारी किया गया मंशा-पत्र एवं अस्थाई कार्यानुमति निरस्त की जा चुकी है। इस कारण परिवाद दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध किया जाकर परिवादी को दिनांक 26.10.2017 को सूचित किया जा चुका है।

एफ.45(78)लोआस/2015

परिवादी श्री रामअवतार पुरोहित, सुभाष प्रिन्टर्स, यूको बैंक के पास, जोशी मोहल्ला, झुन्झुनूं ने दिनांक 05.02.2016 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि झुन्झुनूं जिले में मोड़ा पहाड़ में मैसर्स रजत स्टोन क्रेशर कम्पनी के स्वामित्व के 3 खनन-पट्टे संख्या 61/98, 274/90 व 29/99 हैं। खनन-पट्टा सँख्या 61/98 का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी बिना डैड रेन्ट तय किये हुए ही विभागीय अधिकारियों ने मिलीभगत करके खनन-पट्टे का हस्तान्तरण कर दिया। खनन-पट्टे के मध्य शमशान भूमि है, जिसमें खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पट्टाधारी श्री संदीप मांजू द्वारा खनन पट्टा सँख्या 61/98 में पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध एवं असुरक्षित खनन भी किया जा रहा है इसलिए खनन-पट्टे को निरस्त करवाया जाये।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि खनन-पट्टे में शमशान भूमि नहीं आती है। हस्तान्तरण नियमानुसार किया गया है एवं खनन-पट्टे के हस्तांतरण के समय डैड रेन्ट तय करने का प्रावधान नहीं

है। खनन-पट्टा क्षेत्र में वर्ष 2010 से ही खनन कार्य बन्द है। मैसर्स रजत स्टोन क्रेशर कम्पनी द्वारा अवैध खनन किया गया है। अवैध खनन की माँग राशि के विरूद्ध पट्टाधारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट पिटिशन 19307/2012 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.07.2013 को आदेश पारित कर पट्टाधारी के विरूद्ध माँग राशि को निरस्त करते हुए उसके प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2012 पर सुनवाई की जाकर आदेश पारित करने के निर्देश दिये। इस पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ने दिनांक 10.01.2017 को पट्टाधारी के प्रतिवेदन पर सुनवाई कर यह आदेश पारित किया कि खनन-पट्टा सँख्या 61/98 के क्षेत्र के हस्तांतरण से पूर्व के अवैध खनन की राशि मैसर्स रजत स्टोन क्रेशर कम्पनी से एवं हस्तांतरण के उपरान्त अवैध खनन की राशि पट्टाधारी श्री संदीप मांजू से वसूल की जाये।

खनि अभियन्ता, झुन्झुनूं द्वारा मैसर्स रजत स्टोन क्रेशर कम्पनी के विरूद्ध 2,05,36,085/-रूपये की माँग राशि कायम की जाकर नोटिस जारी किये गये। पट्टाधारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन संख्या 4686/2017 प्रस्तुत कर दिनांक 17.04.2017 को वसूली के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सचिवालय द्वारा किये गये प्रयास के परिणाम स्वरूप अवैध खनन की राशि का निर्धारण करवाया जाकर अवैध खननकर्ता मैसर्स रजत स्टोन क्रेशर कम्पनी के विरूद्ध अवैध खनन की राशि के नोटिस जारी करवाये जा चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण वसूली में समय लगने की सम्भावना होने के कारण परिवाद दिनांक 02.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(81)लोआस/2015

परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्राम मुरोत जिला झुन्झुनूं ने दिनांक 12.02.2016 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि झुन्झुनूं जिले में अवैध

खनन करने हेतु ब्लास्टिंग की जाती है, जिस कारण पहाड़ी से 50 मीटर दूरी पर स्थित गाँव में पत्थर गिरने से 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हो चुकी है। जिला प्रशासन एवं खान विभाग के अधिकारियों से ब्लास्टिंग बन्द किये जाने का निवेदन किये जाने पर उनके अधिकारी मौके पर आये एवं करोड़ो रूपये के अवैध खनन को नजरअंदाज कर 5 लाख रूपये की वसूली कर अवैध खनन को चालू रहने दिया गया। परिवादी ने अवैध खनन बन्द कराने एवं अवैध खनन की राशि वसूल कराये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, जिला कलेक्टर, उदयपुर, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण मण्डल, जयपुर एवं खान सुरक्षा निदेशक, अजमेर क्षेत्र, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। निदेशालय, खान विभाग द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.09.2016 के अनुसार जिला झुन्झुनूं के राजस्व ग्राम मुरोत में 6 खनन-पट्टे स्वीकृत होना पाये गये। इनमें से 4 खनन-पट्टाधारियों द्वारा अवैध खनन किया गया जिनसे अवैध खनन की राशि दिनांक 16.03.2016 तक वसूल की जा चुकी है। शेष खनन-पट्टों में कोई अवैध खनन होना नहीं पाया गया। पट्टाधारियों को पीर बाबा की मजार से 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.11.2016 के अनुसार खनन क्षेत्र में ईआरसीसी का ठेका दिनांक 10.04.2015 से 31.03.2017 तक प्रभावी बताया गया है, इस कारण रॉयल्टी की अपवंचना की सम्भावना नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 के अनुसार 4 खनन-पट्टाधारियों द्वारा खनन संचालन सहमति की शर्तो का उल्लंघन किया गया, इस कारण उनकी संचालन सहमति दिनांक 14.11.2017 को निरस्त की जाकर खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झुन्झुनूं को सूचित कर दिया गया

है। इस प्रकार इस सचिवालय के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप 4 खनन पट्टे निरस्त होने के कगार पर हैं। परिवादी को दिनांक 29.11.2017 को सूचित किया जाकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(33)लोआस/2016

परिवादी श्री केवलराम चौधरी, अभिन्नद टावर, ग्राउण्ड तलिया, महावीर नगर, पाली ने दिनांक 05.09.2016 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि ग्राम मालपुरिया खुर्द में आवंटित खनन-पट्टों पर पट्टेधारियों द्वारा कभी भी खनिज का निर्गमन नहीं किया गया। खनन पट्टाधारियों को जो रवन्ना जारी किये गये, उनका प्रयोग बन्द पड़ी खानों को चालू बता कर किया जा रहा है। श्री कमलेश्वर बारेगामा, खनि अभियन्ता खनन पट्टाधारियों से मिलीभगत करके रवन्नों को समायोजित करवा रहे हैं। इस प्रकार श्री कमलेश्वर बारेगामा, खनि अभियन्ता राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुँचा रहे हैं एवं खनन पट्टाधारियों को लाखों रूपये का लाभ पहुँचा रहे हैं। श्री कमलेश्वर बारेगामा द्वारा विभाग को असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। परिवादी ने दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। निदेशालय, खान विभाग द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.02.2017 एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 06.06.2017 के अनुसार खनन-पट्टा सँख्या 30/07, 31/07, 28/07 एवं 183/07 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि चारों खनन-पट्टों के

पट्टाधारियों द्वारा निर्गमित खनिज के अनुपात में अधिक रवन्ना का प्रयोग किया गया है जो कि अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

अवैध खनन की राशि की गणना की जाकर माँग राशि जमा करवाने के नोटिस पट्टाधारियों को जारी किये गये। खनन-पट्टा सँख्या 30/07 के पट्टाधारी श्रीमती मीना बंसल द्वारा नोटिस की पालना नहीं की गई, अत: उसका खनन-पट्टा आदेश क्रमांक 719 दिनांक 01.06.2017 से खण्डित कर दिया गया है। विभाग द्वारा अन्य पट्टाधारियों के वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है एवं माँग राशि जमा नहीं करवाने पर उनके पट्टे खण्डित कर दिये जाने बाबत कार्यवाही किये जाने का नोटिस दिया जा चुका है। इस प्रकार इस सचिवालय के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप एक खनन-पट्टा खण्डित हो चुका है एवं तीन खनन-पट्टे खण्डित होने के कगार पर हैं। परिवादी को दिनांक 29.11.2017 को सूचित किया जाकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(4)लोआस/2017

परिवादी श्री रामनिवास ने दिनांक 11.04.2017 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि ग्राम मैरथा तहसील रूपवास जिला भरतपुर में उसके खाते की जमीन खसरा सँख्या 550 स्थित है, जिसमें वह कृषि कार्य करता है। उसकी खातेदारी की कृषि भूमि के पास ही आर्द्रा, गायत्री स्टोन एवं 4-5 अन्य क्रेशर संचालित किये जा रहे हैं। इन क्रेशरों में गिट्टी बनाई जाती है। इस कार्य से काफी मात्रा में गिट्टी एवं रेत उड़ कर उसकी फसल पर गिरती है इस कारण उसकी फसल प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है। वातावरण में वायु प्रदूषण फैल रहा है। इस सम्बन्ध में उसने प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर जोन, भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपवास

को लिखित में शिकायत प्रेषित की। खान एवं भूविज्ञान विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा क्रेशर संचालकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। वे प्रतिमाह अवैध वसूली कर नियम विरूद्ध क्रेशरों को संचालित करवा रहे हैं। अतः परिवादी ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की है।

इस परिवाद के सम्बन्ध में खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर, उपखण्ड अधिकारी, रूपवास जिला भरतपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की खातेदारी की भूमि खसरा सँख्या 1016/550 एवं 1017/550 ग्राम मैरथा तहसील रूपवास में स्थित है। मौका देखने पर यह पाया गया कि उक्त खातेदारी की भूमि के एक तरफ गायत्री स्टोन क्रेशर एवं दूसरी तरफ आर्द्रा क्रेशर स्थापित है। कुछ दूरी पर 4 अन्य क्रेशर संचालित किये जा रहे हैं। चूँकि परिवादी की खातेदारी की भूमि 2 क्रेशर मशीनों के बीच स्थित है, इसलिए क्रेशरों की डस्ट हवा के साथ एवं बरसाती पानी के साथ घुल कर परिवादी की खातेदारी की भूमि में आती है।

तथ्यात्मक रिपोर्टो के अनुसार निरीक्षण के समय प्रर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं पाई गई। अतः उक्त सभी 6 क्रेशर ईकाईयों को कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करवाई गई। समस्त क्रेशर मालिकों ने सामूहिक रूप से परिवादी की फसल के नुकसान के बदले प्रतिकर राशि अदा की एवं भविष्य में दिये जाने वाले प्रतिकर का भी इकरारनामा परिवादी एवं क्रेशर मालिकों के बीच किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 21.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(4)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती कैलाश कुमारी, सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी शीतला माता मंदिर के सामने, मलावटी स्वरूपगंज, जिला सिरोही द्वारा जी.पी.एफ. खाता की बकाया अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 20.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया के जी.पी.एफ. खाता संख्या 317783 के अन्तर्गत अवशेष राशि 50,412/- रूपए का अधिकार पत्र दिनांक 14.12.2016 को भुगतान हेतु परिवादिया के सम्बन्धित विभाग को भिजवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 12.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(6)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी भंसाली, सेवानिवृत्त अध्यापिका, 1 बी 47, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर व उप निदेशक, पाली ने पत्र दिनांक 06.02.2017 एवं 15.5.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया के जी.पी.एफ. खाता संख्या 478621 के तहत अवशेष राशि 93,649/- रूपए का दिनांक 6.10.2016 एवं 950/-

रूपए का दिनांक 31.3.2017 को अधिकार पत्र जारी कर सम्बन्धित विभाग को भुगतान हेतु भिजवा दिए गए हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 25.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(7)लोआस/2016

परिवादी श्री श्याम लाल स्वर्णकार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, धोलीवाड़ी, नृसिंह द्वारा के पास, सोजत सिटी (पाली) द्वारा जी.पी.एफ. खाता की 62,622/- रूपए की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने के बाबत शिकायत की गई।

इस संदर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 267059 के अन्तर्गत अवशेष राशि 58,878/- रूपए का दिनांक 11.11.2016 तथा तत्पश्चात् उप निदेशक, पाली के पत्र दिनांक 12.5.2017 के अनुसार बकाया 4,712/- रूपए का अधिकार-पत्र दिनांक 16.3.2017 को परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भुगतान हेतु भिजवा दिए गए हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(16)लोआस/2016

परिवादी श्री गोविन्दलाल सोनी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, ग्राम व पोस्ट कुशालपुरा वाया रायपुर, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता की बकाया अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली ने पत्र दिनांक 12.5.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 308075 के अन्तर्गत अवशेष राशि 13,641/- रूपए का अधिकार-पत्र दिनांक 28.9.2016 को भुगतान हेतु परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवाया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादिया को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 24.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(17)लोआस/2016

परिवादी श्री सादिक हुसैन, सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, व्यापारियों की मस्जिद के पास, जैतारण, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 21.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 302830 के अन्तर्गत बकाया शेष राशि रूपये 44,259/- के भुगतान हेतु दिनांक 20.10.2016 को अधिकार-पत्र

परिवादी के सम्बन्धित विभाग के आरहण वितरण अधिकारी को भिजवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 24.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(20)लोआस/2016

परिवादी श्री ममु मोहम्मद छीपा, सेवानिवृत्त अध्यापक, मुकाम पोस्ट घाणेराव, स्टेशन-फालना, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 310953 की बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने बाबत शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में वरिष्ठ कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.11.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता के तहत अवशेष राशि 1,20,139/- रूपए का दिनांक 15.11.2016 एवं तत्पचात् उप निदेशक, पाली के पत्र दिनांक 15.05.2017 के अनुसार राशि 11,784/- रूपए का दिनांक 31.3.2017 को अधिकार-पत्र जारी कर भुगतान हेतु परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवाए जा चुके हैं। इस प्रकार परिवादी को कुल 1,31,923 रूपए की राशि का भुगतान हो चुका है।

तद्नुसार सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(23)लोआस/2016

परिवादी श्री घनश्याम लक्षकार, ईमरती बेरी, मुकाम पोस्ट निमाज (पाली) द्वारा दिनांक 31.12.2015 को अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् भी जी.पी.एफ. खाता संख्या 308087 के तहत बकाया अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 20.12.2016 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता अन्तर्गत अवशेष राशि 72,000/- रूपए का अधिकार-पत्र दिनांक 20.12.2016 को जारी कर भुगतान हेतु परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(28)लोआस/2016

परिवादी श्री राकेश अवस्थी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, सी-3 टीटीई कॉलोनी, आबू रोड (सिरोही) द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 336012 की 50145/- रूपए बकाया अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली ने पत्र दिनांक 12.5.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 336012 के अन्तर्गत अवशेष राशि 16,167/- का दिनांक 6.3.2017,

राशि 12,165/- रूपए का दिनांक 17.3.2017 तथा राशि 22,186/- रूपए का दिनांक 21.3.2017 यानी कुल राशि 50,518/- रूपये के अधिकार-पत्र परिवादी के सम्बधित विभाग को भुगतान हेतु भिजवा दिए गए हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 02.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(32)लोआस/2016

परिवादी श्री रतनलाल शर्मा, सेवानिवृत्त स्कूल व्याख्याता, 324, बसन्त विहार, कोटा द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 390961 के तहत बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 11.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 390961 की अवशेष राशि रूपये 98,791/- के भुगतान हेतु दिनांक 3.1.2017 को अधिकार-पत्र जारी कर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 21.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(37)लोआस/2016

परिवादी श्री मुराली लाल कुम्हार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, ए-28/बी, बाइपास पुलिया, सीकर रोड़, जयपुर द्वारा मुख्य रूप से जी.पी.एफ. खाते

के तहत अवशेष राशि 3,24,153/- रूपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर दिनांक 5.12.2016 को शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 11.09.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादी/अंशदाता के जी.पी.एफ. खाता सँख्या 134100 के अन्तर्गत अवशेष राशि के भुगतान के अधिकार पत्र 1,64,048/- रूपए का दिनांक 9.12.2016 को, राशि 52,542/- रूपए का दिनांक 25.1.2017 को तथा राशि 63,802/- रूपए का दिनांक 6.3.2017 को सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 2,80,392/- रूपए का भुगतान किया जा चुका है तथा अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने पर इस प्रकरण को दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(39)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मीना शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापिका, 73 शिवम् सोहन नगर, सेंदड़ा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 76059 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.02.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 76059 की बकाया अवशेष राशि रूपए 69,073/- के भुगतान हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 7.2.2017 को जारी कर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवाया दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 05.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(43)लोआस/2016

परिवादी श्री लखन लाल शर्मा, सेवानिवृत्त कम्पाउण्डर, आदर्श नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 175471 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.03.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 175471 के अन्तर्गत बकाया अवशेष राशि रूपये 62,156/- के भुगतान हेतु अधिकार पत्र दिनांक 7.3.2017 को जारी कर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा अब कोई भुगतान बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 9.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(44)लोआस/2016

परिवादी श्री शिवलाल जोशी, सेवानिवृत्त अध्यापक, जोधपुरिया गेट सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ खाता संख्या 308787 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र

दिनांक 07.03.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 308787 के अन्तर्गत बकाया अवशेष राशि रूपये 27,492/- के भुगतान हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 3.3.2017 को जारी कर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा अब कोई भुगतान बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(45)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती कमलावती गर्ग, सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य दर्शिका, बिलावास, वाया सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 310388 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.03.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादिया के जी.पी.एफ. खाता संख्या 310388 की अवशेष राशि रूपये 1,27,932/- के भुगतान हेतु परिवादी के सम्बन्धित विभाग को अधिकार पत्र दिनांक 23.3.2017 को भिजवा दिया गया तथा अब अन्य कोई राशि भुगतान हेतु बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 19.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(46)लोआस/2016

परिवादी श्री मूलचन्द राखेचा, सेवानिवृत्त अध्यापक, गाँव बाँसिया, वाया पीपलियाकलां, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 311634 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली ने प्रकरण के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए पत्र दिनांक 6.4.2017 द्वारा अवगत करवाया परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 311634 के अन्तर्गत बकाया अवशेष राशि रूपये 59,141/- का दिनांक 22.3.2017 तथा राशि 22,195/- रूपए का दिनांक 6.4.2017 को अधिकार-पत्र जारी कर भुगतान हेतु परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा परिवादी/अंशदाता को सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(47)लोआस/2016

परिवादी श्री माँगीलाल दुकतावा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, गाँव व पोस्ट धाणामगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 469965 की अवशेष राशि 57,892 रूपए का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 469965 के अन्तर्गत सत्यापन पश्चात् अवशेष राशि रूपए

62,761/- के भुगतान हेतु अधिकार पत्र दिनांक 8.3.2017 को जारी किया जाकर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा परिवादी स्वयं ने भी अब कोई भुगतान बकाया नहीं होना बताया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 17.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(48)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती निशा मैसी, सेवानिवृत्त अध्यापिका, 1158, मिशन कम्पाउण्ड, नसीराबाद, अजमेर द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 403340 की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 25.5.2017 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 403340 की अवशेष राशि रूपये 1,487/- का शिक्षा विभाग द्वारा परिवादी के व्यक्तिगत खाते में ऑन लाइन जमा करा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 06.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(4)लोआस/2017

परिवादी श्री राम निवास, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, उपाध्याय सदन, काबरों की पोल, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाता की

अवशेष राशि 41,949 रूपए का भुगतान नहीं किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की गई थी।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम में निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री राम निवास के जी.पी.एफ. खाता संख्या 275984 के अन्तर्गत अवशेष राशि 48,984/- रूपए का अधिकार-पत्र जारी कर परिवादी के सम्बन्धित विभाग को भुगतान हेतु भिजवा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 09.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(5)लोआस/2017

परिवादी श्री डूंगाराम सोलंकी, सेवानिवृत्त अध्यापक, ग्राम व पोस्ट पीपलियाकलां, जिला पाली द्वारा मुख्य रूप से कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के चलते उसके जी.पी.एफ. खाता सँख्या 304189 के अन्तर्गत अवशेष राशि 1,47,676/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.5.2017 को शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा उक्त पाली कार्यालय में डाक प्राप्ति व प्रेषण व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण में पाई गई खामियों के सन्दर्भ में पाली कार्यालय को निर्देश दिए जाने के तथ्यों का उल्लेख करते हुए पत्र दिनांक 14.7.2017 से अवगत करवाया गया कि कटौतियों का सत्यापन करते हुए जी.पी.एफ. खाता सँख्या 304189 के तहत अवशेष राशि 1,27,282/- रूपये का भुगतान परिवादी को करने हेतु

अधिकार-पत्र दिनांक 5.7.2017 को सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा अन्य और कटौतियों के सम्बन्ध में जीए 55-ए चाहा गया है।

तत्पश्चात् इसी कड़ी में विभाग द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2017 से अवगत करवाया गया कि जीए-55ए के आधार पर कटौतियों का सत्यापन कर परिवादी/अंशदाता को अवशेष राशि 39,645 रूपए का भुगतान करने हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 26.9.2017 को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर दिया गया। इस प्रकार परिवादी को जी.पी.एफ. खाता के अन्तर्गत अवशेष राशि के पेटे कुल 1,66,927/- रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इस क्रम में परिवादी स्वयं ने भुगतान प्राप्त हो जाने की पुष्टि करते हुए दूरभाष पर इस सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 06.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(07)लोआस/2017

परिवादी श्री देवकीनन्दन, चौबदारों का मौहल्ला, साम्भरलेक, जयपुर द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 418080 में जमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, साम्भरलेक, जयपुर ने पत्र दिनांक 22.01.2018 द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 418080 की अवशेष राशि रूपये 1,42,357/- का भुगतान परिवादी के व्यक्तिगत खाते में जमा करा दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 16.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(12)लोआस/2017

परिवादी श्री अब्दुल कयूम, सेवानिवृत्त अध्यापक, ए-66, नूरी मस्जिद के पास, कबीर नगर, सूरसागर रोड़, जोधपुर द्वारा मुख्य रूप से जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि 24,107/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 27.9.2017 से अवगत करवाया गया कि बी.ई.ई.ओ. जैतारण, जिला पाली के द्वारा परिवादी के मामले में पूर्व में जारी अधिकार-पत्र दिनांक 3.4.2017 अवधि पार हो जाने के कारण अवधि बढ़ाने का निवेदन किया गया था। इस क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकार-पत्र रूपये 19,566/- दिनांक 22.9.2017 की वैधता अवधि बढ़ाकर परिवादी/अंशदाता के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को भुगतान करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी ने जरिए दूरभाष इस सचिवालय को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 28.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(13)लोआस/2017

परिवादी श्री खेताराम चौधरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिला पशुपालन विभाग, पाली, निवासी मुकाम पोस्ट अटबड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. की अवशेष राशि (ब्याज सहित) 1,00,148/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 29.09.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादी/अंशदाता के जी.पी. एफ. खाता सँख्या 73696 के अन्तर्गत सत्यापन पश्चात् अवशेष राशि 99,779/- रूपए का भुगतान करने हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 29.9.2017 सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया।

परिवादी ने प्रकरण में भुगतान दिलवाए जाने के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही के लिए इस सचिवालय को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 03.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(15)लोआस/2017

परिवादी श्री हुसैन खां सिलावट सेवानिवृत्त अध्यापक, निवासी भारतीय स्टेट बैंक के पीछे, फालना, तहसील बाली, जिला पाली द्वारा जी.पी.एफ. की अवशेष राशि 42,481/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक

17.10.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादी/अंशदाता के जी.पी.एफ. खाता सँख्या 267040 के अन्तर्गत समस्त अभिलेख की जाँच पश्चात् अवशेष राशि 37,966/- रूपए का भुगतान करने हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 13.10.2017 सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया है तथा अब किसी भी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है।

परिवादी ने भुगतान दिलवाए जाने के अनुक्रम में इस सचिवालय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 04.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(16)लोआस/2017

परिवादी श्री टीकाराम पनू, सेवानिवृत्त अध्यापक, गाँव लूण्डावास, पोस्ट रूपावास, जिला पाली द्वारा मुख्य रूप से जी.पी.एफ. खाता के तहत अवशेष राशि 85,609/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 23.10.2017 से अवगत करवाया गया कि अंशदाता/परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 310475 के अन्तर्गत अवशेष राशि 92,486 रूपए का भुगतान करने हेतु अधिकार पत्र दिनांक 17.10.2017 को सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 30.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(17)लोआस/2017

परिवादी श्री अब्दुल सत्तार बिहारी, सेवानिवृत्त अध्यापक, गाँव पोस्ट जूंठा, वाया रायपुर, जिला पाली द्वारा मूल रूप से जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि 41,828/- रूपये का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली के विरूद्ध शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2017 से अवगत करवाया गया कि उपलब्ध रिकॉर्ड से कटौतियों का सत्यापन करते हुए जी.पी.एफ. खाता सँख्या 307677 के अन्तर्गत अवशेष राशि 14,320/- रूपये का भुगतान परिवादी को करने हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 16.10.2017 को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर दिया गया एवं अब कोई भुगतान बकाया नहीं है। परिवादी की ओर से कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 18.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(18)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती प्रतिभा मिश्रा सेवानिवृत्त अध्यापिका, म.नं. 3630, मुकेरी मौहल्ला, काली माई रोड़, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा जी.पी.एफ. की अवशेष राशि (ब्याज सहित) 66,148/- रूपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक

24.10.2017 से अवगत करवाया गया कि परिवादिया/अंशदाता के जी.पी.एफ. खाता सँख्या 312675 के अन्तर्गत गणना के पश्चात् अवशेष राशि 51,292 रूपए का भुगतान करने हेतु सम्बन्धित विभाग को अधिकार-पत्र दिनांक 23.10.2017 भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 4.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(20)लोआस/2017

परिवादी श्रीमती कलावती दवे, सेवानिवृत्त अध्यापिका, 15, श्री अरिहन्त नगर, कॉलेज रोड़ के सामने, फालना, जिला पाली द्वारा मुख्य रूप से जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि 6,937 रूपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2017 से अवगत करवाया गया कि कटौतियों का सत्यापन करते हुए जी.पी.एफ. खाता संख्या 305754 के तहत अवशेष राशि 14,048/- रूपये का भुगतान परिवादी/अंशदाता को करने हेतु अधिकार पत्र दिनांक 13.10.2017 को सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया तथा अब कोई भुगतान बकाया नहीं है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 15.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(21)लोआस/2017

परिवादी श्री दरिया लाल विरायच, सेवानिवृत्त अध्यापक, निवासी मेघवालों का बास, बर, जिला पाली द्वारा मुख्य रूप से जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि 1,06,820/- रूपए का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के अनुक्रम में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2017 से अवगत करवाया गया कि कटौतियों का सत्यापन करते हुए जी.पी.एफ. खाता सँख्या 311564 के तहत अवशेष राशि 1,11,769/- रूपये का भुगतान परिवादी को करने हेतु अधिकार-पत्र दिनांक 13.10.2017 को सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 01.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(26)लोआस/2017

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, कृष्णा नगर, अजमेर रोड़, केकड़ी द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या 74912 में जमा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 18.12.2017 के द्वारा अवगत कराया है कि परिवादी के जी.पी.एफ. खाता संख्या 74912 की अवशेष राशि रूपये 43,139/- का भुगतान परिवादी के व्यक्तिगत खाते में जमा करा दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 23.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

निम्नलिखित सूची में वे वर्णित प्रकरण हैं, जिनमें परिवादी पक्ष को वांछित अनुतोष के साथ-साथ दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है। इन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण ''अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण'' अध्याय-6 में दिया गया है।

1.	एफ.2(13)लोआस/2016
2.	एफ.3(608)लोआस/2015
3.	एफ.3(662)लोआस/2015
4.	एफ.3(663)लोआस/2015
5.	एफ.3(191)लोआस/2016
6.	एफ.3(457)लोआस/2016
7.	एफ.3(491)लोआस/2016
8.	एफ.3(577)लोआस/2016
9.	एफ.3(860)लोआस/2016
10.	एफ.3(20)लोआस/2017
11.	एफ.3(57)लोआस/2017
12.	एफ.3(65)लोआस/2017
13.	एफ.3(94)लोआस/2017
14.	एफ.3(139)लोआस/2017
15.	एफ.4(57)लोआस/2015
16.	एफ.8(25)लोआस/2016
17.	एफ.10(17)लोआस/2016
18.	एफ.10(17)लोआस/2017
19.	एफ.11(304)लोआस/2011

20.	एफ.11(308)लोआस/2011
21.	एफ.11(177)लोआस/2013
22.	एफ.11(185)लोआस/2014
23.	एफ.11(241)लोआस/2014
24.	एफ.11(288)लोआस/2014
25.	एफ.11(322)लोआस/2014
26.	एफ.11(455)लोआस/2014
27.	एफ.11(76)लोआस/2015
28.	एफ.11(102)लोआस/2015
29.	एफ.11(173)लोआस/2015
30.	एफ.11(211)लोआस/2015
31.	एफ.11(290)लोआस/2015
32.	एफ.11(301)लोआस/2015
33.	एफ.11(486)लोआस/2015
34.	एफ.11(559)लोआस/2015
35.	एफ.11(568)लोआस/2015
36.	एफ.11(637)लोआस/2015
37.	एफ.11(677)लोआस/2015
38.	एफ.11(741)लोआस/2015

39.	एफ.11(783)लोआस/2015
40.	एफ.11(841)लोआस/2015
41.	एफ.11(880)लोआस/2015
42.	एफ.11(987)लोआस/2015
43.	एफ.11(360)लोआस/2016
44.	एफ.11(584)लोआस/2016
45.	एफ.12(85)लोआस/208
46.	एफ.12(136)लोआस/2011
47.	एफ.12(142)लोआस/2011
48.	एफ.12(144)लोआस/2011
49.	एफ.12(28)लोआस/2013
50.	एफ.12(56)लोआस/2013
51.	एफ.12(98)लोआस/2013
52.	एफ.12(142)लोआस/2013
53.	एफ.12(182)लोआस/2013
54.	एफ.12(231)लोआस/2013
55.	एफ.12(48)लोआस/2014
56.	एफ.12(109)लोआस/2014
57.	एफ.12(147)लोआस/2014
58.	एफ.12(155)लोआस/2014
59.	एफ.12(310)लोआस/2014
60.	एफ.12(390)लोआस/2014
61.	एफ.12(427)लोआस/2014
62.	एफ.12(3)लोआस/2015
63.	एफ.12(117)लोआस/2015
64.	एफ.12(139)लोआस/2015
65.	एफ.12(157)लोआस/2015

66.	एफ.12(161)लोआस/2015
67.	एफ.12(225)लोआस/2015
68.	एफ.12(275)लोआस/2015
69.	एफ.12(323)लोआस/2015
70.	एफ.12(358)लोआस/2015
71.	एफ.12(362)लोआस/2015
72.	एफ.12(397)लोआस/2015
73.	एफ.12(412)लोआस/2015
74.	एफ.12(416)लोआस/2015
75.	एफ.12(471)लोआस/2015
76.	एफ.12(473)लोआस/2015
77.	एफ.12(524)लोआस/2015
78.	एफ.12(525)लोआस/2015
79.	एफ.12(589)लोआस/2015
80.	एफ.12(7)लोआस/2016
81.	एफ.12(19)लोआस/2016
82.	एफ.12(107)लोआस/2016
83.	एफ.12(133)लोआस/2016
84.	एफ.12(160)लोआस/2016
85.	एफ.12(170)लोआस/2016
86.	एफ.12(171)लोआस/2016
87.	एफ.12(187)लोआस/2016
88.	एफ.12(208)लोआस/2016
89.	एफ.12(229)लोआस/2016
90.	एफ.12(267)लोआस/2016
91.	एफ.12(305)लोआस/2016
92.	एफ.12(362)लोआस/2016

93.	एफ.12(437)लोआस/2016
94.	एफ.12(462)लोआस/2016
95.	एफ.12(512)लोआस/2016
96.	एफ.12(524)लोआस/2016
97.	एफ.12(603)लोआस/2016
98.	एफ.12(746)लोआस/2016
99.	एफ.15(18)लोआस/2013
100.	एफ.15(12)लोआस/2015
101.	एफ.16(15)लोआस/207
102.	एफ.16(217)लोआस/2011
103.	एफ.16(24)लोआस/2013
104.	एफ.16(115)लोआस/2013
105.	एफ.16(137)लोआस/2013
106.	एफ.16(159)लोआस/2013
107.	एफ.16(249)लोआस/2014
108.	एफ.16(303)लोआस/2014
109.	एफ.16(633)लोआस/2014
110.	एफ.16(634)लोआस/2014
111.	एफ.16(648)लोआस/2014
112.	एफ.16(736)लोआस/2014
113.	एफ.16(745)लोआस/2014
114.	एफ.16(106)लोआस/2015
115.	एफ.16(264)लोआस/2015
116.	एफ.16(314)लोआस/2015
117.	एफ.16(352)लोआस/2015
118.	एफ.16(447)लोआस/2015

119.	एफ.16(512)लोआस/2015
120.	एफ.16(973)लोआस/2015
121.	एफ.16(174)लोआस/2016
122.	एफ.18(21)लोआस/2016
123.	एफ.18(18)लोआस/2017
124.	एफ.23(17)लोआस/2012
125.	एफ.23(10)लोआस/2014
126.	एफ.23(9)लोआस/2015
127.	एफ.30(8)लोआस/2016
128.	एफ.35(156)लोआस/2014
129.	एफ.35(358)लोआस/2014
130.	एफ.35(15)लोआस/2015
131.	एफ.35(369)लोआस/2015
132.	एफ.35(382)लोआस/2015
133.	एफ.35(30)लोआस/2016
134.	एफ.35(44)लोआस/2016
135.	एफ.35(123)लोआस/2016
136.	एफ.35(351)लोआस/2016
137.	एफ.45(8)लोआस/2011
138.	एफ.45(17)लोआस/2013
139.	एफ.45(28)लोआस/2014
140.	एफ.45(26)लोआस/2015
141.	एफ.47(13)लोआस/2013

उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरण वे हैं जिनका विवरण ''माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – जस्टिस माथुर जाँच आयोग से प्राप्त प्रकरणों का विवरण'' अध्याय – 3 में दिया गया है:-

1.	एफ.22(304)/लोआस/2011
2.	एफ.22(350)/लोआस/2011
3.	एफ.22(410)/लोआस/2011
4.	एफ.22(411)/लोआस/2011
5.	एफ.22(428)/लोआस/2011
6.	एफ.22(498)/लोआस/2011
7.	एफ.22(543)/लोआस/2011
8.	एफ.22(681)लोआस/2011
9.	एफ.22(682)लोआस/2011
10.	एफ.22(757)/लोआस/2011
11.	एफ.22(764)/लोआस/2011
12.	एफ.22(772)/लोआस/2011
13.	एफ.22(778)/लोआस/2011
14.	एफ.22(780)/लोआस/2011
15.	एफ.22(781)/लोआस/2011
16.	एफ.22(822)/लोआस/2011
17.	एफ.22(828)/लोआस/2011
18.	एफ.22(840)/लोआस/2011
19.	एफ.22(841)/लोआस/2011
20.	एफ.22(843)/लोआस/2011
21.	एफ.22(846)/लोआस/2011
22.	एफ.22(847)/लोआस/2011
23.	एफ.22(872)/लोआस/2011
24.	एफ.22(883)/लोआस/2011
25.	एफ.22(887)/लोआस/2011
26.	एफ.22(897)/लोआस/2011
27.	एफ.22(899)/लोआस/2011
28.	एफ.22(900)/लोआस/2011
29.	एफ.22(901)/लोआस/2011
30.	एफ.22(901)/लोआस/2011
31.	एफ.22(917)/लोआस/2011
32.	एफ.22(918)लोआस/2011
33.	एफ.22(920)/लोआस/2011
34.	एफ.22(946)लोआस/2011
35.	एफ.22(962)/लोआस/2011
36.	एफ.22(964)/लोआस/2011
37.	एफ.22(969)/लोआस/2011
38.	एफ.22(975)/लोआस/2011
39.	एफ.22(977)/लोआस/2011
40.	एफ.22(985)/लोआस/2011
41.	एफ.22(1021)/लोआस/2011
42.	एफ.22(1022)/लोआस/2011
43.	एफ.22(1039)/लोआस/2011
44.	एफ.22(1057)/लोआस/2011
45.	एफ.22(1083)/लोआस/2011
46.	एफ.22(1086)/लोआस/2011
47.	एफ.22(1087)/लोआस/2011
48.	एफ.22(1088)/लोआस/2011

49.	एफ.22(1089)/लोआस/2011
50.	एफ.22(1092)/लोआस/2011
51.	एफ.22(1093)/लोआस/2011
52.	एफ.22(1094)/लोआस/2011
53.	एफ.22(1095)/लोआस/2011
54.	एफ.22(1097)/लोआस/2011
55.	एफ.22(1103)/लोआस/2011
56.	एफ.22(1104)/लोआस/2011
57.	एफ.22(1111)/लोआस/2011
58.	एफ.22(1112)/लोआस/2011
59.	एफ.22(1114)/लोआस/2011
60.	एफ.22(1115)/लोआस/2011
61.	एफ.22(1117)/लोआस/2011
62.	एफ.22(1118)/लोआस/2011
63.	एफ.22(1119)/लोआस/2011
64.	एफ.22(1120)/लोआस/2011
65.	एफ.22(1124)/लोआस/2011
66.	एफ.22(1132)/लोआस/2011
67.	एफ.22(1133)/लोआस/2011
68.	एफ.22(1137)लोआस/2011
69.	एफ.22(1138)/लोआस/2011
70.	एफ.22(1140)/लोआस/2011
71.	एफ.22(1141)/लोआस/2011
72.	एफ.22(1142)/लोआस/2011
73.	एफ.22(1154)/लोआस/2011
74.	एफ.22(1166)/लोआस/2011
75.	एफ.22(1169)लोआस/2011

76.	एफ.22(1177)/लोआस/2011
77.	एफ.22(1178)/लोआस/2011
78.	एफ.22(1179)/लोआस/2011
79.	एफ.22(1185)/लोआस/2011
80.	एफ.22(1186)/लोआस/2011
81.	एफ.22(1222)/लोआस/2011
82.	एफ.22(1225)/लोआस/2011
83.	एफ.22(1240)/लोआस/2011
84.	एफ.22(1242)/लोआस/2011
85.	एफ.22(1252)/लोआस/2011
86.	एफ.22(1273)लोआस/2011
87.	एफ.22(1275)/लोआस/2011
88.	एफ.22(1285)लोआस/2011
89.	एफ.22(1312)/लोआस/2011
90.	एफ.22(1313)/लोआस/2011
91.	एफ.22(1314)/लोआस/2011
92.	एफ.22(1316)/लोआस/2011
93.	एफ.22(1318)/लोआस/2011
94.	एफ.22(1319)/लोआस/2011
95.	एफ.22(1320)/लोआस/2011
96.	एफ.22(1321)/लोआस/2011
97.	एफ.22(1324)/लोआस/2011
98.	एफ.22(1327)/लोआस/2011
99.	एफ.22(1328)/लोआस/2011
100.	एफ.22(1329)/लोआस/2011
101.	एफ.22(1331)/लोआस/2011
102.	एफ.22(1332)/लोआस/2011

103.	एफ.22(1333)/लोआस/2011
104.	एफ.22(1334)/लोआस/2011
105.	एफ.22(1335)/लोआस/2011
106.	एफ.22(1336)/लोआस/2011
107.	एफ.22(1337)/लोआस/2011
108.	एफ.22(1339)/लोआस/2011
109.	एफ.22(1340)/लोआस/2011
110.	एफ.22(1341)/लोआस/2011
111.	एफ.22(1342)/लोआस/2011
112.	एफ.22(1344)/लोआस/2011
113.	एफ.22(1345)/लोआस/2011
114.	एफ.22(1346)/लोआस/2011
115.	एफ.22(1347)/लोआस/2011
116.	एफ.22(1348)/लोआस/2011
117.	एफ.22(1349)/लोआस/2011
118.	एफ.22(1350)/लोआस/2011
119.	एफ.22(1382)/लोआस/2011
120.	एफ.22(1388)/लोआस/2011
121.	एफ.22(1393)/लोआस/2011
122.	एफ.22(1394)/लोआस/2011
123.	एफ.22(1396)/लोआस/2011
124.	एफ.22(1397)/लोआस/2011
125.	एफ.22(1398)/लोआस/2011
126.	एफ.22(1401)/लोआस/2011
127.	एफ.22(1403)/लोआस/2011
128.	एफ.22(1404)/लोआस/2011
129.	एफ.22(1407)/लोआस/2011
130.	एफ.22(1492)/लोआस/2011
131.	एफ.22(1511)/लोआस/2011
132.	एफ.22(1512)/लोआस/2011
133.	एफ.22(1513)/लोआस/2011
134.	एफ.22(1514)/लोआस/2011
135.	एफ.22(1515)/लोआस/2011
136.	एफ.22(1516)/लोआस/2011
137.	एफ.22(1517)/लोआस/2011
138.	एफ.22(1519)/लोआस/2011
139.	एफ.22(1520)/लोआस/2011
140.	एफ.22(1525)/लोआस/2011
141.	एफ.22(1527)/लोआस/2011
142.	एफ.22(1528)/लोआस/2011
143.	एफ.22(1529)/लोआस/2011
144.	एफ.22(1531)/लोआस/2011
145.	एफ.22(1533)/लोआस/2011
146.	एफ.22(1534)/लोआस/2011
147.	एफ.22(1536)/लोआस/2011
148.	एफ.22(1581)/लोआस/2011
149.	एफ.22(1635)/लोआस/2011
150.	एफ.22(1674)/लोआस/2011

अध्याय-8

लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित लोकायुक्त संस्था एक उच्चस्तरीय वैधानिक संस्था है जिसके सृजन का उद्देश्य राज्य के लोक सेवकों के विरूद्ध कदाचरण, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी जाँच/अन्वेषण आदि करना है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसार लोकायुक्त जाँच के दायरे में मंत्रियों, सचिवों, अधिसूचित लोकसेवकों तथा कतिपय संस्थाओं, कम्पनियों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को रखा गया है। बाद में, कुछ प्राधिकारियों और संस्थाओं को अधिसूचना के माध्यम से लोकायुक्त जाँच के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रावधान किया गया किन्तु ऐसी अधिसूचित संस्थाओं की संख्या नाममात्र ही है। जन साधारण की आशाओं के अनुरूप भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के लिए लोकायुक्त संस्था के पास पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः जनता को 'सुशासन' दिलाये जाने की दिशा में आशातीत सफलता मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किये जाने के पश्चात् विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजस्थान में भी लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में उक्त अधिनियम जैसे प्रावधान जोड़े जाने की माँग की गई। अतः इस संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त

(संशोधित) बिल, 2014 का प्रारूप इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.1(14)लोआस/84/13552 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया।

उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विषय में अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर इस सचिवालय द्वारा स्मरण-पत्र दिनांक 17.01.15 भिजवाया गया। इस सचिवालय द्वारा उपर्युक्त पत्राचार के बाद राज्य सरकार को लिखे गये स्मरण-पत्रों व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/9156 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 9158 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.1 व 8.2)

2. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/21928 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 21927 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.3 व 8.4)

3. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/651 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 652 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा शासन

सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.5 व 8.6)

4. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/1223 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-6) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.7 व 8.8)

5. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/36934 दिनांक 14.12.16 के द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 36933 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.9 व 8.10)

6. कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के शासन संयुक्त सचिव द्वारा संयुक्त सचिव(वीएस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित अ.शा.टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिकायत/14 दिनांक 11.01.2017 का पृष्ठांकन प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। (परिशिष्ट-8.11)

7. इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/50006 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री

कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 50008 दिनांक 09.03.2017 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट-8.12 व 8.13)

8. उक्त पत्र पर कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के शासन संयुक्त सचिव के द्वारा संयुक्त सचिव(वीएस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित अ.शा.टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिकायत/14 दिनांक 31.03.2017 का पृष्ठांकन प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। (परिशिष्ट-8.14)

9. राज्य सरकार की उक्त अ.शा. टीप दिनांक 31.3.17 प्राप्त होने के पश्चात् इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 1(14)लोआस/1984/7590 दिनांक 24.5.17 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांकः 7592 दिनांक 24.5.17 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को इस सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु लिखा गया। (परिशिष्ट-8.15 एवं 8.16)

10. इस सम्बन्ध में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 1(14)लोआस/1984/21949 दिनांक 4.9.17 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांकः 21950 दिनांक 4.9.17 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को इस सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं

वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु लिखा गया। (परिशिष्ट-8.17 एवं 8.18)

11. उक्त पत्रों के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई प्रगति/वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.1(14)लोआस/1984/31498 दिनांक 13.11.17 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक: 31497 दिनांक 13.11.17 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को इस सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु लिखा गया। (परिशिष्ट-8.19 एवं 8.20)

12. उक्त पत्रों के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई प्रगति/वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ. 1(14)लोआस/1984/42347 दिनांक 05.02.18 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक: 42346 दिनांक 05.02.2018 के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को इस सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु लिखा गया। (परिशिष्ट-8.21 एवं 8.22)

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पैटर्न पर ओडिशा विधानसभा द्वारा ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.2015 को पारित कर इस अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त संस्था को पर्याप्त शक्तियां प्रदान कर सशक्त एवं प्रभावी बना दिया गया है। मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक राज्य के अधिनियमों में पहले से ही ऐसे

प्रभावी प्रावधान मौजूद हैं। इस कारण उक्त राज्यों की लोकायुक्त संस्थाएँ पर्याप्त रूप से सशक्त एवं प्रभावी हैं। मध्यप्रदेश राज्य में लोक सेवकों के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणों को लोकायुक्त के नियंत्रण में रखा गया है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में उक्त राज्यों की तुलना में न तो लोक सेवक की व्यापक परिभाषा दी गई है, न सर्च वारण्ट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं और न ही संस्था को स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्था ने लोकायुक्त सचिवालय हेतु मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक की तर्ज पर अलग से पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की माँग की थी जिस पर राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका/2011 जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा कुल 15 अधिकारियों/पुलिसकर्मियों के पद स्वीकृत करते हुए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई थी परन्तु बाद में राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण का पदस्थापन करने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

इसके बाद इस सचिवालय द्वारा दिनांक 22.09.2014 को यह प्रस्तावित किया गया कि यदि उपर्युक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिकारी/पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं तो उस स्थिति में लोकायुक्त को राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य की किसी भी अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएँ उनके निर्देशन में कार्य करने हेतु तत्काल उपलब्ध करवाई जायें जिससे आवश्यक मामलों में मौके पर कार्यवाही की जा सके लेकिन इस विषय में भी राज्य सरकार की ओर से आज दिनांक तक कोई पहल नहीं हुई है। विकल्प में हमारे द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा

उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएँ राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था परन्तु इस सम्बन्ध में भी अपेक्षानुरूप कार्यवाही न करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.6(1)डीओपी/ए-3/कम्प./2016 दिनांक 21.1.2016 के अनुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को एकल सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने हेतु अधिकृत किया गया है जो कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही राज्य के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि लोकायुक्त को किसी विशेष प्रकरण के अन्वेषण हेतु एकल सम्पर्क अधिकारी को अनुरोध करना होगा जो न केवल जटिल व अव्यावहारिक है बल्कि इस सचिवालय की गरिमा के प्रतिकूल भी है।

इस सचिवालय द्वारा उक्त आशय की मंशा जाहिर करने पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(1)मंमं/2014 दिनांक 16.5.17 (परिशिष्ट 8.23) के द्वारा इस सचिवालय हेतु पुलिस प्रकोष्ठ स्थापना सम्बन्धी आदेश दिनांक 04.10.13 पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नांकित मंत्रीगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया:-

1. श्री यूनुस खान, मंत्री
   सार्वजनिक निर्माण विभाग.
2. श्री सुरेन्द्र गोयल, मंत्री
   जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग.

3. डॉ. रामप्रताप, मंत्री
जल संसाधन विभाग.

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग एवं इसके सदस्य सचिव कार्मिक विभाग के शासन सचिव को रखा गया।

इस समिति द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कोई जानकारी इस सचिवालय को प्राप्त नहीं होने पर इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 1(31)लोआस/1973/पार्ट-vi/32532 दिनांक 21.11.2017 (परिशिष्ट 8.24) के द्वारा शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय/अद्यतन स्थिति की जानकारी से अवगत करवाने हेतु लिखा गया था। इसके उपरान्त भी इस सम्बन्ध में उक्त उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय/प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को प्राप्त नहीं होने पर पुनः पत्र क्रमांकः एफ.1(31)लोआस/1973/पार्ट-vi/42437 दिनांक 06.02.18 (परिशिष्ट-8.25) जारी कर उक्त उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय/प्रगति की जानकारी चाही गई, जो इस सचिवालय को अभी तक अप्राप्त है।

अतः राज्य सरकार को चाहिए कि वह अब शीघ्र ही धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएँ राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत करने का आदेश प्रसारित करे ताकि इस सचिवालय द्वारा दस्तावेजात और सम्पत्ति की जाँच और जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही गोपनीयतापूर्वक शीघ्रता से किया जाना सम्भव हो सके।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधानों तथा विभिन्न राज्यों में प्रभावशील सशक्त लोकायुक्त अधिनियमों के पैटर्न पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को भी प्रभावी व सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं :-

1. अधिनियम में ''लोकसेवक'' की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करते हुए राज्य सेवकों और मंत्रियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्यों, राजस्थान विधानसभा से पारित कानून के अन्तर्गत बनी सभी संस्थाओं, निगमों, निकायों, राज्य सरकार के स्वत्वाधीन, नियंत्रित या वित्तपोषित कम्पनियों, निगमों, सोसाइटियों और पब्लिक ट्रस्टों, राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकायों और समितियों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी लोकायुक्त जाँच के दायरे में लाया जाये।

2. अन्वेषण एवं अभियोजन शाखा का लोकायुक्त के नियंत्रणाधीन गठन किया जाये ताकि आदेशित जाँच एवं अन्वेषण बिना विलम्ब के त्वरित गति से पूर्ण होकर दोषी लोक सेवकों का अभियोजन शीघ्रता से संभव हो सके।

3. प्रभावी जाँच के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्तियाँ लोकायुक्त को प्रदान की जायें।

4. लोकायुक्त को प्राथमिक जाँच के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द करने से रोकने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान की जावे।

5. आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी लोकसेवकों का अभियोजन करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जारी करने हेतु लोकायुक्त को अधिकृत किया जाये।

6. लोकायुक्त द्वारा अन्वेषित मामलों की सुनवाई राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के अधीन गठित 'विशेष न्यायालय' द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाये ताकि ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा मामलों का त्वरित, प्रभावी तथा त्रुटि रहित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

7. लोकसेवक के भ्रष्ट कार्यों से राजकोष को हुई क्षति का आकलन करने और ऐसे नुकसान की राशि लोक सेवक तथा लाभार्थी से वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय को सशक्त किया जावे।

8. लोकायुक्त को उनके आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर दस हजार रूपए तक का जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की जावे ताकि विचाराधीन कार्यवाहियों में विलम्ब दूर हो और वांछित कार्यवाही शीघ्र संभव हो सके।

9. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने की शक्तियाँ प्रदान की जायें। साथ ही 'विशेष न्यायालय' को ऐसी सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए भी अधिकृत किया जाये।

10. लोकायुक्त को ऐसे लोक-सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन के आदेश देने की शक्तियाँ प्रदान की जायें, जिसके विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय में लम्बित जाँच में ऐसा करना आवश्यक हो।

11. प्रत्येक लोक-सेवक द्वारा प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति और दायित्वों का ब्यौरा लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत किये जाने एवं ऐसे ब्यौरे को सार्वजनिक किये जा सकने का प्रावधान किया जाये। जहाँ लोक-सेवक के पास घोषित स्रोतों से अधिक सम्पत्ति पायी जाती है, उसे भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति माने जाने का प्रावधान भी किया जाये।

12. लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत करने और जहाँ लोकायुक्त की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया हो, उससे सम्बन्धित रिपोर्ट कारणों सहित विधानसभा के पटल पर रखवाने का प्रावधान किया जाये।

हमारा यह सुविचारित मत है कि उपर्युक्त सभी प्रस्तावित प्रावधानों के माध्यम से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से जाँच एवं अन्वेषण सम्भव हो सकेगा। जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, ओडिशा राज्य द्वारा केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रतिमान (Pattern) पर ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.15 को पारित कर दिया गया है जिसमें केन्द्रीय अधिनियम के समान ही प्रावधान दिये गए हैं। राजस्थान में भी ओडिशा, मध्यप्रदेश व कर्नाटक आदि राज्यों की भांति प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम 2013 को राज्य

सरकार द्वारा विधानसभा से शीघ्र पारित करवाया जाना अपेक्षित है जिससे ओडिशा, मध्यप्रदेश व कर्नाटक राज्यों की भांति राजस्थान में भी लोकायुक्त संस्था सशक्त एवं प्रभावी होकर अपनी स्थापना के प्रयोजन को पूर्णतः अभिप्राप्त करने में सफल हो सके।

* * * * *

परिशिष्ट-8.1

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/9156 दिनांक-23.06.15

शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14

प्रसंग-2ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग के क्रम में आवश्यक संशोधन के साथ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप प्रासंगिक पत्र में वर्णितानुसार शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाया गया था और प्रस्तावित अधिनियम की एक प्रति आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित कर इस संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1 व 2 की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

ह./-23.6.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.2

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/9158 दिनांक-23.06.15

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग पर प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 प्रस्तावित कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित कर इस संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1 व 2 की प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

ह./-23.6.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.3

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/21928 दिनांक-05.10.15

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग के क्रम में आवश्यक संशोधन के साथ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप प्रासंगिक पत्र में वर्णितानुसार शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाया गया था और प्रस्तावित अधिनियम की एक प्रति आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 व 3 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित कर इस संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया था। इस संबंध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1,2 व 3 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

ह./-05.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.4

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/21927 दिनांक-05.10.15

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् विभिन्न संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने की मांग पर प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 प्रस्तावित कर शीघ्र कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित कर इस संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन इस संबंध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र 1,2 व 3 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के संदर्भ में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को शीघ्र अवगत कराया जाना निवेदित है।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

ह./-05.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.5

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/651 दिनांक-06.04.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14

प्रसंग-2ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15

प्रसंग-3ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15

प्रसंग-4ः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 4 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-05.4.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.6

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/652 दिनांक-06.04.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 4 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-05.4.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.7

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/12223 दिनांक-23.06.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/651 दि.06.04.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 5 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-23.6.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.8

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/12225 दिनांक-23.06.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/652 दि.06.04.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 5 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-23.6.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.9

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/36934 दिनांक-14.12.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/651 दि.06.04.16
प्रसंग-6:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/12223 दि.23.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 6 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-14.12.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.10

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/36933 दिनांक-14.12.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/652 दि.06.04.16
प्रसंग-6:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/12225 दि.23.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 6 द्वारा स्मरण-पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-14.12.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–8.11

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन बाबत।

संदर्भः– आपकी अशा.टीप क्र. प. मु.मं.– संस(वीएस)/प–2कार्मिक/जया/16/29413 दिनांक 29.06.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित टीप के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

Sd/-
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव (वीएस), मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री कार्यालय

अशा.टीप 6(1)का/क–3/शिका/14
जयपुर, दिनांकः 11.01.17

प्रतिलिपिः– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज0, जयपुर को अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/12223 दिनांक 23.06.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Sd/-14.12.16
(मनोज कुमार)
अनुभागाधिकारी

परिशिष्ट-8.12

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/50006 दिनांक-09.03.17

प्रमुख शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।
प्रसंगः- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/शिका) विभाग द्वारा संयुक्त सचिव,(वीएस) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं इस सचिवालय को पृष्ठांकित प्रासंगिक अ.शा. टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-09.03.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.13

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/50008 दिनांक-09.03.17

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।
प्रसंगः- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/शिका) विभाग द्वारा संयुक्त सचिव,(वीएस) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं इस सचिवालय को पृष्ठांकित प्रासंगिक अ.शा. टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-09.03.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.14

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3/शिका)विभाग

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

संदर्भः- आपकी अशा.टीप क्र0 प0 मु.मं.- संस(वीएस)/प-2कार्मिक/जय/17/29413 दिनांक 15.03.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित टीप के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

Sd/-
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव (वीएस), मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री कार्यालय

अशा.टीप 6(1)का/क-3/शिका/14
जयपुर, दिनांकः 31.03.17

प्रतिलिपिः- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज0, जयपुर को अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/1984/50008 दिनांक 09.03.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Sd/-
(भवानी शंकर)
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट-8.15

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/7590 दिनांक-24.5.17

प्रमुख शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/36933 दिनांक 14.12.16 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है प्रसंग संख्या-1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा. टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या-2 में वर्णित स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-24.05.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.16

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/7592 दिनांक-24.05.17

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/36933 दिनांक 14.12.16 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 09.03.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंग संख्या-1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा.टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या-2 में वर्णित स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-24.05.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–8.17

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/21949 दिनांक–04.09.17

प्रमुख शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।
प्रसंग–1ः– कार्मिक(क–3/शिका) विभाग की अ.शा.टीप 6(1)का/क–3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17
प्रसंग–2ः– इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 36934 दिनांक 14.12.16
प्रसंग–3ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/7590 दिनांक 24.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंग संख्या–1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा.टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या–2 एवं 3 में वर्णित स्मरण–पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला पिछले करीब तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र संख्या–2 एवं 3 की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

Sd/-04.09.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.18

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/21950 दिनांक-04.09.17

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 36933 दिनांक 14.12.16

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/7592 दिनांक 24.05.17

प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/21949 दिनांक 04.09.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंग संख्या-1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा.टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या-2, 3 एवं 4 में वर्णित स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला पिछले करीब पौने चार वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र संख्या-2, 3 एवं 4 की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

Sd/-04.09.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.19

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/31498 दिनांक-13.11.17

प्रमुख शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।
प्रसंग-1:- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा.टीप 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 36934 दिनांक 14.12.16
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 7590 दिनांक 24.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंग संख्या-1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा.टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या-2 एवं 3 में वर्णित स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला पिछले करीब तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र संख्या-2 एवं 3 की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

Sd/-13.11.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.20

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/31497 दिनांक-13.11.17

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017 एवं समसंख्यक टीप दिनांक 31.03.17

प्रसंग-2:- इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 36933 दिनांक 14.12.16

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 7592 दिनांक 24.05.17

प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/21950 दिनांक 04.09.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रसंग संख्या-1 के तहत वर्णित दोनों अ.शा.टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र संख्या-2, 3 एवं 4 में वर्णित स्मरण-पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला पिछले करीब पौने चार वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र संख्या-2, 3 एवं 4 की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

Sd/-13.11.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.21

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/42347 दिनांक-05.02.18

प्रमुख शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।
प्रसंगः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांकः एफ. 1(14)लोआस/1984/31498 दिनांक 13.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि इस सचिवालय के प्रासंगिक पत्र में वर्णित कार्मिक (क-3) विभाग की अ.शा.टीप दिनांक 11.1.17 व 31.3.17 (पत्र की प्रति संलग्न है) के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे। इस प्रकार यह मामला पिछले चार साल से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र संख्या-2 एवं 3 की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

भवदीय,
Sd/-05.02.18
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.22

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/42346 दिनांक-09.02.18

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन बाबत।

प्रसंगः- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/1984/31497 दिनांक 13.11.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि इस सचिवालय के प्रासंगिक पत्र में वर्णित कार्मिक (क-3) विभाग की अ.शा.टीप दिनांक 11.1.17 व 31.3.17 (पत्र की प्रति संलग्न है) के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे। इस प्रकार यह मामला पिछले चार साल से अधिक समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 के सम्बन्ध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

Sd/-05.02.18
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–8.23

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

आज्ञा

क्रमांकः प.5(1)मं.मं./2014 जयपुर, दिनांक 16.5.17

लोकायुक्त सचिवालय में पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने के संबंध में कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.6(2)का/क–3/शिका/2011 दिनांक 04.10.2013 पर पुनर्विचार (Review) करने हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:–

1. श्री यूनुस खान, मंत्री
   सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. श्री सुरेन्द्र गोयल, मंत्री
   जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
3. डॉ. रामप्रताप, मंत्री
   जल संसाधन विभाग

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से
Sd/-
(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-8.24

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(31)लोआस/1973/पार्ट-IV/32532 दिनांक-21.11.17

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय के लिए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने बाबत।

प्रसंग-1ः- कार्मिक (क-3/शिका) विभाग का पत्र क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका./2011 दिनांक 4.10.13

प्रसंग-2ः- राजस्थान सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांकः पं. 5(1)मं.मं./14 दिनांक 16.5.17

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके प्रसंगिक पत्र क्रम संख्या-1 में वर्णितातनुसार लोकायुक्त सचिवालय हेतु पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। उक्त स्वीकृति में वर्णित अधिकारीगण/पुलिसकर्मीगण की सेवाएं इस सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराने पर इस सचिवालय द्वारा उक्त अधिकारीगण की सेवाएं माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देशों/आदेशों पर उनके नियंत्रण में बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/सहमति के तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित किया गया था।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में पुलिस प्रकोष्ठ स्थापना संबंधी प्रासंगिक पत्र संख्या-1 के तहत वर्णित स्वीकृति दिनांक 4.10.13 पर पुनर्विचार किए जाने हेतु प्रासंगिक आज्ञा-2 के तहत वर्णित आदेश दिनांक 16.5.17 के तहत मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था। इस संबंध में उक्त उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय/प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अभी तक अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र संख्या-1 एवं प्रासंगिक आज्ञा 2 की फोटो प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संदर्भ में लिए गए निर्णय/अद्यतन स्थिति की जानकारी इस सचिवालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में वस्तुस्थिति से माननीय लोकायुक्त महोदय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

संलग्नः- उपरोक्तानुसार.

Sd/-21.11.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.25

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(31)लोआस/1973/पार्ट-IV/42437 दिनांक-6.2.18

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय के लिए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना किए जाने बाबत।

प्रसंग-1:- कार्मिक (क-3/शिका) विभाग का पत्र क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका./2011 दिनांक 4.10.13

प्रसंग-2:- राजस्थान सरकार, मंत्रीमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांकः पं. 5(1)मं.मं./14 दिनांक 16.5.17

प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांकः एफ.1(31)लोआस/1973 पार्ट-IV/32532 दिनांक 21.11.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके प्रसंगिक पत्र क्रम संख्या-1 में वर्णितातनुसार लोकायुक्त सचिवालय हेतु पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। उक्त स्वीकृति में वर्णित अधिकारीगण/पुलिसकर्मीगण की सेवाएं इस सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराने पर इस सचिवालय द्वारा उक्त अधिकारीगण की सेवाएं माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देशों/आदेशों पर उनके नियंत्रण में बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/सहमति के तत्काल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित किया गया था।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में पुलिस प्रकोष्ठ स्थापना संबंधी प्रासंगिक पत्र संख्या-1 के तहत वर्णित स्वीकृति दिनांक 4.10.13 पर पुनर्विचार किए जाने हेतु प्रासंगिक आज्ञा-2 के तहत वर्णित आदेश दिनांक 16.5.17 के तहत मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था। इस संबंध में उक्त उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय/प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अभी तक अप्राप्त है।

अतः प्रसंगिक पत्र संख्या–1,2 व 3 की फोटो प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इस संदर्भ में लिए गए निर्णय/अद्यतन स्थिति की जानकारी इस सचिवालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि इस संबंध में वस्तुस्थिति से माननीय लोकायुक्त महोदय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

Sd/-05.02.18
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

अध्याय-9

विविध

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	निरन्तर

* कार्यवाहक लोकायुक्त

उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

श्री कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल को न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी, लोकायुक्त द्वारा जस्टिस माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समेकित जाँच रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

राजभवन, दिनांक 31.01.2018

श्री कल्याण सिंह, माननीय राज्यपाल को न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी, लोकायुक्त द्वारा 31वें वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

राजभवन, दिनांक 14.09.2017

आयोजित शिविरों और बैठकों के कतिपय चित्र

ऋषभदेव (उदयपुर) – दिनांक 08.05.2017

सांभर लेक (जयपुर) – दिनांक 09.05.2017

शिवगंज (सिरोही) – दिनांक 25.05.2017

टोंक – दिनांक 16.11.2017

आबूरोड (सिरोही) – दिनांक 19.01.2018

मेड़ता सिटी (नागौर) – दिनांक 12.02.2018

समाचार–पत्रों में प्रकाशित कतिपय खबरें

राजस्थान पत्रिका, शनिवार, 01 अप्रैल, 2017

शिकायतों में अव्वल नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

लोकायुक्त ने राज्यपाल को सौंपा प्रतिवेदन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. राज्यपाल कल्याण सिंह को मंगलवार को राजभवन में लोकायुक्त एसएस कोटारी ने 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। इसमें सामने आया है कि शिकायतों में नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग सबसे आगे है। उधर, लोकायुक्त की ओर से एक साल पहले राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट राज्य सरकार ने अब तक सदन में पेश नहीं की है। प्रतिवेदन में एक अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की जानकारी दी गई। इसमें बताया कि इस दौरान 6485 शिकायत लोकायुक्त सचिवालय में आई और 4990 का निस्तारण कर दिया गया। यह लोकायुक्त संस्था के इतिहास में सर्वाधिक है। इस अवसर पर लोकायुक्त सचिवालय के प्रमुख सचिव डॉ. पदम कुमार जैन, राज्यपाल की सचिव श्रेया गुहा और राज्यपाल के विशेषाधिकारी डॉ. अजय शंकर पाण्डेय उपस्थित थे।

यह रहा शिकायतों का ग्राफ

- **1057** नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग
- **1025** राजस्व विभाग
- **929** पुलिस विभाग
- **854** खान विभाग
- **695** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- **39** समाचार पत्रों की खबरों पर प्रसंज्ञान

परिवादियों को राहत

500 ऐसे प्रकरण थे, जिनमें परिवादियों को अनुतोष दिलाया। इनमें 47 प्रकरण वे हैं, जो मधुर आयोग से लोकायुक्त के पास आए थे। अनुतोष प्रकरणों की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक है। इनमें राजस्व विभाग के 105, नगरीय विकास व आवासन और स्वायत्त शासन के 92, ग्रामीण विकास-पंचायती राज के 89, विद्युत निगमों के 41 व पुलिस से सम्बन्धित 22 प्रकरणों में परिवादियों को राहत दिलाई गई।

168 लोकसेवकों पर हुई कार्रवाई

लोकायुक्त की कार्रवाही के बाद 109 प्रकरणों में 168 लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 44, राजस्व विभाग के 29, नगरीय विकास एवं आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग के 24, पुलिस विभाग के 23 व मधुर आयोग से अन्तरित 9 प्रकरण शामिल हैं।

दैनिक नवज्योति, मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017

भ्रष्टाचार देश के विकास में बड़ी बाधा: लोकायुक्त

देवगढ़ नगरपालिका के सभागार में लोकायुक्त सचिवालय के सन्दर्भ में बैठक

राजसमंद। देवगढ़ नगरपालिका के सभागार में लोकायुक्त सचिवालय के सन्दर्भ में आयोजित बैठक में लोकायुक्त उपाध्यक्ष कोठारी एवं उपस्थित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि।

न्यूज लीड, राजसमंद

लोकायुक्त एवं लोकायुक्त उपाध्यक्ष कोठारी ने कहा है कि आज के परिवेश में देश में भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह फैल हुआ है और विकास की राह में यह एक सबसे बड़ी बाधा है। इससे योजनाओं का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है और विकास बाधित हुआ है। यहाँ लोकसेवक के रूप में अधिकारी, कार्मिक एवं ए न के नीचे अपने कार्यालय का पालन पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्यशीलता के कम लोगों को सेवा प्रदान करें तो समस्याएं न रहें। कमी है जहाँ लेकिन यदि भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार में यदि कोई लिप्त पाया जाए तो उसके लिए राज्य में लोकायुक्त सचिवालय संचालित है। जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी विभाग शिकायत में दर्ज करवा सकता है। लोकायुक्त कोठारी सोमवार को जिले की देवगढ़ नगरपालिका के सभागार में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, नगरवासी संगठनों, मुद्दा गतिविधि के लोकायुक्त सचिवालय के सन्दर्भ में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्व के 168 देशों में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण आंकड़ों पर देश की स्थिति से सम्बन्धित शक्तिशाली कारकारों पर हुए बताया कि जिसमें भी देश के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। इसी के साथ लोक सेवकों के रूप में सरकारी तंत्र में काम करने वाले अधिकारी, कार्मिक [illegible] प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार स्तर से नीचे की ओर चलता है। भारत में भी लोगों की नगरिकता भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार करने लगी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है और भ्रष्टाचार के बढ़ते गलते देश की छवि को खराब करते हैं और इसे आम जनता की सरल सुविधाओं और योजनाएं प्रभावित होती हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी जो कार्य में विलम्ब करते हैं, अपने कार्यों का निर्धारण नहीं करते हैं, ऐसे लोकसेवकों की शिकायत शिक्षित ने साढ़े चार घंटा, 10 बजे के नोन न्यूजीलैण्ड स्थान के शपथ पत्र के साथ लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर को भेजी। आवश्य डाक के माध्यम से भिजवाई जा सकती है। शिकायत में आवेदनकर्ता आधार कार्ड, मिलान का, डाक का पता एवं मोबाइल नम्बर दर्ज करें।

देवगढ़ में आए एक दर्जन परिवाद

लोकायुक्त के जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्राम वासियों ने विभिन्न प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किए जिनमें उपस्थित किया गया। परिवादों को लोकायुक्त सचिवालय में दर्ज किया जाएगा और उनके बाद इनके अधिकार की कार्यवाही होगी।

लिखते कि उनका परिवाद दर्ज करने के बाद उन्हें इसमें संबंधित जानकारी सोमवार पर ही भेजी जा सकेगी। कोठारी ने बताया कि पिछले 3-4 वर्षों के दौरान लगभग 17 हजार परिवादों का निस्तारण किया गया है। लेकिन देश जैसे मसलों में आज भी जागरूकता की कमी है और समस्याएं अलग लोगों में बनी रहती है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति के सहायक, उपायुक्त अभियोजन [illegible], उपपुलिस अधीक्षक, [illegible], [illegible], [illegible], विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार नगरिक आदि उपस्थित थे।

डेली न्यूज, बुधवार, 26 अप्रैल, 2017

लोकायुक्त के हस्तक्षेप से रद्द हुई गैर-कानूनी अनुकंपा नियुक्ति

पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई को मिली सरकारी नौकरी के तथ्य को छिपाकर ली थी नियुक्ति

डेली न्यूज ब्यूरो, जयपुर। लोकायुक्त के हस्तक्षेप से राज्य सरकार ने पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई को नौकरी मिलने की जानकारी छिपाकर गैर-कानूनी तरीके से नियुक्ति पाने वाले की नियुक्ति रद्द कर दी। गजसिंह सरकारी सेवा में रहते हुए पिता की मृत्यु होने पर लोकेश गांधी को सरकार ने 1986 में सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी थी। लोकेश गांधी पदोन्नत होकर संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पद तक पहुंच गए। लोकायुक्त को शिकायत मिली कि लोकेश गांधी के पिता डॉ. कन्हैयालाल गांधी की मृत्यु होने पर उनके छोटे भाई महेश गांधी को निकित्सा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन लोकेश ने इस तथ्य को छिपाकर स्वयं भी अनुकंपा नियुक्ति हासिल कर ली। जबकि राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके किसी भी एक वैध वारिस को ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। लोकायुक्त ने कार्मिक और सहकारिता विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जांच में शिकायत सही निकली और कार्मिक विभाग ने लोकेश गांधी को सेवा से हटाने के आदेश दिए।

संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पद पर वर्ष 1986 में ली थी नियुक्ति

DNA, TUESDAY, MAY 09, 2017

Penalty on mines of Rakesh Mordia, son of ex-RHB chief Parasram Mordia had been waived off in past

Govt to recover ₹248 cr mining penalty after Lokayukta rap

DNA Correspondent @jaipurdna

On the directives of Lokayukta SS Kothari, the state government has started the process of recovery of Rs247.78 crore from Rakesh Mordia, son of former RHB Chairman and Congress leader Parasram Mordia.

The hefty amount was imposed as a penalty on Rakesh, which was earlier stayed and waived off by a senior mining officer. The Lokayukta took cognizance of reports which were published in media on the matter and issued directives to the mining officers in this regard.

It was alleged in the reports that Rakesh's company flouted rules while mining 30.52 metric tonne marbles without paying royalty in the approved leased mine areas in Jhunjunu district. This violation drew attention of additional director mines (vigilance) Fatah Karan Medhu who slapped a fine of Rs273 crore on the company.

THE CASE SO FAR

Son of ex-RHB Chairman and Congress leader Parasram Mordia's son Rakesh Mordia's company flouted rules while mining 30.52 metric tonne marbles without paying royalty in the approved leased mine areas in Jhunjunu district. This violation drew attention of additional director mines (vigilance) Fatah Karan Medhu who slapped a fine of Rs273 crore on the firm.

Against this huge amount, the company under question for malpractice in mining, approached office of additional director mines Rakesh Kumar Hirat, submitting a representation on the issue. Hirat allegedly accepted the representation, waived off the entire penalty amounting to Rs273 crore on October 28, 2015.

On this the Lokayukta directed principal secretary mines to probe the allegations and draft a factual report.

The inquiry report found that Hirat while misusing his office benefited the mining lease holder and took decision of waiving of the penalty which was not in his jurisdiction at all.

Hirat was suspended from his post after the findings of the report, but not action was taken by the mines department to recover the waived off penalty from Rakesh.

Recently the Lokayukta drew attention of the mining officials to Rajasthan Minor Minerals Concession Rules, 2017 and directed them to recover the penalised amount.

When pointed out by the Lokayukta the mining officials re-examined the case and issued fresh directions to the officials concerned to recover the left amount of penalty worth Rs274.78 crore. Hence, the recovery of huge amount struck for nearly two years, could be a possibility with the intervention of the Lokayukta.

दैनिक नवज्योति, मंगलवार, 09 मई, 2017

भ्रष्ट मंत्रियों की शिकायत करें हम करेंगे कार्रवाई : लोकायुक्त

ऋषभदेव में जनसुनवाई एवं जागरूकता शिविर आयोजित

ब्यूरो, नवज्योति, उदयपुर

राज्य के लोकायुक्त एसएस कोठारी ने कहा कि प्रदेश के मंत्रियों, अधिकारियों की असमंजस्ता, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत लोकायुक्त को करें, ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

लोकायुक्त कोठारी ने यह बात ऋषभदेव तहसील कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई एवं जागरूकता शिविर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त को निर्धारित प्रोफार्मा में या सादे कागज पर यह शिकायत की जा सकती है। इसके साथ नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र भी लगाना होता है। उन्होंने बताया कि शिकायत पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा जाता है। मिलने वाले जवाब की प्रति प्रार्थी को भेजी जाती है ताकि वह उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। [illegible] कार्रवाई करते हुए सरकार अनुशंसा की जाती है। कोठारी ने कहा कि भ्रष्टाचार एवं पद का दुरुपयोग देश के विकास में बाधक है। इसे जड़ से खत्म करना ही लोकायुक्त संस्था का मूल उद्देश्य है। लोगों की इस धारणा को मिटाना है कि व्यवस्था में रिश्वत देना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जीवन दर्शन बन गया है जिसके चलते दलाल संस्कृति पनपी है। कोठारी ने अधिकारियों से कहा कि वे ईमानदारी से अपना काम करें। इसके बावजूद कोई शिकायत होती है तो उसे लेकर कोई डर मन में नहीं रखें।

दैनिक भास्कर, शनिवार, 15 जुलाई, 2017

लोकायुक्त की दो टूक- रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी तो गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें अफसर

जस्टिस कोठारी ने अफसरों को लगाई फटकार, कहा- सचिवालय में कई मामले 4-5 साल से पेंडिंग

दैनिक भास्कर ब्यूरो | जयपुर

लोकायुक्त जस्टिस एस.एस. कोठारी ने कहा कि लोकायुक्त संगठन में दर्ज प्रकरणों की जांच के दौरान अफसर समय पर रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, इससे मामले लंबे अनावश्यक समय लटकते हैं। यह गंभीर लापरवाही है। अब यदि अफसरों ने समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी तो उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस से जुड़ना होगा। पूरे राजस्थान में 4 हजार 3 सौ 35 मामले पेंडिंग हैं। अकेले जोधपुर में 361 मामलों में रिपोर्ट आनी बाकी है। जबकि शिकायतें पुलिस, पेंशन, जल निगम व जिला कलेक्टरों के खिलाफ आ रही हैं। वे गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर रिपोर्ट भेजने से पेंडिंग मामलों में कमी आएगी। सचिवालय में कई मामले चार-पांच वर्षों से पेंडिंग हैं। हालांकि अफसरों की दलीलें ऐसे ये कई मामलों में तो हमें हस्तक्षेप करना आ रहा।

रिपोर्ट आगामी भेजने पर होगा जनता होगी है

लोकायुक्त कोठारी ने जिले के सभी विभागों की बैठक लेकर लोकायुक्त संगठन में दर्ज प्रकरणों की रिपोर्ट समय भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं भेजने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मामला का न्याय नहीं मिल पाता है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. वीरे कुमार सुथार, प्रशासन गांवों डॉ. एस. डीपीसी अजमेरा सिंह नहीं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में लोकायुक्त सचिवालय सचिव के सामने गिड़गिड़ाए लोग- साहब! अफसर हमारी सुनते नहीं

लोकायुक्त संगठन के सचिव उमाशंकर शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की। इसमें 24 शिकायतें आईं। राजस्थान खाद्यान्न निगम अनुसूचित जाति ने परिवार पेंशन का कहा कि राजस्थान खाद्यान्न के सामने अपने बुटी के पास सड़क पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है। नगर निगम व कलेक्ट्रेट में शिकायत करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा। वीर तेजाजी पंचायत पेंशन के लगे जाने अहमद मुस्लिम ने बताया कि सामुदायिक लगान पार्क के दक्षिणी हिस्से में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, कलेक्टर व संभाग कमिश्नर से शिकायत की, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। अमेरिगढ़ के कस्बी गांव निवासी अमरसिंह माली ने बताया कि गांव में पेयजल आपूर्ति के चलते सभी की फसल खराब हो गई। पटवारी के खाते की रिपोर्ट नहीं करने से 500 किसानों को नुकसान हुआ। इसको लेकर 5 बार तहसीलदार कलेक्टर, दो बार एसडीएम व कई बार सहायक कलेक्टर को लिखित में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्टरवाड़ा के विभागीय ने डॉक्टरवाड़ा गांव के मीनाई के खिलाफ परिवाद पेश करने कि कोर्ट आदेश के बाद में भी मीनाई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिहार नगर के रहने वाले चरणलाल पंचाल ने बताया कि मुख्यमंत्री महारानी योग में आई राशि का अफसरों ने गबन कर दिया, इसकी जांच की जाए। कलेक्टरेट सभागार सांसद सांसदी के मोहम्मदीन खान ने बताया कि नगर निगम व जिला प्रशासन अतिक्रमण पर हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। दोनों पक्ष की रहने वाली मिट्ठू उसके पति के साथ आई और बताया कि उन दोनों में समझौता के लिए आवेदन किया, लेकिन अफसरों ने निर्णय कर बिना पंचायत के दूसरी महिला का पक्ष कर लिया। लोकायुक्त सचिव ने सभी सुनने दर्ज किए और उन अफसरों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी जाएगी।

पंजाब केसरी, मंगलवार, 01 अगस्त, 2017

प्रमुख सचिव मंजीत सिंह को लोकायुक्त ने किया तलब

अवैध बहुमंजिला इमारत पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में लिया प्रसंज्ञान

जयपुर (कोर): लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से चूरू जिले के सुजानगढ़ में अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई रोकने के मामले को गंभीरता से लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है।

इस बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार सुजानगढ़ में अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण में अनियमितताओं को प्रमुख सचिव ने यह कहते हुए कार्रवाई रोक दी कि अभी यह मामला प्रक्रिया में चल रहा है, जबकि विभाग की जांच में यह स्पष्ट हो चुका था कि सुजानगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से जन प्रतिनिधियों एवं निर्माणकर्ता के साथ मिलकर कानून का उल्लंघन किया है। समाचार के अनुसार इस जांच रिपोर्ट के बाद मामला 8 माह तक प्रमुख सचिव के पास अटका रहा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

लोकायुक्त ने इस प्रकरण में सम्बन्धित लोक सेवकों ने अपने पदीय कार्यों की पालना नहीं किए जाने, जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी प्रमुख सचिव मंजीत सिंह की ओर से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के स्थान पर अनावश्यक संदिग्ध विलम्ब करना पाए जाने एवं पदीय दायित्वों का दुरुपयोग प्रतीत होने से मुख्य सचिव से महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट 5 सितम्बर तक तलब की है।

HINDUSTHAN TIMES, FRIDAY, AUGUST 11, 2017

Lokayukta takes note of fake land deeds of ₹9.12 cr

HT Correspondent

JAIPUR: Lokayukta Justice SS Kothari has taken note of distribution of fake deeds of land worth ₹9.12 crore at Sagwara in Dungarpur district.

A committee was formed in December 2014 to probe distribution of fake deeds of 23.16 bigha government land at Sagwara by water resources department officials, as revealed in a CAG report. After 32 months, no investigation has been done, reports said.

The government had acquired 471.17 bigha land in 1975-76 to rehabilitate Mahi Kadana dam-affected people of Galiakot town in Dungarpur; the rehabilitation was completed in 1980.

In August 2008, the Mahi project's Sagwara executive engineer wrote to the Banswara chief engineer, saying the department has 100 bighas of land after rehabilitation. Revenue and finance departments had directed all departments in October 2009 and April 2010 to transfer excess land to local bodies.

In May 2012, the Sagwara executive engineer measured the excess land and found it to be 76.04 bighas – less by 23.16 bighas going by the 2008 letter.

राजस्थान पत्रिका, सोमवार, 21 अगस्त, 2017

खान विभाग के बड़े अधिकारी भी जांच के घेरे में

लोकायुक्त के नोटिसों से खान विभाग में हड़कम्प, खान निदेशालय ने साधी चुप्पी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. खान महाघोटाला कांड में अधिकारियों की पग-पग पर मिलीभगत सामने आ रही है। प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी माने जा रहे 47 अधिकारियों में छोटे से लेकर बड़े ओहदेदारों के नाम आ रहे हैं। खान विभाग इन्हें लोकायुक्त जांच के लिए नोटिस तामील कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोषी पाए गए सात अधिकारियों पर खान निदेशालय ने चुप्पी साधी हुई है।

अनुसंधान के लिए खान विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को नोटिस पहले ही जारी हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि खान निदेशक डीएस मारू सहित कुछ बड़े अधिकारियों को भी नोटिस मिलने वाले हैं। प्रारम्भिक जांच में खान विभाग के 47 अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी माना जा रहा है और अनुसंधान के लिए इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खान विभाग से पता चला है कि नोटिस के लिए लोकायुक्त कार्यालय से निर्देश मिल गए हैं। इन अधिकारियों का जवाब आने के बाद इनके बयान आदि लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

फाइलों से मिल रहे सबूत

खान आवंटन की फाइलों से घोटाले के तथ्य सामने आ रहे हैं। इस घोटाले को लेकर कई खान अधिकारियों के बयान हो चुके हैं। अनुसंधान के लिए अब फिर खान अधिकारियों के लोकायुक्त कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं।

600 से ज्यादा फाइलें

खान आवंटन के करीब 600 मामले बाकी जा रहे हैं, जिनमें अधिकारियों का नामांकन सामने आने के बाद लोकायुक्त से जांच कराई जा रही है। लोकायुक्त को अक्टूबर 2016 में जांच सौंपी गई थी।

राजस्थान पत्रिका, मंगलवार, 22 अगस्त, 2017

सिलिकॉसिस प्रभावित...

जयपुर सहित 12 जिला कलक्टरों से लोकायुक्त ने मांगी रिपोर्ट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. नियम बनने और बजट का प्रावधान होने के बावजूद सिलिकोसिस प्रभावितों को अधिक सहायता देने में ढुलमुल और लापरवाही को लेकर लोकायुक्त ने जयपुर सहित 12 जिलों के कलक्टरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। करौली जिले के मामले में तो लोकायुक्त ने लापरवाही और जानबूझकर सहायता नहीं देने की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही मान है।

लोकायुक्त ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. सत्यनारायण सिंह के परिवाद पर संज्ञान लेकर यह आदेश दिया है।

इन जिलों में पुनः जांच

कई जिलों में प्रमाण पत्र देने के बावजूद 700 लोगों को सहायता देने के लिए प्रमाण पत्रों की पुनः जांच कराई जा रही है। इन मामलों को लेकर सहित न्यूमोकोनियोसिस कोई पुनः जांच के काम में रुचि नहीं ले रहा। इससे पीड़ितों को सहायता मिलना दुश्वार हो रहा है।

सिंह ने करौली जिले का उदाहरण देते हुए लोकायुक्त को शिकायत की है कि राज्य सरकार ने करौली जिले के सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता के लिए इसी साल मई में करोड़ों का बजट दिया लेकिन जिला प्रशासन ने पीड़ित अथवा मृतक के परिजनों को कोई सहायता राशि जारी नहीं की है। परिवाद के अनुसार करौली जिले में करीब 530 लोग प्रभावित हैं, 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। परिवाद में कहा गया है कि मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को निरोक्ता का प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रखने के निर्देश दिए लेकिन प्रशासन सहायता राशि के लिए मालिक की ओर से जारी कार्ड और सिलिकोसिस से मौत का प्रमाण पत्र मांग रहा है।

DNA, SATURDAY, SEPTEMBER 02, 2017

Lokayukta seeks report on ₹87 crore industry scam

The ombudsman has ordered the industry department to submit a factual report on it by October 24

DNA Correspondent @gajendra

CASE SO FAR

- The proposal says that as per decision taken by a committee chaired by the then chief minister held in 2011, the hike in rebate should be allowed. However, the proposal of rebate for Chittorgarh unit was not part of the agenda of that meeting while there were no directions on increasing rebate for Kotputli unit, media reports say. It was also reported that finance department shot letters continuously in three years-2011, 2012 and 2013, and sought factual report on the rebate given, though industry commissionerate did not respond to a single.

Jaipur: Lokayukta Justice SS Kothari has taken cognisance of alleged scam of ₹87 crore by the officials of industry department who reportedly allowed tax rebate to a cement company. The ombudsman has ordered the department to submit a factual report on it by October 24.

Recent media reports exposed the irregularities in the rebate given to the company in the name of investment. The industry department officials approved 75 percent rebate from effective 50 per cent to Ultratech Cement company.

With the rebate the amount reached to Rs 446.94 crore from Rs 359.63 crore, giving benefit to the company. The media reports added that the then industry commissioner, Rajhans Upadhyay proposed hike in the rebate for investment in Kotputli and Chittorgarh units at a state-level screening committee meeting held in the year 2011.

The proposal says that as per decision taken by a committee chaired by the then chief minister held in 2011, the hike in rebate should be allowed. The screening committee, hence, passed the proposal of giving rebate on prevailing VAT (value added tax) to the cement company for 7 years.

Surprisingly, the proposal of rebate for Chittorgarh unit was not part of the agenda of that meeting while there were no directions on increasing rebate for Kotputli unit, the media reports say.

It was also reported that finance department shot letters continuously in three years-2011, 2012 and 2013, and sought factual report on the rebate given, though industry commissionerate did not respond to a single.

The Lokayukta prima facie found huge loss to the exchequer based on the media reports and has sought factual report from the industry commissioner by October 24.

दैनिक भास्कर, गुरूवार, 07 सितम्बर, 2017

आवासीय नक्शा पास कराया, बनाया कॉम्प्लैक्स लोकायुक्त ने बुलाया तो सील की कार्रवाई हुई

आरोप : आवासीय को दुकानें बताकर सील किया

दीनानाथ के रास्ते में निवाई हाउस के मालिक कृष्णगोपाल पारीक ने आरोप लगाया है कि दुकानों के ऊपर बन रहे आवास को निगम ने सील कर दिया। साउंड पंजेर पर 31 दुकानें 1992 में बनी थीं। उन दुकानों के ऊपर मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में आवासीय निर्माण की अनुमति के लिए फाइल लगाई थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली।

ईमन रिपोर्टर | जयपुर

लोकायुक्त के तलब करने पर नगर निगम के हवामहल जोन द्वारा मंगलवार को तेलीवाड़ा के रास्ते में रतनश्री हाउस व दीनानाथ के रास्ते में निवाई हाउस के सील करने की आनन-फानन कार्रवाई की गई। जबकि रतनश्री हाउस के 12 वर्ष से चल रहे मामले में निगम द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मंगलवार को निगम आयुक्त रवि जैन ने हवामहल जोन उपायुक्त दिनेश पारीक को आदेश देकर लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होने के समय 9 बजे से पहले रतनश्री हाउस व दीनानाथ जी की गली में बन रहे कॉम्प्लैक्स को सील करने को कहा। निगम ने कार्रवाई तो कर दी लेकिन बाद में सील किन नियमों के आधार पर वापस खोली जाएगी, इस पर संशय है।

यह था मामला

हवामहल उपायुक्त दिनेश पारीक ने बताया कि करीब 1000 वर्गगज में बने रतनश्री हाउस के नगर निगम से 2005-06 में आवासीय नक्शे पास हुए थे। साउंड व दो मंजिला आवासीय भवन के नक्शे पास कराने के बाद पांच मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स में 60 दुकानें बनाकर बेच दी गई लेकिन पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी गई।

एक ही कॉम्प्लैक्स पर दूसरी बार हुई कार्रवाई

रतनश्री हाउस पर निगम ने दूसरी बार कार्रवाई की है। आवासीय के बावजूद कमर्शियल निर्माण को लेकर 12 वर्ष पहले नगर निगम में शिकायत की गई। निगम के कोई कार्रवाई नहीं करने पर शिकायत लोकायुक्त को हुई। लोकायुक्त ने निगम को कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर वर्ष 2014 में भी इस कॉम्प्लेक्स को सील किया गया। दो दिन सील रहने के बाद निगम ने बिल्डिंग को सील खोल दी थी। इसके बाद फिर से शिकायत की गई। रतनश्री हाउस में एक-3 के मालिक ओमप्रकाश आसवानी ने बताया कि दुकानें बंद होने से दो दिन में करीब ढाई करोड़ रुपए का व्यापार नहीं हो पाया।

समाचार जगत, बुधवार, 25 अक्टूबर, 2017

हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बदमाशों तक मोबाइल पहुंचाने का मामला

लोकायुक्त ने प्रसंज्ञान लेकर डीजीपी व डीजी जेल से मांगा जवाब

जयपुर, विधि सं.। अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में जेल कर्मचारियों के ही हार्डकोर बदमाशों तक मोबाइल फोन पहुंचाने की शिकायत के मामले को लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने गंभीरता से लेते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। लोकायुक्त ने पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जयपुर एवं महानिदेशक जेल जयपुर से अपनी टिप्पणी सहित विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट 17 नवम्बर तक तलब की है। ज्ञातव्य है कि हार्डकोर बदमाशों को उनमें भय पैदा करने के लिए हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जाता है लेकिन उन बदमाशों को सेन्ट्रल जेल से कथित रूप से ज्यादा जीआईपी सुविधाएं मिल रही है। एटीएस की जांच में जेल प्रशासन व प्रहरियों को हार्डकोर बदमाशों से मिली भगत होने की बात सामने आई है। एटीएस ने भी माना है कि हाई सिक्योरिटी जेल में अफसर-कर्मचारी चंद पैसों के लालच में बदमाशों तक मोबाईल व सिमकार्ड पहुंचा रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि अपराधी जेल से ही अपना रैकेट चला रहे हैं। जोधपुर व सीकर में हुई हत्या की जांच के दौरान एटीएस-एसओजी के सामने यह बात भी आ चुकी है। एटीएस अफसरों ने डीजीपी, जेल को जेल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है। एडीजी ए.टी.एस. उमेश मिश्रा ने भी ऐसी शिकायतें होने की पुष्टि की है।

राजस्थान पत्रिका, बुधवार,
25 अक्टूबर, 2017

लोकायुक्त की 29 वीं रिपोर्ट में हुआ खुलासा...

लोकायुक्त ने कहा, तब हुई 194 लोकसेवकों पर कार्रवाई

जनता की शिकायतों में पुलिस दूसरे नम्बर पर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. लोकायुक्त का दखल नहीं होता तो राज्य के 194 लोकसेवक कार्रवाई से बच जाते। इन लोकसेवकों पर लोकायुक्त की सिफारिश के बाद ही कार्रवाई की गई।

मंगलवार को विधानसभा में रखे गए लोकायुक्त के 29 वें प्रतिवेदन से यह खुलासा हुआ है। इसमें यह भी सामने आया कि आमजन की शिकायतों के मामले में ग्रामीण विकास और स्वायत्त शासन विभाग के बाद पुलिस विभाग सबसे ऊपर है।

प्रतिवेदन में एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की लोकायुक्त की कार्यवाही और उस पर सरकार की चालना को लेकर जानकारी दी गई है। लोकायुक्त एसएस कोठारी ने 30 मार्च 2016 को राज्यपाल कल्याण सिंह को यह रिपोर्ट सौंपी थी, जो राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को सदन में पेश की गई।

इस अवधि में मिली शिकायतों का विवरण

कुल शिकायत मिली	4437
निस्तारण किया गया	3756
मस्टर आदेश के प्रकरणों का निस्तारण	289
31 मार्च 2015 को मस्टर आदेश के प्रकरण	800
ग्रामीण विकास व स्वायत्त शासन विभाग की शिकायत	861
पुलिस के विरुद्ध शिकायत	719
राजस्व की शिकायत	654
ग्रामीण विकास-पंचायत राज की शिकायत	545
लापरवाही से प्रतीक्षा	58
राहत दिलाई	203 मामलों में

लोकायुक्त के दखल से लोकसेवकों पर कार्रवाई

कुल कार्रवाई	194
राजस्व विभाग के लोकसेवक	46
ग्रामीण विकास-पंचायत राज के लोकसेवक	45
पीएचईडी के लोकसेवक	30
पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी	27
नगरीय विकास-स्वायत्त शासन कर्मचारी	19
अन्य लोकसेवक	17
मस्टर आदेश प्रकरणों में शामिल लोकसेवक	10

DNA, SATURDAY,
NOVEMBER 04, 2017

Lokayukta seeks report of sarpanch

DNA Correspondent

Lokayukta Justice SS Kothari has taken self cognizance in the matter of no action taken against a corrupt sarpanch by the officials.

The sarpanch was found guilty in 5 inquiries conducted by officials.

The Lokayukta has therefore taken cognizance in this matter.

The news reports related to this incidents were published across media claiming that in a panchayat in Sikar, there was a matter of approval given for construction on a land worth crores of rupees.

The inquiries were conducted 5 times in 21 months. In all the inquiries, 5 public servants including sarpanch were found guilty.

Of these 5, action was taken against 4 but no action was taken against the corrupt sarpanch.

The media report published after the incident claimed that due to influence, the officials were restricting themselves and were trying not to take action against the guilty sarpanch.

As such the Lokayukta has now sought important documents, information and factual report on this incident from the department of rural development and panchayati raj.

Notably, the office of Lokayukta has in past taken cognizance in many other cases too. Lokayukta Kothari's selection was made by a panel that included the Chief Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice of Rajasthan High Court.

COGNIZANCE TAKEN

- The news reports related to this incidents were published across media claiming that in a panchayat in Sikar, there was a matter of approval given for construction on a land worth crores of rupees

दैनिक नवज्योति, मंगलवार, 14 नवम्बर, 2017

28 नवम्बर तक मांगी रिपोर्ट

डेंगू के इलाज में लापरवाही पर लोकायुक्त ने लिया प्रसंज्ञान

ब्यूरो नवज्योति, जयपुर

राज्य सरकार की ओर से डेंगू के इलाज में लापरवाही बरतने को लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने संबंधित अफसरों से 28 नवम्बर तक रिपोर्ट मांगी है। प्रदेशभर में अब तक करीब 3600 मरीजों में डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 215 की मौत हो चुकी है। केवल जालौर जिलों को छोड़ कर राज्य के सभी जिले डेंगू की चपेट में हैं। डेंगू के मरीजों के लिए कई अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें उपचार की उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल रही है। इस कारण से अनेक मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी ओर राज्य सरकार डेंगू की मौतों को डेंगू से होने के तथ्य को ही तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं कर रही है। इस रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं की ओर से कोई समुचित उपाय अभी तक नहीं किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को पूर्ण मामले पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज तलब किए हैं।

राष्ट्रदूत, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2017

'दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा'

टोंक,(निप्र)। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस.कोठारी शुक्रवार को टोंक जाकर इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आमजन ने लोकायुक्त को हिंदू सहायता केन्द्र के निर्माण में धनिया सामग्री का प्रयोग करने, अतिक्रमण सड़कों को समाप्त नहीं होने, बमोले (बृजखान) को बंद कराने, सीकोल स्टोन से सहरावसियों को हो रही परेशानी, रेल लाईन के लिए भूमि आवंटित करने जैसी कई समस्याओं एवं शिकायतों को लेकर अवगत कराने के साथ अपनी-अपनी शिकायतों को लेकर व्यक्तिगत स्तर पर लगभग 300 पत्र के साथ प्रस्तुत किया।

टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान लोकायुक्त सचिव उमा शंकर शर्मा, जिला कलेक्टर सुर्य सिंह यादव, एसडीएम प्रभालीलाल जाट मौजूद रहे।

आमजन की समस्याएं सुनने के पश्चात लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने कहा कि शहरवासियों ने देश के 70 प्रतिशत लोग पीड़ित हैं जिससे उनकी जीवन जीने की गुणवत्ता में गिरावट आई है इसलिए लोकायुक्त संस्था को देश में अधिक सशक्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्तसंस्था के पास पिछले पांच साल में 21 हजार 504 प्रकरणों को लेकर शिकायतें आई जिसमें से 21 हजार 63 प्रकरणों पर सफलता से कार्य कर उन शिकायतों का निस्तारण कर परिवादी को राहत प्रदान की गई। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष लोकवेयात ने मालू एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के नवनिर्मित भवन के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने,ग्राम रोल अस्पताल में पिछले 5 वर्ष से एक्स-रे मशीनों का संचालन नहीं हो पाने की शिकायत लोकायुक्त से की। अधिवक्ता विष्णु गुप्ता ने अतिक्रमण महावीर सड़क के कारण आमजन को हो रही परेशानी,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कमेले की बदबू से नजदीक पर रह रहे कुटुम्बों के बारे में शिकायत दर्ज कराई। सेवा के श्री नारायण पोसवाल पहाड़ान ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से सीकोल लाइन के कार्य के दौरान अधिग्रहण हुई नेमकाल पहाड़ लाइन को संबंधित विभाग द्वारा दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। समाजिक कार्यकर्ता अकबर खान ने केन्द्र सरकार द्वारा टोंक में रेल लाइन के लिए 475 करोड़ रुपये आवंटित कर दिये हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा रही है। सेन्ट जोसफ संस्था के निदेशक गोडमेन हिरोमी ने अतिक्रमण डाइट रोड सड़क को दुरुस्त कराने एवं सामान्य रूप से राजकीय विभागों में दी जाने वाली शिकायतों में भी शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र के साथ शिकायत प्रस्तुत करने की बात रखी ताकि झूठी शिकायतों के कारण जनता कार्यों में अनावश्य देरी न हो,और अधिकारी किसी दबाव के कार्य कर सकें। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ताओं की बैठक ली लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस.कोठारी ने कहा कि अधिकारी लोक सेवक हैं और लोक सेवा के कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें।

■ लोकायुक्त ने आमजन की सुनी समस्याएं

लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकायुक्त के पास प्राप्त प्रकरणों के संबंध पखवाड़ा के दौरान अधिकारी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें ताकि परिवादी को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि लोक सेवक आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करें ताकि आमजन में कार्य पारदर्शिता के प्रति विश्वास बना रहे।

जिला कलेक्टर सूर्य सिंह यादव ने कहा कि लोकायुक्त के जन से जो पत्र हमें मिला है सभी अधिकारी उसकी गरिमा बनाए रखें। उन्होंने आमजन के शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में लोकायुक्त सचिव उमा शंकर शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक दीपेश जैन, सहायक सचिव अमित सोनल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी मीना प्रकाश बागिड़,जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

दैनिक भास्कर, शनिवार,
16 दिसम्बर, 2017

मेयर के खिलाफ लोकायुक्त ने जारी किया जमानती वारंट

18 जनवरी उपस्थित नहीं हुए तो गिरफ्तारी वारंट जारी होगा

बिना समितियों का नगर निगम

पॉलिटिकल रिपोर्टर : जयपुर

मेयर अशोक लाहोटी ने नगर निगम में बिना वार्डों कमेटियों के एक साल पूरा कर लिया। बिना कमेटियों की सहर सरकार पर कई बार सवाल उठे। पक्ष-विपक्ष के पार्षदों ने कमेटियां नहीं बनाने पर राज्य सरकार तक शिकायतें की। बिना नगर में बिल्डिंग से जुड़ा एक मामला लोकायुक्त तक पहुंचा। शिकायत थी नहीं कि वार्डों कमेटी न होने से उसका समाधान हल नहीं हो रहा। इस मामले में लोकायुक्त ने दो बार मेयर पर जुर्माना लगाते हुए तलब किया..इसे भी मेयर ने नजरअंदाज कर दिया। अब लोकायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए मेयर अशोक लाहोटी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शिकायत थी है कि 18 जनवरी को आकर बताएं कि कमेटी गठन के लिए क्या किया। इस तारीख को यदि मेयर लोकायुक्त के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं। खास बात यह कि अब तक लोकायुक्त की ओर से अफसरों को ही वारंट जारी किया जाता था, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर मेयर को तलब करने की शुरुआत हुई नई परंपरा से कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में मंत्रियों को भी तलब किया जा सकता है।

यहां से हुई शुरुआत

पिछले एक साल से बिल्डर के आवंटन का निलंबन का कारण नहीं दिया जा रहा कि नगर निगम में कमेटियां ही नहीं हैं।

क्यों तलब?

लाहोटी को ₹2000 का जमानती वारंट और ₹5000 जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दो नोटिस नजरअंदाज कर चुके लाहोटी

लोकायुक्त ने मेयर को 16 नवंबर 2017 को उपस्थित होने के लिए तलब जारी किया था, लेकिन वह नहीं आए। इस पर लोकायुक्त ने उन्हें 8 दिसंबर 2017 को फिर तलब जारी किया। पिछले नोटिस पर नहीं आने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी दिया। फिर भी लाहोटी लोकायुक्त के समक्ष नहीं पहुंचे। अब लोकायुक्त ने लाहोटी को 2000 रुपए का जमानती वारंट और 5000 रुपए जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर्व का 2000 रुपए जुर्माने का नोटिस अनुपस्थिति के लिए जारी किया है। लोकायुक्त ने मेयर को 18 जनवरी 2018 को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।

जवाब भेजा था, लोकायुक्त चाहते हैं तो हाजिर हो जाऊंगा : मेयर

जिसके नगर के जिस मामले में लोकायुक्त के यहां प्रकरण चल रहा है उसका निपटारा नगर मेयर रिपोर्ट में दे दिया था। फिर यह मामला अदालत से संबंधित था लेकिन यदि मेरे उपस्थित होने से ही लोकायुक्त के यहां प्रकरण में समाधान संभव है तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा।

-अशोक लाहोटी, मेयर, जयपुर

THE TIMES OF INDIA,
SATURDAY,
DECEMBER 16, 2017

Lokayukta issues warrant against mayor

Times News Network

Jaipur: Lokayukta Justice S S Kothari has issued bailable warrant and show-cause notice with a penalty of Rs 5,000 against city mayor Ashok Lahoti for non-appearance before the Loykayuta despite two summons for not constituting the various committees in the Jaipur Municipal Corporation.

The matter pertains to the construction of a five-storey building by a builder after obtaining permission from JMC for only two-storey on plot number C-100 at Tilak Nagar. On issuing notice against the builder by the JMC for violation the building plan by the builder, he approached the high court. The high court on February 6, 2012 directed that that builder's application at JMC for regularization of the building be disposed of within six weeks and then only the demolition be carried out.

Lokayukta observed that the application of the builder is being deliberately not disposed of by the JMC even after five years of the court order to save the errant builder.

Lokayukta had issued two summons to the Mayor but in vain. The first one was issued asking him to appear before the corruption watch dog on November 16 2017 on this issue but he neither appeared nor gave any reason for non-appearance. Lokayukta again summoned him on Dec 8 with show cause notice with Rs 2000 penalty but Mayor ignored the summons.

He was now asked to present personally at the Lokayukta on January 18 with what action taken on this case.

THE TIMES OF INDIA, WEDNESDAY, JANUARY 03, 2018

Raj Lokayukta directs govt to recover ₹32.7 lakh from ex-tourism minister

'Kak Used RTDC Funds For Personal Comfort At Official Residence'

Times News Network

Jaipur: The Rajasthan Lokayukta directed chief minister Vasundhara Raje on Tuesday to recover from former tourism minister Bina Kak the Rs 32.73 lakh that she had illegally used from the Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) coffers for her personal comfort at her official residence when she was a minister from 2008-13.

The anti-corruption watchdog has also directed the government to initiate disciplinary action against tourism department and RTDC officials who were willing partners in the misuse of corporation money. The lokayukta has directed that the recovery be made within three months.

The lokayukta said that as per the directions of Kak when she was tourism minister, RTDC had spent Rs 32.73 lakh between 2008 and 2013 on buying a TV, refrigerator, air-conditioners, furniture, microwave oven, car and other household appliances in violation of the memorandum and articles of association of RTDC agreed upon at a meeting of its board of directors on June 6, 2001.

According to section 96 of the articles of association, RTDC is a registered company under the Companies Act and is obliged to obey only the orders of the governor, not the minister. The lokayukta said the Controller and Auditor General had pointed out this illegal spending of Rs 32.73 lakh at the instance of the then minister in its report on February 29, 2012, and had recommended that the amount be recovered from the minister.

▶Prevent exploitation, P 4

OTHER OFFICIALS ALSO IN THE DOCK

An inquiry had found that the then additional chief secretary, tourism, Rakesh Srivastav; RTDC CMD Usha Sharma; Manjit Singh; the then joint secretary in the tourism department, Chandrashekar Mutha; RTDC managing director Vinod Ajmera; and the then financial adviser to RTDC, Alok Mathur, had provided 'personal' facilities to **Bina Kak** in violation of the rules of the organisation

'Frame policy to curb misuse of power by mins'

▶Continued from P 1

Jaipur: The lokayukta had taken suo motu cognisance of the case after a report was published in the media on April 9, 2012. An inquiry had found that the then additional chief secretary, tourism, Rakesh Srivastav; RTDC CMD Usha Sharma; Manjit Singh; the then joint secretary in the tourism department, Chandrashekar Mutha; RTDC managing director Vinod Ajmera; and the then financial adviser to RTDC, Alok Mathur, had provided 'personal' facilities to the minister in violation of the rules of the organisation.

The lokayukta in its report has also asked the government to formulate a clear policy to prevent ministers from treating government undertakings under their departments as milch cows when as ministers they have been provided all facilities free, including a fully furnished official residence, car, etc.

पंजाब केसरी, गुरूवार, 08 फरवरी, 2018

आईएएस सेठी के खिलाफ लोकायुक्त ने लिया प्रसंज्ञान

वित्तीय अनियमितता

* संविदा कर्मियों को यात्रा भत्ता बिलों का कर दिया भुगतान

पंजाब केसरी/जयपुर

लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज विभाग सुदर्शन सेठी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और संविदा कर्मियों को गोपनीय राजकार्य सहित विभिन्न आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है।

जानकारी के अनुसार पंचायतीराज विभाग के अधीन ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में कथित रूप से भारी अनियमितताएं मिली थी। विभाग ने पूर्व में संविदा पर लगे अफसर जयपाल कौशिक जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया था, को विभाग के एसीएस सेठी ने चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर के पद पर पुनः लगा दिया। यही नहीं सेठी ने संविदा पर लगे हुए कार्मिकों को गोपनीय, संवेदनशील और नकदी जैसे कार्य भी सुपुर्द कर दिए। संविदा कर्मियों को नियम विरुद्ध तरीके से यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कर दिया गया। सरस क्राफ्ट मेले में रिश्वत लेकर दुकानें आवंटित करने के मामले में शिकायतें होने पर भी एसीएस ▸ शेष पृष्ठ 4 पर

आईएएस सेठी के....

की ओर से किसी प्रकार की जांच या कार्रवाई नहीं की गई।

घटिया सामग्री की आपूर्ति पर मांगी रिपोर्ट : लोकायुक्त ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में कथित रूप से भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री सप्लाई करने के मामले में जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से पेश किए गए परिवाद को गम्भीरता से लेते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। खाचरियावास ने लोकायुक्त की शपथ-पत्र के साथ एक परिवाद सौंप कर अवगत करवाया कि प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में नियम कायदों को बदलकर एक ही एजेन्सी को टेण्डर दे दिया गया है। यह एजेन्सी खुले आम खर्च की जा रही धनराशि का लाभ जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध न कराकर घटिया वस्तु देकर धोखा कर रही है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसी मोहन्ति से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट 13 मार्च तक तलब की है।

HINDUSTHAN TIMES,
THURSDAY,
FEBRUARY 01, 2018

राजस्थान पत्रिका, रविवार,
25 फरवरी, 2018

Lokayukta hands over Mathur panel report to governor

• Lokayukta Justice SS Kothari submits probe report to Governor Kalyan Singh on Wednesday. HT PHOTO

HT Correspondent
• htcp@hdlive.com

JAIPUR: State Lokayukta Justice SS Kothari on Wednesday submitted a probe report of cases received from the Justice NN Mathur Commission to governor Kalyan Singh.

Following a high court order, the Lokayukta secretariat received 1,828 cases pending before the Mathur Commission for probe. A petition filed in the high court challenging the constitution of the commission, following the court directed to hand-over the cases to the Lokayukta. A 757-page probe report was submitted to the governor.

After the probe, of the 199 cases of irregular land conversion, 28 were cancelled, 38 after recovering penalty were regularised, and in 133 cases required actions was taken, the Lokayukta said.

In cases of land allotment, irregularity was found in 36 cases, of which 10 were cancelled while in eight penalties was imposed and then regularized and action was taken in 18 cases, he said.

Action was taken in 18 cases related to government land, encroachment, violation of building by-laws and illegal construction.

"In 27 cases, it was found that work was done against the law and rules and required action was taken through police and court. In 13 cases it was found that the public servants misused their post, and action was taken against 25 public servants."

ओम कोठारी फाउंडेशन का मामला

लोकायुक्त जांच को तीन साल से दबाए बैठी सरकार

कॉलेज जमीन पर बनाई मल्टीस्टोरी

जयपुर: कोटा में मैनेजमेंट कॉलेज खोलने के नाम पर जमीन आवंटन कर उस पर मल्टीस्टोरी बनाने के मामले की जांच में लोकायुक्त ने नजरबंदी पाई। चार साल चली जांच के बाद लोकायुक्त ने सरकार को मामले में कार्रवाई के लिए लिखा। यहां तक की जमीन आवंटित करने वाली संस्था को कब्जा हटाने के निर्देश दिए। लोकायुक्त के निर्णय के तीन साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में यह मामला निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि कोटा में वर्ष 2006 में ओम कोठारी फाउंडेशन की ओर से कॉलेज खोलने के लिए जमीन मांगी गई। दो फेज में करीब चालीस हजार वर्ग मीटर जमीन फर्म को आवंटित की गई। इसके एक हिस्से में 20 हजार वर्गमीटर जमीन में कॉलेज कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की योजना बताई गई थी। बाद में यहां प्लॉट काट दिए और बंगले बन गए। इस मामले में वर्ष 2011 में लोकायुक्त ने जांच शुरू की। लोकायुक्त ने जांच पूरी कर जनवरी 2015 में सरकार को कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। न्यास सूत्रों ने बताया कि इस आशय का पत्र नगर विकास न्यास कोटा को भी भेजा गया, लेकिन मामला रीको का होने के कारण न्यास ने लिखा कि यह भूमि न्यास ने नहीं रीको ने आवंटित है। न्यास की ओर न तो भूमि आवंटित की गई और न ही ले आउट पास किया न ही निर्माण की अनुमति थी। ऐसे में रीको को ही निर्माण हटवाने की कार्रवाई करनी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रीको के रिकॉर्ड के अनुसार जिस बैठक में प्लैट्स की मंजूरी दी गई, उसमें पूर्व मुख्य सचिव रहे आईएएस अधिकारी सहित 7 अधिकारी मौजूद रहे।

रसूख पर उठाए थे सवाल

लोकायुक्त रिपोर्ट में कहा कि अधिकारी रसूखदारों के हाथों में खेलते रहे और नियमों की अनदेखी की गई। रीको अधिकारी सरकार के बजाय मल्टी बनाने वाले का साथ देते रहे। लोकायुक्त ने इसे सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला माना था। कोटा के राजेश तिवारी ने हॉस्टल की जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने की शिकायत लोकायुक्त से की थी।

ये की थी सिफारिश

लोकायुक्त ने ओम मेटल्स को जमीन आवंटन से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। सरकार से सीबीआई या एसीबी से जांच कराने के लिए कहा। जमीन का सरकारी कब्जे में लेने व निकायकर्ताओं के हाथों पर निर्माण हटाने के लिए नगर विकास न्यास को कहा था, लेकिन न्यास ने इसे रीको का मामला बताते हुए कोई कार्रवाई नहीं की।

कतिपय मामलों में परिवादीगण के उद्गार

सेवा में,

श्रीमान् विशेषाधिकारी,
लोकायुक्त सचिवालय,
जयपुर (राज0) ।

लो... 23 MAR 2017 प्राप्तांक संख्या 37907

विषय: **पत्र क्रमांक - 5(81) लोआस/2013**

G.P.F. प्रपत्र की पूर्णत: सफलता पूर्वक आनलाइन फीडिंग होने की सूचना देने हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं प्रेमलता सूद (से.नि. अध्यापिका) का G.P.F. प्रपत्र ऑन लाइन भरने हेतु O.T.P. (One time password) की आवश्यकता थी, इस हेतु मैने वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी, कोलायत, बीकानेर कार्यालय से सम्पर्क करके अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाईल नंबर से O.T.P. संख्या कम्प्यूटर ऑपरेटर को बता दी है। उन्होंने मेरा G.P.F. का ऑनलाइन फार्म सफलता पूर्वक भर कर G.P.F. विभाग को भेज दिया है।

अत: मैं आपको इसकी सूचना प्रेषित कर रही हूं और जैसे ही मुझे S.I. व G.P.F. का भुगतान प्राप्त होगा मैं उसकी सूचना भी आपको अवश्य भेज दूंगी ये कार्यवाही आपके हस्ताक्षेप से संभव हो पाई है। अत: इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

धन्यवाद ।

प्रार्थिया,
प्रेमलता सूद
प्रेमलता सूद
सेवा निवृत अध्यापिका,
नांदड़ा, कोलायत, बीकानेर (राज0)

दिनांक: 18.3.2017

स्थायी निवास:
पी.एल. सूद, मकान नं0 8,
आईडियल सी.सै. स्कूल के सामने वाल गली,
एकता नगर, हिसार (हरियाणा)।

सेवामें

श्रीमान् लोकायुक्त महोदय
लोकायुक्त सचिवालय राज.
हॉलकेम - बाइंडर

विषय :- परिवार सं.- एफ-16(70) लो.आ.स/2012

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
17 ...
5369

महोदय जी,

श्रीमान् जी मेरे द्वारा आपके यहाँ उक्त परिवार दर्ज करवाया गया। अब उसकी सम्पूर्ण जाँच हो गई है। उस जाँच से सन्तुष्ट हूँ। आप श्रीमान् जी के यहाँ परिवार दर्ज होने के बाद मेरी शिकायत का निस्तारण हो गया है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ।

अब मेरा यह परिवार निरस्त कराने का कष्ट करावें।

दिनांक
12/5/2017

सहायक
[signature]
हरीश चाण्डक
मो.- 9460372371

सेवामें 14/6/17

श्रीमान सचिव महोदय
लोक आयुक्त सचिवालय
जयपुर (राजस्थान)

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
15 JUN 2017
9177
संख्या

मान्यवर जी/

सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे खेत पर पत्थर गड़ी का जो कार्य 6 माह से काफी चक्कर कोई 6 तहसील व गिरदार जी यहाँ लगाने पर नहीं हुआ वह कार्य आपके सचिवालय में शिकायत पत्र भेजने के बाद आपका पत्र क्र. एफ 11(68) लोआ म 2017/5204 को गिरदार महोदय को दिखाते ही चमत्कार सीद्ध हुआ और दुसरे ही दिन यानी ता 7/6/2017 को पत्थर गड़ी करदी गई है।

उसके लिए मैं आपको बारबार धन्यवाद देता हूं।

प्रार्थी
रामकाला शर्मा पुत्र वड़ीप्रसाद शर्मा
नि. बामड़ा ब्राह्मणगत
ते. बमवा (दौसा)

रामकाला शर्मा
13/7/2017

सेवामें,

श्रीमान लोकायुक्त महोदय,
लोकायुक्त सचिवालय,
जयपुर।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
22 JUN 2017
10181

विषय :- आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण चलने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक 16(871)लोआस/2014/6197 दिनांक 12/5/17 के सन्दर्भ में।

महोदय जी,

विषयान्तर्गत प्रसंगित पत्र के सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उक्त परिवाद की पीड़ा निवारण के लिए मैं कोटिशः हार्दिक आभार निवेदन करता हूं तथा अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा जवाब में देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पिछले करीब दो माह से लगभग बाहर था।

पुनः सादर साभार अनापत्ति पत्र प्रेषित है।

प्रार्थी

दिनांक 14/6/17

(दीलाराम कीलका)
RPS (Rtd.)
मिश्रानगर, कुचामनसिटी
(नागौर)

सेवा में,
माननीय लोकायुक्त महोदय,
लोकायुक्त सचिवालय,
जयपुर।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
18494
दिनांक .....

विषय:- परिवाद संख्या 16(81)लोआस/2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सचिवालय में परिवाद संख्या 16(81)लोआस/2015 प्रस्तुत करने के पश्चात्, सचिवालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे आवास संख्या 21, इन्कम टैक्स ऑफिसर्स कॉलोनी, सिविल लाइन का पट्टा जारी कर दिया गया है। अब मैं इस प्रकरण में और कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं।

सचिवालय में परिवाद पेश करने पर, सचिवालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप मुझे मेरे उक्त आवास का पट्टा मिल सका है, जिसके लिए लोकायुक्त महोदय का बहुत-बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।

प्रार्थी,
सत्येन्द्र चतुर्वेदी

(सत्येन्द्र चतुर्वेदी)

सेवा में,

श्रीमान लोकायुक्त महोदय, संयुक्त सचिव महोदय (तृतीय)
लोकायुक्त परिसर, शासन सचिवालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषयः— सरकार द्वारा नीलामी में लिया पीलीबंगा नगरपालिका की पूर्वी तहबाजारी का भुखण्ड संख्या 8ए का कब्जा व लीजडीड आप द्वारा दिलवाने पर दिल से हार्दिक आभार ।

प्रसंगः— आपके कार्यालय की फाईल नं. 16(79)एल.ए.एस.2013 के सन्दर्भ में ।

23688

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं व मेरा परिवार आपके न्यायिक फैसलें का आभारी है । वर्षो से न्याय के लिए मैं भटक रहा था उम्र के आखिरी पड़ाव में सरकार से खरीदा भुखण्ड का कब्जा आपके कार्यालय के सख्त निर्णय के निर्देश पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पीलीबंगा ने दिनांक 11.07.2017 को मुझे कब्जा दे दिया । पुनः आपके इस न्यायिक फैसलें का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं ।

जबकि मैनें आपके अलावा मुख्यमन्त्री कार्यालय राजस्थान सम्पर्क सहित जिला प्रशासन से न्याय की गुहार की थी लेकिन कहीं भी सुनवाई नही हुई परन्तु आप द्वारा मुझे यह कब्जा दिलवाकर मुझे उम्र के आखिरी पड़ाव पर राहत प्रदान की है ।

कब्जा लेते वक्त मैनें नगरपालिका पीलीबंगा को भुखण्ड की लीजडीड व रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था, मेरे आवेदन पर नगरपालिका पीलीबंगा ने मेरे पक्ष में दिनांक 03.10.2017 को उक्त भुखण्ड की रजिस्ट्री करवा दी गई है जिससे मैं वे मेरा पूरा परिवार आपका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता है ।

पुनः आपके व आपके स्टाफ की ईमानदारी व कार्यकुशलता के लिए तह दिल से आभार प्रकट करता हूं ।

धन्यवाद !

दिनांकः— 27.10.2017

भवदीय

सुभाष चन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल
जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 11
अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
मोबाइल नं. 9982686099

प्रतिलिपिः—
श्रीमान अध्यक्ष महोदय/अधिशाषी अधिकारी महोदय, न.पा. पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
05 DEC 2017
28512
प्राप्तांक संख्या.....

सेवामें,

श्रीमान सहायक सचिव (जे)
लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान
जयपुर।

विषयः आपत्तियां प्रेषित करने बावत।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक एफ 16(984)/LAS/2015/31301/दिनांक 11-11-2017

महोदय,

मेरे परिवाद के सम्बन्ध में, उपायुक्त सांगानेर जोन, न. नि. जयपुर ने दिनांक 04-09-2017 को विवाह स्थल को सीज करने की कार्यवाही की है उससे हम, विवाह स्थल के आस-पास के मकानों में रहने वाले लोग, पूर्णतः संतुष्ट हैं। उपायुक्त महोदय ने अपने पत्र F-53/D.C./S.NZ/17/1612 दिनांक 10-10-2017 के बिन्दु 3 के अनुसार "शर्तों की पूर्ति न होने पर" विवाह स्थल को बंद करवा देने का जो आश्वासन दिया है उससे भी हम लोग संतुष्ट तो हैं परन्तु यदि यहां कुछ समयावधि का उल्लेख कर दिया जाता कि कितने समय तक शर्तें पूरी ना किए जाने पर विवाह स्थल को बंद करवा दिया जाएगा, तो अधिक तार्किक व प्रासंगिक रहता। कृपया इस समयावधि की जानकारी भी उपायुक्त न. नि. सांगानेर से ले लें तो अति कृपा होगी।

मान्यवर,

गैर कानूनी तरीके से बिना नगर निगम की अनुमति व लाइसेंस के चलाऐ जा रहे इस विवाह स्थल के खिलाफ कार्यवाही हेतु हम आस-पास में बने मकानों में रहने वाले प्रभावित लोगों ने 15-5-2014 को नगर निगम कार्यालय में लिखित शिकायत की थी और उसके बाद से हम लोग लगातार प्रत्येक स्तर पर लिखित पत्रों के माध्यम से तथा शिष्टमंडल के रूप में सम्बन्धित अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों तक गुहार लगाते रहे हैं। हमारा शिष्टमंडल हमारी पार्षद श्रीमति विमलेश मीणा से, हमारे MLA माननीय कैलाश वर्मा जी से, JDA आयुक्त से, JDA उपायुक्त से, CEO न.नि. जयपुर से, R.O. न. नि. सांगानेर से, कई कई बार मिला परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने JDA न. नि. जयपुर व सांगानेर, मुख्यमंत्री जी, MLA, पार्षद आदि को कितनी ही बार लिखा लेकिन सब व्यर्थ। अंत में हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 04-10-2016 को विस्तृत पत्र लिखा और दिनांक 27-03-2017 को उसका प्रथम स्मरण पत्र व दिनांक 13-07-2017 को द्वितीय स्मरण पत्र दिया। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारी शिकायत मुख्य सचिव राजस्थान के कार्यालय को प्रेषित की जाती रही और वहां से नगर निगम अधिकारियों को भी प्रेषित होती रही (जैसा कि मेरे मोबाईल पर SMS आते रहते थे) परन्तु किसी भी तरह की कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई।

मान्यवर,

इस सारे system से निराश होकर हम लोगों ने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया और हमें एक सुखद अनुभव की प्राप्ति हुई। लोकायुक्त सचिवालय के सार्थक प्रयासों से यह विवाह स्थल सीज हुआ और इस विवाह स्थल के आस-पास बने मकानों में रहने वाले हम प्रभावित लोगों को इसके कुप्रभावों (गंदगी,

ट्रफिक समस्या, DJ के द्वारा असामान्य ध्वनि प्रदूषण आदि) से मुक्ति मिल पाई। हम सभी लोग लोकायुक्त सचिवालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी बन्धुओं के अत्यन्त शुक्रगुजार है और तहे दिल आपका आभार प्रदर्शन करते हैं।

आपको कोटि–कोटि धन्यवाद।

प्रार्थीगण

दिनांकः 2-12-2017

(1) कृष्णकुमार माटवान (House No 56 Shivram colony, Jagatpura, Jaipur, Mob- 9414001196)

(2) [illegible] (अखिलेश गोयल HN-54A, Shivram colony, Jagatpura)

(3) लक्ष्मीनारायण मीना 51 Shivram colony Jagatpura

(4) सुरेश मीना (Plot No 56A Shivram Colony)

(5) अशोक भारतीय, 38-A, Shivram Colony Jagatpura, Jaipur

(6) [illegible] Plot No 97, Shivram colony (अपना विकास Colony विकास समिति)

(7) [illegible] 53-A [illegible] जगतपुरा, जयपुरी

(8) Shrawan Sharma, 55, Shivram Colony Jagatpura.

(9) [illegible] (Plot No 53B Shivram colony)

(10) Rajesh. (Plot No 53 Shivram colony)

सेवा मे

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
12 DEC 2017
29475
प्रार्थना संख्या.....

श्री मान लोकायुक्त महोदय
राजस्थान जयपुर

विषय: परिवार संख्या 16 (862) 2014
मे पट्टा जारी होजाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मैंने फरवरी 2015 मे परिवार प्रस्तुत किया था जिसमे हमारे प्लॉट संख्या 5-जी बाईस गोदाम कच्ची बस्ती जयपुर का पट्टा पूरी राशि 15.07.2014 तक जमा कराने के बावजूद जारी नही करने कि शिकायत कि गई थी। इस शिकायत पर आपके द्वारा कारवाई कराने के कारण हि नगर निगम द्वारा हमको 6/12/17 को पट्टा जारी कर दिया है। इसके लिए हम आपके बहोत बहोत आभारी है।

धन्यवाद

प्रार्थिय
अनीता मीणा
E-731 गुप्ता स्टोर
वैशाली नगर जयपुर
9950335142

12/12/17

सलंग मे
संलग्न:-
प्रतिलिपि।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
20 DEC 2017
30591
प्राप्तांक संख्या.....

श्रीमान् सचिव महोदय,
लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज०)

धन्यवाद पत्र

विषय → आपके कार्यालय के पत्रांक F-11(723)/लो आस/2016/27855 दिनांक 16.10.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पति स्व० सिहाँराम यादव पूर्व पटवादी राजस्व विभाग का पारिवारिक पेंशन का प्रकरण पिछले 1 वर्ष 6 माह से लम्बित चल रहा था। मैंने इस प्रकरण के निस्तारण के लिए आपके कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र दिया था। मेरे इस प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया जिससे मेरी पेंशन मंजूर हो सकी है। अतः मेरे इस प्रकरण के निस्तारण के लिए आपका व आपके कार्यालय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित है।

अतः निवेदन है कि मैं इस प्रकरण के निस्तारण से सहमत हूँ तथा इसे अब बन्द कर दिया जावें।

आपके कार्यालय को एक बार पुनः सधन्यवाद तथा इसी तरह आम लोगों का सहयोग करते रहें।

ऊ० डि०
कमला देवी

प्रार्थी या

कमला देवी पत्नी स्व० श्री सिहाँराम यादव
ग्राम-मिलकपुर, पो-माचल
तह०-बहरोड़, अलवर (राज०)
पिन-301701